



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



उत्तर प्रदेश सरकार
2013 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय-सूची

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राककथन		v
	विहंगावलोकन		vii-xi
अध्याय-I			
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन	1	1-14
	प्रस्तावना	1.1-1.3	1
	लेखापरीक्षा अधिदेश	1.4-1.6	1-2
	राजकीय पीएसयू में निवेश	1.7-1.9	2-3
	बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/सब्सिडी, प्रत्याभूति एवं ऋण	1.10-1.11	3-4
	वित्तीय लेखाओं के साथ समाधान	1.12	4-5
	पीएसयू का कार्य सम्पादन	1.13-1.18	5-7
	लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण	1.19-1.23	7-8
	वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की वस्तुस्थिति	1.24	8
	अकार्यरत पीएसयू का समापन	1.25-1.27	8-9
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.28-1.33	9-12
	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूली	1.34	12
	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.35	12-13
	विनिवेश, निजीकरण एवं पीएसयू की पुर्णसंरचना	1.36	13-14
अध्याय-II			
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा	2	15-70
	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	15-48
	कार्यकारी सारांश	--	15-16
	प्रस्तावना	2.1.1-2.1.2	16-17
	लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति	2.1.3	17
	लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1.4	17-18
	लेखापरीक्षा की कर्सौटियाँ	2.1.5	18
	पारेषण प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन	2.1.6	18-19
	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	2.1.7	19
	नियोजन एवं विकास	2.1.8-2.1.9	19-22
	पारेषण प्रणाली का परियोजना प्रबंधन	2.1.10-2.1.25	22-35
	पारेषण प्रणाली का निष्पादन	2.1.26-2.1.34	35-38
	ग्रिड प्रबन्धन	2.1.35-2.1.42	38-41
	ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा	2.1.43	41
	वित्तीय प्रबन्धन	2.1.44-2.1.50	41-46
	सामग्री प्रबन्धन	2.1.51-2.1.53	46-47
	निष्कर्ष		47-48

अध्याय-II			
संस्कृतियाँ			47-48
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2		49-70
कार्यकारी सारांश	--		49
प्रस्तावना	2.2.1		50
संगठनात्मक संरचना	2.2.2		50
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.2.3		50-51
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2.4		51
लेखापरीक्षा कसौटी	2.2.5		51
लेखापरीक्षा पद्धति	2.2.6		51-52
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.2.7		52
भूमि का अधिग्रहण	2.2.8-2.2.15		52-56
अधिग्रहीत भूमि पर अवसरंचना का विकास	2.2.16-2.2.22		56-60
औद्योगिक क्षेत्र का प्रबन्धन	2.2.23-2.2.29		60-67
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एंव आंतरिक लेखापरीक्षा	2.2.30-2.2.35		67-70
निष्कर्ष			70
संस्कृतियाँ			70
अध्याय-III			
संव्यवहारों के लेखापरीक्षा प्रेक्षण	3		71-105
सरकारी कम्पनियाँ			
यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड			
वास्तुकारों को गैर अभिप्रेत हितलाभ	3.1		71-72
हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ के संस्थापन की अनौचित्यपूर्ण लागत	3.2		72-73
उत्तर प्रदेश जल निगम और यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड			
सीमेन्ट के क्रय पर परिहार्य व्यय	3.3		73-74
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड			
ऊर्जा क्रय के लिए उच्च दर की निविदा को अन्तिम रूप देने के कारण अनुवर्ती हानि	3.4		74-78
'श्वेत-पत्र' पुस्तकों के प्रकाशन पर अनियमित व्यय	3.5		78-79
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड			
वितरण फ्रैन्चाइजी अनुबन्ध के अन्तिमीकरण में हुयी अनियमिताएँ	3.6		79-87
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड			
सामग्रियों के क्रय पर परिहार्य व्यय	3.7		87-89
फ्लाई ऐश की बिक्री का विलम्ब से अनुबन्ध निष्पादन	3.8		89-90
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड			
निर्धारित कटौती कार्यक्रम को प्रभावी करने में निष्क्रियता के कारण राजस्व की वसूली न हो पाना	3.9		90-91
मीटिंग सिस्टम की लागत की वसूली न होना	3.10		91-92

अध्याय-III			
	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	सामग्री प्रबंधन	3.11	92-98
	उत्तर प्रदेश जल निगम		
	अधिशेष मिट्टी की पुनः प्राप्ति और निस्तारण में प्रणालीगत कमियों के कारण हानियाँ	3.12	98-101
	सीवर लाइनों के निर्माण पर परिहार्य व्यय	3.13	101-102
	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम		
	अग्रिम कर के सही आँकलन में विफलता के परिणामस्वरूप हानि	3.14	102-103
	सामान्य		
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	3.15	103-105
क्रम	परिशिष्ट		
	विवरण		
1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2012 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं श्रम शक्ति को दर्शाती विवरणी	1.7	107-113
2	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.13, 1.21 एवं 1.33	114-120
3	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, अपलिखित ऋण और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवं मार्च 2012 की समाप्ति पर प्रतिबद्ध प्रत्याभूतियों को दर्शाती विवरणी	1.10	121-122
4	कार्यरत सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों में उन वर्षों में जिनके लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये गये हैं, सरकार द्वारा अंशपूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में किये गए निवेश को दर्शाती विवरणी	1.22	123
5	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.13	124-126
6	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.13	127-129
7	पाँच वर्षों के दौरान 2011-12 तक वोलटेज-आधारित नियोजित वृद्धि, वास्तविक वृद्धि एवं कमी को दर्शाती हुई विवरणी	2.1.9	130
8	उपकेन्द्रों के निर्माण में समयाधिक्य एवं लागत आधिक्य को दर्शाती हुई विवरणी	2.1.11	131-133
9	लाइन के निर्माण में लागत एवं समय वृद्धि को दर्शाती हुई विवरणी	2.1.11	134-136
10	काउण्टर आफर के लिये इक्वेटेड प्राइस की गलत गणना को दर्शाती हुई विवरणी	2.1.19	137
11	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के संगठनात्मक ढाँचे को दर्शाती विवरणी	2.2.2	138
12	ठेकेदारों को भुगतान की गयी राशि पर ब्याज की हानि को दर्शाती विवरण	2.2.20	139-140
13	31 मार्च 2012 तक अनिष्टादित कार्यों को दर्शाती विवरणी	2.2.20	141
14	ट्रोनिका सिटी में समूह आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के आवंटन में हानि को दर्शाती विवरणी	2.2.29	142-143
15	ऊर्जा क्रय के लिये प्रदान की गयी उच्च दरों का अन्तर	3.4.5	144

क्रम	परिशिष्ट		
	विवरण		
16	संकेतात्मक रिजर्व इनपुट दर (बीएसटी) से नीचे की दरें स्वीकार करने से हुई हानि को दर्शाती हुयी विवरणी	3.6.6	145
17	एटीआर में गैर तर्कसंगत परिवर्तन और टैरिफ में बढ़ोत्तरी पर कम लाभ देने के कारण हुयी राजस्व हानि को दर्शाती विवरणी	3.6.8	146
18	दविविनिलि में सामग्रियों के क्रय हेतु बारम्बार निविदा करने संबंधी विवरणी	3.11.2	147
19	उच्चतर दरों पर क्रय से अधिक व्यय को दर्शाती हुयी विवरणी	3.11.3	148
20	वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान पविविनिलि, मेरठ एवं दविविनिलि, आगरा में उच्चतर पैकेज दरों पर ट्रान्सफार्मर की मरम्मत के कारण हानि को दर्शाती विवरणी	3.11.7	149
21	वास्तविक रूप से बिछाये गये पाइपों, बैंडिंग और बनाये गये मैनहोलों की मात्रा के सापेक्ष निकाली गई अधिशेष मिट्टी की मात्रा पर देय रॉयल्टी को दर्शाती विवरणी (31 मार्च 2012 को)	3.12.1	150
22	प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, को दर्शाती विवरणी	3.15.1	151
23	भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित सतत् अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	3.15.3	152-154
24	भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सांविधिक निगमों से सम्बन्धित सतत् अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	3.15.3	155-156
25	विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को प्रदर्शित करती हुई विवरणी	3.15.4	157
26	विभागवार प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी	3.15.4	158

प्रावक्थन

सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम, जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अधीन होती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

- (i) सरकारी कम्पनियाँ,
- (ii) सांविधिक निगम, एवं
- (iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम।

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों (पीएसयू) की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है एवं इसे समय—समय पर यथा संशोधित नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक छः उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों की सूची में से नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्पन्न की गई लेखापरीक्षा के साथ—साथ उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के सम्बन्ध में उसे, सीएजी के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्पन्न की गई लेखापरीक्षा के साथ—साथ उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम की लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2011–12 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2011–12 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

6. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

1. jkt; ds | koltfud {ke ds mi Øek dk fogakloykdu

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की द्वारा 619 द्वारा भासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेशकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक नियमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बंधित विधानों से भासित होती है। 31 मार्च 2012 को उत्तर प्रदे। राज्य में 85 कार्यरत पीएसयू (78 कम्पनियाँ एवं 7 सांविधिक नियम) और 43 अकार्यरत पीएसयू (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें 0.79 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अधिनन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत पीएसयू ने 2011–12 में ₹ 42,987.46 करोड़ का टन्डोवर किया। यह टन्डोवर राज्य के जीडीपी का 6.25 प्रति ता था जो राजकीय पीएसयू द्वारा अर्थव्यवस्था में औसत भूमिका निभाने को झंगित करता है। तथापि कार्यरत पीएसयू ने 2011–12 में कुल ₹ 6,489.58 करोड़ की हानि बहन की और उनकी संचित हानियाँ ₹ 27,742.12 करोड़ थी।

पीएसयू में निवे।

31 मार्च 2012 को 128 पीएसयू में ₹ 97,867.69 करोड़ (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) का निवे। था। यह 2006–07 के ₹ 28,950.50 करोड़ से 238.05 प्रति ता बढ़कर 2011–12 में ₹ 97,867.69 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में निवे। वृद्धि के कारण था जो कि 2011–12 में कुल निवे। का 93.38 प्रति ता लेखाकृत किया गया। 2011–12 के दौरान सरकार ने आ। पूँजी ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 7,446.16 करोड़ का योगदान दिया।

पीएसयू का कार्य सम्पादन

कार्यरत पीएसयू की हानि 2006–07 के ₹ 499.50 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 6,489.58 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011–12 के दौरान, 85 कार्यरत पीएसयू में से, 32 पीएसयू ने ₹ 1,201.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 23 पीएसयू ने ₹ 7,691.15 करोड़ की हानि बहन की। पाँच कार्यरत पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये जबकि 25 कम्पनियों ने न लाभ न हानि। आधार पर अपने लेखाओं का रखरखाव किया। लाभ में योगदान करने वालों में मुख्यतः उत्तर प्रदे। आवास एवं विकास परिषद (₹ 358.80 करोड़), उत्तर प्रदे। राजकीय निर्माण नियम लिमिटेड (₹ 225.46 करोड़), उत्तर प्रदे। राज्य विवित उत्पादन नियम

लिमिटेड (₹ 126.38 करोड़) और उत्तर प्रदे। वन नियम (₹ 125.17 करोड़) थे। ऊर्जा क्षेत्र की वार कम्पनियों द्वारा भारी हानि ₹ 6,849.96 करोड़। बहन की गई।

हानियों का मुख्य कारण, पीएसयू के कार्यप्रणाली में विभिन्न कमियाँ थीं। सीएजी के तीन वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शती है कि राजकीय पीएसयू की ₹ 16,879.05 करोड़ की हानियाँ एवं ₹ 132.80 करोड़ का निश्चल निवे। बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता था। अतः कार्यप्रणाली को सुधारने तथा हानियों को कम करने/समाप्त करने की वृद्धि सम्भावना है। पीएसयू अपने दायित्व दक्षतापूर्वक तभी निर्वहन कर सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलम्बी हों। पीएसयू की कार्यप्रणाली में पैकोर दृष्टिकोण एवं जबवदेही की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

पीएसयू के लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 तक 50 कार्यरत कम्पनियों के अन्तिमीकृत किये गये 60 लेखाओं में से 47 लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाणपत्र, तीन लेखाओं पर एडवर्स प्रमाणपत्र, एक लेखे पर डिस्क्लेमर और नौ लेखाओं पर अन्क्वालिफाइड प्रमाणपत्र निर्गत किये गये। लेखाकृत मानकों के अनुपालन न करने के 109 दृष्टांत थे। अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान छः सांविधिक नियमों द्वारा अन्तिमीकृत किये गये छः लेखाओं में से तीन लेखाओं की लेखापरीक्षा हमने सम्पादित की और दो लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाणपत्र और एक लेखे पर एडवर्स प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। भूज तीन नियमों की लेखापरीक्षा अन्तिमीकृत के अधीन थी (सितम्बर 2012)।

लेखाओं के लिखित अन्तिमीकृत

85 कार्यरत पीएसयू में से, केवल चार पीएसयू ने वर्ष 2011–12 के अपने लेखे अन्तिमीकृत किये जबकि सितम्बर 2012 में 81 पीएसयू के 234 लेखे एक से 16 वर्ष की अवधि से बकाया थे। पीएसयू हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए बकाये को समयबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। 43 अकार्यरत पीएसयू (सभी कम्पनियाँ) में से, 12 परिसमाप्त में थीं, और भूज 31 में लेखे एक से 37 वर्ष के बकाये में थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयू को बन्द करने की कार्यवाही तेज करनी चाहिये।

2. jKT; ds | koltfud {ks= ds mi Øeksl s | EcflU/kf fu'i knu ysfkki jhkk

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। हमारे लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की कार्यकारी सारांश निम्नवत है:

2.1 उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश में विद्युत पारेषण एवं ग्रिड संचालन उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) एवं राज्य लोड लिस्पैच सेंटर के द्वारा प्रबन्धित किया जाता है। 31 मार्च 2007 को कम्पनी के पास 21,619 सर्किट किलोमीटर (सीक्रेम) का पारेषण नेटवर्क एवं 276 एक्स्ट्रा हाई टेंशन उपकेन्द्र (एसएस) थे जो बढ़कर 31 मार्च 2012 को 25,064.90 सीक्रेम लाइन एवं 53,338 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) की स्थापित क्षमता के साथ 357 उपकेन्द्र हो गये। पारेषित ऊर्जा की मात्रा वर्ष 2007–08 में 51,472.14 मिल्यू से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 70,029.47 मिल्यू हो गयी।

नियोजन एवं विकास

कम्पनी ने क्षमता वृद्धि एवं विस्तार हेतु ग्रिड योजना तैयार की। उपकेन्द्रों एवं लाइनों की क्षमता वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि पाँच वर्षों के दौरान 222 उपकेन्द्रों की नियोजित वृद्धि एवं 12,877 सीक्रेम लाइनों की निर्माण के विरुद्ध केवल 81 उपकेन्द्रों एवं 3,445.90 सीक्रेम लाइनों का निर्माण हुआ था। अत्यप्राप्ति का कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब था।

परियोजना प्रबन्धन

कम्पनी अपनी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कर सकी जिसके कारण वर्ष 2007–12 के दौरान एक माह से 216 महीनों तक का समयावधिक्य एवं ₹ 105.02 करोड़ का लागत आधिक्य था। समयावधिक्य का कारण भूमि अधिग्रहण, रेलवे से अनुमोदन प्राप्त करने एवं वन विभाग से अनापति प्राप्त करने आदि में विलम्ब था।

कम्पनी भार की आवश्यकता का आँकलन करने में विफल रही और अल्प क्षमता गाले दो उपकेन्द्रों का निर्माण किया। बाद में ₹ 13.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करके उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गयी।

क्रय

कम्पनी ने दो प्रकरणों में अनुबन्ध के महत्वपूर्ण उपवाय को लागू न करके ₹ 4.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। अग्रेतर, काउण्टर आफर हेतु इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के

कारण कम्पनी ने ₹ 17.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

परियोजनाओं का क्रियान्वयन

उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण का कार्य सामान्यतः खुली निविदा के माध्यम से टर्नकी के आधार पर दिया गया था। कम्पनी ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बैस्ट प्रैविटेसेज इन ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति को शामिल करके उच्च दरों पर अनुबन्ध प्रदान करके, निविदा को दो पैकेजों में विभाजित करके एवं टावर डिजाइन का मानकीकरण न करने के कारण ₹ 158.78 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

कम्पनी ने दो प्रकरणों में ₹ 63.66 करोड़ के पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली नहीं किया।

पारेषण प्रणाली का निष्पादन

कम्पनी की सम्पूर्ण पारेषण क्षमता (अतिरिक्त हेतु 30 प्रतिशत छोड़कर), वर्ष 2007–08 को छोड़कर, प्रतिवर्ष आवश्यकता से अधिक थी। मानक के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज स्तर सुनिश्चित करने में कम्पनी विफल रही। चार परियोजनाओं में 255 पोषकों में से 68 पोषक 366 एम्पियर से अधिक भारित थे। 220 केवी के 67 उपकेन्द्रों (49 एकल बस बार उपकेन्द्र एवं 18 उपकेन्द्र दो बस बार गाले) में से मात्र 18 उपकेन्द्रों में बस बार प्रोटेक्शन ऐनल थे, जिनमें से केवल तीन कार्यशील अवस्था में थे।

उपकेन्द्रों की पर्याप्तता

कम्पनी ने 220 केवी के 5 उपकेन्द्रों एवं 132 केवी के एक उपकेन्द्र में ट्रान्सफार्मरों की अनुबन्ध अधिकतम क्षमता को पार किया था। न्यूनतम दो ट्रान्सफार्मरों के मानक के विरुद्ध कम्पनी के पास 220 केवी के चार उपकेन्द्रों एवं 132 केवी के 48 उपकेन्द्रों में एकल ट्रान्सफार्मर थे।

ग्रिड प्रबन्धन

357 उपकेन्द्रों एवं 9 जनरेटरों में से केवल 93 उपकेन्द्रों (26.05 प्रतिशत) एवं 9 जनरेटरों में रिमोट टर्मिनल युनिट की व्यवस्था थी। अग्रेतर, ग्रिड मानक के उल्लंघन हेतु कम्पनी ने अगस्त 2010 से मार्च 2012 के दौरान नार्दर्स रीजनल लोड लिस्पैच सेंटर से 120 (ए-टाइप), 107 (बी-टाइप) एवं 21 (सी-टाइप) संदेश प्राप्त

किया। ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के कारण सीईआरसी द्वारा ₹ 9.10 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया गया।

वित्तीय प्रबन्धन

कम्पनी ने समस्त पाँच वर्षों में हानियाँ बहन की और निशादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान संचित हानियाँ ₹ 991.08 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,183.82 करोड़ हो गयी। अप्रत्यक्ष उक्त अवधि के दौरान क्रण-इविटी अनुपात 1.11:1 से बढ़कर 1.23:1 हो गया।

टैरिफ निर्धारण

कम्पनी द्वारा वार्षिक राजस्व आव यकता (एआरआर) वर्ष 2008-09 को छोड़कर निशादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 117 से 482 दिनों के विलम्ब से एआरआर प्रस्तुत किया गया।

सामग्री प्रबन्धन

निदेशक मण्डल के निर्णय के बावजूद कम्पनी ने वर्ष 2001 से पछे हुए 51 क्षतिग्रस्त एवं अमितव्ययी ट्रान्सफर्मरों का निस्तारण नहीं किया। कम्पनी का अन्तिम स्टॉक 2007-08 में ₹ 290.17 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 606.51 करोड़ हो गया। अन्तिम स्टॉक 13 से 21 महीनों के उपभोग के तुल्य था।

निक्षर्च एवं संस्तुतियाँ

कम्पनी, नियोजित क्षमता वृद्धि को प्राप्त करने में विफल रही जिसने वृहद अल्पग्राहित दर्ज किया, समयाधिक्य एवं लागत आधिक्य के साथ परियोजनाओं को पूर्ण किया, उत्पादन योजना के साथ ऊर्जा निकासी प्रणाली के निर्माण में

समन्वय स्थापित करने में विफल रही और विद्यमान पारेश्वर प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा निकासी को प्रबंधित किया, बिना समुचित भार आव यकता का आँकड़लन किये उपकरणों एवं लाइनों का निर्माण किया जो अल्प उपयोग्य थे, एकल ट्रान्सफर्मरों के साथ उपकरणों का निर्माण किया जो मैनुअल ऑफ ट्रान्सफर्मि इन प्लानिंग क्राइटरिया के प्रावधानों के प्रतिकूल था। गोल्टेज प्रबन्धन प्रणाली ग्रिड सहिता में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी, ग्रिड अनु ग्रासन का अनुपालन नहीं किया गया था और कम्पनी के पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय एवं आपदा प्रबंधन हेतु अवसरंचना नहीं थी।

हमने क्षमता वृद्धि हेतु वार्षिक योजना के क्रियान्वयन एवं यथा नियोजित परियोजनाओं को पूर्ण करने, उत्पादन प्रणाली से समन्वय स्थापित करते हुए ऊर्जा निकासी प्रणाली हेतु नियोजन करने, पारेश्वर नेटवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन एवं रख-रखाव हेतु एमटीपीसी/बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्सफर्मि इन सिस्टम में निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने, पर्याप्त आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं उपकरणों एवं लाइनों की सुरक्षा हेतु संस्तुत प्रणाली की स्थापना करने, ग्रिड सहिता के अनुसार एसएलडीसी का रख-रखाव करने और ग्रिड की सुरक्षा हेतु रिअल टाइम आधार पर आरटीयू के माध्यम से सभी जनरेटरों एवं उपकरणों को एसएलडीसी से संयोजन सुनिश्चित करने हेतु छ: संस्तुतियाँ की हैं। ग्रिड अनु ग्रासन के उल्लंघन से बचने हेतु फ्रिक्वेन्सी स्तर का अनुपालन किया जाना चाहिए।

2.2 उत्तर प्रदेश / राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में मार्च, 1961 में कम्पनी अधिनियम, 1956 के आधीन राज्य में औद्योगिक अवसरंचना के विकास व औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु किया गया योजना जिसके लिए यह ग्रिड इकाई है।

भूमि का अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण के लक्ष्य, जिला प्रासन व सरकार के स्तर पर हुई दरी के कारण, प्राप्त नहीं किये जा सके। उपलब्ध भूमि को विकसित करने में कम्पनी की विफलता के कारण, न केवल भूमि के पश्चात्वर्ती अधिग्रहण में धन अवरुद्ध रहा बल्कि सोलोमियम के भुगतान के रूप में व्यय भी व्यर्थ रहा।

बुलन्दशहर में 1993 में 1,200.483 एकड़ तथा अप्रैल 1999 से अप्रैल 2005 तक 2,584.292 एकड़ अधिग्रहण की गयी भूमि का भौतिक

कब्जा नहीं प्राप्त किया जा सका जिसके कारण ₹ 297.29 करोड़ अवरुद्ध रहा।

कम्पनी ने 48,551.088 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जिसके विरुद्ध मात्र 27,745.588 एकड़ भूमि का ही कन्वेन्स डीड निशादित कराया है।

अधिग्रहीत भूमि पर अवसरंचना का विकास

कम्पनी ने विकास हेतु 248 अनुबन्ध निशादित किए जिनमें से 201 अनुबन्ध अल्पकालीन निविदा के तहत बिना किसी स्पष्टीकरण के निशादित किए तथा ₹ 63.37 करोड़ के 33 अनुबन्धों का निशादन अति अल्पकालीन निविदा के तहत किया गया, यद्यपि मैनुअल में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।

40 अनुबन्धों के परीक्षण से उजागर हुआ कि निविदा को निम्न पद के कर्मचारियों द्वारा अनियोन्नीकृत किया गया जबकि प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य अधिकारी ने निविदा प्राप्तों एवं त्रुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर नहीं किया। प्रबन्ध निदेशक ने 'नोट-रीट' पर पृथक रूप

से स्वीकृति प्रदान की। कम्पनी ने बिना औपचार्य दिए कार्य को समूहों में विभाजित करके 130 अनुबन्धों को अन्तिम रूप दिया। कम्पनी ने 107 अनुबन्ध एक ही ठेकेदार को दिए जिसमें से 48 अनुबन्ध मार्च 2012 तक अपूर्ण थे जिससे समूहीकरण का उद्देश य विफल रहा।

मुख्य अभियन्ता ने 39 अनुबन्धों के विरुद्ध 19 ठेकेदारों को ₹ 25.51 करोड़ का भुगतान किया, यद्यपि क्रियान्वित कार्यों के बीजक उपलब्ध नहीं थे जिसमें से ₹ 5.64 करोड़ की वसूली नहीं हो पायी। इस अपान्य भुगतान से ₹ 5.40 करोड़ के ब्याज का तुकासान हुआ।

21 अनुबन्धों में वसूली योग्य ₹ 2.65 करोड़ के अर्थदण्ड के सापेक्ष मात्र ₹ 1.07 लाख के अर्थदण्ड की वसूली की गयी।

दस अनुबन्ध बार से छ: वर्ष की देरी के बावजूद अपूर्ण रहे जिससे ₹ 21.17 करोड़ अवरुद्ध रहे तथा औद्योगिक अवसंरचना के विकास में देरी हुई।

कम्पनी द्वारा सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रबन्ध निवेदक के निर्देश (जून 2007) के विपरीत नौ अनुबन्धों में ₹ 3.03 करोड़ का भुगतान किया गया। भौतिक सत्यापन से पता चला कि चक्रवर्ती-II तथा मध्यना स्थलों पर ₹ 2.21 करोड़ की सामग्री कम पाई गयी।

औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबन्ध

2011-12 तक पाँच वर्षों के दौरान आवटित भूखण्डों का उपयोग 48.77 प्रतिशत से 54.27 प्रति तत के मध्य रहा। कम्पनी को रिक्त भूखण्डों के हस्तान्तरण के कारण ₹ 11.30 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व हानि हुई।

212 मामलों में पट्टा विलेख के निशादन बिना भूखण्डों के हस्तान्तरण से ₹ 5.40 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी की हानि हुई तथा 303 मामलों में ₹ 18.81 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी की वसूली, पट्टा विलेख के निशादन न होने के कारण, नहीं की जा सकी।

पाँच युप हार्जसिंग भूखण्डों के रिजर्व प्राइस का निधारण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया जिससे ₹ 110.10 करोड़ की हानि हुई।

आठ युप हार्जसिंग भूखण्डों तथा 34 वाणिज्यिक भूखण्डों का आवटन निधारित प्रणाली के विपरीत किया गया जिससे बाजार मूल्य पर ₹ 152.29 करोड़ तथा 'सर्किल रेट' पर ₹ 24.50 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

मासिक/त्रैमासिक लेखे तैयार नहीं किये जाते जिसके कारण कम्पनी अपनी आय का सही निधारण नहीं कर सकी जिसके कारण इसे ₹ 5.45 करोड़ का दण्डात्मक ब्याज का भुगतान आयकर विभाग को करना पड़ा। अधीनस्थ कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण का अभाव तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुसरण न होना आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को कमजोर बनाता है और इसके फलस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

निरुद्ध एवं संस्तुतियाँ

कम्पनी भूमि अधिग्रहण एवं विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करने में विफल रही, भूमि अधिग्रहण व्यय एवं मुआवजे का अधिक भुगतान किया, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण जनपद अधिकारियों के पास कांश अवरुद्ध रहा, निविदा प्रक्रिया की अवहेलना हुई, रिजर्व प्राइस को कम दर पर निधारण करने एवं प्रीमियम का पुनरीक्षण न करने के कारण अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर रही।

हमने विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति, सही निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करने, दर निधारण एवं पुनरीक्षण नीति के अनुपालन हेतु छ: सिफारिं ही हैं।

3. | ॥ ogkjka ds y[kki jh[kk i [kk.k

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये संव्यवहारों के लेखापरीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव निहित थे। इंगित की गयी अनियमतितायें मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

₹ 16,015.34 करोड़ की परिहार्य हानि/व्यय के दस प्रकरण थे।

(प्रस्तर 3.1, 3.3 से 3.7 एवं 3.11 से 3.14)

₹ 4.19 करोड़ के देयों की वसूली न किये जाने के तीन प्रकरण थे।

(प्रस्तर 3.8 से 3.10)

कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तरों के सारांश नीचे दिये गये हैं:

- ; wi h- i kstDVI dkj i kjsku fyfeVM ने एक फर्म का अनुचित पक्षपात दिया गया। और एस्ट्रोटर्फ का आपूर्ति आदेश उच्च दरों पर प्रदान किया।

(प्रस्तर 3.2)

- mRrj insk ikoj dkj ikjsku fyfeVM ऊर्जा क्रय के लिए उच्च दर की निविदा को अन्तिम रूप देने के कारण ₹ 10,831.82 करोड़ की अनुवर्ती हानि बहन करेगा।

(प्रस्तर3.4)

- nf{k. kopy fo|r forj.k fuxe fyfeVM द्वारा बिड मूल्यांकन प्रक्रिया और अनुपूरक अनुबन्ध में अनियमितता करने के कारण और साथ ही साथ ईटीएफ की अनुशंसाओं से विचलन किया। इसके कारण मार्च 2012 तक ₹ 421.12 करोड़ की हानि हो चुकी है और अनुबन्ध के शेष 18 वर्षों में ₹ 4,601.12 करोड़ की और हानि होगी।

(प्रस्तर3.6)

- mRrj insk jkT; fo|r mRi knu fuxe fyfeVM ने ओबरा थर्मल पावर प्लाण्ट की युनिट-8 के पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण का अनुचित नियोजन किया जिसके परिणामस्वरूप सामग्रियों की खरीद पर ₹ 31.88 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर3.7)

- mRrj insk ty fuxe में अधिशेष मिट्टी की पुनर्प्राप्ति और निस्तारण में प्रणालीगत कमियाँ थीं जिससे ₹ 7.84 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ और निगम ने ₹ 3.22 करोड़ के राजस्व अर्जित करने के अवसर खो दिये।

(प्रस्तर3.12)

- mRrj insk Hk.Mkj.k fuxe अग्रिम कर के सही आँकलन करने में विफल रहा, साथ ही निर्धारित तिथि के बाद आय का रिटर्न जमा करने के कारण ₹ 3.01 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर3.14)

अध्याय-I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुये राजकीय पीएसयू की स्थापना व्यावसायिक गतिविधियों को सम्पादित करने के लिये की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में औसत स्थान रखते हैं। 30 सितम्बर 2012 तक अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार राजकीय कार्यरत पीएसयू ने 2011-12 में ₹ 42,987.46 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर वर्ष 2011-12 के लिये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ₹ 6,87,836.28 करोड़ का 6.25 प्रतिशत था। राज्य के पीएसयू की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। राज्य के कार्यरत पीएसयू ने अपने 30 सितम्बर 2012 तक अद्यतन लेखाओं के अनुसार 2011-12 के लिये कुल ₹ 6,489.58 करोड़ की हानि बहन करी। 31 मार्च 2012 को उनमें कम से कम 0.79 लाख* कर्मचारी कार्य कर रहे थे। राजकीय पीएसयू में छः विभागीय उपक्रम♦ (डीयू) सम्मिलित नहीं हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, परन्तु राजकीय विभागों के भाग हैं। इन डीयू से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण राज्य की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) में सम्मिलित हैं।

1.2 निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2012 को 128 पीएसयू थे। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

पीएसयू का प्रकार	कार्यरत पीएसयू	अकार्यरत पीएसयू	योग
सरकारी कम्पनियाँ*	78	43	121
सांविधिक निगम	7	0	7
योग	85	43	128

1.3 वर्ष 2011-12 के दौरान, छः कम्पनियों, वेस्टर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ ईस्ट यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमन एवं एक कम्पनी♦ का निजीकरण हुआ।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी चुकता अँश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619-बी के अनुसार ऐसी कम्पनी जिसकी चुकता अँश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती है (डीम्ड सरकारी कम्पनी)।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के

- * 71 सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार। शेष 57 सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
- ♦ आयुक्त, खाद्य एवं तस्वीर, गर्वेंट प्रेस, स्टेट टेलरिंग फैक्ट्री, ऑफ आयुक्तिक एण्ड यूनानी भेडिसिन्स, उप-आयुक्त-पशुपालन, कृषि कार्यशाला और किमेनल ट्रांसफॉर्मेर टेलरिंग फैक्ट्री, कानपुर।
- ~ अकार्यरत पीएसयू वे हैं जिन्होने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।
- ♥ 619-बी कम्पनियों सहित।
- ◆ ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड।

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सीएजी के द्वारा की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। सात सांविधिक निगमों में से उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (2) के अन्तर्गत सीएजी को सौंपी गई है।


राजकीय पीएसयू में निवेश

1.7 31 मार्च 2012 को, 128 पीएसयू (619—बी कम्पनियों सहित) में ₹ 97,867.69 करोड़ का निवेश था, जिसका विवरण निम्न है।

पीएसयू का प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत पीएसयू	60617.05	34433.96	95051.01	601.30	1040.02	1641.32	96692.33
अकार्यरत पीएसयू	696.56	478.80	1175.36	--	--	--	1175.36
योग	61313.61	34912.76	96226.37	601-30	1040-02	1641-32	97867-69


राजकीय पीएसयू में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट—1 में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2012 तक राजकीय पीएसयू में कुल निवेश का 98.80 प्रतिशत कार्यरत पीएसयू में तथा शेष 1.20 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयू में था। इस सकल निवेश में से 63.26 प्रतिशत पूँजी के लिये तथा 36.74 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। निवेश 2006–07 के ₹ 28,950.50 करोड़ से 2011–12 में ₹ 97,867.69 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में प्रदर्शित है।



1.9 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में इंगित किये गये हैं। विगत पाँच वर्षों में पीएसयू में निवेश का मुख्य बल ऊर्जा क्षेत्र में था, जिसका प्रतिशत अंश 2006–07 में 78.36 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 93.38 प्रतिशत हो गया जबकि विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2006–07 में 10.14 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 3.65 प्रतिशत हो गया।

(₹ करोड़ में)



(कोष्ठकों के आँकड़े कुल निवेश पर क्षेत्र निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/सब्सिडी, प्रत्याभूति एवं ऋण


1.10 राजकीय पीएसयू के सम्बन्ध में अंश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, ऋणों की माफी, ऋणों का अंश पूँजी में परिवर्तन और व्याज की माफी का विवरण परिशिष्ट-3 में दिया गया है। 2011–12 को समाप्त हुये तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009–10		2010–11		2011–12	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	6	5146.82	6	3502.49	5	4325.50
2.	बजट से दिये गये ऋण	11	1021.96	8	113.20	1	11.85
3.	प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	14	1943.13	11	3617.53	10	3108.81
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	26*	8111.91	23*	7233.22	15*	7446.16
5.	अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण	1	138.77	1	100.00	-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	2	6245.25	3	10549.50	4	1194.65
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	7	7380.11	8	17718.22	6	9578.49

* यह पीएसयू की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जिन्होंने बजटीय सहायता प्राप्त की।

1.11 अँश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिये विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।



यह देखा जा सकता है कि राजकीय पीएसयू को अँश पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिये बजटीय बहिर्गमन 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान 2006–07 में न्यूनतम था। सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की पाँच कम्पनियों को अँश पूँजी (₹ 4,280.50 करोड़) तथा अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,689.19 करोड़) के रूप में ₹ 5,969.69 करोड़ की वित्तीय सहायता देने के कारण बजटीय बहिर्गमन 2011–12 में ₹ 7,446.16 करोड़ हो गया। अदत्त प्रत्याभूति की राशि 2009–10 में ₹ 7,380.11 करोड़ से बढ़कर 2010–11 में ₹ 17,718.22 करोड़ हो गयी जो 2011–12 में घटकर ₹ 9,578.49 करोड़ हो गयी। 31 मार्च 2012 को तीन पीएसयू^० के द्वारा प्रत्याभूति कमीशन की देय राशि ₹ 14.46 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, दो पीएसयू^{*} ने ₹ 3.92 करोड़ के प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया।

वित्तीय लेखाओं के साथ समाधान

1.12 राजकीय पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अँश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिये। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिये। हमने 24 पीएसयू में अन्तर पाया जिसका विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

अदत्त	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अँश पूँजी	32819.23	48439.44	15620.21
ऋण	1286.94	1564.32	277.38
प्रत्याभूति	17691.67	9578.49	8113.18

^० उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

^{*} उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

हमने पाया कि 2000–01 से ही कुछ अन्तरों का समाधान नहीं हुआ था। महालेखाकार द्वारा वित्त लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के आँकड़ों के मध्य अन्तर के शीघ्र समाधान के मामले को नियमित रूप से पीएसयू के साथ उठाया गया है। सरकार तथा पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाधान करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।


पीएसयू का कार्य सम्पादन

1.13 सभी पीएसयू के वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट-2** में वर्णित हैं। कार्यरत सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम क्रमशः **परिशिष्ट 5** एवं **6** में वर्णित हैं। पीएसयू के टर्नओवर का राज्य के जीडीपी से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयू के कार्यकलापों की सीमा दर्शाता है। नीचे दी गयी सारिणी में 2006–07 से 2011–12 की अवधि में कार्यरत पीएसयू का टर्नओवर तथा राज्य के जीडीपी का विवरण दिया गया है।

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	(₹ करोड़ में)
टर्नओवर*	18860.47	27261.62	31480.07	35541.61	39298.30	42987.46	
राज्य का जीडीपी	309834.00	344346.00	400711.00	357557.00	588466.53	687836.28	
राज्य की जीडीपी पर टर्नओवर की प्रतिशतता	6.09	7.92	7.86	9.94	6.68	6.25	

राज्य के जीडीपी पर टर्नओवर का प्रतिशत जो 2006–07 के दौरान 6.09 था 2009–10 में बढ़कर 9.94 हो गया परन्तु 2011–12 के दौरान घटकर 6.25 हो गया जो मुख्यतः राज्य के जीडीपी में वृद्धि के कारण था।

1.14 2006–07 से 2011–12 की अवधि में राज्य के कार्यरत पीएसयू के द्वारा वहन की गयी हानियाँ नीचे बार चार्ट में दी गयी हैं।



* 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार।

कार्यरत पीएसयू द्वारा वहन की गयी हानि की राशि 2006–07 में ₹ 499.50 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 6,489.58 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011–12 के दौरान, 85 कार्यरत पीएसयू में से, 32 पीएसयू ने ₹ 1,201.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 23 पीएसयू ने ₹ 7,691.15 करोड़ की हानि वहन की। पाँच कार्यरत पीएसयू* ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये जबकि 25 कम्पनियाँ 'न लाभ न हानि' की स्थिति में रहीं। लाभ में योगदान करने वालों में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 358.80 करोड़), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 225.46 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 126.38 करोड़) और उत्तर प्रदेश वन निगम (₹ 125.17 करोड़) मुख्य थे। भारी हानि वहन करने वालों में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 3,893.55 करोड़), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,189.04 करोड़), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,061.38 करोड़) और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 705.99 करोड़) थे।

1.15 पीएसयू की हानियों के मुख्य कारण वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन, परियोजनाओं को लागू करने, उनके परिचालन तथा पर्यवेक्षण में कमियाँ थे। सीएजी की अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यरत पीएसयू ने ₹ 16,879.05 करोड़^५ की हानि वहन की तथा ₹ 132.80 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा जो कि सुदृढ़ प्रबन्धन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं।

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
शुद्ध हानि	3919.77	3714.44	6489.58	14123.79
सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानि	888.01	1789.57	16879.05 ^५	19556.63
निष्फलित निवेश	2.51	9.22	132.80	144.53

1.16 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी उपरोक्त हानियाँ पीएसयू के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियन्त्रणीय हानि इससे ज्यादा होगी। उपरोक्त सारिणी यह दर्शाती है कि बेहतर प्रबन्धन से हानि को कम किया जा सकता है। पीएसयू अपनी भूमिका दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलम्बी हों। उपरोक्त परिस्थिति पीएसयू के कार्यकलापों में पेशेवरपन तथा जवाबदेही की आवश्यकता को इंगित करती है।

1.17 राज्य के पीएसयू से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचक निम्न हैं:

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	2.28	0	0	0	0	0
ऋण	9192.09	9538.97	11656.61	14380.07	25081.29	35952.78
टर्नओवर*	18860.47	27261.62	31480.07	35541.61	39298.30	42987.46
ऋण / टर्नओवर अनुपात	0.49:1	0.35:1	0.37:1	0.40:1	0.64:1	0.84:1
ब्याज का भुगतान	1055.11	1212.39	1058.32	1187.42	1273.00	1639.70
संचित हानियाँ	12305.62	14129.45	15520.04	19024.03	22598.81	29380.10

(उपरोक्त आँकड़े समस्त पीएसयू से सम्बन्धित हैं जबकि टर्नओवर कार्यरत पीएसयू से सम्बन्धित हैं)

* परिशिष्ट-2 में कम संख्या अ-44, अ-75, अ-76, अ-77 व अ-78।

^५ ₹ 1,446.11 करोड़ मार्च 2012 तक किया गया तथा ₹ 15,432.94 करोड़ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर आगामी 25 एवं 18 वर्षों में जैसा कि प्रस्तर 3.4 एवं 3.6 में उत्तिष्ठित है।

• कार्यरत पीएसयू के द्वारा 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार टर्नओवर।

वर्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि में ऋण और टर्नओवर का अनुपात 2006–07 में 0.49:1 से गिरकर 2011–12 में 0.84:1 हो गया। संचित हानि की राशि ₹ 12,305.62 करोड़ (2006–07) से बढ़कर ₹ 29,380.10 करोड़ (2011–12) हो गयी। निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ भी छ: वर्षों की अवधि में 2006–07 को छोड़कर ऋणात्मक था।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनायी थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा निवेशित चुकता अँश पूँजी पर पाँच प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश देना था। 32 पीएसयू ने उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 1,201.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि आठ पीएसयू* ने ₹ 3.28 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इस प्रकार, शेष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू ने राज्य सरकार की न्यूनतम लाभांश नीति का अनुपालन नहीं किया।

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619—बी के अनुसार कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छ: माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण तथा विधायिका में प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित विधान के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारिणी कार्यरत पीएसयू द्वारा 30 सितम्बर 2012 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति को दर्शाती है।

क्रम संख्या	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	56	60	83	83	85
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या	64	46	98	59	66
3.	लम्बित लेखाओं की संख्या	180	197	182	206	234
4.	प्रत्येक पीएसयू का औसत बकाया (3/1)	3.21	3.28	2.19	2.48	2.75
5.	लम्बित लेखाओं वाले पीएसयू की संख्या	49	54	52	69	81
6.	लम्बित लेखाओं की अवधि	1 से 14 वर्ष	1 से 14 वर्ष	1 से 15 वर्ष	1 से 15 वर्ष	1 से 16 वर्ष

1.20 वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान प्रति कार्यरत पीएसयू लम्बित लेखाओं की औसत संख्या 2.19 से 3.28 के मध्य थी। लम्बित लेखाओं वाले पीएसयू को लेखाओं को अद्यतन करने और बैकलॉग को दूर करने हेतु प्रभावी उपाय किये जाने की आवश्यकता है। पीएसयू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रति वर्ष कम से कम एक वर्ष के लेखाओं को अन्तिमीकृत किया जाये ताकि लम्बित लेखाओं के संकलन को रोका जा सके।

1.21 उपरोक्त के अतिरिक्त अकार्यरत पीएसयू के भी लेखाओं के अन्तिमीकरण लम्बित थे। 43 अकार्यरत पीएसयू में से 12** समाप्त की प्रक्रिया में थे। शेष 31 अकार्यरत पीएसयू में से सभी के लेखे एक से 37 वर्ष तक से लम्बित थे।

* उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डिस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।

** परिशिष्ट-2 का क्रम संख्या स-2, 3, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 29 एवं 34.

1.22 जैसा कि परिशिष्ट-4 में दिया गया है, राज्य सरकार ने 12 कार्यरत पीएसयू में ₹ 7,445.69 करोड़ (अँश पूँजी: ₹ 4,325.50 करोड़, ऋण: ₹ 11.85 करोड़, अनुदान: ₹ 558.50 करोड़ तथा सब्सिडी: ₹ 2,549.84 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखे अन्तिमीकृत नहीं हुये थे। लेखाओं तथा उनकी पश्चातवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्यय सही तरीके से लेखांकित किये गये थे तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ या नहीं और इस प्रकार ऐसे पीएसयू में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका के जाँच के बाहर रहा। लेखाओं के अन्तिमीकरण में इस विलम्ब के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम हो सकता है।

1.23 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाइयों के कार्यकलापों का पर्योक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय-सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। महालेखाकार द्वारा लेखाओं के बकाया की स्थिति को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के संज्ञान में लाया गया था। तथापि, कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन पीएसयू के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। मुख्य सचिव/वित्त सचिव के भी संज्ञान में लेखाओं के बकाया होने, समयबद्ध रूप से लेखाओं के बकाये के बैकलांग दूर करने हेतु विशेष जोर दिये जाने, लेखाओं को अन्तिमीकृत किये जाने की आवश्यकता को लाया गया था।

वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की वस्तुस्थिति

1.24 भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ए(3) के अनुसार, जहाँ राज्य सरकार किसी कम्पनी की सदस्य है, राज्य सरकार, कम्पनी की कार्य प्रणालियों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन उस वार्षिक साधारण सभा जिसमें लेखों को अंगीकृत किया गया हो, के तीन माह के भीतर विधान मण्डल के समुख प्रस्तुत करेगी। विधान मण्डल के समुख प्रस्तुत होने वाले वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विधान मण्डल को इन कम्पनियों के क्रियाकलापों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जिसमें राज्य सरकार एक मुख्य अँशधारक है।

हमने पाया कि 22 कम्पनियों ने पिछले पाँच वर्षों में विधान मण्डल के समुख अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

अकार्यरत पीएसयू का समापन

1.25 31 मार्च 2012 को 43 अकार्यरत पीएसयू थे (40 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन डीस्ट सरकारी कम्पनियाँ)। इनमें से 12 पीएसयू समापन की प्रक्रिया में थे। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत पीएसयू की संख्या नीचे दी गयी है।

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अकार्यरत पीएसयू की संख्या	43	43	43	40	43

अकार्यरत पीएसयू को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। वर्ष 2011-12 की अवधि में पाँच[♥] अकार्यरत पीएसयू ने स्थापना व्यय पर ₹ 4.58 करोड़ व्यय किये।

[♥] 43 अकार्यरत पीएसयू में से केवल पाँच पीएसयू (उत्तर प्रदेश पश्चिम उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 8.45 लाख, उत्तर प्रदेश चलवित्र निगम लिमिटेड: ₹ 8.50 लाख, उत्तर प्रदेश बुदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड ₹ 20.41 लाख, घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड ₹ 394.30 लाख, एवं वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड ₹ 26.00 लाख) ने सूचना उपलब्ध करायी।

1.26 अकार्यरत पीएसयू की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं।

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ
1.	अकार्यरत पीएसयू की कुल संख्या	43
2.	उपरोक्त (1) में से:	
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	12
(ब)	ऐच्छिक समापन (समापक नियुक्त)	-
(स)	बन्द अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	31

1.27 वर्ष 2011–12 के दौरान, किसी भी कम्पनी का अन्तिम समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 8 से 35 वर्षों से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे अपनाने/अनुगमन करने की आवश्यकता है। सरकार 31 अकार्यरत पीएसयू जिनके अकार्यरत होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय ले सकती है। सरकार अकार्यरत कम्पनियों के समापन को त्वरित करने हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने हेतु विचार कर सकती है।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.28 वर्ष 2011–12[~] में 50 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 60 संप्रेक्षित लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से 31 कम्पनियों के 35 लेखों* अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है।

(घनराशि: ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009–10		2010–11		2011–12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	15	352.49	14	160.90	15	107.12
2.	हानि में वृद्धि	4	2.05	11	543.59	5	2165.60
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	2.04	-	-	3	12.92
4.	वर्गीकरण की गलतियाँ	2	32.46	4	40.28	5	7.42
	योग		389.04		744.77		2293.06

सभी टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य 2010–11 में ₹ 744.77 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 2,293.06 करोड़ हो गया जो पीएसयू के लेखाओं की गुणवत्ता में गिरावट को इंगित करता है।

1.29 वर्ष के दौरान, 50 कम्पनियों द्वारा अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं पर सांविधिक अंकेक्षकों ने नौ लेखाओं पर अनक्वालिफाईड प्रमाणपत्र, 47 लेखाओं पर क्वालिफाईड प्रमाणपत्र, एक कम्पनी^{*} के तीन लेखाओं पर एडवर्स प्रमाण पत्र (जिसका अर्थ है कि लेखे सत्य एवं वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाते हैं) तथा एक लेखे पर डिस्क्लेमर (जिसका अर्थ है कि अंकेक्षक लेखाओं पर कोई विचार नहीं बना सका) दिया। कम्पनियों द्वारा

* अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012।

* 22 कम्पनियों के 25 लेखाओं पर असमीक्षा प्रमाणपत्र (नान रिव्यू सर्टीफिकेट) जारी किया गया।

* उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ष वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।

लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 26 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 109 दृष्टान्त पाये गये।

1.30 कम्पनियों के वर्ष 2011–12 के दौरान अन्तिमीकृत लेखाओं के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (2009–10, पुनरीक्षित लेख)

- अनुसूची XII में वर्णित लेखांकन नीति {संख्या 1(ए)(एफ)} “वर्तमान वर्ष को सम्मिलित करते हुए पाँच वर्ष पूर्व के न वसूल हुए विक्रय के 50 प्रतिशत (उन पूर्व वर्षों को छोड़कर जिन वर्षों में प्रावधान किया जा चुका है तथा उनमें से 50 प्रतिशत का अपलेखन किया जा चुका है) का अपलेखन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा क्योंकि यह बकाया, वसूली योग्य नहीं है” सही नहीं है क्योंकि बिना किसी सही विश्लेषण एवं वसूली कार्यवाही के, बकाया का अपलेखन प्रतिशतता के आधार पर करना, कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं था।

अतः, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के बकाये के विरुद्ध ₹ 132.44 करोड़ का अपलेखन करने के परिणामस्वरूप विविध देनदार ₹ 132.44 करोड़ से कम तथा संचित हानियाँ ₹ 124.36 करोड़ से एवं वर्ष की हानि (पूर्व अवधि समायोजन से पूर्व) ₹ 8.08 करोड़ से अधिक दर्शाई गई।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2010–11)

- राज्य सरकार ने निर्देशित किया था (14 नवम्बर 2011) कि कम्पनी, उसके द्वारा राज्य सरकार को देय ₹ 219.09 करोड़ के ऋण में से राज्य सरकार द्वारा कम्पनी की देय ₹ 154.71 करोड़ के ऋण को समायोजित करते हुए शेष ₹ 64.38 करोड़ की राशि को अँश पूँजी में परिवर्तित कर ले। कम्पनी ने न तो इस सम्बन्ध में लेखाओं में आवश्यक समायोजन किया न ही इस तथ्य को ‘लेखे पर टिप्पणियाँ’ में दर्शाया।
- राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर ब्याज की राशि ₹ 77.81 करोड़ को माफ करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2011)। कम्पनी ने न तो ब्याज की राशि को वापस लेखे में लिया और न ही इस तथ्य को ‘लेखे पर टिप्पणियाँ’ में दर्शाया।

पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2008–09, पुनरीक्षित)

- चालू सम्पत्तियों में ₹ 25.32 करोड़ की जाँच हेतु लम्बित चोरी हुई सम्पत्तियाँ शामिल थी। कम्पनी ने इसके सापेक्ष ₹ 2.52 करोड़ जो कि चोरी हुई सम्पत्तियों का 10 प्रतिशत था, का प्रावधान किया। चूँकि ज्यादातर चोरी हुई सम्पत्तियाँ काफी पुरानी हैं और उनकी वसूली की सम्भावना काफी कम है, अतः चोरी हुई सम्पत्तियों पर 100 प्रतिशत प्रावधान लेखे में किया जाना चाहिए। कम प्रावधान करने के कारण चालू सम्पत्तियाँ ₹ 22.80 करोड़ से अधिक एवं वर्ष की हानि ₹ 22.80 करोड़ से कम दर्शाई गई।

अंकेक्षण टिप्पणियों का पुनरीक्षित लेखाओं पर प्रभाव

- 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के मूल लेखे 10 जनवरी 2012 को प्राप्त हुए तथा ड्राफ्ट टिप्पणियाँ सांविधिक अंकेक्षकों एवं प्रबन्धन को निर्गत किये गये। कम्पनी ने आवश्यक सुधार/परिवर्तन करते हुए पुनरीक्षित लेखे 17 अगस्त 2012 को दिये। हमारी मूल लेखे पर की गई ड्राफ्ट टिप्पणियों के आधार पर, हानि ₹ 22.34 करोड़ से, सम्पत्तियाँ ₹ 0.32 करोड़ से एवं दायित्व ₹ 22.66 करोड़ से कम दर्शित थे।

दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2008–09, पुनरीक्षित)

- कम्पनी की हास चार्ज करने सम्बन्धी लेखांकन नीति संख्या 3(बी), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसूची VI के विरुद्ध है।

अतः, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि हुई सम्पत्तियों पर हास की गणना न करने के फलस्वरूप हास ₹ 27.60 करोड़ से कम एवं स्थायी सम्पत्तियाँ ₹ 27.60 करोड़ (छ: माह के औसत के आधार पर संगणित) से अधिक दर्शित थे।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (2007-08)

- डिस्काम्स (विद्युत वितरण कम्पनियाँ) की संचित हानियों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने ₹ 2,740.73 करोड़ का प्रावधान विनियोग में क्षय के विरुद्ध किया था। विनियोग में क्षय के विरुद्ध प्रावधान करते समय 31 मार्च 2008 तक इन डिस्काम्स में जमा (मध्यांचल विद्युत वितरण कम्पनी निगम लिमिटेड को छोड़कर) अंश आवेदन राशि की समस्त राशि को ध्यान में नहीं रखा क्योंकि इन डिस्काम्स के 2007-08 तक के ही लेखे प्रमाणित हुए थे। अतः, अंश आवेदन राशि को संज्ञान में लेते हुए, विनियोग में क्षय की राशि ₹ 5,283.34 करोड़ होती है जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2008 तक कम्पनी ने कुल ₹ 3,108.96 करोड़ का प्रावधान कर रखा था जिसके परिणामस्वरूप विनियोग में क्षय के विरुद्ध प्रावधान एवं वर्ष की हानि ₹ 2,174.38 करोड़ से कम दर्शित थे।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (2009-10)

- कम्पनी के लेखांकन नीति के अनुसार, कम्पनी के कर्मचारियों का ग्रेचुटी दायित्व भारतीय बीमा निगम की पॉलिसी से आच्छादित था। इसके विरुद्ध देय प्रीमियम लाभ-हानि खाते में भारित किया जाता था। सीलिंग लिमिट ₹ 10 लाख तक बढ़ जाने के कारण, एलआईसी ने वर्ष 2009-10 तक के प्रीमियम के लिए ₹ 15.63 करोड़ की माँग की। हालांकि, कम्पनी ने केवल ₹ 5.54 करोड़ लाभ-हानि खाते में भारित किया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान एवं वर्ष का लाभ ₹ 10.09 करोड़ से क्रमशः कम एवं ज्यादा दर्शित थे।

1.31 इसी प्रकार, 2011-12^{*} के दौरान छ: कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने छ: लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से चार सांविधिक निगमों के चार लेखे सीएजी द्वारा एकल लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे, जिनमें से केवल दो लेखे की लेखापरीक्षा पूर्ण हो सकी थी तथा अन्य दो लेखे लेखापरीक्षा प्रक्रिया में थे (सितम्बर 2012)। शेष दो सांविधिक निगमों के दो लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये थे जिनमें से एक लेखे की लेखापरीक्षा पूर्ण हो गयी थी तथा एक लेखे की लेखापरीक्षा प्रक्रिया में थी (सितम्बर 2012)। सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा हमारी एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी के टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है।

(धनराशि: ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.68	1	3.90	2	13.98
2.	हानि में वृद्धि	--	--	2	59.37	1	87.84

वर्ष के दौरान प्राप्त हुए छ: लेखाओं में से, तीन लेखाओं की लेखापरीक्षा की गयी थी तथा दो लेखाओं पर क्वालिफाईड प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे तथा एक लेखे पर एडवर्स प्रमाण पत्र तथा शेष तीन लेखाओं की लेखापरीक्षा अन्तिमीकरण की प्रक्रिया में थे (सितम्बर 2012)। वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने दो लेखाओं पर क्वालिफाईड प्रमाण पत्र दिया।

1.32 एक सांविधिक निगम के वर्ष 2011-12 के दौरान अन्तिमीकृत लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी निम्नवत है:

* अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012।

उत्तर प्रदेश वन निगम (2010–11)

- निगम की नीति के अनुसार, एलआईसी को 'ग्रुप ग्रेच्युटी कैश एकुमुलेशन स्कीम' के तहत देय प्रीमियम की राशि का लेखांकन उपार्जित (एक्रूअल) आधार पर होता है। प्रीमियम के वार्षिक नवीनीकरण की तिथि प्रत्येक वर्ष एक मार्च को होती है। वर्ष 2010–11 में एलआईसी को देय प्रीमियम की माँग को ध्यान में रखते हुए ₹ 9.63 करोड़ के विरुद्ध निगम ने केवल ₹ 5.37 करोड़ का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप स्टाफ ग्रेच्युटी एवं वर्ष का लाभ ₹ 4.26 करोड़ से क्रमशः कम एवं अधिक दर्शित थे।

1.33 सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को सीएजी के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किए गए लेखापरीक्षा के बाद अंकेक्षित कम्पनियों में आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना होता है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमें अनुशंसा की गयी	परिशिष्ट-2 में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	स्कन्ध एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	16	अ-5,13,14,15,17,24,25,29, 35,40,41,68,70 एवं स-14,17,19
2.	कम्पनी के व्यवसाय के अनुरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था का अभाव	25	अ-2,5,8,10,12,14,17,25,35, 41,46,47,49,51,53,60,61,63, 65,67,68,70 एवं स-8,19,41
3.	लागत लेखाओं के अभिलेखों का रख-रखाव न करना	09	अ-5,10,14,17,29,35,40,41 एवं स-17
4.	अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसे: परिमाणात्मक विवरण, परिस्थिति, पहचान संख्या, क्रय की तिथि, हासित मूल्य तथा उनकी स्थिति को दर्शाते अभिलेखों का रख-रखाव न करना	15	अ-5,12,17,23,25,29,35,40,41, 70 एवं स-10,14,17,19,41

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूली

1.34 वर्ष 2011–12 में औचित्य लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न पीएसयू के प्रबन्धन को ₹ 288.17 करोड़ की वसूली हेतु मामले प्रकट किये गये थे, जिनमें से ₹ 128.16 करोड़ के मामले प्रबन्धन द्वारा स्वीकार किये गये तथा पीएसयू द्वारा ₹ 15.42 करोड़* की वसूली की गयी थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.35 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखाओं पर हमारे द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के समुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाती है।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका के समक्ष नहीं रखी गयी		एसएआर को विधायिका के समक्ष न रखने के कारण
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम	2009–10	2010–11	11 जुलाई 2012	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

* पू.वि.वि.नि.लि.: ₹ 1.09 करोड़, द.वि.वि.नि.लि.: ₹ 39.99 लाख एवं यू.पी.सी.एल.: ₹ 13.93 करोड़।

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11	20 मई 2011 13 अप्रैल 2012 27 अगस्त 2012	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
3.	उत्तर प्रदेश वन निगम*	--	2008–09 2009–10 2010–11	09 मार्च 2011 16 नवम्बर 2011 21 सितम्बर 2012	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2002–03	2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10	08 फरवरी 2008 13 जुलाई 2010 08 फरवरी 2011 25 अप्रैल 2011 01 जुलाई 2011 28 दिसम्बर 2011 18 जुलाई 2012	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2006–07	2007–08 2008–09	11 अक्टूबर 2010 03 अगस्त 2011	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

एसएआर को विलम्ब से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायी नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगमों की जवाबदेही मन्द पड़ जाती है। शासन को एसएआर के विधायिका के समक्ष त्वरित प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करना चाहिये।

विनिवेश, निजीकरण एवं पीएसयू की पुर्णसंरचना

1.36 राज्य सरकार द्वारा बनाई गई (जून 1994) निजीकरण/विनिवेश की नीति में ऐसे सभी उपक्रमों (सामाजिक एवं जनकल्याण गतिविधियों एवं जनसुविधाओं में संलिप्त को छोड़कर) की समीक्षा किये जाने का प्राविधान था जिनकी वार्षिक हानि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी और जिनके नेट वर्थ का 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण हो चुका हो।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित करने के प्रकरणों की समीक्षा एवं विनिश्चय करने हेतु एवं अन्य विकल्पों यथा आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देना आदि की अनुशंसा करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) गठित की गई (दिसम्बर 1995)। इसी की अनुशंसायें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गईं। इसी की अनुशंसा पर राज्य विनिवेश आयोग (डीसी) तथा केन्द्रीय समिति (सीसी) गठित (जनवरी 2000) किये गये। पीएसयू के कार्यसंचालन में सुधार, संविलियन, पुनर्गठन, निजीकरण या बन्दी से सम्बन्धित प्रकरणों को डीसी को संदर्भित करने का कार्य सीसी को सौंपा गया था। इस सम्बावना पर विचार किया गया था कि डीसी अपनी अनुशंसायें सीसी को अग्रेषित करेगा।

राज्य के पीएसयू के विनिवेश हेतु अप्रैल 2003 में एक उच्च अधिकार प्राप्त विनिवेश समिति (एचपीडीसी) भी गठित की गई।

उत्तर प्रदेश में विनिवेश हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने परामर्शदाता/सलाहकार, सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाओं हेतु विकासकर्ताओं तथा निजी भागीदारों के चयन के लिये दिशा-निर्देश निर्गत (जून 2007) किये थे। दिशानिर्देशों में विभिन्न समितियों की संरचना किये जाने, विनिवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रमुख सलाहकार, कानूनी सलाहकार, लेखांकन सलाहकारों, परिसम्पत्ति मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति एवं कार्य, बोली हेतु अपनाई जाने वाली क्रियाविधि और उपक्रम के मूल्यांकन की क्रियाविधियों का प्राविधान है।

जून 2007 में, शासन ने सभी सहायक कम्पनियों सहित उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड (यू.पी.एस.एस.सी.एल.) की चीनी मिलों के निजीकरण/विक्रय का निश्चय किया और यू.पी.एस.एस.सी.एल. को चीनी मिलों के निजीकरण/विक्रय हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

* उत्तर प्रदेश वन निगम ने उत्तर प्रदेश फोरेस्ट कारपोरेशन एक्ट, 1974 में आवश्यक संशोधन के पश्चात् वर्ष 2008–09 के लेखे प्रस्तुत किये।

यू.पी.एस.एस.सी.एल. की दस मिलों और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की 11 मिलों के विक्रय को क्रमशः जुलाई 2010–अक्टूबर 2010 तथा जनवरी 2011–मार्च 2011 में अंतिम रूप दिया गया। इन चीनी मिलों के विक्रय पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के एक पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

v/; k; -II

2. jkT; ds | koTfud {k= ds mi Øekø | s | Ecfl/kr fu'i knu y[ki jh[kk

2.1 mRrj i ns k i koj Vñl fe'ku dkj i kg'sku fyfeVM dh fu'i knu y[ki jh[kk

dk; bdkj h | kj k' k

प्रस्तावना

जल्तर प्रदेश में विद्युत पारेषण एवं ग्रिड संचालन जल्तर प्रदेश पारव द्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) एवं राज्य लोड लिस्पैच सेंटर के द्वारा प्रबन्धित किया जाता है। 31 मार्च 2007 को कम्पनी के पास 21,619 सर्विट किलोमीटर (सीकोएम) का पारेषण नेटवर्क एवं 276 एक्स्ट्रा हाई ट्रेंशन उपकरण (एसएस) थे जो बढ़कर 31 मार्च 2012 को 25,064.90 सीकोएम लाइन एवं 53,338 मेंगा वोल्ट एम्पियर (एम्बीए) की स्थापित क्षमता के साथ 357 उपकरण हो गये। पारिषित ऊर्जा की मात्रा वर्ष 2007–08 में 51,472.14 मिल्यू से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 70,029.47 मिल्यू हो गयी।

नियोजन एवं विकास

कम्पनी ने क्षमता वृद्धि एवं विस्तार हेतु वार्षिक योजना तैयार किया। उपकरणों एवं लाइनों की क्षमता वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि पाँच वर्षों के दौरान 222 उपकरणों की नियोजित वृद्धि एवं 12,877 सीकोएम लाइनों के निर्माण के विरुद्ध केवल 81 उपकरणों एवं 3,445.90 सीकोएम लाइनों का निर्माण हुआ था। अत्यप्राप्ति का कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब था।

परियोजना प्रबन्धन

कम्पनी अपनी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कर सकी जिसके कारण वर्ष 2007–12 के दौरान एक माह से 216 महीनों तक का समयावधिय एवं ₹ 105.02 करोड़ का लागत आवधिय था। समयावधिय का कारण भूमि अधिग्रहण, रेलवे से अनुमोदन प्राप्त करने एवं बन विभाग से अनापति प्राप्त करने आदि में विलम्ब था।

कम्पनी भार की आवश्यकता का अँकलन करने में विफल रही और अल्प क्षमता वाले दो उपकरणों का निर्माण किया। बाद में ₹ 13.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करके उपकरणों की क्षमता में वृद्धि की गयी।

क्रय

कम्पनी ने दो प्रकरणों में अनुबन्ध के महत्वपूर्ण उपवाक्य को लागू न करके ₹ 4.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। अग्रेतर कारउटर आफर हेतु इक्वेटल प्राइस की त्रिपुर्पूर गणना के कारण कम्पनी ने ₹ 17.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

परियोजनाओं का क्रियान्वयन

उपकरणों एवं लाइनों के निर्माण का कार्य सामान्यतः छुली निविदा के माध्यम से टर्नकी के आगार पर दिया गया था। कम्पनी ने ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ब्रेस्ट प्रैविटसेज इन द्रान्समिशन सिस्टम के प्रतिकूल टर्नकी अनुबन्धों में द्रान्समार्फरों की आपूर्ति को शामिल करके, उच्च दरों पर अनुबन्ध प्रदान करके, निविदा को दो फैक्झेंजों में

विभाजित करके एवं टावर डिजाइन का मानकीकरण न करने के कारण ₹ 158.78 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

कम्पनी ने दो प्रकरणों में ₹ 63.66 करोड़ के परवेशण शुल्क की वसूली नहीं किया।

पारेषण प्रणाली का निष्पादन

कम्पनी की सम्पूर्ण पारेषण क्षमता (अतिरिक्त हेतु 30 प्रतिशत छोड़कर), वर्ष 2007–08 को छोड़कर प्रतिवर्ष आवश्यकता से अधिक थी। मानक के अनुसार अधिकतम एवं त्यूनतम वोल्टेज स्तर सुनिश्चित करने में कम्पनी विफल रही। चार परियोजनाओं में 255 पोषकों में से 68 पोषक 366 एम्पियर से अधिक भारित थे। 220 केवी के 67 उपकरणों (49 एकल बस बार उपकरण एवं 18 उपकरण दो बस बार बाल) में से मात्र 18 उपकरणों में बस बार प्रोटेक्शन ऐनल थे, जिनमें से केवल तीन कार्यसील अवस्था में थे।

उपकरणों की पर्याप्तता

कम्पनी ने 220 केवी के 5 उपकरणों एवं 132 केवी के एक उपकरण में द्रान्सफार्मरों की अनुमन्य अधिकतम क्षमता को पार किया था। त्यूनतम दो द्रान्सफार्मरों के मानक के विरुद्ध कम्पनी के पास 220 केवी के बार उपकरणों एवं 132 केवी के 48 उपकरणों में एकल द्रान्सफार्मर थे।

ग्रिड प्रबन्धन

357 उपकरणों एवं 9 जनरेटरों में से केवल 93 उपकरणों (26.05 प्रतिशत) एवं 9 जनरेटरों में रियोट टर्मिनल युनिट की व्यवस्था थी। अग्रेतर ग्रिड मानक के उल्लंघन हेतु कम्पनी ने अगस्त 2010 से मार्च 2012 के दौरान नार्दन रीजनल लोड लिस्पैच सेंटर से 120 (ए-टाइप), 107 (बी-टाइप) एवं 21 (सी-टाइप) संदेश प्राप्त किया। ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के कारण सीईआरसी द्वारा ₹ 9.10 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया गया।

वित्तीय प्रबन्धन

कम्पनी ने समस्त पाँच वर्षों में हानियाँ वहन की और निषादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान संवित हानियाँ ₹ 991.08 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,183.82 करोड़ हो गयी। अग्रेतर उक्त अवधि के दौरान ऋण-झिवटी अनुपात 1.11:1 से बढ़कर 1.23:1 हो गया।

टैकिफ निर्धारण

कम्पनी द्वारा वार्षिक साजस्व आव यकता (एआरआर) वर्ष 2008–09 को छोड़कर निषादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 117 से 482 दिनों के विलम्ब से एआरआर प्रस्तुत किया गया।

सामग्री प्रबन्धन

निदेशक मण्डल के निर्णय के बावजूद कम्पनी ने वर्ष 2001 से पड़े हुए 51 क्षमतावाही द्वान्सफार्मर्सों का निस्तारण नहीं किया। कम्पनी का अन्तिम स्टॉक 2007-08 में ₹ 290.17 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 606.51 करोड़ हो गया। अन्तिम स्टॉक 13 से 21 महीनों के उपभोग के तुल्य था।

नियोजित एवं संस्थानियाँ

कम्पनी नियोजित क्षमता वृद्धि को प्राप्त करने में विफल रही जिसने वृहद अल्पप्राप्ति दर्ज किया। समयाधिक्य एवं लागत आधिक्य के साथ परियोजनाओं को पूर्ण किया, उत्पादन योजना के साथ ऊर्जा निकासी प्रणाली के निर्माण में समन्वय स्थापित करने में विफल रही और विद्यमान पारेशण प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा निकासी को प्रबंधित किया, बिना समुचित भार आवश्यकता का आँकड़ा किये उपकरणों एवं लाइनों का निर्माण किया जो अल्प उपयोग्य थे। एकल द्वान्सफार्मर्सों के साथ उपकरणों का निर्माण किया जो मैत्रियल ऑफ द्वान्समि न्स प्लानिंग क्राइटरिया के प्रावधानों के प्रतिकूल था। गोल्टेज प्रबंधन प्रणाली ग्रिड सहित में

नियोजित मानकों के अनुरूप नहीं थी, ग्रिड अनु ग्रासन का अनुपालन नहीं किया गया था और कम्पनी के पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय एवं आपदा प्रबंधन हेतु अवसंरचना नहीं थी।

हमने क्षमता वृद्धि हेतु वार्षिक योजना के क्रियान्वयन एवं यथा नियोजित परियोजनाओं को पूर्ण करने, उत्पादन प्रणाली से समन्वय स्थापित करते हुए ऊर्जा निकासी प्रणाली हेतु नियोजन करने, पारेशण नेटवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन एवं रख-रखाव हेतु एसटीपीसी/बेस्ट प्रैविटेसेज इन द्वान्समि न्स सिस्टम में नियोजित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने, पर्याप्त आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं उपकरणों एवं लाइनों की सुरक्षा हेतु संस्थुत प्रणाली की स्थापना करने, ग्रिड सहित के अनुसार एसएलडीसी का रख-रखाव करने और ग्रिड की सुरक्षा हेतु रिअल टाइम आधार पर आरटीयू के माध्यम से सभी जनरेटरों एवं उपकरणों को एसएलडीसी से संयोजन सुनिश्चित करने हेतु छ. संस्थुतियाँ की हैं। ग्रिड अनु ग्रासन के उत्तराधिकार से बचने हेतु फ्रिक्वेन्सी स्तर का अनुपालन किया जाना चाहिए।

iLrkouk

2.1.1 सभी को वर्ष 2012 तक विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हेतु, भारत सरकार (जीओआई) ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) तैयार किया जिसमें उल्लिखित था कि देश हेतु मजबूत एवं एकीकृत ऊर्जा प्रणाली विकसित करने हेतु प्रभावी एवं समन्वय पूर्ण कार्यवाही के अतिरिक्त पारेशण प्रणाली में पर्याप्त एवं समय पर निवेश की आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत साथ ही, केन्द्रीय/राज्य पारेशण उपकरणों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य ग्रिड के विकास की आवश्यकता की भी पहचान की गयी। उत्तर प्रदेश में विद्युत पारेशण एवं ग्रिड संचालन का कार्य उत्तर प्रदेश पावर द्वान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है, जो कि कुशल, पर्याप्त एवं समुचित रूप से समन्वित ग्रिड प्रबंधन एवं विद्युत के पारेशण हेतु अधिकृत है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस कम्पनी को 31 मई 2004 को उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापारी निगम लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था, जिसका 13 जुलाई 2006 को उत्तर प्रदेश पावर द्वान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के रूप में पुनः नामकरण किया गया। यह ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिवेदित करती है।

2.1.2 कम्पनी का प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पाँच सदस्यों से युक्त निदेशक मण्डल में सन्निहित है। दैनंदिन कार्यों का संचालन, निदेशक (संचालन), निदेशक (वर्कर्स एवं प्रोजेक्ट्स), निदेशक (राजस्व), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रशासन एवं मानव संसाधन) एवं कम्पनी सचिव की सहायता से प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जाता है, जो कि कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वर्ष 2007-08 के दौरान, कम्पनी द्वारा 51,472.14 मि.यू. ऊर्जा पारेशित की गयी जो 2011-12 में बढ़कर 70,029.47 मि.यू. हो गयी अर्थात् 2007-12 के दौरान 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2012 को, कम्पनी के पास 25,064.90 सीकोएम का पारेशण नेटवर्क एवं 53,338 एमवीए की स्थापित क्षमता के साथ 357 उपकरण (एसएस) थे, जो 220 केवी पर 1,55,266* मि.यू. ऊर्जा वार्षिक रूप से पारेशित करने के लिए सक्षम थे। 2011-12 में कम्पनी का टर्नओवर ₹ 1,028.55 करोड़ था जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (₹ 6,87,836.28 करोड़) का 0.15 प्रतिशत था। इसके अन्तर्गत 31 मार्च 2012 को 5,852 कर्मचारी कार्यरत थे (स्वीकृत कार्मिक संख्या 11,393 के विरुद्ध 51 प्रतिशत)।

* 19640 एमवीएX0.9X24X366 / 1000

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड^४ के अन्तर्गत अति उच्च टेंशन लाइनों एवं संयोजित उपकेन्द्रों पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में समाहित की गयी थी। इस प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) द्वारा अप्रैल एवं जुलाई 2010 में विचार विमर्श किया गया। कोपू की संस्तुतियाँ अभी तक (फरवरी 2013)। प्राप्त नहीं हुईं।

y[ki jh{k dk {k= ,oi i) fr

2.1.3 फरवरी 2012 से अगस्त 2012 के दौरान सम्पादित वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में कम्पनी के वर्ष 2007–08 से 2011–12 के निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा जाँच में कम्पनी मुख्यालय के विभिन्न संभागों, राज्य लोड डिस्पैच सेन्टर (एसएलडीसी), मुख्य अभियन्ता की प्रमुखता वाले सभी चारों परिमण्डलों,^५ एवं अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा नियंत्रित 137 लेखा इकाइयों में से 36 इकाइयों के अभिलेखों की जाँच सम्मिलित है।

कम्पनी ने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 81 उपकेन्द्रों (एसएस) (क्षमता: 6,020 एमवीए) एवं 147 लाइनों (लम्बाई: 3,445.90 सीकेएम) का निर्माण किया एवं साथ ही विद्यमान पारेषण क्षमता में 11,063 एमवीए का विस्तार किया। इनमें से 39 उपकेन्द्र (क्षमता: 4,820 एमवीए) एवं 41 लाइनों (लम्बाई: 591.33 सीकेएम) की जाँच की गयी।

लेखांकन इकाइयों का चयन नेशनल सैम्प्ल सर्वे आर्गनाइजेशन की रैन्डम नम्बर टेबल का प्रयोग करके रैन्डम नम्बर के आधार पर किया गया और 137 लेखांकन इकाइयों में से 36 लेखांकन इकाइयों (26 प्रतिशत लगभग) का चयन, कम्पनी मुख्यालय के अभिलेखों के अतिरिक्त, परीक्षण जाँच हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा कसौटियों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के अन्तर्गत सर्वोच्च प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों से अवगत करना, मुख्यालय एवं चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा की गयी इकाइयों के पदाधिकारियों से अन्तर्संवाद करना, लेखापरीक्षा कसौटियों के सन्दर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन से विचार विमर्श करना एवं प्रबंधन/शासन को उनकी टिप्पणी हेतु ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना, सम्मिलित है।

y[ki jh{k mnns ;

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि क्या:

- राष्ट्रीय ऊर्जा नीति/योजना एवं उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गयी थी और नियोजन में विफलता के प्रभाव का आँकलन करना, यदि कोई हो;
- पारेषण प्रणाली मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग से विकसित एवं संचालित की गयी थी;
- पारेषण प्रणाली का संचालन एवं रख—रखाव मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग से किया गया था;
- इसके संचालन को अनज्ञ अवरोधों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु आपदा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गयी थी;
- प्रभावी विफलता विश्लेषण प्रणाली की स्थापना की गयी थी;

^४ पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विभाजन के पश्चात पारेषण संबंधी क्रियाकलाप, 31 मार्च 2007 तक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पास थे।

^५ पारेषण पूर्व परिमण्डल, इलाहाबाद, पारेषण मध्य परिमण्डल, लखनऊ, पारेषण दक्षिण परिमण्डल, आगरा एवं पारेषण परिमण्डल, मेरठ।

- प्रभावी एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विद्यमान थी जिसमें समय पर देयक जारी करना एवं वसूली तथा टैरिफ में संशोधन हेतु समय पर सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्तुत करने पर बल दिया गया हो;
- सामग्री क्रय हेतु कुशल एवं प्रभावी प्रणाली तथा स्कन्ध नियंत्रण तंत्र विद्यमान था;
- राष्ट्रीय ऊर्जा योजना (एनईपी) के समन्वय में कुशल एवं प्रभावी ऊर्जा संरक्षण उपाय किये गये थे एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना की गयी थी; और
- विद्यमान / चालू परियोजनाओं की समीक्षा करने एवं कमियों को दूर करने के लिये सुधारात्मक उपाय करने हेतु अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान थी।

y[ki jhikk dh di ksv; k

2.1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आँकलन करने हेतु निम्नलिखित लेखापरीक्षा की कसौटियाँ अपनायी गयी:

- राष्ट्रीय ऊर्जा नीति/योजना एवं राष्ट्रीय टैरिफ नीति के प्रावधान;
- कम्पनी की परिप्रेक्ष्य योजना एवं परियोजना प्रतिवेदनों में निर्धारित मानक;
- मितव्यिता, कुशलता, प्रभावशीलता एवं नैतिकता के सिद्धान्तों के सन्दर्भ में अनुबंध प्रदान करने हेतु निर्धारित मानक प्रक्रियायें;
- टैरिक निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा, परिपत्रों के निर्देश/प्रावधान, मैनुअल एवं एमआईएस प्रतिवेदन;
- मैनुअल ऑफ ट्रान्समिशन प्लानिंग क्राइटेरिया (एमटीपीसी);
- कोडल प्राविजन्स ऑफ टेक्निकल इन्टरफेस (सीटीआई)/नियोजन, संचालन, संयोजन कोड सहित ग्रिड कोड;
- राज्य सरकार/ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) के निर्देश;
- यूपीईआरसी/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के मानक/दिशानिर्देश);
- पारेषण परियोजना के क्रियान्वयन में गम्भीर मुद्दों के विश्लेषण हेतु ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रतिवेदन;
- ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा संस्तुत 'बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन' की संस्तुतियाँ; और
- रीजलन लोड डिस्पैच सेन्टर (आरएलडीसी) के प्रतिवेदन।


i kjsk. k i fØ; k dk | {klr o.ku

2.1.6 विद्युत पारेषण को उच्च वोल्टेज पर, सामान्यतः 132 केवी एवं इससे ऊपर, लम्बी दूरी तक समर्त ऊर्जा के स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत संयंत्रों में सापेक्षतया निम्न वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा को पारेषण से पूर्व पारेषण में हानि कम करने एवं ग्रिड में कुशलता बढ़ाने हेतु, उच्च वोल्टेज ऊर्जा में उच्चीकृत किया जाता है। एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर पर उच्चीकृत करने/निम्नीकृत करने, विद्युत प्रणाली को संयोजित करने एवं प्रणाली के अन्दर एवं बाहर उपकरणों को बन्द करने हेतु उपकेन्द्रों की सुविधायें प्रयुक्त की जाती हैं। विद्युत उत्पादन केन्द्रों पर उच्चीकरण हेतु स्थित पारेषण उपकेन्द्र लम्बी दूरी तक पारेषण के लिये वोल्टेज को बढ़ाने हेतु ट्रान्सफार्मरों का प्रयोग करते हैं।

पारेषण लाइनों द्वारा उच्च वोल्टेज विद्युत ऊर्जा का वहन किया जाता है। निम्नीकरण पारेषण उपकेन्द्र, तत्पश्चात् उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु वोल्टेज को उप-पारेषण

वोल्टेज स्तर तक कम करते हैं। विशिष्ट वोल्टेज पर विद्युत वितरण हेतु वितरण प्रणाली में लाइनें खम्भे ट्रान्सफार्मर तथा अन्य उपकरण समिलित हैं।

विद्युत ऊर्जा का संग्रहण नहीं हो सकता है; अतः विद्युत उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप अवश्य होना चाहिए। अतएव, माँग के ठीक सापेक्ष विद्युत उत्पादन में संतुलन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक पारेषण प्रणाली में व्यवस्थित नियंत्रण प्रणाली, जिसे ग्रिड प्रबन्धन कहते हैं, की आवश्यकता होती है। पारेषण प्रक्रिया का सचित्र प्रदर्शन निम्नवत है:



ys[kki j h{kk vki fRr; k

2.1.7 हमने 27 मार्च 2012 को आयोजित इन्ट्री कान्फ्रेन्स के दौरान कम्पनी को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया। तत्पश्चात्, अगस्त 2012 में कम्पनी एवं राज्य सरकार को लेखापरीक्षा प्रेक्षण प्रतिवेदित किया गया और 3 जनवरी 2013 को आयोजित एकिजट कान्फ्रेन्स में उन पर विचार विमर्श किया गया। एकिजट कान्फ्रेन्स में ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव, कम्पनी के निदेशक (वित्त), निदेशक (संचालन) एवं निदेशक (वर्क्स एवं प्रोजेक्ट्स) सम्मिलित हुए। कम्पनी के उत्तर प्राप्त हो गये थे जबकि शासन के उत्तर प्रतीक्षित थे। उनके द्वारा अभिव्यक्त विचारों को निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय दृष्टिगत रखा गया है। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

fu; kst u , oa fo dkl

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति/योजना

2.1.8 सभी संबंधित एजेन्सियों के साथ समन्वित राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित नेटवर्क के नियोजन एवं विकास की मुख्य जिम्मेदारी, केन्द्रीय पारेषण उपक्रम (सीटीयू) एवं राज्य पारेषण उपक्रमों पर है। दसवीं योजना के अन्त में (मार्च 2007) देश में 765 / एचवीडीसी / 400 / 230 / 220 केवी पर स्थापित 1.98 लाख सीकेएम पारेषण लाइनों से युक्त पारेषण नेटवर्क था जिसमें वृद्धि करके ग्यारहवीं योजना के अन्त में अर्थात् मार्च 2012 तक, 2.93 लाख सीकेएम तक वृद्धि करने की योजना थी। वर्ष 2006–07 के अन्त में 14,100 मे.वा. की अन्तः क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का आँकलन राष्ट्रीय विद्युत योजना में किया गया था एवं पुनः ग्यारहवीं योजना में 23,600 मे.वा. की वृद्धि की योजना बनाकर समग्र अन्तः क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को 37,700 मे.वा. करना था।

इसी प्रकार, 2007–08 के प्रारम्भ में कम्पनी के पारेषण नेटवर्क के अन्तर्गत 36,255 एमवीए की पारेषण क्षमता से युक्त 276 अति उच्च/(ई.एच.टी.) टेंशन वाले उपकेन्द्र (एसएस) एवं 21,619 सीकेएम की ई.एच.टी. पारेषण लाइनें सम्मिलित थी। 31 मार्च 2012 को पारेषण नेटवर्क के अन्तर्गत 53,338 एमवीए की पारेषण क्षमता से युक्त 357 ई.एच.टी. उपकेन्द्र एवं 25,064.90 सी.के.एम. की ई.एच.टी. पारेषण लाइनें थीं।

राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली के नियोजन एवं विकास हेतु कम्पनी उत्तरदायी है। क्षमता वृद्धि के नियोजन हेतु माँग का आँकलन एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। कम्पनी ने पारेषण हेतु वार्षिक राज्य विद्युत योजना (एसईपी) तैयार किया और राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जिसे राज्य की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया।


i kjsk.k us\odl , oabI dk fodkl

2.1.9 वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान ई.एच.टी. स्तर पर कम्पनी की पारेषण क्षमता निम्न सारणी में दिया गया है:


०e । ; k	fooj .k	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	; kx
v- mi dñhñadñh ; k ¼ ; k e½							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	276	285	310	331	346	-
2	वर्ष हेतु नियोजित वृद्धि	33	25	24	79	61	222
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	09	25	21	15	11	81
4	वर्ष के अन्त में उपकेन्द्रों की संख्या (1+3)	285	310	331	346	357	
5	वृद्धि के विरुद्ध कमी (प्रतिशत) (2-3)	24 (73)	शून्य (शून्य)	03 (13)	64 (81)	50 (82)	141 (64)
c- Vñññ Okej {kerk ¼ eoh, ½							
1	वर्ष के प्रारम्भ में क्षमता	36255	38254	41717	44895	48984	
2	वर्ष के दौरान नियोजित वृद्धि / विस्तार	3980	5110	5283	18650	13530	46553
3	वर्ष के दौरान जोड़ी गयी क्षमता	1999	3463	3178	4089	4354	17083
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	38254	41717	44895	48984	53338	
5	वृद्धि / विस्तार के विरुद्ध कमी (प्रतिशत)	1981 (50)	1647 (32)	2105 (40)	14561 (78)	9176 (68)	29470 (63)
 - i kjsk.k ykbun½ hds eh							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	21619	22339	22956	23637	24474	
2	वर्ष हेतु नियोजित वृद्धि	1400	1596	1585	4090	4206	12877
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	720	617	681	837	590.90	3445.90
4	वर्ष के अन्त में कुल लाइनें (1+3)	22339	22956	23637	24474	25064.90	
5	वृद्धि के विरुद्ध कमी (प्रतिशत) (2-3)	680 (49)	979 (61)	904 (57)	3253 (80)	3615.10 (86)	9431.10 (73)

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वोल्टेज-वार नियोजित क्षमता वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, क्षमता में कमी इत्यादि का विवरण, ifff kV &7 में दिया गया है।


$\text{j\kfp=%mi dhni ea of) ds l ki \k deh dh i dfrk \avdk e\}$



$\text{j\kfp=%VUI Qkeku \kerk l ftr djuse deh dh i dfr}$



$\text{j\kfp=% ykbuk\ea of) ds l ki \k deh ea\k<rh gpl i dfrr \f\ fd\l fdeh e\}$



हमने पाया कि वार्षिक योजनायें एकाकी में तैयार की गयी थीं और ऊर्जा की माँग एवं पूर्ति (उत्पादित क्षमता एवं क्रय ऊर्जा दोनों को सम्मिलित करते हुए) की प्रत्याशित वार्षिक वृद्धि से सह-संबंधित नहीं थीं। कम्पनी ने संबंधित वर्षों में वास्तव में निर्माणाधीन उपकरणों की संख्या एवं लाइनों को बिना ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान उपकरणों एवं सहयोजित लाइनों के सन्दर्भ में क्षमता वृद्धि हेतु योजना बनायी।

mi dlnks ds fuel k e
13 | s82 i fr kr , or
ykbuk ds fuel k e 49
| s86 i fr kr dli deh
glpA

हमने आगे देखा कि 222 ई.एच.टी. उपकरणों एवं 12,877 सीकेएम ई.एच.टी. लाइनों के लक्षित निर्माण के विरुद्ध, 81 ई.एच.टी. उपकरणों एवं 3,445.90 सीकेएम ई.एच.टी. लाइनों का निर्माण किया जिससे पाँच वर्षों के दौरान क्रमशः 36 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्ति हुई। 2011–12 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान 46,553 एमवीए की नियोजित वृद्धि के विरुद्ध 17,083 एमवीए की पारेषण क्षमता की ही वृद्धि हुई।

पाँच वर्षों के दौरान, उपकरणों में वृद्धि के लक्ष्य में 13 से 82 प्रतिशत (वर्ष 2008–09 को छोड़कर) के मध्य कमी हुई, ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में 32 से 78 प्रतिशत, लाइनों की वृद्धि में 49 से 86 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि किसी वर्ष हेतु क्षमता वृद्धि के नियोजन का वास्तविक क्षमता वृद्धि से कोई सहसम्बन्ध नहीं था।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि विभिन्न क्षेत्रों में भार वृद्धि के आधार पर विस्तार हेतु योजना बनायी गयी थी और पारेषण सम्भाग, वितरण सम्भाग से नियमित रूप से अन्तर्संवाद स्थापित करता है। आगे यह भी कहा गया कि योजना प्रपत्र तैयार करते समय पूर्व-प्रवृत्ति एवं भावी आवश्यकता के आधार पर नये कार्यों की संख्या सम्मिलित की गयी थी किन्तु योजना प्रपत्र में सही योजना का समावेश नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना प्रपत्र, विद्युत उत्पादन योजना विद्युत क्रय सहित एवं वितरण आवश्यकता तथा पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के साथ सम्बद्ध करते हुए, तैयार करना चाहिये।

i kj sk.k i z kkyh dk i f; ; kt uk i ciku

2.1.10 पारेषण परियोजना के अन्तर्गत विचार से स्थापना तक की विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पारेषण परियोजना की मुख्य प्रक्रियाएं (i) परियोजना का निर्धारण, मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण और (ii) अनुबन्ध प्रबंधन सहित परियोजना का क्रियान्वयन चरण। परियोजना की क्रियान्वयन अवधि में कमी लाने हेतु, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने पारेषण पर एक टास्क फोर्स का गठन (फरवरी 2005) निम्न को दृष्टिगत रखते हुए किया:

- पारेषण परियोजना के क्रियान्वयन में गम्भीर तत्वों का विश्लेषण करना,
- सीटीयू और एसटीयू की बेस्ट प्रैविटसेज से क्रियान्वयन, तथा
- 24 माह की अवधि के लिये मॉडल पारेषण परियोजना का सुझाव देना।

पारेषण प्रणाली को पूर्ण करने में गति लाने हेतु टास्क फोर्स ने (जुलाई 2005) निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियाँ की।

- सर्वेक्षण, डिजाइन एवं परीक्षण, वन विभाग से एवं अन्य वैधानिक अनापत्तियाँ प्राप्त करना तथा निविदा इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रारम्भिक क्रियाओं को अग्रिम में परियोजना के मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण के समानान्तर सम्पन्न करना तथा पारेषण लाइन परियोजना की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त होने पर निर्णय-क्रियाएं सम्पन्न करना;
- पारेषण परियोजनाओं को स्पष्टत: परिभाषित पैकेजों में विभाजित करना ताकि पैकेज के क्रय एवं क्रियान्वयन में न्यूनतम समन्वय एवं अन्तः संबंध की आवश्यकता हो और साथ ही यह प्रतिस्पर्द्धा को भी आकृष्ट करे जिससे लागत प्रभावी क्रय हो सके; और
- टावर निर्माण की डिजाइन को मानकीकृत करना ताकि परियोजना के क्रियान्वयन में 6 से 12 महीने के समय की बचत की जा सके।

टास्क फोर्स की संस्तुतियों से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पायी गयी कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

समय एवं लागत—आधिक्य

2.1.11 हमने पाया कि टास्क फोर्स द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरूप पारेषण परियोजनाओं को पैकेजों में विभक्त किया गया था और कम्पनी ने इन पैकेजों को विभिन्न ठेकेदारों को आवंटित किया किन्तु सर्वेक्षण, डिजाइन एवं परीक्षण, वन विभाग से एवं अन्य वैधानिक अनापत्तियों हेतु प्रक्रिया शुरू करने तथा निविदा आदि से संबंधित विभिन्न प्रारम्भिक क्रियाओं को, अग्रिम में/परियोजना के मूल्यांकन एवं अनुमोदन स्तर के समानान्तर सम्पन्न नहीं किया जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में असामान्य विलम्ब हुआ। आगे यह देखा गया कि कम्पनी 2007–12 के दौरान विभिन्न उपकेन्द्रों एवं लाइनों को क्रियान्वयित करने में विफल रही, जिनका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

क्रमांक दृष्टि ए	dy fufel ¹ dh t; k	Yk ² ki j h(k)kj k dh x; h tP ³ dh t; k	fuel ⁴ k ea foyEc t; k	I e; kf/kD; [*] kelg el ⁵	ykxr& vkf/kD; djkM+dk ykxr vkf/kD; gvkA
	एसएस	लाइनों की संख्या (सीकेएम)	एसएस	लाइनों की संख्या (सीकेएम)	, , , लाइन
765	1	1 (1.9)	1	1 (1.9)	10 शून्य शून्य शून्य शून्य
400	शून्य	शून्य (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य
220	19	25 (976)	10	9 (133.45)	9 3-78 9-78 22.11 20.89
132	61	121 (2468)	28	31 (455.98)	27 28 1-216 4-216 19.72 42.30
/kx	81	147 (3445.9)	39	41 (591.33)	37 37 — — 41.83 63.19

ज्ञोतः कम्पनी की वार्षिक योजना तथा पूर्ण की गयी परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट

उपर्युक्त से देखा जा सकेगा कि

- लेखापरीक्षा में जाँच किये गये 39 उपकेन्द्रों में से 37 उपकेन्द्र (95 प्रतिशत) एक माह से 216 माह के समयाधिक्य से पूर्ण किये गये जिसकी वजह से ₹ 41.83 करोड़ का लागत आधिक्य हुआ।
- लेखापरीक्षा में जाँच की गयी 41 लाइनों में से 37 लाइनों (90 प्रतिशत), 4 माह से 216 माह के समयाधिक्य से पूर्ण की गयी जिसकी वजह से ₹ 63.19 करोड़ का लागत आधिक्य हुआ।

समयाधिक्य एवं लागत आधिक्य के मुख्य कारण, जिनका हमारे द्वारा विश्लेषण किया गया, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, सामग्री के आवंटन में धीमी प्रगति, सिविल एवं पारेषण संभाग में समन्वय का अभाव, साइट का हस्तान्तरण, राइट ऑफ वे (आरओडब्लू) सम्बन्धित समस्याएं, पर्यावरण मंत्रालय एवं वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने में विलम्ब एवं कार्यों को पूर्ण करने में ठेकेदारों द्वारा विलम्ब आदि थे, जिनका विवरण i fjf k'V&8 एवं 9 में दिया गया है।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी के पास पहले से उपलब्ध डिजाइन/ड्राइंग के आधार पर सामान्यतः निर्माण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था। नयी डिजाइन के विकास की तभी आवश्यकता थी जबकि विद्यमान डिजाइन/ड्राइंग के द्वारा परियोजना की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। पारेषण कार्य अनुमोदन समिति (टीडब्ल्यूसी) द्वारा परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् तत्काल निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी। पारेषण लाइनों के प्रकरण में, वन, सड़क रेलवे एवं रिवर-क्रासिंग इत्यादि की प्रक्रिया, मितव्ययी मार्ग के निर्धारण, विस्तृत सर्वेक्षण एवं लाइन प्रोफाइल के प्रश्चात् ही प्रारम्भ की जा सकी। वास्तविक निर्माण कार्य से काफी पहले लाइन का सर्वेक्षण किये जाने के कारण, आरओडब्ल्यू समस्या अधिक गम्भीर हो गयी थी। अतः, टीडब्ल्यूसी के अनुमोदन की तिथि को कार्य प्रारम्भ की तिथि मानना ठीक नहीं था। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि लाइन के सर्वेक्षण के पश्चात् ही टीडब्ल्यूसी हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये थे और टीडब्ल्यूसी के अन्तर्गत कार्य के पूर्ण होने की तिथि दी गयी थी अतः

* लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में उद्घृत।

एमओपी भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप परियोजना क्रियान्वयन अवधि में कमी लाने हेतु कार्य प्रारम्भ से पहले आवश्यक अनापत्तियों हेतु प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी।

ज्ञात हुए कुछ रोचक प्रकरणों की चर्चा निम्नवत् है:

अल्प क्षमता वाले उपकेन्द्रों का निर्माण

2.1.12 हमने देखा कि कम्पनी भार आवश्यकता का आँकलन करने में विफल रही और बृद्धिपूर्ण नियोजन के कारण अल्प-क्षमता वाले उपकेन्द्रों का निर्माण किया। परिणामस्वरूप, बाद में इसमें क्षमता में वृद्धि करनी पड़ी जिसके कारण ₹ 13.75 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जिसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

mi dñi dk uke	vlo ; d {kerk	i jñE k ea fu; ktr , or fufer mi dñi dk {kerk fooj.k {kerk	Mñks I ±	Mñks I°	ylxr	{kerk foLkj.k dk fooj.k {kerk	Mñks I	Mñks I°	ylxr	i fjk; Z0 ;
132/33 केवी उपकेन्द्र हापुड रोड, मेरठ	65 एमवीए	2x20 एमवीए	सितम्बर 2006	जनवरी 2009	8.19	2x40 एमवीए	अगस्त 2009	जनवरी 2011	5.62	0.63 [⇒]
220/132 केवी उपकेन्द्र लोनी, गाजियाबाद	325 एमवीए	2x100 एमवीए	जुलाई 2007	सितम्बर 2008	22.60	2x160 एमवीए	अगस्त 2009	फरवरी 2011	17.22	13.12 [←]

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि:

- 132 / 33 केवी उपकेन्द्र हापुड (2x20 एमवीए) जनवरी 2009 में पूर्ण हुआ किन्तु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के कारण क्षमता-वृद्धि की योजना 2008–09 में बनायी गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित था, अगले पाँच वर्षों में भार में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये उपकेन्द्र के निर्माण हेतु योजना बनायी जानी चाहिए थी।
- 220 / 132 केवी उपकेन्द्र लोनी के निर्माण का अनुमोदन टीडब्ल्यूसी द्वारा 220 केवी की मानक ट्रान्सफार्मेशन क्षमता अर्थात् 2x100 एमवीए के साथ 132 / 33 केवी उपकेन्द्र, लोनी पर विद्यमान भार एवं अगले पाँच वर्षों में भार वृद्धि की पूर्ति हेतु किया गया था। वर्ष 2005–10 की अवधि के दौरान उच्च औद्योगिक विकास के कारण विद्युत की माँग में असाधारण वृद्धि हुई, अतः क्षमता में वृद्धि हेतु योजना बनायी गयी।

हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि क्षेत्र में उच्च औद्योगिक विकास 2005 में प्रारम्भ हो गया था और इस परियोजना का प्रारम्भ जुलाई 2007 में किया गया था, मानक ट्रान्सफार्मेशन क्षमता के स्थान पर उस क्षेत्र के भावी विकास के सन्दर्भ में, भविष्य में भार की माँग का आँकलन किया जाना चाहिए था।

नोएडा में 220/132 केवी उपकेन्द्र का निर्माण

2.1.13 पारेषण कार्य अनुमोदन समिति (टीडब्ल्यूसी) ने नोएडा* के डिपाजिट कार्य को निर्धारित दिसम्बर 2008 तक कार्य पूर्ण करने के लिये, ग्रेटर नोयडा से सेक्टर-129, नोयडा तक 220 केवीडीसी लाइन (25 किमी) का निर्माण ₹ 12.33 करोड़ की लागत के साथ ₹ 59.87 करोड़ की लागत से 2x160 एमवीए (220x132 केवी) एवं 2x40 एमवीए (132x33 केवी) ट्रान्सफार्मरों के साथ सेक्टर 129, नोएडा में 220 केवी उपकेन्द्र के

[±] आरम्भ की तिथि

[⇒] पूर्ण होने की तिथि

[⇒] क्षमता वृद्धि की लागत ₹ 5.62 करोड़ घटाया ₹ 4.99 करोड़ {मिन्ता की लागत: 2 x 40 एमवीए एस/एस (₹ 14.61 करोड़) तथा 2 x 20 एमवीए एस/एस (₹ 9.62 करोड़)}

[←] क्षमता वृद्धि की लागत ₹ 17.72 करोड़ - ₹ 4.60 करोड़ (लागत 2 x 160 एमवीए एस/एस ₹ 36.70 करोड़ घटाया: लागत 2 x 100 एमवीए एस/एस ₹ 32.10 करोड़ = ₹ 4.60 करोड़)

* नोयडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

fMi kftV dk; Z ds
i kDdyu er Okj tV
fDy; j dhl ylxr
I ekfgr u dj us ds
dkj.k dEi uh us
₹ 5.73 dj kM+dh
gkfu , 01 ₹ 15.11
dj kM+dh ns rk
ogu dIA

निर्माण हेतु अनुमोदन (अगस्त 2007) किया। उपकेन्द्र एवं लाइन के निर्माण का कार्य क्रमशः ₹ 38.25 करोड़ एवं ₹ 10.84 करोड़ की लागत से 30 महीने के विलम्ब से जून 2011 में पूर्ण हुआ। हमने देखा कि लाइन के निर्माण के दौरान वन विभाग ने ₹ 20.84 करोड़ की माँग की और इसके विरुद्ध ईटीडी-1, नोएडा ने ₹ 5.73 करोड़ का भुगतान किया था। नोयडा को प्राक्कलन प्रस्तुत करते समय, ईटीडी-1, नोयडा प्राक्कलन में फारेस्ट विलयरेंस की लागत को समिलित करने में न केवल विफल रहा अपितु इस बात का उल्लेख भी नहीं किया था कि इस मद में किया गया वास्तविक व्यय चार्ज किया जायेगा। चूंकि प्राक्कलन में इस लागत का कोई उल्लेख नहीं था, नोएडा ने इस मद में किसी दावे को स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप, कार्य का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने के कारण कम्पनी पहले ही ₹ 5.73 करोड़ की हानि वहन कर चुकी थी और ₹ 15.11 करोड़ का अग्रेतर दायित्व भी कम्पनी पर था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि किये गये व्यय की नोयडा से माँग प्रक्रियाधीन थी। उत्तर, फारेस्ट विलयरेंस की लागत को प्राक्कलन में समिलित न किये जाने के मुद्दे को सम्बोधित नहीं करता।

झांसी में 220 केवी उपकेन्द्र का निर्माण

2.1.14 निदेशालय, एअर रूट एवं एरोड्रम (डारा) (आप्स) के 1990 के परिपत्र संख्या 3 के अनुसार उड़ान पट्टी के क्षेत्र के आन्तरिक छोर में चढ़ाव क्षेत्र, पहुंच स्थल/उड़ान क्षेत्र से 3 किमी के अन्दर उच्च टेंशन/निम्न टेंशन वाली लाइनों का निर्माण नहीं किया जा सकता था।

कम्पनी ने उपलब्ध चार स्थलों में से 664 आर्मी एविएशन स्कवाड़न के उड़ान पट्टी से 1.25 किमी की दूरी के अन्तर्गत 220 केवी उपकेन्द्र के निर्माण के लिए झांसी के सिमार्धा नामक स्थल का चुनाव किया (मई 2005)।

टीडब्ल्यूसी ने बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये ही 220/132 केवी उपकेन्द्र[॥] एवं सम्बद्ध लाइन के ₹ 41.07 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान (जुलाई 2006) किया। उपकेन्द्र एवं लाइनों के निर्माण का कार्य कम्पनी ने प्रारम्भ किया (अगस्त 2007) जिसका आर्मी एविएशन स्कवाड़न द्वारा विरोध किया गया (दिसम्बर 2007)।

हमने देखा कि दिसम्बर 2007 में आर्मी एविएशन स्कवाड़न द्वारा विरोध करने के बावजूद कम्पनी ने कार्य जारी रखा और एक वर्ष तक उपकेन्द्र पर ₹ 9.15 करोड़ का व्यय किया। कम्पनी ने एक वर्ष बाद अर्थात् दिसम्बर 2008 में कार्य स्थल को बदलने का निर्णय लिया। उपकेन्द्र को सिमार्धा से दुनारा स्थानान्तरित करने के कारण सिमार्धा में उपकेन्द्र पर किया गया ₹ 5.89 करोड़[^] का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ओवरहेड लाइनों के साथ उपकेन्द्र के निर्माण हेतु एअरपोर्ट अथारिटी द्वारा अनुमति नहीं दी गयी एवं अण्डरग्राउण्ड केबिल के साथ उपकेन्द्र का निर्माण वित्तीय दृष्टि से सम्भव नहीं था, अतएव, उपकेन्द्र के स्थल में बदलाव का निर्णय कम्पनी द्वारा लिया गया। यह तथ्य, हालांकि, कायम रहा कि एअरपोर्ट अथारिटी की अनुमति कार्य प्रारम्भ से पहले ली जानी चाहिए एवं आर्मी अथारिटी द्वारा विरोध किये जाने के ठीक बाद कार्य बन्द कर देना चाहिए था।

भार आव यकता का ऑक्लन किये बिना उपकेन्द्र का निर्माण

2.1.15 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु, परियोजना को शुरू करने से पूर्व, भार वृद्धि एवं वोल्टेज नियमन की अनुमत्य सीमा के साथ भविष्य में माँग में अनुमानित वृद्धि पर विचार करना अनिवार्य है, ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके। प्रस्तावित नयी योजनाओं हेतु भार के पूर्वानुमान के साथ प्रत्याशित भौतिक एवं वित्तीय लाभ पर भी विचार करना चाहिए।

॥ 2x100 एमवीए + 2x40 एमवीए 132/33 केवी

[^] उपकेन्द्र एवं लाइन पर अप्राप्त व्यय क्रमशः ₹ 4.15 करोड़ एवं ₹ 1.29 करोड़ जोड़ा विखण्डन, परिवहन इत्यादि पर व्यय ₹ 0.45 करोड़।

कम्पनी ने बिना समुचित रूप से भार आवश्यकता का आँकलन किये ही निम्नलिखित उपकरणों का निर्माण किया, जिनका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

ठेकेन्डर कोड	मिट्टी के अधिकारी, केवी	फ्लैट का संख्या	लोडर का वर्ष	लोडर का वर्ष	मिल्ड लाइसेंस	ठेकेन्डर कोड	उपकरण का वर्ष
1	220/33 केवी उपकरण, गोमतीनगर, लखनऊ	3x60	सितम्बर 2006	40.08	दिसम्बर 2008	31.48	0.02 – 31.07
2	220/132 केवी उपकरण, सोहावल, फैजाबाद	2x100	दिसम्बर 2001	24.25	दिसम्बर 2009	16.92	24 - 47
3	220/132 केवी उपकरण, बिठूर, कानपुर	2x160	जुलाई 2008	51.13	जुलाई 2011	51.75	8 – 21

उपर्युक्त उपकरण अल्प उपयोजित रहे जो इस बात का संकेतक था कि उपकरणों पर भार का आँकलन नहीं किया गया था, जिनकी चर्चा निम्नवत है:

- राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने लोहिया पार्क गोमती नगर स्थित 132/33 केवी उपकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु कम्पनी से अनुरोध किया (जून 2005)। कम्पनी ने, 132/33 केवी उपकरण को स्थानान्तरित किये बिना ही, एलडीए द्वारा प्रदान की गयी भूमि पर 220/33 केवी (3x60 एमवीए) का एक दूसरा उपकरण निर्मित किया। उपकरण की लागत (₹ 31.48 करोड़) एवं लाइन की लागत (₹ 4.32 करोड़) कम्पनी द्वारा वहन की गयी क्योंकि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इस प्रकार, 132/33 केवी उपकरण के पोषकों को स्थानान्तरित न करने के कारण, उपकरण अल्प-उपयोजित रहा क्योंकि स्थापित क्षमता 180 एमवीए के विरुद्ध जनवरी 2009 से मई 2012 के दौरान उपकरण पर पीक लोड 0.02 एमवीए से 31.07 एमवीए के मध्य रहा, इसका कारण 132/33 केवी उपकरण के भार को स्थानान्तरित न किया जाना था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि गोमती नगर विस्तार में एलडीए द्वारा आवासों के निर्माण में विलम्ब के कारण वितरण उपकरणों पर संयोजित भार कम था, परिणामस्वरूप, उपर्युक्त उपकरण अल्प-उपयोजित रहा। उत्तर स्वतः संकेतक है कि उपकरण के निर्माण की योजना बिना समुचित रूप से भार आँकलन किये ही बनायी गयी थी।

- 220/132 केवी उपकरण सोहावल, फैजाबाद के निर्माण का कार्य पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद दिसम्बर 2006 में प्रारम्भ किया गया जो कि दिसम्बर 2009 में कुल 78 महीनों की विलम्ब से ₹ 16.92 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ। उपकरण अल्प-उपयोजित रहा क्योंकि स्थापित क्षमता 200 एमवीए के विरुद्ध जनवरी 2010 से मई 2012 के दौरान उपकरण पर पीक लोड 24 एमवीए से 47 एमवीए के मध्य रहा। अल्प उपयोग का मुख्य कारण यह था कि दो बहिर्गामी लाइनें[®] ₹ 13.37 करोड़ का व्यय करने के बाद भी संयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि ये लाइनें चार वर्षों के बाद भी अपूर्ण थीं।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) कि तीन बहिर्गामी लाइनों अर्थात् 132 केवी एससी सोहावल-मिल्कीपुर, सोहावल-आरएस घाट एवं सोहावल-दर्शन नगर के पूर्ण होने में विलम्ब होने के कारण उपकरण पर पूर्ण भार नहीं लाया जा सका।

- 220 / 132 केवी उपकेन्द्र बिठूर, कानपुर का निर्माण 2X160 एमवीए ट्रान्सफार्मरों एवं 2X40 एमवीए 132 / 33 केवी ट्रान्सफार्मरों के साथ ₹ 51.75 करोड़ की लागत से जुलाई 2011 में पूर्ण हुआ। उपकेन्द्र अल्प-उपयोजित रहा क्योंकि 320 एमवीए की स्थापित क्षमता के विरुद्ध जुलाई 2011 एवं जुलाई 2012 के दौरान उपकेन्द्र पर पीक लोड 8 एमवीए (2.5 प्रतिशत) से 21 एमवीए (6.5 प्रतिशत) के मध्य रहा।

प्रबन्धन के उत्तर में, लेखापरीक्षा में उठाये गये प्रकरण पर कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गयी।

क्रय एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2.1.16 कम्पनी ने पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पैकेज बनाये और कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न ठेकेदारों को पैकेजों का आवंटन किया और साथ ही नयी परियोजनाओं, उपकेन्द्रों के विस्तार एवं ओएण्डएम कार्यों हेतु सामग्री का क्रय किया। सामग्री का क्रय एवं कार्यों का क्रियान्वयन खुली निविदा के माध्यम से किया गया और ₹ 10.00 करोड़ (25 नवम्बर 2009 तक ₹ एक करोड़) से अधिक की निविदाओं को मूल्यांकित एवं प्रदान करने का कार्य कम्पनी की कारपोरेट भण्डार क्रय समिति (सीएसपीसी) द्वारा किया गया था। वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान, कम्पनी ने ₹ 4,940.48 करोड़ के अनुबंध निष्पादित किया जिसमें से उच्च मूल्य वाले ₹ 3,264.06 करोड़ के अनुबंधों (66 प्रतिशत) की नमूना जाँच हमारे द्वारा की गयी। हमने अनुबंध के अन्तर्गत आदेशित मात्रा में वृद्धि/कमी से सम्बन्धित उपवाक्य का अनुपालन न किये जाने वाले प्रकरण, काउण्टर आफर हेतु इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना से सम्बन्धित प्रकरण एवं उच्च दरों पर कार्य प्रदान करने से सम्बन्धित प्रकरण देखे जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

क्रय

2.1.17 कम्पनी के पास न तो कोई विहित क्रय नीति थी और न ही इसने आवधिक क्रय योजना तैयार किया था। क्षेत्र इकाइयों से ओएण्डएम कार्यों एवं नये कार्यों हेतु प्राप्त सामग्री की आवश्यकता के विरुद्ध कम्पनी ने तदर्थ ढंग से सामग्री का क्रय किया। सामग्री का क्रय खुली निविदा के माध्यम से किया गया था। क्रय की वृहद मात्रा के कारण, कम्पनी ने निविदित मात्रा का विभाजन, सामान्य तथा अर्ह निविदादाताओं के मध्य न्यूनतम एवार्ड दर पर काउण्टर आफर के माध्यम से किया था।

अनुबंध के महत्वपूर्ण उपवाक्य का क्रियान्वयन न करना

ek=k es50 i fr kr
rd of) @deh l s
l Ecfl/kr mi okD; dk
vuijkyu u fd;s
tkus ds i f. kLo: i
₹ 473 djKM+dk
vfrfjDr 0; ; gMKA

2.1.18 उपवाक्य 'निविदादाताओं हेतु निर्देश' के अनुसार विशिष्टि में उल्लिखित मात्रा, क्रेता की वास्तविक आवश्यकता के सापेक्ष, मूल्य सूची में उल्लिखित इकाई मूल्य पर बढ़ायी अथवा घटायी जा सकती है। यह वृद्धि अथवा कमी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस उपवाक्य का अनुपालन न किये जाने विषयक प्रकरण निम्नवत् हैं:

- 3,845 किमी एसीएसआर पैंथर कन्डक्टर के क्रय हेतु निविदा (टीडी-341 / 10) का मूल्य-भाग को खोला (25 अक्टूबर 2010) गया, जिसमें मुफ्त रेल गन्तव्य (एफओआर) दर ₹ 97,067.57 प्रति किमी के साथ अनामिका कन्डक्टर्स लिमिटेड न्यूनतम (एल-1) पायी गयी। उपर्युक्त निविदा के जारी रहने के दौरान 9,000 किमी एसीएसआर पैंथर कन्डक्टर के क्रय हेतु एक दूसरी निविदा (टीडी-355 / 11) का मूल्य भाग को खोला (5 दिसम्बर 2011) गया, जिसमें ₹ 1,20,854.71 प्रति किमी की एफओआर दर के साथ वेंकटेश्वर वायर्स लिमिटेड न्यूनतम (एल-1) पायी गयी। अतः, पूर्व निविदा के अन्तर्गत आदेशित मात्रा में 1,922.50 किमी* की वृद्धि की जानी चाहिए थी। कम्पनी ने अनुबंध के उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और ₹ 4.57 करोड़[†] का परिहार्य व्यय किया।

* जोकि प्रथम आदेश का 50 प्रतिशत है।

† (₹ 1,20,854.71 - ₹ 97,067.57 x 1,922.50 किमी)

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि 50 प्रतिशत वृद्धि/कमी से सम्बन्धित उपवाक्य केवल निविदा चरण पर लागू था अर्थात् अनुबंध निष्पादित किये जाने से पूर्व। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि पूर्व निविदा (संख्या: 341 / 10) की वैधता अभी भी विद्यमान थी एवं 1,536.55 किमी पैथर कन्डक्टर की आपूर्ति हेतु आवंटन, नयी निविदा (संख्या: 355 / 11) का मूल्य-भाग दिसम्बर 2011 में खुलने के बाद, क्रमशः दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 में किया गया था।

- निविदा— टीडी 302 / 07 के विरुद्ध नट एवं बोल्ट सहित एससी/डीसी टावर पार्ट्स की आपूर्ति हेतु क्रमशः 360 एमटी एवं 240 एमटी की एलओआई एल-1 एफओआर दर ₹ 57,147 प्रति एमटी पर, संगम स्ट्रक्टचरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद (एल-1) एवं एनएल इन्जीनियर्स मोहाली को निर्गत (अगस्त 2007) की गई। एनएल इन्जीनियर्स द्वारा एलओआई स्वीकार न किये जाने के कारण शेष मात्रा 240 एमटी संगम स्ट्रक्टचरल्स लिमिटेड को आवंटित (26 मई 2008) कर दी गयी। 15,000 एमटी नट एवं बोल्ट सहित टावर पार्ट्स के क्रय हेतु एक दूसरी निविदा टीडी— 316 / 07 का मूल्य-भाग 26 मार्च 2008 को खोला गया, जिसमें ₹ 53,328 प्रति एमटी की एफओआर दर के साथ यूनिटेक पावर ट्रान्स. लिमिटेड न्यूनतम (एल-1) पायी गयी। चूंकि नयी निविदा की दर ₹ 3,819 प्रति एमटी कम थी और नयी निविदा के मूल्य-भाग को खोलने की तिथि पर यह तथ्य कम्पनी के संज्ञान में था, अतः संगम स्ट्रक्टचरल्स लिमिटेड को आवंटित मात्रा का 50 प्रतिशत अर्थात् 180 एमटी से कम कर देना चाहिए था एवं शेष भाग 240 एमटी को भी नयी निविदा टीडी— 316 / 07 के अन्तर्गत एल-1 को आवंटित कर देना चाहिए था। अनुबंध के उपर्युक्त महत्वपूर्ण उपवाक्य का अनुपालन न किये जाने के कारण ₹ 16.04 लाख (₹ 3,819 X 420 एमटी) की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि दोनों निविदा विशिष्टियों के अन्तर्गत टावर की डिजाइन भिन्न थीं, अतः दरें तुलनीय नहीं थीं। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि दोनों डिजाइनों में टावर पार्ट्स के इनपुट एक समान थे।

इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अतिरिक्त व्यय

2.1.19 प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, ट्रान्सफार्मरों एवं अन्य सामग्रियों यथा कन्डक्टर, सर्किट ब्रेकर्स, इन्सुलेटर आदि के क्रय हेतु निविदा आहूत करते समय, कम्पनी निविदादाताओं को विस्तृत रूप में मूल्य-उद्धृत करने हेतु कहती है जिसमें एक्स वर्कर्स मूल्य, उत्पाद कर (ईडी), पैकिंग एवं अग्रसारण शुल्क, परिवहन एवं बीमा शुल्क, मूल्य-वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर (वैट/सीएसटी) एवं ऊर्जा हानियों (भार रहित हानि, भार-युक्त हानि एवं अतिरिक्त हानि) का पूँजीगत मूल्य शामिल किया जाता है। उपर्युक्त सभी मूल्य-अवयवों को सम्मिलित करते हुए, कम्पनी न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य की गणना करती है एवं निविदा के अन्तर्गत सामग्री की मात्राओं को एल-1 मूल्यांकित-मूल्य पर उसी निविदा के विभिन्न निविदादाताओं के मध्य विभाजित कर देती है। काउण्टर आफर हेतु कम्पनी द्वारा सम्बन्धित निविदादाताओं हेतु इक्वेटेड प्राइस की गणना, न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य में से विशिष्ट निविदादाता द्वारा उद्धृत कर सहित प्रत्येक मूल्य अवयव के सम्बन्धित मूल्यों को घटाकर बैंक कैलकुलेशन द्वारा किया जाता है।

हमने पाया कि निविदादाता हेतु इक्वेटेड प्राइस की बैंक कैलकुलेशन द्वारा गणना हेतु कम्पनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि न्यूनतम मूल्यांकित मूल्य में से न्यूनतम मूल्यांकित मूल्य में शामिल कर अवयवों एवं किसी निविदादाता द्वारा उद्धृत अन्य मूल्य अवयवों को ही घटाया जाना चाहिए था।

सामग्री के क्रय हेतु निविदादाताओं को काउण्टर आफर हेतु इक्वेटेड प्राइस की गणना में इन त्रुटियों के कारण ₹ 17.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

dkm.Vj vkQj grq
bDvM i kbl dh
x.kuk djrsI e;
dEi uh }jk =fVi w/
i fØ; k vi ukus ds
i fj .kKeLo: i
₹ 17-12 dj kM+dk
vfrfjDr 0; ; gvkA

- 40 एमवीए के 67 ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदा (ईएसडी/285) का मूल्य—भाग खोला (13 जुलाई 2010) गया जिसमें वैट हेतु दायित्व (13.5 प्रतिशत) सहित एक्यूरेट ट्रान्सफार्मर्स लिमिटेड द्वारा उद्धृत ₹ 3.29 करोड़ का मूल्याँकित मूल्य, न्यूनतम (एल-1) पाया गया। एल-1 फर्म के अतिरिक्त, कम्पनी ने सीएसटी (दो प्रतिशत) हेतु दायित्व सहित आठ अन्य फर्मों को एलओआई निर्गत (जुलाई 2010) किया। उपर्युक्त आठ फर्मों को काउण्टर आफर हेतु इक्वेटेड प्राइस की गणना करते समय, कम्पनी के न्यूनतम मूल्याँकित—मूल्य में से वैट (13.5 प्रतिशत) के स्थान पर सीएसटी (2 प्रतिशत) घटाया। परिणामस्वरूप, 47 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति पर ₹ 8.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, क्योंकि वैट एवं सीएसटी के मध्य अन्तर के प्रभाव की उपेक्षा कर दी गयी थी।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि एल-1 निविदादाता द्वारा उद्धृत पूँजीकृत लागत के आधार पर काउण्टर आफर दिये गये थे। यदि हम ईडी एवं सीएसटी के अन्तर मूल्य से मूल्यों को कम कर देते, तो उन फर्मों के मूल्य, जिन्हें काउण्टर आफर दिये गये थे, एल-1 मूल्य से कम हो जाते एवं अकार्यात्मक हो जाते।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि तथ्य यह है कि डिलोडिंग स्टेटमेंट तैयार करते समय, वैट (जो कि न्यूनतम निविदादाता के मूल्य में शामिल था) के स्थान पर सीएसटी (सम्बन्धित निविदादाता, जिनको काउण्टर आफर दिया गया था के द्वारा उद्धृत) पर ध्यान दिया गया था। परिणामस्वरूप, वैट (13.5 प्रतिशत) एवं सीएसटी (दो प्रतिशत) के अन्तर की धनराशि काउण्टर आफर के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दिया गया। एल-1 का एक्स वर्कर्स मूल्य काउण्टर आफर में दिये गये एक्स वर्कर्स मूल्य से कम था। अतः काउण्टर आफर अकार्यात्मक नहीं हो सकता था।

- 5,200 किमी बर्सिमीज कन्डक्टर के क्रय हेतु निविदा (ईटीडी/08-09/10) का मूल्य—भाग खोला (26 नवम्बर 2010) गया जिसमें ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी—शून्य के दायित्व सहित ₹ 2.73 लाख प्रति किमी के मूल्याँकित मूल्य के साथ गैमन इण्डिया लिमिटेड एल-1 पायी गयी। उसी मूल्य ₹ 2.73 लाख प्रति किमी पर 3,200 किमी बर्सिमीज कन्डक्टर की आपूर्ति हेतु ईडी—शून्य एवं सीएसटी (एक प्रतिशत) के दायित्व के साथ टेराकाम लिमिटेड को एलओआई निर्गत (जनवरी 2011) की गयी। गैमन इण्डिया के न्यूनतम मूल्याँकित मूल्य पर काउण्टर आफर हेतु त्रुटिपूर्ण इक्वेटेड प्राइस की गणना के कारण ₹ 7.82 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 63 एमवीए के 21 ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदा (ईएसडी-303) का मूल्य—भाग खोला (8 नवम्बर 2011) गया जिसमें ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी (दो प्रतिशत) के दायित्व सहित ईसीई लिमिटेड, हरियाणा द्वारा उद्धृत मूल्याँकित—मूल्य ₹ 4.12 करोड़ न्यूनतम पाया गया। ईसीई लिमिटेड के न्यूनतम मूल्याँकित—मूल्य पर काउण्टर आफर के माध्यम से कर दायित्व यथा ईडी—शून्य एवं सीएसटी (एक प्रतिशत) के साथ उत्तराखण्ड कार्यस्थल वाली एक्यूरेट ट्रान्सफार्मर लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा (एटीएल) को दो ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति हेतु कम्पनी ने एलओआई निर्गत (दिसम्बर 2011) किया। इसी प्रकार, आठ ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति हेतु कर दायित्व यथा ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी शून्य के साथ आईएमपी पावर लिमिटेड को दूसरी एलओआई निर्गत (दिसम्बर 2011) की गयी। इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण 10 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के विरुद्ध ₹ 70.90 लाख (₹ 42.42 लाख एटीएल एवं ₹ 28.48 लाख आईएमपी) का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 63 एमवीए के 17 ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदा (ईएसडी- 297) का मूल्य—भाग खोला (23 दिसम्बर 2010) गया जिसमें ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी (2 प्रतिशत) के दायित्व के साथ बीपीएल थारों द्वारा उद्धृत मूल्याँकित—मूल्य ₹ 4.15 करोड़ न्यूनतम पाया गया। बीपीएल के न्यूनतम मूल्याँकित—मूल्य पर काउण्टर आफर करके तीन ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति हेतु ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी—शून्य के दायित्व के साथ आईएमपी पावर लिमिटेड को एलओआई निर्गत

(मार्च 2011) की गयी। इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण, तीन ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के लिये आईएमपी पावर लिमिटेड को दिये गये आदेश के विरुद्ध ₹ 10.62 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

- 40 एमवीए के 55 ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदा (ईएसडी-241) का मूल्य-भाग खोला (4 अक्टूबर 2007) गया, जिसमें ईडी (16.48 प्रतिशत) व्यापार कर (चार प्रतिशत) एवं विकास कर (एक प्रतिशत) के दायित्व के साथ टेक्निकल एसोसिएट लिमिटेड (टीएएल) द्वारा उद्धृत मूल्यांकित-मूल्य ₹ चार करोड़ न्यूनतम पाया गया। न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य पर ईडी (16.48 प्रतिशत) एवं सीएसटी (तीन प्रतिशत) के दायित्व के साथ बीबीएल, थाणे को एलओआई निर्गत (जनवरी 2008) की गयी। इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण आठ ट्रान्सफार्मरों के क्रय पर ₹ 30.88 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 3,011 किमी अर्थवायर के क्रय हेतु निविदा (टीडी- 359) का मूल्य-भाग खोला (18 नवम्बर 2011) गया, जिसमें ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं वैट (चार प्रतिशत) के दायित्व सहित ₹ 39,550 प्रति किमी की मूल्यांकित-मूल्य दर के साथ मनोहर लाल-हीरालाल, गाजियाबाद न्यूनतम (एल-1) पाये गये। 807 किमी अर्थवायर की आपूर्ति हेतु मनोहर लाल-हीरालाल, गाजियाबाद को निर्गत एलओआई के अतिरिक्त, न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य पर काउण्टर आफर के माध्यम से प्रत्येक के द्वारा 1,102 किमी अर्थवायर की आपूर्ति हेतु कम्पनी ने निर्मल वायर लिमिटेड, कोलकाता एवं यूआईसी उघोग लिमिटेड, कोलकाता को भी एलओआई निर्गत किया। इन फर्मों पर ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी (दो प्रतिशत) के भुगतान का दायित्व था। इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण 2,204 किमी अर्थवायर की आपूर्ति पर ₹ 13.98 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि एल -1 निविदादाता के संगणित मूल्य के आधार पर काउण्टर आफर दिये गये थे यदि हम ईडी एवं सीएसटी के मूल्य अन्तर से मूल्यों को कम कर देते तो उन फर्मों के मूल्य जिन्हें काउण्टर आफर दिये गये थे, एल-1 मूल्य से कम हो जाते।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एल-1 के संगणित मूल्य में सम्मिलित ईडी एवं सीएसटी की धनराशि को, ऐसे निविदादाताओं को जिन्हें काउण्टर आफर दिया गया था, उसी सीमा तक उन पर ईडी एवं सीएसटी के भुगतान का दायित्व था। कर के लिये जो फर्म उत्तरदायी नहीं थीं, कर का लाभ फर्मों को हस्तान्तरित करने के कारण परिहार्य व्यय हुआ।

इस प्रकार, उपर्युक्त प्रकरणों में ₹ 17.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय $\frac{1}{4} \text{ फ्यू } \text{ क्वू } \& 10\%$ किया गया।

हम सस्तुत करते हैं कि काउण्टर आफर हेतु मूल्य की गणना करते समय, कर के रूप में लाभ अन्य फर्मों को हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए।

टर्नकी अनुबंधों के माध्यम से कार्य प्रदाय एवं क्रियान्वयन

2.1.20 ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (नवम्बर 2001) देश के अन्तर्गत बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम (बीपीआईटीएस) में पारेषण लाइनों एवं उपकेन्द्रों के कार्यों एवं सामग्री के क्रय हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। बीपीआईटीएस का प्रस्तर 5(i) प्रावधानित करता है कि टर्नकी अनुबंधों की दशा में, उपकेन्द्रों का निर्माण करना, समुचित रूप से ट्रान्सफार्मर/रिएक्टर के अतिरिक्त जिन्हें अलग से क्रय किया जायेगा एवं निर्माता के पर्यवेक्षण में टर्नकी ठेकेदार द्वारा लगाया जाएगा, पैकेजों में तैयार करना था ताकि डिजाइन फिलासफी बनी रहे।

हमने देखा कि 132/33 केवी के 31 उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य टर्नकी आधार पर कम्पनी ने प्रदान (अक्टूबर 2010 से अगस्त 2011 तक) किया। कम्पनी ने, फिर भी, टर्नकी अनुबंधों को ट्रान्सफार्मरों की लागत सहित अन्तिम रूप दिया।

chitvkbMh, I dhi
I tfr; kds
ifrdy] dEi uhs
Vudh vupkkaes
VJU Qkej kdh
vki firz dls "kkfey
fd; k ftI ds
i fjk. kkeLo: i
₹ 1542 djM+dk
vfrfjDr 0; ; gvkA

इस प्रकार, कम्पनी ने न केवल बीपीआईटीएस की संस्तुतियों की अवहेलना किया अपितु ₹ 15.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, क्योंकि उसी अवधि में समान क्षमता वाले टर्नकी ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति ट्रान्सफार्मर कम्पनी द्वारा संय क्रय किये ट्रान्सफार्मरों से मंहगे थे जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

ट्रान्सफार्मरों की क्षमता	संख्या	लागत (रेंज)	सन्दर्भित निविदा	सन्दर्भित निविदा की दर	दर का अन्तर (रेंज)	धनराशि
20 एमवीए	41	1.41 से 1.60	ईएसडी-296 ^e	1.26	0.15 से 0.34	9.26
40 एमवीए	19	2.09 से 2.26	ईएसडी-285	1.80	0.29 से 0.46	6.16
; ix						15.42

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि टर्नकी परियोजनाएं स्थिर लागत अनुबंध थीं जबकि ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति विषयक निविदाओं के मूल्य ईमा के अनुसार परिवर्तनीय थे। अतः, खुली निविदा के ट्रान्सफार्मर की लागत की टर्नकी परियोजना के ट्रान्सफार्मर की लागत से इस प्रकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने मदवार टर्नकी निविदाएं आमंत्रित की थी और प्रत्येक मद की दरों के औचित्य का आँकलन किया जा सकता था। अग्रेतर, ट्रान्सफार्मरों/रिएक्टरों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा संस्तुत बीपीआईटीएस के प्रावधानों का अनुपालन भी कम्पनी ने नहीं किया।

उच्च दर पर कार्य प्रदान किया जाना

2.1.21 टर्नकी आधार पर उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु दो निविदाएं ईएसडी- 281 (सात उपकेन्द्रों हेतु) एवं ईएसडी-298 (चार उपकेन्द्रों हेतु) आमंत्रित (जनवरी 2010/अक्टूबर 2010) की गयी थीं। मूल्य-भाग (अगस्त 2010/फरवरी 2011) खोला गया और सीएसपीसी के अनुमोदन के पश्चात, एलओआई निर्गत (अक्टूबर 2010/मार्च 2011) की गयी। निविदा संख्या ईएसडी 281 के सापेक्ष ईएसडी 298 की दरें 13 प्रतिशत कम थीं।

बिना निविदा आमंत्रित किये, ईएसडी 281 की दरों पर ₹ 12.57 करोड़ की लागत पर 132/33 केवी, 2X20 एमवीए उपकेन्द्र नाथनगर के निर्माण कार्य हेतु सीएसपीसी ने अनुमोदन (4 फरवरी 2011) प्रदान कर दिया। एलओआई 7 फरवरी 2011 को निर्गत कर दी गयी। ईएसडी-298 का मूल्य-भाग 4 फरवरी 2011 को खोला गया एवं ईएसडी-281 की तुलना में ईएसडी-298 के मूल्य 13 प्रतिशत कम थे, अतएव सीएसपीसी ने नाथनगर की एलओआई निरस्त कर दिया। उसी समय सीएसपीसी ने (8 मार्च 2011) रुद्रपुर उपकेन्द्र (ईएसडी-281 के अन्तर्गत निर्माण हेतु आवंटित) के स्थान पर ईएसडी-281 की दरों पर नाथ नगर उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रदान करने हेतु अनुमोदन (8 मार्च 2011) किया।

हमने देखा कि ईएसडी-281 की दरों पर नाथनगर उपकेन्द्र के निर्माण के लिये सीएसपीसी का निर्णय इस पूर्वधारणा पर कि यह रुद्रपुर के स्थान पर (ईएसडी-281 के अन्तर्गत शामिल) निर्मित किया जायेगा न केवल प्रतिकूल था अपितु उच्च दर पर अनुबंध प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सीएसपीसी ने 132 केवी नाथनगर उपकेन्द्र (ईएसडी-281 की दरों पर) के आवंटन का निर्णय (4 फरवरी 2011) लिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईएसडी-298 में प्राप्त कम दरों के कारण ईएसडी-281 की दरों पर नाथनगर उपकेन्द्र का पूर्व आवंटन निरस्त (8 मार्च 2011) कर दिया गया था एवं उसी समय, ईएसडी-281 की दरों पर नाथनगर उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु आवंटन अविवेकपूर्ण निर्णय था।

उच्च लागत पर टर्नकी अनुबंध प्रदान किया जाना

2.1.22 कम्पनी ने पारेषण लाइनों (220 केवी एससी/डीसी एवं 132 केवी एससी/डीसी) के निर्माण हेतु निविदा संख्या (टीडी/329) के विरुद्ध खुली निविदाएं (अप्रैल 2009) इस पूर्व आवश्यकता के साथ आमंत्रित की कि सभी प्रकार की लाइनों के

^e यौंकि 20 एमवीए के ट्रान्सफार्मर का क्रय नहीं हो रहा था इसलिए 20 एमवीए ट्रान्सफार्मर के मरम्मत से सम्बन्धित अघतन दर का प्रयोग किया गया था।

निर्माण हेतु समान विभिन्न मर्दों की दरें निविदादाता उद्धृत करें। निविदादाताओं को किसी विशिष्ट लाइन के निर्माण हेतु अपनी रुचि भी अभिव्यक्त करनी थी।

इस प्रकार, निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार, कम्पनी को प्रत्येक प्रकार की लाइन हेतु एल-1 लागत ज्ञात करने हेतु निविदादाताओं द्वारा उद्धृत मदवार दरों का प्रयोग करते हुए विभिन्न लाइनों की लागत के सम्बन्ध में निविदाओं को मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात, प्रत्येक प्रकार के लाइन हेतु ज्ञात एल-1 दर के आधार पर सभी निविदादाताओं को काउण्टर आफर दिया जाना चाहिए था, जैसा कि कार्यों को प्रदान करने हेतु निर्णय की प्रक्रिया कम्पनी में विद्यमान है।

कम्पनी ने तथापि, किसी विशिष्ट लाइन में इच्छुक सम्बन्धित निविदादाताओं की दरों का प्रयोग करते हुए लाइन वार निविदा का मूल्यांकन किया जबकि निविदा प्रपत्र के अनुसार किसी विशिष्ट लाइन में निविदादाता की पंसद के बावजूद, न्यूनतम लाइनवार दरों पर विचार करते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए था।

कम्पनी ने उपर्युक्त निविदा को अन्तिम रूप दिया (जनवरी 2010) और टर्नकी आधार पर एल-1 दर/एल-1 दरों पर काउण्टर आफर द्वारा तीन ठेकेदारों^{१०} को विभिन्न प्रकार की 1,790 किमी^{११} लाइनों के निर्माण का कार्य ₹ 388.56 करोड़ की लागत पर प्रदान (फरवरी 2010) किया।

हमने पाया कि कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के परिणामस्वरूप 1,528 किमी लाइनों के निर्माण का कार्य ₹ 61.56² करोड़ की उच्च लागत पर प्रदान किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (मार्च 2012) कि 132 केवी डीसी हेतु एआईपीएल की दरें न्यूनतम थीं और उसे सम्पूर्ण 262 किमी लाइन के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया क्योंकि एआईपीएल ने केवल 132 केवी डीसी लाइन हेतु निविदा दिया था। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि एआईपीएल ने सभी लाइनों हेतु दरें उद्धृत की थीं और ये दरें सभी लाइनों हेतु न्यूनतम थीं। इसलिए, सभी प्रकार की लाइनों हेतु एआईपीएल की दरों का प्रयोग करते हुए काउण्टर आफर द्वारा अन्य निविदादाताओं को कार्य का आवंटन किया जाना चाहिए था।

दो ऐकेजों में निविदा के विभाजन के कारण अतिरिक्त व्यय

2.1.23 अनपरा 'डी' से उन्नाव तक 416 किमी 765 केवी एससी पारेषण लाइन का टर्नकी आधार पर निर्माण हेतु दो पैकेजों में विभाजित करते हुए 765 केवी एवं 400 केवी पारेषण डिजाइन मण्डल (सर्किल) द्वारा 24 फरवरी 2009 को निविदा (ईटीडी/08-03/09) आमंत्रित की गई। निविदा का भाग-II 10 नवम्बर 2009 को खोला गया। सीएसपीसी ने कार्य प्रदान करने हेतु दरों का अनुमोदन (30 जनवरी 2010) किया एवं तदनुसार दोनों एल-1 फर्मों को दो एलओआई निर्गत (2 फरवरी 2010) की गयी जिनका विवरण निम्नवत है:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एचटी स्टील	7830	63513	49.73	9070	66120	59.97	109.70	16900	63513	107.34	2.36
एमएस स्टील	8990	60075	54.01	9920	57878	57.42	111.43	18910	57878	109.45	1.98
कुल निर्माण लागत	₹ 53.74 करोड़	26604 प्रति किमी		₹ 52.23 करोड़	22320 प्रति किमी						4.34

^x 1. एआईपीएल (एल-1) - ₹ 15.92 लाख प्रति किमी पर 262 किमी (132 केवी डीसी लाइन) 2. पीएनसी ₹ 27.52 लाख प्रति किमी पर 275 किमी (220 केवी डीसी लाइन) एवं ₹ 17.86 लाख प्रति किमी पर 611 किमी (132 केवी एससी) लाइन 3. एसईडब्ल्यू ₹ 25.24 लाख प्रति किमी पर 642 किमी (220 केवी एससी लाइन)।

⇒ 132 केवी एससी (611 किमी), 132 केवी डीसी (262 किमी), 220 केवी एससी (642 किमी) एवं 220 केवी डीसी (275 किमी)।

Σ 132 केंद्रीय एससी (602 किमी × ₹ 17.86 – ₹ 14.66 लाख), 220 केंद्रीय एससी (642 किमी × ₹ 25.24 – ₹ 20.74 लाख) एवं 220 केंद्रीय डीसी (275 किमी × ₹ 27.52 – ₹ 22.75 लाख)

dEi uh us , d ghi
ykbu ea , d tʃ s
enə ʃ , pVh o , l , l
LVi yl dls fy , nks
fɪlklu njə i nku dli
₹ 434 djkM+dk
vfrfjDr 0; ; fd; kA

कम्पनी ने दोनों पैकेजों की दरों का मूल्यांकन करते समय, पैकेजों के अन्तर्गत एचटी एवं एमएस स्टील (प्रमुख मद) की दरों में अन्तर का संज्ञान नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप, एक ही लाइन हेतु एक ही तिथि पर दो दरों पर कार्य प्रदान किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हमने आगे भी देखा कि पैकेज-1 एवं पैकेज 2 के अन्तर्गत 77,500 एवं 94,500 नग 120 केएन डिस्क इन्सुलेटर की आपूर्ति हेतु एफओआर दरें क्रमशः ₹ 702 एवं ₹ 705 प्रति इन्सुलेटर पर आदेश दिया गया था, जबकि, उसी मण्डल ने 10,000 नग, 120 केएन डिस्क इन्सुलेटर एफओआर दर ₹ 467 प्रति इन्सुलेटर पर क्रय हेतु आदित्य बिड़ला इन्सुलेटर को एलओआई निर्गत (जनवरी 2010) किया था। हमने देखा कि एल-1 दरों का अनुमोदन करते समय, सीएसपीसी द्वारा विद्यमान बाजार दरों पर विचार नहीं किया गया था। अतः इन्सुलेटर की बाजार दरों की उपेक्षा करने के कारण, कम्पनी ने ₹ 4.07 करोड़² की हानि वहन किया।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि अनपरा-झूंसी एवं झूंसी-उन्नाव खण्ड से सम्बन्धित टेरेन की प्रकृति के कारण निविदा को दो पैकेजों में विभाजित किया गया था। इसलिए, दोनों पैकेजों की संगणना पृथक रूप से की गयी थी एवं दोनों पैकेजों में न्यूनतम निविदादाता को कार्य प्रदान किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि टेरेन की प्रकृति का टावर पार्ट्स की आपूर्ति की दरों से कोई सम्बन्ध नहीं था और यह केवल निर्माण दरों को प्रभावित कर सकती है जबकि हमारा बिन्दु एक ही सामग्री की आपूर्ति में दरों के अन्तर/उच्च दरों से सम्बन्धित है।

टावर की डिजाइन को मानकीकृत न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

2.1.24 बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑफ ट्रान्समिशन सिस्टम का प्रस्तर 4.4 यह प्रावधानित करता है कि भविष्य में प्रयोग हेतु मानकीकरण किया जाये एवं अनुपालन किया जाये जिससे:

- टावर की बार-बार टाइप टेस्टिंग को खत्म किया जा सके, एक लाइन के टावर का प्रयोग अन्य लाइन में किया जा सके एवं स्पेअर की आवश्यकता को कम किया जा सके।
- फाउण्डेशन डिजाइन हेतु तत्काल ऑकड़े उपलब्ध हो सके, और
- अभियंत्रण समय, परियोजना निर्माण की अवधि/लाइन निर्माण अवधि में कमी लायी जा सके।

कम्पनी ने अपनी डिजाइन पर विद्युत उत्पादन केन्द्र, अनपरा-सी (1,320 एमडब्ल्यू) से 756 केवी पर ऊर्जा की निकासी हेतु मूज कन्डक्टर का प्रयोग करके पारेषण लाइन (409 किमी) का निर्माण (1998) किया था। भावी विद्युत उत्पादन केन्द्र अनपरा-डी (1,000 एमडब्ल्यू) से ऊर्जा की निकासी हेतु पुरानी लाइन के लगभग समानान्तर कम्पनी को एक दूसरी लाइन का निर्माण करना पड़ा। हमने निम्नलिखित तथ्य देखा:

dEi uh us 765 dsh
ykbu ds fuelk gr̩
vi uh Lo; adh
fMtibu dk i; lk
dju ds ctk; , d
n̩ jh fMtibu dk
Ø; fd; k v̩
ykbu ds fuelk gr̩
₹ 68.52 djkM+dk
vfrfjDr 0; ;
fd; kA

- कम्पनी ने, अपनी डिजाइन का प्रयोग करने के बजाय, बर्सिमीज कन्डक्टर के साथ नयी लाइन के निर्माण हेतु ₹ 3.16 करोड़ की लागत से पीजीसीआईएल से टावर की नयी डिजाइन का क्रय (जुलाई 2009) किया। अपनी स्वयं की डिजाइन का प्रयोग करके ₹ 3.16 करोड़ के व्यय से बचा जा सकता था।
- अपनी स्वयं की डिजाइन प्रयोग करने की स्थिति में उसी लम्बाई की लाइन के निर्माण हेतु कम टावरों के साथ मूज कन्डक्टर का प्रयोग किया जा सकता था। नयी डिजाइन में बर्सिमीज कन्डक्टर का प्रयोग किया गया था, जो कि मूज कन्डक्टर से महंगा था। आगे, टावरों की कुल संख्या, लगभग उतनी ही लम्बाई की लाइन हेतु अपनी पुरानी डिजाइन की अपेक्षा ज्यादा थी। अतः अपनी डिजाइन का प्रयोग न करके कम्पनी ने ₹ 68.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जिसकी गणना निम्नवत् दी गयी है:

² 77500 x ₹ 235 (₹ 702-₹ 467) + 94500 x ₹ 238 (₹ 705-₹ 467)

en	fo elu fMt kbu				u; h fMt kbu				vIrrj	
	i dIj	ek-k	nj /ykl [k ₹	/kujf k ₹ djM+ elk	i dIj	ek-k	nj /ykl [k ₹	/kujf k ₹ djM+ elk	otu	/kujf k ₹ djM+ elk
8	मूज	5200 किमी	2.29465	119.32	बर्सिमीज	5200 किमी	2.73190	142.06		22.74
टावर	983 नग	27083 एमटी		159.81	1169 नग	34944 एमटी		205.59	7861	45.78
;	lx									68.52

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि पीजीसीआईएल की डिजाइन पर लाइन के निर्माण का निर्णय मुख्य रूप से इस कारण से लिया गया था कि यूपीपीटीसीएल की डिजाइन की अपेक्षा पीजीसीआईएल की डिजाइन में कोरीडोर की छौड़ाई कम थी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि पीजीसीआईएल से डिजाइन क्रय करते समय, कम्पनी का यह मंतव्य था कि ड्राइंग एवं डिजाइन से कोरीडोर में कमी से आरओडब्ल्यू समस्याएं कम होंगी। कोरीडोर में कमी की कोई महत्ता नहीं रही क्योंकि आरओडब्ल्यू समस्याएं टावरों की संख्या से सम्बन्धित थीं जो कि नयी ड्राइंग एवं डिजाइन में बढ़ गयी थी।

निषेध कार्य पर सुपरविजन शुल्क की वसूली न होना

2.1.25 निषेध कार्यों के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के मूल्य पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के आदेश (अप्रैल 2002) के अनुसार, 15 प्रतिशत की दर से सुपरविजन शुल्क की वसूली की जानी थी। हमने देखा (अप्रैल 2012) कि दो प्रकरणों में ₹ 63.66 करोड़ के सुपरविजन शुल्क की वसूली नहीं हुई, जिसकी चर्चा निम्नवत् है:

- अनपरा-डी के प्रोजेक्ट साइट से होकर गुजरने वाली लाइनों¹³² के डाईवर्जन का कार्य डिपाजिट कार्य के आधार पर यूपीपीटीसीएल को एवार्ड करने के लिए यूपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, हिन्डाल्को एवं यूपीपीटीसीएल द्वारा एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया (जुलाई 2007) गया। सहमति पत्रक के अनुसार, लाइनों को हटाने में व्यय की जाने वाली लागत (रफ प्राक्कलन ₹ 55 करोड़) का वहन यूपीआरवीयूएनएल एवं हिन्डाल्को द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाना था। कम्पनी ने उपर्युक्त कार्य टर्नकी निविदा संख्या-306/07 एवं 307/07 के विरुद्ध क्रियान्वित (अगस्त-सितम्बर 2009) किया।

कम्पनी ने ₹ 42.54 करोड़ का व्यय (बिना सुपरविजन शुल्क ₹ 6.38 करोड़) किया एवं केवल ₹ 42.31 करोड़ (यूपीआरवीयूएनएल से ₹ 25.04 करोड़ एवं हिन्डाल्को से ₹ 17.27 करोड़) प्राप्त किया। हमने पाया कि कम्पनी ने प्राक्कलन/क्रियान्वित प्राक्कलन तैयार नहीं किया, परिणामस्वरूप यह सुपरविजन शुल्क ₹ 6.38 करोड़ प्राप्त करने से वंचित रही। पुनः इसने अल्प प्राप्त ₹ 23 लाख का दावा नहीं किया।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ₹ 6.38 करोड़ का दावा यूपीआरवीयूएनएल के समक्ष प्रस्तुत (18 अप्रैल 2012) किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सहमति पत्रक के अनुसार, यूपीआरवीयूएनएल द्वारा 60 प्रतिशत सुपरविजन शुल्क वहन किया जाना था एवं 40 प्रतिशत की वसूली हिन्डाल्को से की जानी थी।

- यूपीआरवीयूएनएल की भावी विद्युत परियोजना अनपरा-डी (2x500 एमडब्ल्यू) से ऊर्जा निकासी हेतु अनपरा-डी के पास एक नये 765 केवी उपकेन्द्र का निर्माण यूपीपीटीसीएल द्वारा डिपाजिट कार्य के आधार पर करने हेतु यूपीआरवीयूएनएल ने कम्पनी से अनुरोध (अगस्त 2007) किया। कम्पनी ने उक्त कार्य को ₹ 396.75 करोड़ की अनुबंधित लागत (कार्य की लागत: ₹ 381.86 करोड़ एवं ओएण्डएम की लागत: ₹ 14.89 करोड़) पर अरेवा टी एण्ड डी लिमिटेड को प्रदान (जनवरी 2010) किया।

कम्पनी ने तथापि, प्राक्कलन तैयार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.28 करोड़ का सुपरविजन शुल्क (कार्य की लागत ₹ 381.86 करोड़ का 15 प्रतिशत) नहीं लगाया जा सका।

¹³² 132 केवी रेनू सागर-रेनूकूट लाइन (सीकेटी 1 एवं 2), 132 केवी रेनू सागर-रेनूकूट लाइन (सीकेटी 3 एवं 4), 132 केवी रेनू सागर-रेनूकूट लाइन (सीकेटी 5 एवं 6) तथा 132 केवी रेनू सागर-रेनूकूट मल्टी सर्किट लाइन (सीकेटी 7,8,9 एवं 10)।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि यूपीआरवीयूएनएल के प्रबन्ध निदेशक से ₹ 57.28 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया (1 दिसम्बर 2012) गया है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि कम्पनी ने सुपरविजन शुल्क की धनराशि जमा करने हेतु पाँच वर्षों बाद, वह भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद, अनुरोध किया था। पुनश्च, धनराशि आभी भी प्राप्त होना शेष है। यह कम्पनी के अन्तर्गत आंतरिक नियंत्रण के अभाव का भी संकेत था।

i kjk. k i zkyh dk fu'iknu

2.1.26 कम्पनी का निष्पादन न्यूनतम अवरोधों के साथ गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु मुख्यतः ई.एच.टी. पारेषण नेटवर्क के कुशल अनुरक्षण पर निर्भर करता है। उपकेन्द्रों एवं लाइनों के संचालन के दौरान, अन्तर्निहित उप-प्रणाली के अन्तर्गत माँग-आपूर्ति प्रोफाइल की पहचान की जाती है एवं लाइन हानियों के कम करने तथा वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार योजना द्वारा ऊर्जा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली सुधार योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। ये योजनाएं विद्यमान ट्रान्सफार्मर क्षमता का विस्तार, अतिरिक्त ट्रान्सफार्मरों की स्थापना, आतिरिक्त लाइनों का निर्माण एवं कैपिसिटर बैंक्स की स्थापना से सम्बन्धित हैं। प्रणाली के ओएण्डएम से सम्बन्धित कम्पनी के निष्पादन की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

पारेषण क्षमता

2.1.27 विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा की निकासी एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भार-वृद्धि की पूर्ति हेतु कम्पनी, विभिन्न ई.एच.टी. वोल्टेज पर लाइनों एवं उपकेन्द्रों का निर्माण करती है। ट्रान्सफार्मर एसी वोल्टेज एवं करेन्ट को अति उच्च कुशलता पर विभिन्न वोल्टेज एवं करेन्ट में परिवर्तित करता है। प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम हानि के साथ एसी वोल्टेज में कमी अथवा वृद्धि लाने हेतु वोल्टेज स्तरों को उच्चीकृत अथवा निम्नीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा की निकासी सामान्यतः 400 केवी/220 केवी उपकेन्द्रों पर किया जाता है। कम्पनी द्वारा मार्च 2012 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सूजित पारेषण क्षमता (220 केवी) एवं पारेषित क्षमता (पीक डिमाण्ड की पूर्ति) का विवरण निम्नवत् है:

Ikkjk. k {kerk ¼ eoh, ek				
o%	LFFfi r ½20 dkoh mi chh i j½	ekfLg 30 i fr kr NMfs g	Wku&dkbfu MIV elx I fgr i hd fMekM	VlfID; ¼%@deh ½½
2007-08	13230	9261	9520	(-) 259
2008-09	14730	10311	9164	1147
2009-10	15850	11095	9500	1595
2010-11	18120	12684	11858	826
2011-12	19640	13748	12990	758

स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना

उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया कि वर्ष 2007–08 के अतिरिक्त सकल पारेषण क्षमता आवश्यकता से अधिक थी। विद्यमान पारेषण क्षमता, 30 प्रतिशत मार्जिन छोड़ते हुए, मार्च 2012 के अन्त तक 758 एमवीए से अधिक आंकलित की गयी। पारेषण नेटवर्क के अन्तर्गत, अतिरिक्त अनावश्यक क्षमता की विद्यमानता एवं कुछ स्थानों पर अतिभार, उच्च वोल्टेज की विद्यमानता, पारेषण नेटवर्क के सृजन में अवैज्ञानिक नियोजन को प्रतिबिम्बित करता है।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि 220 केवी के स्तर पर उपकेन्द्रों की क्षमता उससे संयोजित 132 केवी एवं 33 केवी उपकेन्द्रों पर निर्भर करती है। विषम लोड डिमाण्ड के कारण स्थापित क्षमता एवं पीक लोड डिमाण्ड के मध्य तुलना तकनीकी रूप से ठीक नहीं है क्योंकि पीक डिमाण्ड, ग्रिड की दशाओं के कारण निर्बाधित मांग एवं अनिर्धारित रोस्टरिंग को प्रतिबिम्बित करता है। हालांकि, हमने, स्थापित क्षमता के साथ पीक डिमाण्ड की तुलना मार्जिन हेतु 30 प्रतिशत छोड़ने के बाद की है।

उपकेन्द्र

उपकेन्द्रों की पर्याप्तता

2.1.28 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल (एमटीपीसी) विभिन्न उपकेन्द्रों हेतु अधिकतम अनुमन्य क्षमता का प्रावधान करता है अर्थात् 220 केवी हेतु 320 एमवीए एवं 132 केवी उपकेन्द्रों हेतु 150 एमवीए। उपकेन्द्रों पर स्थापित अधिकतम क्षमता की जाँच से पता चला कि 220 केवी के पाँच उपकेन्द्रों एवं 132 केवी के एक उपकेन्द्र की क्षमता अनुमन्य स्तर से अधिक थी। 132 केवी एवं अधिक क्षमता वाले उपकेन्द्रों पर कम से कम दो ट्रान्सफार्मर होने चाहिए थे तथा एमटीपीसी ने इंगित किया कि उपकेन्द्र में ट्रान्सफार्मरों के आकार एवं नियोजन इस ढंग से किया जायेगा कि किसी एकल ट्रान्सफार्मर की बंदी की स्थिति में अन्य ट्रान्सफार्मरों द्वारा 80 प्रतिशत भार की आपूर्ति की जा सके। हालांकि, यह देखा गया कि एक 400 केवी उपकेन्द्र, चार 220 केवी उपकेन्द्र एवं 132 केवी के 48 उपकेन्द्रों पर एकल ट्रान्सफार्मर (मार्च 2012) स्थापित थे।

हमने आगे भी देखा कि एमटीपीसी के मानकों की उपेक्षा करते हुए कम्पनी ने अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान ₹ 48.22 करोड़ की लागत से 132 केवी वाले 10 उपकेन्द्रों का निर्माण एकल ट्रान्सफार्मरों के साथ किया था।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) कि प्रारम्भ में न्यूनतम क्षमता वाले उपकेन्द्रों के निर्माण के कारण उपकेन्द्रों की अनुमन्य अधिकतम क्षमता स्तर का उल्लंघन किया गया था। एकल ट्रान्सफार्मर के साथ उपकेन्द्रों के निर्माण की स्थिति में, प्रबन्धन ने कहा कि उपकेन्द्रों का निर्माण उस क्षेत्र के लोड डिमाण्ड के अनुसार किया गया था। उपकेन्द्र ग्रिड प्रणाली से जुड़े हुए थे एवं एक उपकेन्द्र में समस्या की स्थिति में निकटरथ उपकेन्द्र द्वारा भार का प्रबन्धन किया गया था। तथ्य, फिर भी, यही रहा कि कम्पनी के एमटीपीसी के मानकों का उल्लंघन किया गया। यह भी पाया गया कि हरदोई की आपूर्ति पाँच दिनों तक बाधित रही क्योंकि 220/132 केवी उपकेन्द्र, हरदोई पर केवल एक ट्रान्सफार्मर स्थापित था।

2.1.29 जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड (जेएएल) ने चुर्क में 4x60 एमडब्ल्यू कैप्टिव पावर प्लाण्ट स्थापित करने हेतु प्रस्ताव दिया और कम्पनी से 160 एमडब्ल्यू के ओपेन एक्सेस हेतु स्वीकृति का अनुरोध (जून 2010) किया। इसकी स्वीकृति (जुलाई 2010) इस शर्त के साथ दी गयी कि पारेषण हेतु आवश्यक अवसंरचना की लागत जेएएल द्वारा वहन की जायेगी। एकल ट्रान्सफार्मर के साथ 220/132 केवी उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कम्पनी ने ₹ 25.45 करोड़ प्लस ₹ 3.82 करोड़ के सुपरविजन शुल्क हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत किया। जेएएल के द्वारा सुपरविजन शुल्क कम्पनी के पास जमा किया गया एवं उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य जेएएल द्वारा किया जाना था।

हमने देखा कि केवल एक 160 एमवीए ट्रान्सफार्मर के साथ 220/132 केवी उपकेन्द्र का निर्माण एमटीपीसी के मानकों के प्रतिकूल था क्योंकि मानकों के अनुसार 160 एमवीए के दो ट्रान्सफार्मरों की स्थापना की जानी थी। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा की निकासी हेतु ट्रान्सफार्मर की ट्रान्सफार्मेशन क्षमता के 0.70 भारांक का भी अनुपालन नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि 160 एमडब्ल्यू की ऊर्जा निकासी हेतु 160 एमवीए का ट्रान्सफार्मर पर्याप्त था। उत्तर इस दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है कि एमटीपीसी के प्रावधान के अनुसार तथा मानकों के अनुपालन में 160 एमवीए के दो ट्रान्सफार्मरों की स्थापना की जानी थी।

वोल्टेज प्रबन्धन

2.1.30 राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञाप्ति-धारकों को यह सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए कि ग्रिड वोल्टेज सदैव सीमा के अन्तर्गत बना रहे। भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार, एसटीयू 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी पर वोल्टेज रेन्ज क्रमशः 380–420 केवी, 198–245 केवी एवं 119–145 केवी बनाये रखना चाहिए। चार परिमण्डलों के 30 खण्डों की अप्रैल 2011

से मार्च 2012 अवधि की 220 / 132 केवी बस वोल्टेज की जाँच से पता चला कि 220 केवी के 34 उपकेन्द्रों में अभिलिखित वोल्टेज 162 केवी एवं 278 केवी के मध्य (पश्चिम पारेषण परिमण्डल में सबसे खराब स्थिति) रहा जबकि 132 केवी के 143 उपकेन्द्रों में अभिलिखित वोल्टेज 90 केवी एवं 185 केवी (सबसे खराब स्थिति पूर्व पारेषण परिमण्डल में) के मध्य रहा। गुणवत्तायुक्त विद्युत उपलब्ध कराने एवं लाइन हानियों को कम करने हेतु कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानकों के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज बना रहे।

लाइने

ई.एच.टी. लाइने

2.1.31 एमटीपीसी के अनुसार, अनुमन्य लाइन लोडिंग, सामान्यतः थर्मल लोडिंग लिमिट^⑧ (टीएलएल) से अधिक नहीं हो सकती है। ऊर्जाकृत कन्डक्टर के अन्तर्गत तापमान को टीएलएल सीमित करता है एवं यह लाइनों की टेन्साइल स्ट्रेच की हानि एवं सैग को कम करता है। लाइनों में अधिकतम ऊर्जा प्रवाह को टीएलएल सीमित करता है। एमटीपीसी के अनुसार एसीएसआर[&] पैन्थर 210 वर्ग मिमी कन्डक्टर के साथ 132 केवी लाइन का टीएलएल 366 एम्पियर होता है। 132 केवी पोषकों पर लाइन लोडिंग की जाँच से पता चला कि चार परिमण्डलों में 255 पोषकों में से 68 पोषकों (27 प्रतिशत) का भार 366 एम्पियर से अधिक था जिसमें अतिभारित पोषकों में से अधिकतम (34 प्रतिशत) पश्चिम पारेषण मण्डल से सम्बन्धित थे। क्षमता से अधिक लाइन लोडिंग के परिणामस्वरूप, वोल्टेज में उत्तर-चढ़ाव उच्च पारेषण हानियां एवं बार-बार अवरोध/ब्रेकडाऊन की स्थिति उत्पन्न हुई।

बस बार प्रोटेक्शन पैनल (बीबीपीपी)

2.1.32 एक विद्युत उपकेन्द्र पर अन्तः गामी एवं बहिंगामी लाइनों तथा ट्रान्सफार्मरों के अन्तर्संयोजन हेतु बस बार का एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीबीपीपी सम्पूर्ण ऊर्जा नेटवर्क पर बस बार फाल्ट्स के प्रभाव को सीमित करता है जिससे अनावश्यक ट्रिपिंग नियंत्रित होती है एवं केवल उन्हीं ब्रेकर्स की ट्रिपिंग होती है जो बस बार फाल्ट को दूर करने हेतु आवश्यक हो। ग्रिड मानकों एवं बेस्ट प्रैविट्सेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम के अनुसार, ग्रिड अवरोधों के दौरान, प्रणाली में स्थिरता बनाये रखने हेतु एवं 220 केवी बसों पर फाल्ट्स को दूर करने हेतु सभी 220 केवी उपकेन्द्रों पर बीबीपीपी कार्यशील अवस्था में रखना होता है। हमने देखा कि 220 केवी के 67 उपकेन्द्रों (49 एकल बस बार उपकेन्द्र एवं 18 दो बस बार उपकेन्द्र) जहाँ कि बीबीपीपी स्थापित करने की आवश्यकता थी, कम्पनी ने 18 उपकेन्द्रों पर पैनल स्थापित किये थे और शेष 49 उपकेन्द्रों पर बीबीपीपी अभी तक नहीं लगाये गये थे। यह देखा गया कि 18 उपकेन्द्र जहाँ कि बीबीपीपी उपलब्ध थे; केवल तीन कार्यशील अवस्था में थे और शेष 15 में से 12 पुराने एवं अप्रचलित हो गये थे तथा मरम्मत योग्य नहीं थे या अभी भी मरम्मत करना था। पूर्व पारेषण परिमण्डल इलाहाबाद तथा दक्षिण पारेषण परिमण्डल आगरा के अन्तर्गत कोई भी बीबीपीपी कार्यशील अवस्था में नहीं थे।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि बीबीपीपी की स्थापना/बदलने हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

अनुरक्षण

हाट लाइन खण्ड/उपखण्डों के कार्यकलाप

2.1.33 पारेषण प्रणाली के निर्बाधित संचालन हेतु इसकी नियमित एवं आवधिक अनुरक्षण अति महत्वपूर्ण है। लाइनों के अनुरक्षण हेतु लाइनों की समयबद्ध पैट्रोलिंग के अतिरिक्त देश में बेस्ट प्रैविट्सेज इन ट्रान्समिशन को अद्यतन करने वाली समिति के प्रतिवेदन प्रस्तर 9.1 में निम्नलिखित तकनीक निर्धारित की गयी है:

- हाट लाइन अनुरक्षण

^⑧ अधिकतम तापमान सीमा जिस पर कन्डक्टर, निर्माता द्वारा स्थापित मिनिमम टेन्साइल प्राप्टीज बनाये रखते हुए, लगातार चल सकता है।
& एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टील रिङ्कोर्ड

- हाट लाइन वॉशिंग
- इन्सुलेटर्स का हॉट लाइन पंकचर डिटेक्शन
- पोर्टिबल अर्थिंग हाट लाइन उपकरणों का प्रयोग करके रोधात्मक अनुरक्षण।
- लाइन का वाइब्रेशन मेजरमेन्ट
- थर्मो स्कैनिंग
- उपकरणों का प्रदूषण मापन।

हाट लाइन तकनीक (एचएलटी) में उपकेन्द्रों एवं लाइनों को बिना बन्द किये ही हाट स्पार्ट्स नट एवं बोल्ट को कसना, कंडक्टर में क्षति, इन्सुलेटरों का प्रतिस्थापन आदि जैसे अनुरक्षण सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करना होता है। इसके अन्तर्गत अवरोधात्मक अनुरक्षण हेतु सभी उपकेन्द्रों एवं लाइनों की थर्मो स्कैनिंग शामिल है। एचएलटी का भारत में सूत्रपात 1958 में किया गया। मार्च 2012 तक, कम्पनी के अन्तर्गत कोई भी हाट लाइन खण्ड एवं उपकेन्द्र नहीं थे। हमने देखा कि कम्पनी उपकेन्द्रों एवं लाइनों का रखरखाव अनुरक्षण की परम्परागत विधियों का प्रयोग करके करती है एवं इसने हाट लाइन अनुरक्षण तकनीक को नहीं अपनाया था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि जब आवश्यकता पड़ेगी, आउट सोर्सिंग के द्वारा हाट लाइन अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा।

पारेषण हानियाँ

2.1.34 पारेषण एवं वितरण (टीएणडी) नेटवर्क से होते हुए ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ता तक पहुँचाने के दौरान कुछ ऊर्जा की हानि होती है जिसे टीएणडी हानि के नाम से जाना जाता है। पारेषण हानि, उत्पादन केन्द्र/प्रिड से प्राप्त ऊर्जा एवं डिस्काम्स को भेजी गयी ऊर्जा के अन्तर को माना जाता है। पारेषण हानियों का वर्ष 2007–08 से 2011–12 से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है:

विवरण	इकाई	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पारेषण हेतु प्राप्त ऊर्जा	मि.यू.	53670.43	54580.10	58656.19	64116.61	72697.45
शुद्ध पारेषण ऊर्जा	मि.यू.	51472.14	52471.24	56413.62	61831.49	70029.47
वास्तविक पारेषण हानि	मि.यू.	2198.29	2108.86	2242.57	2285.12	2667.98
	प्रतिशतता	4.09	3.86	3.82	3.56	3.67
सीईए के अनुसार पारेषण हानि का लक्ष्य	प्रतिशतता	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
यूपीइआरसी मानक के अनुसार पारेषण हानि का लक्ष्य	प्रतिशतता	5.00	5.00	4.00	टैरिफ आर्डर प्रतीक्षित	टैरिफ आर्डर प्रतीक्षित

स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना।

कम्पनी ने, यूपीइआरसी से 2001–02 में पारेषण हानि को कम करने की प्रतिबद्धता के अन्तर्गत, वर्ष 2010 तक चार प्रतिशत तक पारेषण हानियों को कम करने का प्रस्ताव दिया था जिसे यूपीइआरसी ने अनुमोदित किया था। उपरोक्त से यह देखा जा सकेगा कि पारेषण हानियाँ कम हुईं और 2007–08 को छोड़कर यह सभी चार वर्षों में सीईए के चार प्रति तात के मानक के अन्दर थीं और 2009–10 तक यूपीइआरसी द्वारा निर्धारित मानक के भी अन्दर थीं।

fxM i dJ/ku

ग्रिड का अनुरक्षण एवं एसएलडीसी का निशादन

2.1.35 विद्युत उत्पादन केन्द्रों से डिस्काम्स/उपभोक्ताओं तक ऊर्जा की सुगम निकासी हेतु पारेषण एवं ग्रिड प्रबन्धन आवश्यक कार्य कहलाते हैं। ऊर्जा प्रणाली के अन्तर्गत विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता, कृशलता को ध्यान में रखने हेतु ग्रिड प्रबन्धन अन्तर्संयोजित ऊर्जा प्रणाली में पल–प्रति–पल ऊर्जा संतुलन सुनिश्चित करता है। भारत में ग्रिड प्रबन्धन सीईए द्वारा निर्गत ग्रिड सहिता में दिये गये मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड पाँच क्षेत्रों यथा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी

एवं दक्षिणी ग्रिड से मिलकर बना है, जिनमें प्रत्येक के अन्तर्गत एक रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर (आरएलडीसी) होता है जो कि सम्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत संचालन सुनिश्चित करने हेतु एक उच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, लखनऊ (एसएलडीसी) जो कि उत्तरी रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर (एनआरएलडीसी) का अंग है, राज्य के अन्तर्गत ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार ने अधिसूचित (जनवरी 2011) किया कि एसएलडीसी का संचालन कम्पनी द्वारा किया जायेगा। ऑकड़ों के संग्रहण एवं इसे एसएलडीसी को हस्तान्तरण करने तथा 132 केवी एवं 33 केवी उपकरणों के ऊपर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण हेतु एसएलडीसी की सहायता चार ऐरिया लोड डिस्पैच सेन्टर[⇒] (एएलडीसी) द्वारा की जाती है। एसएलडीसी, राज्य के अन्दर विद्युत पारेषण हेतु यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभार, विद्युत उत्पादन कम्पनियों तथा अनुज्ञाप्रिधारी पर आरोपित एवं संग्रहीत करती है।

लोड मानीटरिंग हेतु अवसंरचना

357 ee | sday
93 1/26-05
i fr kr½ mi dñka
ij fj; y Vlbe
MKv fjdM dju
grq vkj Vh; w dh
0; oLFk FkA

2.1.36 सभी उपकेन्द्रों के लिए ग्रिड मानकों के अनुसार लोड डिस्पैच सेन्टर में आपातकाल के दौरान, पारेषण प्रणाली की कुशलता एवं लोड की मॉनीटरिंग हेतु रिमोट टर्मिनल युनिट/ सब-स्टेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम (आरटीयू/एसएमएस) आवश्यक हैं। हमने देखा कि 765 केवी/400केवी/220केवी/132 केवी के 357 उपकेन्द्र एवं 33 केवी के 93 उपकेन्द्रों (26.05 प्रतिशत) तथा सभी नौ जनरेटरों के अन्तर्गत कुशल ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली हेतु रियल टाइम डाटा रिकार्ड करने के लिए आरटीयू की व्यवस्था थी।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि विभिन्न उपकेन्द्रों पर आरटीयू की स्थापना का कार्य प्रगति पर था।

फ्रिक्वेंसी प्रबन्धन द्वारा ग्रिड अनु ग्रासन

v c , oai
I ns kba dhi | ; k
c<+tuk fxFM
vupkl u ds
mYydku dk
I dr djrk g
ft| ds QyLo: ||
vFkh.M yxKA

2.1.37 ग्रिड कोड के अनुसार, ग्रिड के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए पारेषण उपक्रमों को ग्रिड अनुशासन बनाये रखना आवश्यक है। ग्रिड के सभी सम्बन्धित सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सिस्टम फ्रिक्वेंसी 49 एवं 50.5 हर्ट्ज (1 अप्रैल 2009 से 49.2 एवं 50.3 हर्ट्ज) के बीच बनाये रखें। विभिन्न कारणों जैसे कि उत्पादन क्षमता में कमी, उच्च माँग, भार उत्पादन संतुलन बनाये रखने में, ग्रिड अन-अनुशासन, अपर्याप्त लोड मानीटरिंग एवं प्रबन्धन से ग्रिड फ्रिक्वेंसी अनुमोदित फ्रिक्वेंसी स्तर से कम या ज्यादा होती है। ग्रिड अनुशासन के कार्यान्वयन के लिए, एसएलडीसी तीन प्रकार के खंडन संदेश (अ, ब, एवं स) जारी करता है। जब फ्रिक्वेंसी 49.2 हर्ट्ज से नीचे एवं ओवर ड्राल 50 एमडब्ल्यू अथवा 10 प्रतिशत शिड्यूल से ऊपर जो भी कम हो तो संदेश अ जारी होता है। जब फ्रिक्वेंसी 49.2 हर्ट्ज से नीचे एवं ओवर ड्राल 10 मिनट से अधिक 50 एवं 200 एमडब्ल्यू के बीच हो या पाँच मिनट से अधिक 200 एमडब्ल्यू हो तो खण्डन संदेश ब जारी होता है। जब संदेश ब जारी होने के 15 मिनट के पश्चात् फ्रिक्वेंसी 49.2 हर्ट्ज से नीचे एवं ओवर ड्राल 100 एमडब्ल्यू अथवा शिड्यूल के 10 प्रतिशत से अधिक हो तब संदेश स जारी होता है। हमने देखा कि वर्ष 2010–11 (अगस्त 2010 से मार्च 2011) में 103 संदेश (अ–42, ब–40 एवं स–21) प्राप्त हुए थे जो कि अप्रैल 2011 से मार्च 2012[®] के बीच बढ़कर 147 (अ–80, ब–67 एवं स–0) हो गये थे।

इस प्रकार, अ एवं ब संदेशों की संख्या बढ़ जाने कारण सीईआरसी ने अर्थदण्ड लगाया जिसका विवरण नीचे है:

ग्रिड अनु ग्रासन

2.1.38 ग्रिड अनुशासन बनाये रखने के लिए, सीईआरसी ग्रिड से निम्न फ्रिक्वेंसी पर विद्युत की अधिक निकासी करके, ग्रिड को खतरे में डालने के लिये स्वतः संज्ञान लेती है। कम्पनी ने ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण ₹ 9.10 करोड़ का अर्थदण्ड का भुगतान किया जो कि निम्न प्रकार से है:

[⇒] मुशदाबाद कन्ट्रोल, सारनाथ कन्ट्रोल, पनकी कन्ट्रोल एवं मोदीपुरम कन्ट्रोल।

[®] अप्रैल 2007 से जुलाई 2010 की अवधि के अमिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

०१ ।।।।।	mYyākū dīlīg , ०१॥	mYyākū dīlīl , ०१॥	vijñār vṛth.M ॥१॥
1	30 सितम्बर 2008 से 26 अक्टूबर 2008	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।	1.75
2	13 अगस्त 2009 से 10 मई 2009	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।	2.57
3	11 जून 2009 से 19 जून 2009	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।	4.62
4	1 अप्रैल 2010 से 9 अप्रैल 2010	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।	0.16

(स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचना)

कम्पनी ने अपने एमआईएस प्रणाली में ग्रिड के वार्षिक निष्पादन में प्राप्त संदेशों की संख्या / जुर्माना / आरोपित अर्थदण्ड के बारे में निदेशक मण्डल को अवगत कराने हेतु व्यवस्था नहीं करी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विद्युत की उपलब्धता एवं माँग में भारी अन्तर के कारण संदेश प्राप्त हुए थे लेकिन अब इसमें रुझान गिरावट की तरफ है। तथापि, प्रतिदिन के आधार पर ग्रिड की निष्पादन एवं प्राप्त संदेशों की संख्या निदेशकों को अवगत कराने हेतु एमआईएस सिस्टम की व्यवस्था पहले से ही है लेकिन चूँकि फैक्स पेपर दो माह से अधिक नहीं रहता है, अतः, अगस्त 2009 से पहले प्राप्त हुए संदेशों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि संदेशों की प्राप्ति ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन का घोषक था एवं निदेशक मण्डल को एमआईएस द्वारा अवगत नहीं कराया गया।

बैंकिंग डाउन निर्देश (बीडीआई)

2.1.39 जब फ्रिक्वेंसी आदर्श स्तर से बढ़ जाती है, जैसे कि उस स्थिति में जब उत्पादन अधिक एवं निकासी कम होती है (50 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी पर) तब एसएलडीसी विद्युत उत्पादकों को बैंकिंग डाउन के निर्देश जारी करते हुए कार्यवाही करता है कि वे एकीकृत ग्रिड संचालन के लिए उत्पादन कम करें जिससे राज्य में ऊर्जा प्रणाली को मितव्ययी एवं प्रभावी रूप से संचालित किया जा सके। एसएलडीसी के निर्देशों का पालन न करने में विद्युत उत्पादकों की विफलता ग्रिड कोड का उल्लंघन माना जायेगा और यह अर्थदण्ड लगाये जाने योग्य होगा। कम्पनी ने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 32 मासलों में 117.559 मियू के लिये बीडीआई जारी किया जिसका उत्पादनकर्ताओं द्वारा अनुपालन किया गया।

आपदा प्रबन्धन

2.1.40 आपदा प्रबन्धन (डीएम) का उद्देश्य सिस्टम पर बड़े ब्रेक डाउन का प्रभाव न पड़ने देना और इसे कम समय में पूर्व अवस्था में लाना है। बेस्ट प्रैक्टिसेज के अनुसार मेजर फेल्यॉर की घटना पर, पारेषण प्रणाली को तत्काल पूर्व अवस्था में लाने हेतु सभी ऊर्जा उपकरणों में डीएम स्थापित किया जाना चाहिए। यह डीजल जनरेटर सेट, गाड़ियों, अग्नि-शमक यंत्रों, कुशल एवं विशिष्ट मानव संसाधन के द्वारा किया जाता है।

आपदा प्रबन्धन केन्द्र, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, नई दिल्ली, आपदा की स्थिति में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष द्वारा जब कभी आवश्यकता बतायी गयी, कम्पनी द्वारा, आपदा प्रबन्धन के एक भाग के रूप में ब्लैक स्टार्ट* के दौरान उत्पादक केन्द्रों को स्टार्ट अप करने के लिए मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जा रहा था। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में इस तरह की कोई माँग नहीं की गई थी। तथापि, 400 केवी उपकरणों में साप्ताहिक आधार पर मॉक ड्रिल किया जा रहा था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि पारेषण के ब्रेक डाउन के दौरान शीघ्र पूर्व अवस्था में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये थे। टावर के फेल होने की दशा में नियंत्रण हेतु इमर्जेन्सी रिस्टोरेशन सिस्टम (ईआरएस) का क्रय किया जा रहा था।

आपदा प्रबन्धन हेतु अपर्याप्त सुविधाएँ

2.1.41 एसएलडीसी ने राज्य में नौ बड़े उत्पादन केन्द्रों की पहचान की जिसमें से एक उत्पादन केन्द्र (अनपरा तापीय विद्युत परियोजना में रिहन्द जल विद्युत केन्द्र द्वारा) में ब्लैक स्टार्ट सुविधाएँ उपलब्ध थीं जो कि आपदा प्रबन्धन की अपर्याप्त तैयारी को दर्शाता है।

* अत्यं या पूर्ण ब्लैक आऊट से बाहर निकलने की आवश्यक प्रक्रिया।

डीजल जनरेटर सेट (डीजी) और सिन्क्रोस्कोप्स,& बड़े उत्पादन केन्द्रों से जुड़े हुए ई.एच.टी. उपकेन्द्रों पर, आपदा प्रबन्धन के भाग हैं। कम्पनी ने 220 केवी के 67 उपकेन्द्रों की पहचान (मार्च 2012) की जिसमें से सिर्फ़ छः डीजल जनरेटर उपलब्ध थे जो कि कार्य करने की स्थिति में थे जबकि केवल 11 सिन्क्रोस्कोप्स उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने पहचान करने वाले मेटल डिटेक्टर की स्थापना का प्रावधान नहीं किया एवं आतंकी आक्रमण, हड्डतालियों से यंत्रों की सुरक्षा, बम की धमकियों से बचाने के लिए उपकेन्द्र स्थलों को सुरक्षा बलों के हवाले नहीं किया था। आपदा प्रबन्धन की प्रयोग्यता सुविधाओं का प्रावधान न करके कम्पनी ने आपदा अथवा धमकियों/आक्रमण की परिस्थिति में अपनी परिस्मृतियों को जोखिम में डाल रखा था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ब्लैक स्टॉट सुविधायें अनपरा-ओबरा काम्प्लेक्स में रिहन्द जल विद्युत स्टेशन के माध्यम से एवं पारीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन में माताटीला जल विद्युत केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि 220 केवी उपकेन्द्रों पर सिन्क्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं थी और विद्युत उत्पादन स्टेशनों अथवा उच्च वोल्टेज उपकेन्द्रों पर सिन्क्रोनाइजेशन किया गया था।

सीईए की संस्तुतियों को लागू न करना

2.1.42 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बेस्ट प्रैकिट्सेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम से सम्बन्धित समिति के प्रस्तावों का अनुपालन राज्य/केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों द्वारा किये जाने हेतु संस्तुत किया (जनवरी 2002) था। समिति की संस्तुतियों के अनुसार, ट्रान्सफार्मरों/रिएक्टरों के बीच का खाली स्थान विशिष्ट सीमा से कम होने पर, आग लगने की स्थिति में एक दूसरे के प्रभाव से बचाने हेतु, दोनों के बीच फायर-वॉल का निर्माण किया जाना चाहिए।

हमने देखा (अप्रैल 2012) कि 132/33 केवी उपकेन्द्र चॉप्डपुर, बिजनौर में, 33/11 केवी के 5 एमवीए ट्रान्सफार्मर का (वितरण विंग का) 11 केवी बुशिंग नष्ट होने के कारण एक अग्नि दुर्घटना हुई (23 जून 2009)। 5 एमवीए ट्रन्सफार्मर के पास रखा हुआ एक अतिरिक्त 20 एमवीए 132/33 केवी ट्रान्सफार्मर में भी आग लग गयी और 40 एमवीए 132/33 केवी के कार्यरत ट्रान्सफार्मर में भी आग पकड़ ली। चूंकि 5 एमवीए, 20 एमवीए एवं 40 एमवीए ट्रान्सफार्मर के बीच फायर-वॉल निर्मित नहीं था, ये ट्रान्सफार्मर पूर्ण रूप से जल गये। जैसा कि बेस्ट प्रैकिट्सेज इन ट्रन्समिशन सिस्टम में प्रावधानित है, यदि खण्ड ने ट्रान्सफार्मरों के बीच फायर-वॉल का निर्माण किया गया होता तो 20 एमवीए एवं 40 एमवीए के दो ट्रान्सफार्मरों को नष्ट होने से बचाया जा सकता था।

Åtkyl ykkö , oayykkijhkk

2.1.43 ऊर्जा का लेखांकन एवं लेखापरीक्षा पारेषण हानियों को आँकलन करने एवं कम करने के लिए, आवश्यक है। पारेषण हानियों की संगणना, मीटर रीडिंग इन्स्ट्रुमेन्ट (एमआरआई) से प्राप्त रीडिंग के आधार पर, उत्पादन से पारेषण (जीटी) एवं पारेषण से वितरण (टीडी) सीमा के बीच लगे मीटरों के आधार पर की जाती है। वर्ष 31 मार्च 2012 तक, वहाँ पर 853 इण्टरफेस बाउंड्री मीटरिंग बिन्दुओं पर जिसमें की टीडी (774) एवं जीटी (79) बिन्दुओं पर 0.2 की शुद्धता वाले मीटरों की व्यवस्था की गयी थी। हमने पाया की वे पर्याप्त थे।

fukRrh; iclkku

2.1.44 राष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय टर्न-एराउण्ड एवं वाणिज्यिक वाइबिल्टी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। वर्ष 2011–12 तक समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में कम्पनी की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:

& एसी, विद्युत ऊर्जा प्रणाली में यह एक यंत्र होता है जो उस डिग्री का संकेत करता है जिस पर दो सिस्टम जनरेटर या पावर नेटवर्क एक दूसरे से सिंक्रोनाइज किये जाते हैं।

fooj.k	2007-08	2008-09	2009-10 ₹/लाख	2010-11 ₹/लाख	2011-12 ₹/लाख
V- ₹ रु.।					
प्रदत्त पूँजी (शेयर एस्ट्रीकेशन मरी को शामिल करते हुए)	2213.34	2641.89	3533.45	4033.45	4442.51
सचिव एवं अधिकर्य (पूँजी अनुदान को शामिल करते हुए)	283.30	322.13	380.43	386.77	406.92
उधारियाँ (ऋण कोष)	2466.18	2382.61	2805.08	3448.92	5477.33
चालू देयतायें एवं प्रावधान	1061.06	1355.58	1814.19	2346.06	3126.27
; lk	6023.88	6702.21	8533.15	10215.20	13453.03
C- i fjt Eiffr; k					
सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	5786.28	6422.93	7131.51	7412.78	7952.30
घटायाः छाप	2192.48	2476.59	2731.05	3020.23	3361.92
निवल परिसम्पत्तियँ	3593.80	3946.34	4400.46	4392.55	4590.38
पूँजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)	798.36	979.46	1062.60	2167.40	4105.48
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (सीए) प्रारम्भिक व्यय को शामिल करते हुए	640.64	775.20	1998.53	2480.00	3573.35
लाभ एवं हानि (डेबिट शेष)	991.08	1001.21	1071.56	1175.25	1183.82
; lk	6023.88	6702.21	8533.15	10215.20	13453.03
ऋण अंशपूँजी अनुपात	1.11:1	0.90:1	0.79:1	0.86:1	1.23:1
व्याज (निवल पूँजीकृत आईडीसी*)	161.89	161.40	167.54	209.65	244.30
कर पूँजी लाभ/हानि	(-) 14.42	(-) 9.81	(-) 70.35	(-) 103.69	(-) 8.56
कुल रिटर्न	(-)829.19	(-)840.05	(-)904.02	(-)965.60	(-) 939.52
निवेशित पूँजी	3971.74	4345.42	5647.41	6693.90	9192.94
निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशतता)	(-)20.88	(-)19.33	(-)16.01	(-)14.43	(-) 10.22

(स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचना)

जैसा कि देखा गया कि कम्पनी को 2007–08 से 2011–12 के सभी पाँच वर्षों में हानि हुई है। सचित हानि वर्ष 2007–08 में ₹ 991.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 1,183.82 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि में कम्पनी का ऋण अँश पूँजी अनुपात 1.11:1 से बढ़कर 1.23:1 हो गया। कम्पनी की 31 मार्च 2012 को उधारियाँ ₹ 5,477.33 करोड़ हो गई।

हमने इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि:

- वर्ष 2007–08 से 2011–12 में विविध देनदारियाँ असामान्य रूप से 800.67 प्रतिशत बढ़ गयीं। असामान्य रूप से बढ़े देनदारों का मुख्य कारण वर्क मेमो क्रेडिट (डब्ल्यूएमसीआर) अर्थात् देनदारियों के लेखाओं द्वारा समायोजन होना था। ऐसे लेखाओं का समायोजन, समयानुसार नहीं किया जा रहा था।
- देनदारों से खराब वसूली होने से कम्पनी को उधार निधियों पर निर्भरता 122.10 प्रतिशत बढ़ गई इसके फलस्वरूप व्याज एवं वित्तीय लागतों में वर्ष 2007–08 से 2011–12 में 50.90 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई।

2.1.45 वर्ष 2011–12 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों से सम्बन्धित विस्तृत कार्यचालन परिणाम जैसे राजस्व वसूली, निबल आधिकर्य/हानि एवं प्राप्ति एवं पारेषण की प्रति युनिट लागत का विवरण नीचे दिया गया है:

०e ।।; k	fooj.k	2007-08	2008-09	2009-10 ₹/लाख	2010-11 ₹/लाख	2011-12 ₹/लाख
1	vk;					
	राजस्व	680.22	758.17	744.30	790.39	1028.55
	अन्य आय (व्याज/कुल आय संबिली शामिल करते हुये)	11.34	22.78	24.54	40.30	31.24
	dy vk;	691.56	780.95	768.84	830.69	1059.79
2	lkj sk.k					
(अ)	स्थापित क्षमता (एमवीए)	38254	41717	44895	48984	53338
(ब)	उत्पादन इकाइयों से प्राप्त ऊर्जा (एमयू)*	53670.43	54580.10	58656.19	64116.61	72697.45
(स)	पारेषण हानियाँ (एमयू)	2198.29	2108.86	2242.57	2285.12	2667.98
	dy ijkfr Ätk\ch\l, e: we	51472.14	52471.24	56413.62	61831.49	70029.47
3	0; ;					
(V)	Lk\k\ykr					
(i)	कर्मचारी लागत	193.53	256.10	261.82	266.31	236.63

* निर्माण अवधि का व्याज।

* प्राइवेट उत्पादन को शामिल करते हुए।

Øe l f; k	fooj.k	2007-08	2008-09	2009-10 %	2010-11 %	2011-12 %
(ii)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	9.92	7.03	7.28	3.57	12.24
(iii)	ह्यास	253.79	278.26	285.50	310.93	358.48
(iv)	व्याज एवं वित्तीय प्रभार	161.89	161.40	168.45	209.65	244.30
	dy LFkbl ylxr	619.13	702.79	723.05	790.46	851.65
(C)	i fforu lly ylxr					
(i)	मरम्मत एवं अनुरक्षण	66.53	64.12	86.06	101.74	127.92
(ii)	अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	13.79	8.45	31.23	39.92	87.94
	dy i fforu lly ylxr	80.32	72.57	117.29	141.66	215.86
(स)	Dy ylxr 3 1v\$ch	699.45	775.36	840.34	932.12	1067.51
4	वसूली (₹ प्रति युनिट)	0.1322	0.1445	0.1319	0.1278	0.1469
5	स्थाई लागत (₹ प्रति युनिट)	0.1203	0.1339	0.1282	0.1278	0.1216
6	परिवर्तनशील लागत (₹ प्रति युनिट)	0.0156	0.0138	0.0208	0.0229	0.0308
7	कुल लागत (₹ प्रति युनिट) (5+6)	0.1359	0.1477	0.1490	0.1507	0.1524
8	अंशदान (₹ प्रति युनिट) (4-6)	0.1166	0.1307	0.1111	0.1049	0.1161
9	yHMS%@glfu&1%&7%₹ fir ; fuV%	(-0.0037	(-0.0032	(-0.0171	(-0.0229	(-) 0.0055


(सोत्रः कम्पनी के वार्षिक लेख)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2007–08 से 2011–12 के दौरान प्रति इकाई वसूली 13.22 पैसे से बढ़कर 14.69 पैसे हो गयी (11.12 प्रतिशत) और उसी अवधि में प्रति इकाई लागत 13.59 पैसे से बढ़कर 15.24 पैसे (12.14 प्रतिशत) हो गयी। अग्रेटर, प्रति इकाई अंशदान भी 2007–12 के दौरान 1.28 प्रतिशत से घट गया।

उपर्युक्त सारणी से यह भी स्पष्ट था कि 2011–12 में लागत के मुख्य अवयवों में कार्मिक लागत, हास, ब्याज एवं वित्त प्रभार तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण प्रभार सम्मिलित थे जो उस वर्ष कुल लागत के क्रमशः 22.17, 33.58, 22.89 तथा 11.98 प्रतिशत थे। दूसरी तरफ, 2011–12 में ऊर्जा के प्रेषण से प्राप्त राजस्व तथा अन्य आय राजस्व के मुख्य अवयव थे जो उस वर्ष कुल राजस्व का क्रमशः 97.05 एवं 2.95 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते थे।


संचालन—लागत की वसुली

2.1.46 वर्ष 2011–12 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान, कम्पनी संचालन लागत वसूल करने में समर्थ नहीं रही, जिसे निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है:




लागत के अवयव

2.1.47 वर्ष 2011–12 से सम्बन्धित लागत के मुख्य अवयवों के प्रतिशतता का विवरण निम्नवत् किया गया है:



राजस्व के अवयव

2.1.48 पारेषण शुल्क राजस्व का मुख्य अवयव था। वर्ष 2011–12 हेतु राजस्व प्रतिशतवार विवरण निम्न वृत्त चित्र में दिया गया है।



टैरिफ निर्धारण

2.1.49 कम्पनी की वित्तीय वाईबिलिटी, विवेकपूर्ण वित्तीय व्यावहारिकता को अपनाकर, अपनी संचालन आवश्यकता एवं भावी पूँजी विस्तार कार्यक्रमों हेतु वित्तीय पोषण, संचालन कार्यों से आधिक्य सृजन (उचित रिटर्न सहित) पर निर्भर करती है। कम्पनी के लिए राजस्व–संग्रह कोष सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत है।

यूपीईआरसी (पारेषण टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) रेगुलेशन, 2006 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पारेषण व्यवसाय से सम्बन्धित लागत की पूर्ति हेतु आवश्यक राजस्व के लिये कम्पनी यूपीईआरसी को वार्षिक राजस्व आवश्यकता

(एआरआर) प्रस्तुत करती है, जो कि टैरिफ एवं प्रभारों के माध्यम से वसूली हेतु यूपीईआरसी द्वारा अनुमन्य होता है। इस प्रकार, कम्पनी में राजस्व का मुख्य स्रोत पारेषण एवं एसएलडीसी प्रभार होता है।

कम्पनी का टैरिफ स्ट्रक्चर, निर्धारित तिथि के अन्दर प्रस्तुत एआरआर याचिका के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, के पश्चात् यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित संशोधन के अधीन रहता है। कम्पनी द्वारा प्रति वर्ष, उस वर्ष के प्रारम्भ से 120 दिन पूर्व एआरआर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। यूपीईआरसी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को, ऐसे संशोधनों/शर्तों के साथ जो न्यायसंगत एवं उपयुक्त हों तथा जन-सामान्य एवं अन्य हित धारकों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों के बाद, स्वीकार करता है। निम्न-सारणी, एआरआर प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि, फाइल करने की वास्तविक तिथि, टैरिफ याचिका के अनुमोदन की तिथि एवं संशोधित टैरिफ के लागू होने की तिथि दर्शाती है:

o'॥	Qkby djusdli fu'॥j r frffk	Qkby djusdli o'lfod frffk	foyfc fnuk e॥	vupknu dli frffk	i koh frffk
2007-08	30 नवम्बर 2006	4 अक्टूबर 2007	307	15 अप्रैल 2008	1 अप्रैल 2007
2008-09	30 नवम्बर 2007	4 अक्टूबर 2007	विलम्ब नहीं	15 अप्रैल 2008	1 अप्रैल 2008
2009-10	30 नवम्बर 2008	31 जुलाई 2009	242	31 मार्च 2010	1 अप्रैल 2009
2010-11	30 नवम्बर 2009	28 मार्च 2011	482	अनुमोदन होना बाकी	उपलब्ध नहीं
2011-12	30 नवम्बर 2010	28 मार्च 2011	117	अनुमोदन होना बाकी	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 2008-09 के अतिरिक्त सभी वर्षों में 117 से 482 दिनों के विलम्ब से एआरआर फाइल किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि चूंकि एआरआर को तैयार करने में कम्पनी की परिसम्पत्तियों, दायित्वों, ऋणों विनियोग इत्यादि से सम्बन्धित अधिकाधिक औँकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, इन औँकड़ों के संकलन एवं अन्तिमीकरण का कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र के अन्तर्गत वृहद पुनर्संरचना का कार्य चल रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पारेषण हेतु एआरआर प्रस्तुत करने का कार्य प्रारम्भ से ही यूपीपीसीएल के द्वारा किया जा रहा था। सभी सम्बन्धित औँकड़े यूपीपीसीएल के पास उपलब्ध थे और इसका ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्संरचना का कोई सम्बन्ध नहीं था।

2.1.50 कम्पनी द्वारा किये गये एआरआर प्रस्तावों एवं आयोग द्वारा अनुमोदन का विवरण निम्नवत् दिया गया है।

o'॥	i sk. k VjQ			; i b v j l h }jk vupknr		
	I dy ijkfr Ätl ve; w	jktLo vlo ; drk ve; djkMew	VjQ v@clMCY; w p/	I dy ijkfr Ätl ve; w	jktLo vlo ; drk ve; djkMew	VjQ v@clMCY; w , p/
2007-08	53026	1015.31	0.191	51573	679.44	0.132
2008-09	55064	1272.09	0.231	55411	1195.12	0.216
2009-10	54345	746.47	0.137	54183	680.51	0.126
2010-11	61217	942.37	0.154	टैरिफ आदेश प्रतीक्षित		
2011-12	69788	1069.77	0.153	टैरिफ आदेश प्रतीक्षित		

(स्रोत: टैरिफ आदेश)

अग्रेतर, विनियमन के अनुसार, जब कभी नियंत्रणीय मदों (ओएण्डएम, विनियोजित पूँजी पर रिटर्न, ह्वास एवं गैर-टैरिफ आय) के अन्तर्गत लाभ अथवा हानि (आधिक्य/कमी) हो तो कम्पनी आयोग के समक्ष टैरिफ आर्डर का ट्रू-अप प्रस्तुत करेगी। आयोग,

सम्प्रेक्षित लेखाओं के आधार पर, पारेषण प्रभारों की दरों में वृद्धि या कमी कर सकता है।

Lkj dkj ds funik ij]
dEi uh us 2007&08
ds VfjQ vkmj ds
V&vi e 278-24
djkM+dk bfDoVh ij
fj Vu "kfey ugha
fd; k ftI dsfy,
l j dkj l s nkok ugha
fd; k x; ka

हमने देखा कि कम्पनी ने केवल 2007–08 तक ही ट्रू-अप⁷ फाइल किया था जिसे यूपीईआरसी द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमोदित किया गया क्योंकि कम्पनी द्वारा असम्प्रेक्षित लेखाओं के आधार पर ट्रू-अप फाइल किया गया था। कम्पनी ने, 2007–08 के सम्प्रेक्षित लेखाओं की उपलब्धता के बाद भी 2007–08 हेतु अन्तिम ट्रू-अप फाइल नहीं किया था। आगे, यह भी देखा गया कि यूपीईआरसी ने यद्यपि कि 2007–08 के टैरिफ आर्डर के अन्तर्गत इविवटी पर रिटर्न (आरओई) ₹ 278.24 करोड़ अनुमन्य किया था, कम्पनी ने शासन के निर्देश पर उस धनराशि को 2007–08 के ट्रू-अप में सम्मिलित नहीं किया। उस धनराशि हेतु शासन के समक्ष दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में टैरिफ–आर्डर के अन्तर्गत, यूपीईआरसी ने कार्मिक लागत, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय एवं ब्याज व वित्तीय प्रभारों से सम्बन्धित धनराशि क्रमशः ₹ 71.39 करोड़ और ₹ 31.34 करोड़ को बिना कोई कारण बताये अननुमन्य कर दिया।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि राज्य सरकार की इनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) ने 18 सितम्बर 2010 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया था कि एआरआर के अन्तर्गत आरओई को शामिल करने से पारेषण टैरिफ बढ़ जायेगा जिसके कारण अन्ततः वितरण टैरिफ भी बढ़ जायेगा। हमारा मन्तव्य यह है कि राज्य सरकार के ईटीएफ के निर्णयानुसार आरओई की धनराशि शामिल नहीं की गयी थी, अतः राज्य सरकार से इस धनराशि की माँग की जानी चाहिए थी।

I kexh i clu/ku

2.1.51 सामग्री प्रबन्धन के मुख्य कार्य हैं इच्चेन्ट्री नियंत्रण नीति का निर्धारण, सामग्री का क्रय एवं अप्रचलित इच्चेन्ट्री का नियंत्रण। बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम में सुझाव दिया गया है कि अनुभव एवं स्पेअर्स की उपभोग दर के आधार पर, कम्पनी को स्पेअर्स के क्रय एवं भण्डारण हेतु मानक विकसित करना चाहिए। स्पेअर्स का क्रय एवं भण्डारण लाइन एवं उपकेन्द्र स्तरों तथा क्षेत्रीय स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए था। कम्पनी ने मितव्ययी क्रय एवं इच्चेन्ट्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु किसी क्रय नीति एवं इच्चेन्ट्री नियंत्रण तंत्र का सूत्रपात नहीं किया था।

2.1.52 कम्पनी के अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित प्रकाश में आये:

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि से सम्बन्धित प्रारम्भिक स्टॉक, क्रय, निर्गमन एवं अन्तिम स्टॉक का विवरण निम्नलिखित है:

o%	mi Hkx vifro%	mi Hkx vifre%	"kj vture LVWd %Kfkl fpBBs ds vul kj%	ekg e mi Hkx ds I Uhl exvflure LVWd
2007-08	237.61	19.80	290.17	15
2008-09	262.10	21.84	348.76	16
2009-10	218.72	18.23	383.03	21
2010-11	331.88	27.66	456.29	16
2011-12	552.91	46.08	606.51	13

(भोत: कम्पनी के वार्षिक लेख)

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि:

⁷ टैरिफ के अन्तिम अनुमोदन हेतु कम्पनी द्वारा फाइल की गयी याचिका।

- अन्तिम स्टॉक ₹ 290.17 करोड़ (2007–08) से 109.02 प्रतिशत बढ़कर ₹ 606.51 करोड़ (2011–12) हो गया। उपरोक्त शेष इस बात के संकेतक थे कि उपभोग हेतु सामग्री की उपलब्धता 13 से 21 महीनों के लिए था।
- निदेशक मण्डल (बीओडी) के आदेश (अक्टूबर 2009) के बावजूद भी, वर्ष 2001 से पड़े हुए क्षतिग्रस्त एवं अमितव्ययी 5 एमवीए से 150 एमवीए के 51 ट्रान्सफार्मरों का निस्तारण कम्पनी ने नहीं किया था।
- सामग्री के क्रय हेतु निर्णय करने से पूर्व, सामग्री की आवश्यकता के सम्बन्ध में पुनरादेश स्तर एवं इच्चेन्ट्री-मानक के निर्धारण हेतु कम्पनी ने कोई विश्लेषण नहीं किया था। इस प्रकार, कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय करके अपनी पैंजी, स्टॉक में अवरुद्ध कर दिया था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सभी क्रय, आवश्यकता के अनुरूप किये गये थे, जिनमें पारेषण नेटवर्क में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्तिम स्टॉक 13 से 21 महीनों के उपभोग के बराबर था जो स्वतः इस बात का द्योतक था कि नियोजित ढंग से क्रय नहीं किया गया था।

इच्चेन्ट्री प्रबन्धन

2.1.53 कम्पनी के नियंत्रण के अन्तर्गत, परिमण्डल स्तर पर कोई ऐरिया स्टोर नहीं था। उपखण्ड स्तर पर कनिष्ठ अभिन्यताओं (जेर्झ) के स्टोर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन (पीवी) किया जा रहा था।

विगत पाँच वर्षों से सम्बन्धित चारों परिमण्डलों के 28 खण्डों द्वारा प्रस्तुत अगतिशील, आधिक्य, अप्रचलित, अकार्यात्मक एवं स्क्रैप सामग्री का मूल्य निम्नवत् दिया गया है:

fooj.k	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आधिक्य/अप्रचलित/अकार्य योग्य/स्क्रैप	9.59	6.64	7.74	9.56	11.64
अगतिशील	2.63	2.33	3.21	4.71	1.69
; lk	12.22	8.97	10.95	14.27	13.33

(ज्ञात: प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना)

जैसा कि उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है, आधिक्य, अप्रचलित एवं अगतिशील स्टॉक के मूल्य में 2007–08 से 2011–12 की अवधि में बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी। कम्पनी ने स्क्रैप अप्रचलित सामग्री के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा उनके निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी, जिससे कि राजस्व अर्जित किया जा सकता था एवं अन्य सामग्रियों के भण्डार हेतु खाली स्थान उपलब्ध हो सकता था।

fu'd'k

- dEi uh fu; kftr {kerk of) dks ikr djus efoQy jgh ftI I s 13 I s 82
i fr kr dse/; Hkjhl deh FkA
- {kerk of) I s I Eckfl/kr i fj ; kstuk, j I e; kf/D; , oa ykxr vfk/fD; ds I kf
i wkl gpl ftI I s ; g bfixr gyk fd i fj ; kstuk, afer0; ; h] dkjyrikid , oa
i Hkkj kkyh <k I s fu'i kfnr ughadhx; h FkA
- Åtkl fudkl h i zkyh ds fuelk dks fo | r mRi knu ; kstuk ds I kf I efUkr
djus e dEi uh foQy jgh Åtkl fudkl h dh 0; oLFkk fo | eku i kj sk.k
i zkyh ds ek/; e I s fd; k x; k ftI I s ml i zkyh ij vfrfjDr Hkj Mkyk
x; kA
- mi dñka , oa ykbukl dk fuelk fcuk I epr Hkj vko ; drk ds fd; k x; k
ftI ds i fje. klok: i mi dñz vYi mi ; kftr jga

- i kjsk.k fu; kstu dl kSV; ka I s I Ecfl/kr esuyy ea i ko/kku ds ckotn dEi uh us , d VRUI Okej ds I kf mi dlnz dk fuelz k fd; k vkg vuq; {kerk I s vf/kd ds mi dlnz dk fuelz k fd; ka
- okVst i clu/ku izkkyh fxM I fgrk ea mfYyf[kr ekudk ds vuq lk ugha Fkh rFkk fxM vuqkki u dk i kyu ugha fd; k x; k FkkA
- vki nk iclu/ku grq dElkuh ds i kl lk; klr I j{kk mi k; , oa volkj puk ugha FkhA
- dEi uh us okf'kd jktLo vko ; drk 117 I s 482 fnuk ds foyEc I s Qkby fd; ka

I Lnf; k

- dEi uh dks {kerk of) grq okf'kd ; kstu dk fØ; klo; u , oa i Hkkoh vuqo.k ds I kf fu; kstr i fj; kstu vka dh I e; I s i wk djuk I fuf pr djuk pkfg,]
- Åtkl fudkl h ds xs dks fo|eku izkkyh ds ek/; e I s djus dh 0; oLFkk I s cpus grq] Åtkl fudkl h izkkyh dk mRi knu izkkyh ds I kf I ello; u I fuf pr djuk pkfg,]
- dEi uh dks lk; klr vki nk iclu/ku izkkyh I fuf pr djuk pkfg, , oa mi dlnz ykbuka , oa VRUI Okej ka dh I j{kk grq vuqkki r izkkyh LFkkfir djuk pkfg,]
- fxM I fgrk ds vuq kj] LVW ykm fMLi p I vj ¼ I , yMhl h/2 dks n#Lr j [kuk pkfg, vkg fxM dh I j{kk , oa I j{kk grq fj vy Vkbh vkkj ij fj ; y Vkbh ; fjuV ds ek/; e I s I Hkh mRi knu , oa mi dlnz dks , I , yMhl h I s I a kstr fd; k tkuk pkfg, A fxM fo'k; d vuqkki u gurk I s cpus grq YhDoh yoy dk vuq kyu fd; k tkuk pkfg,] vkg
- okf'kd jktLo vko ; drk fu/kfjr I e; ds vlnj i Lnf dj nuk pkfg, A

2.2 mRrj insk jkt; vks kxod fodkl fuxe fyfeVM dh fu'i knu ykkj hkk

dk; Bkj h I kj lk

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में मार्च 1961 में कम्पनी अधिनियम 1956 के आधीन राज्य में औद्योगिक अवसंरचना के विकास व औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु किया गया जिसके लिए यह ग्रीष्म इकाई है।

भूमि का अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण के लक्ष्य, जिला प्राप्ति व सरकार के स्तर पर हुई देरी के कारण, प्राप्त नहीं किये जा सके। उपलब्ध भूमि को विकसित करने में कम्पनी की विफलता के कारण, न केवल भूमि के पश्चातवर्ती अधिग्रहण में धन अवरुद्ध रहा बल्कि सोलोगीयम के भुगतान के रूप में व्यय भी व्यर्थ रहा।

बुलन्दशहर में 1993 में 1,200.483 एकड़ तथा अप्रैल 1999 से अप्रैल 2005 तक 2,584.292 एकड़ अधिग्रहण की गयी भूमि का भौतिक कब्जा नहीं प्राप्त किया जा सका जिसके कारण ₹ 297.29 करोड़ अवरुद्ध रहा।

कम्पनी ने 48,551.088 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जिसके विरुद्ध मात्र 27,745.588 एकड़ भूमि का ही कन्वेन्स डीड निशादित कराया है।

अधिग्रहीत भूमि पर अवसंरचना का विकास

कम्पनी ने विकास हेतु 248 अनुबन्ध निशादित किए जिनमें से 201 अनुबन्ध अल्पकालीन निविदा के तहत बिना किसी स्पष्टीकरण के निशादित किए तथा ₹ 63.37 करोड़ के 33 अनुबन्धों का निशादन अति अल्पकालीन निविदा के तहत किया गया, यद्यपि मैनुअल में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।

40 अनुबन्धों के परीक्षण से उजागर हुआ कि निविदा को निम्न पद के कर्मचारियों द्वारा अनित्यीकृत किया गया जबकि प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य अधिकारी ने निविदा प्रपत्रों एवं तुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर नहीं किया। प्रबन्ध निदेशक ने 'नोट-स्टिट' पर पृथक रूप से स्वीकृति प्रदान की। कम्पनी ने बिना औद्योगिक दिए कार्य को समूहों में विभाजित करके 130 अनुबन्धों को अन्तिम रूप दिया। कम्पनी ने 107 अनुबन्ध एक ही ठेकेदार को दिए जिसमें से 48 अनुबन्ध मार्च 2012 तक अपूर्ण थे जिससे समूहीकरण का उद्देश य विफल रहा।

मुख्य अधिकारी ने 39 अनुबन्धों के विरुद्ध 19 ठेकेदारों को ₹ 25.51 करोड़ का भुगतान किया, यद्यपि क्रियान्वित कार्यों के बीजक उपलब्ध नहीं थे जिसमें से ₹ 5.64 करोड़ की वसूली नहीं हो पायी। इस अमान्य भुगतान से ₹ 5.40 करोड़ के ब्याज का उकसान हुआ।

21 अनुबन्धों में वसूली योग्य ₹ 265 करोड़ के अर्थदण्ड के सापेक्ष मात्र ₹ 1.07 लाख के अर्थदण्ड की वसूली की गयी।

दस अनुबन्ध चार से छः वर्ष की देरी के बावजूद अपूर्ण रहे जिससे ₹ 21.17 करोड़ अवरुद्ध रहे तथा औद्योगिक अवसंरचना के विकास में देरी हुई।

कम्पनी द्वारा सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रबन्ध निदेशक के निर्देश (जून 2007) के विपरीत नौ अनुबन्धों में ₹ 3.03 करोड़ का भुगतान किया गया। भौतिक सत्यापन से पता चला कि चक्रवर्ती-II तथा मध्यना रस्तों पर ₹ 2.21 करोड़ की सामग्री कम पाई गयी।

औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबन्ध

2011-12 तक पाँच दर्शकों के दौरान आवंटित भूखण्डों का उपयोग 48.77 प्रतिशत से 54.27 प्रति तरफे में स्थगित रहा। कम्पनी को रिक्त भूखण्डों के उत्तरान्तरण के कारण ₹ 11.30 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व हानि हुई।

212 मामलों में, पट्टा विलेख के निशादन बिना भूखण्डों के हस्तान्तरण से ₹ 5.40 करोड़ की स्टाम्प शुल्क की हानि हुई तथा 303 मामलों में ₹ 18.81 करोड़ के स्टाम्प ड्यूटी की वसूली, पट्टा विलेख के निशादन न होने के कारण, नहीं की जा सकी।

पाँच उप वार्डिंग भूखण्डों के रिजर्व प्राइस का निधारण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया जिससे ₹ 110.10 करोड़ की हानि हुई।

आठ उप वार्डिंग भूखण्डों तथा 34 वाणिज्यिक भूखण्डों का आवंटन निधारित प्रणाली के विपरीत किया गया जिससे बाजार सूल्य पर ₹ 152.29 करोड़ तथा सर्किल रेट पर ₹ 24.50 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

मासिक/त्रैमासिक लेखे तैयार नहीं किये जाते जिसके कारण कम्पनी अपनी आय का सही निधारण नहीं कर सकी जिसके कारण इसे ₹ 5.45 करोड़ का दण्डात्मक ब्याज का भुगतान आयकर विभाग को करना पड़ा। अधीनस्थ कागजालयों के वार्षिक निरीक्षण का अभाव तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुसरण न होना आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को कमजोर बनाता है और इसके फलस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

निर्झर्व एवं संतुतियों

कम्पनी भूमि अधिग्रहण एवं विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करने में विफल रही, भूमि अधिग्रहण व्यय एवं भूमिका का अधिक भुगतान किया, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण जनपद अधिकारियों के पास कोई अवरुद्ध रहा, निविदा प्रक्रिया की अवहेलना हुई, रिजर्व प्राइस को कम दर पर निधारण करने एवं प्रीमियम का पुनरीक्षण न करने के कारण अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर रही।

हमने विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति, सही निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करने, दर निधारण एवं पुनरीक्षण नीति के अनुपालन हेतु छः सिफारिं की हैं।

i Lrkouk

2.2.1 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) का निगमन मार्च 1961 में पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन किया गया था। कम्पनी का प्रशासनिक नियन्त्रण औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में निहित है। कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं: उद्योगों, कम्पनियों, परियोजनाओं अथवा उदयमों को निर्माण एवं उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, भूमि का अधिग्रहण, अधिग्रहीत भूमि का विकास तथा उद्योगों को सहायता व वित्त उपलब्ध कराना जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं सरकार द्वारा प्रायोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन करने के लिए, कम्पनी, केन्द्रीय एवं राज्य औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप करती है:

- भूमि का अधिग्रहण;
- अधिग्रहीत भूमि पर अवसंरचना का विकास;
- औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित भूमि/भूखण्डों का आवंटन;
- औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव।

I kBuKRed I jpuK

2.2.2 कम्पनी का प्रबन्ध संचालक मण्डल में निहित है जिसमें प्रबन्ध निदेशक (एमडी) एवं अध्यक्ष सहित दस संचालक शामिल हैं। एमडी कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है जो कि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (जेएमडी), वित्त नियन्त्रक (एफसी), महाप्रबन्धक (जीएम) प्रशासन, उप-महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रोजेक्ट्स, मुख्य प्रबन्धक औद्योगिक क्षेत्र (सीएमआईए), मुख्य अभियन्ता (सीई) एवं एक वरिष्ठ भूमि अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) एवं एक कम्पनी सेक्रेटरी की सहायता से भुख्यालय पर दिन-प्रतिदिन के कार्य करता है।

भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण कार्य, 10 निर्माण खण्डों (सीडी) तथा दो विद्युत खण्डों (ईडी) जिसके प्रमुख अधिशासी अभियन्ता होते हैं, के द्वारा मुख्य अभियन्ता के सम्पूर्ण नियन्त्रण में जो कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु उत्तरदायी होता है, किया जाता है। विकसित भूखण्डों का विपणन सीएमआईए द्वारा 15 क्षेत्रीय कार्यालयों जो कि राज्य भर में फैले हैं, के द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का शीर्ष अधिकारी क्षेत्रीय प्रबन्धक होता है जो कि भूखण्डों के आवंटन, हस्तान्तरण, निरस्तीकरण तथा रेस्टोरेशन तथा भूखण्डों का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होता है। संगठन संरचना को 'फ्लो चार्ट' $\frac{1}{4} f\!f\!f k\!V&11\frac{1}{2}$ में दर्शाया गया है।

y\kkj jh\kk dk {k

2.2.3 कम्पनी के क्रियाकलापों की समीक्षा पहले की गयी थी जिसका समावेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 1998–99 के प्रतिवेदन में किया गया था। तत्पश्चात, यूपीएसआईडीसी द्वारा 'औद्योगिक अवसंरचना का विकास' शीर्षक पर निष्पादन लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2004–05 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में समावेशित किया गया। वर्ष 1998–99 में समावेशित निष्पादन लेखापरीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) द्वारा आंशिक विचार विमर्श किया गया है एवं वर्ष 2004–05 के प्रतिवेदन में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षा पर 'कोपू' द्वारा विचार विमर्श अभी तक (फरवरी 2013) नहीं किया गया है।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2011 से जुलाई 2012 के मध्य की गयी जिसमें कम्पनी के वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के मुख्य कार्य जैसे पाँच वर्षों में भूमि का अधिग्रहण तथा विकास एवं औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबन्धन को समिलित किया गया है।

कम्पनी ने 144 औद्योगिक क्षेत्र (52 अति द्रुतगामी, 61 द्रुतगामी तथा 31 मन्दगामी) विकसित किये। समस्त भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करने हेतु, औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, सूरजपुर तथा प्रोजेक्ट कार्यालय ट्रोनिका सिटी का चयन किया गया जिसमें अति द्रुतगामी, द्रुतगामी तथा मन्दगामी औद्योगिक क्षेत्र एवं इनसे सम्बन्धित निर्माण एवं विद्युत खण्ड शामिल हैं।

y[ki jhikk mnas ;

2.2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आँकलन करना था कि क्या:

- भूमि अधिग्रहण में सरकारी आदेशों तथा अधिनियमों के प्रावधानों का पालन किया गया;
- अधिग्रहीत भूमि का त्वरित विकास किया गया;
- जिला प्रशासन को प्रावधानों के अन्तर्गत भुगतान किया गया;
- आवंटन प्रक्रिया उचित, पारदर्शी व मार्ग दर्शिका के अनुसार थी;
- आवंटित भूखण्डों का उपयोग आवंटी द्वारा उद्योगों की स्थापना में किया गया;
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल एवं प्रभावी थी।

y[ki jhikk dI kVh

2.2.5 उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा उद्देश्यों हेतु लेखापरीक्षा कसौटियाँ निम्न थीं:

- औद्योगिक विकास नीति 1998 के प्रावधान, संचालक मण्डल के बैठकों में लिए गए निर्णय;
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधान, भूमि अधिग्रहण मैनुअल, भूमि अधिग्रहण करार नियमावली, 1997 एवं सरकारी आदेश और कम्पनी द्वारा निर्गत आदेश;
- कम्पनी द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य;
- इंजीनियरिंग विंग के 'वर्किंग मैनुअल' के प्रावधान;
- औद्योगिक क्षेत्र विंग के 'आपरेटिंग मैनुअल' के प्रावधान।

विशिष्ट प्रावधानों का वर्णन सम्बन्धित प्रस्तरों में लेखापरीक्षा आपत्तियों के साथ किया गया है।

y[ki jhikk i) fr

2.2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों हेतु आँकड़ों के विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का सम्मालित रूप से प्रयोग किया गया है:

- राज्य औद्योगिक नीतियों, एजेंडा नोट तथा संचालक मण्डल के बैठकों के मिनट्स, इंजीनियरिंग विंग के वर्किंग मैनुअल, औद्योगिक क्षेत्र के आपरेटिंग मैनुअल, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा शक्तियों के हस्तान्तरण का अध्ययन;
- सर्वे एवं वाईबिलिटी रिपोर्ट एवं जिला प्रशासन को भुगतान सहित भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों की जाँच;
- औद्योगिक क्षेत्रों में, भूखण्डवार रजिस्टर का अध्ययन, प्रकरणवार आवंटन, रेस्टोरेशन, हस्तान्तरण तथा भूखण्डों के उप-विभाजन की जाँच;
- कम्पनी की प्रीमियम पुनरीक्षण नीति का अध्ययन एवं कम्पनी द्वारा विगत पाँच वर्षों में हुई प्रीमियम पुनरीक्षण का अध्ययन;

- विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्राक्कलनों, अनुबन्धों, निविदा प्रपत्रों, माप पुस्तिकाओं तथा ठेकेदारों को किये गये भुगतानों की जाँच;
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में पूर्ण, सार्थक एवं उचित प्रमाण प्राप्त करना;
- लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं को निर्गत करना तथा प्रबन्धन से विचार विमर्श करना।

y[ki j hkk i [k.k

2.2.7 हमने 16 जनवरी 2012 को सम्पन्न हुई 'इन्ट्री कान्फ्रेन्स' में प्रबन्ध तन्त्र को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया। इसके पश्चात, लेखापरीक्षा प्रेक्षण प्रबन्धन एवं सरकार को सितम्बर 2012 में प्रतिवेदित किया गया तथा 11 अक्टूबर 2012 की 'एकिजट कान्फ्रेन्स' में इस पर चर्चा की गयी। 'एकिजट कान्फ्रेन्स' में कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, वित्त नियंत्रक, मुख्य प्रबन्धक औद्योगिक क्षेत्र, मुख्य अभियन्ता, वरिष्ठ भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी समिलित हुए। 'एकिजट कान्फ्रेन्स' में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि समिलित नहीं हुआ। राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित थे। प्रबन्ध तन्त्र द्वारा दिये गये पक्ष को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिमीकृत करते समय समावेशित किया गया है। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की अग्रेतर प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

Hkfe dk vf/kxg.k

2.2.8 कम्पनी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलएए) के प्रावधानों के अधीन, ग्राम सभा एवं निजी भूस्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है जिसका विवरण निम्न है:

.y., dñ /kjk: s	i to/ku
धारा 4	भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों* को निर्धारित प्रपत्रों के साथ जमा करना तथा जिला प्रशासन द्वारा उसकी जाँच करना।
धारा 5 (अ)	भूमि स्थानियों की आपत्तियों को जिला प्रशासन द्वारा सुना जाना।
धारा 6	राज्य सरकार द्वारा धारा 4 की अधिसूचना के एक वर्ष की अवधि में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करना।
धारा 9	राज्य सरकार द्वारा भूमि का कब्जा करने का नोटिस जारी करना।
धारा 11	राज्य सरकार द्वारा एवार्ड देना तथा भूमि के प्रतिकर का निर्धारण करना।
धारा 17	अनिवार्य अर्जन की दस्ता में भूमि का कब्जा धारा 9 के तहत प्रकाशित नोटिस के 15 दिन के बाद लिया जा सकता है।
भूमि अधिग्रहण करार नियमावली, 1997 की धारा 2 (एलएकेन)	भूमि के मालिक तथा भूमि अधिग्रहण कर रही इकाई आपसी समझौते के तहत दरें तय कर सकती हैं तथा इस करार को जिलाधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर सकती है।

लक्ष्य एवं प्राप्ति

2.2.9 निम्नलिखित सारणी 2011–12 तक पाँच वर्षों के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में विकास हेतु उपलब्ध भूमि, अधिग्रहीत भूमि तथा विकसित भूमि एवं वर्ष के दौरान विकसित भूमि तथा वर्ष के अन्त में विकास हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण प्रस्तुत करती है:

0e f;k	fooj.k	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	वर्ष के प्रारम्भ में विकास हेतु उपलब्ध भूमि	701**	1208.00	877.51	1584.79	2254.79
2	भूमि अधिग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य	1800.00	1500.00	1000.00	600.00	300.00
3	अधिग्रहीत भूमि	802.00	3.51	1034.48	830.00	38.04
4	कुल उपलब्ध भूमि (1+3)	1503.00	1211.51	1911.99	2414.79	2292.83
5	विकसित की गयी भूमि	295.00	334.00	327.20	160.00	391.00
6	वर्ष के अन्त में विकास हेतु उपलब्ध भूमि (4-5)	1208.00	877.51	1584.79	2254.79	1901.83
7	निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिग्रहीत भूमि का प्रतिशत	44.56	0.23	103.45	138.33	12.68
8	विकसित भूमि का विकास हेतु उपलब्ध भूमि के सापेक्ष प्रतिशत	19.63	27.57	17.11	6.63	17.05

स्रोत: प्रगति अख्या तथा कम्पनी की वार्षिक योजना।

* भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव एलएए के तहत जिलाधिकारी को भेजा जाता है जिसमें भूमि अधिग्रहण हेतु निर्धारित प्रपत्र, प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट, अधिग्रहण की जा रही भूमि का खसरा/खत्तौनी, प्रतिकर का गणना प्रपत्र, सरकारी एवं सौलिंग भूमि को शमिल न करने का प्रमाण-पत्र, जिला भूमि उपयोग समिति का कृषि भूमि अधिग्रहण हेतु स्वीकृति का सर्वेक्षण, भू-उपयोग परिषद की स्वीकृति प्रमाण-पत्र, धारा 17 में अधिग्रहण हेतु जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र, ग्रामानुसार प्रमाणित परियोगों का सर्वेक्षण, इस सबस्थ में प्रमाण-पत्र कि भूमि अधिग्रहण से प्रमाणित परियोगों के पुनर्योग के बायों की व्याप्ति कर ली गयी है, प्रमाण-पत्र कि भूमि अधिग्रहण इकाई पर कोई बकाया नहीं है, प्रमाण-पत्र कि भूमि पर कोई धार्मिक वरन यथा मंदिर, मस्जिद, कब्रगाह आदि नहीं है, जिलाधिकारी का भूमि अधिग्रहण का प्रमाण-पत्र व आदेश, भूमि पर स्थित सम्पत्तियों की सूची, भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना का 'प्रोफाइल', सार्वजनिक सूचना/मुनाफी, की रिपोर्ट।

** वर्ष 2006-07 में अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष शेष अधिकसित भूमि वर्ष 2007-08 कार्य योजना के अनुसार।

निम्न तथ्य हमारे संज्ञान में आये:

- वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा 2011–12 में भूमि अधिग्रहण के लक्ष्य की पूर्ति, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के स्तर पर विलम्ब के कारण नहीं हो पायी जिसके लिए, कम्पनी के स्तर पर प्रभावी अनुसरण नहीं किया गया।
 - यद्यपि समस्त भूमि का अधिग्रहण एलएए के अनिवार्य अर्जन सम्बन्धी धारा 17 के तहत किया गया, विकसित भूमि का कुल विकास हेतु उपलब्ध भूमि के सापेक्ष प्रतिशतता 6.63 प्रतिशत से 27.57 प्रतिशत के मध्य थी। कम्पनी की उपलब्ध भूमि के विकास करने में विफलता से न सिर्फ पश्चात्वर्ती भूमि अधिग्रहण में कोष अवरुद्ध रहा बल्कि इससे 'सोलेशियम' के रूप में परिहार्य व्यय भी करना पड़ा। पुनर्शब्द: इससे यह इंगित होता है कि भूमि की आवश्यकता का निर्धारण मनमाने तरीके से किया गया।

भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रपत्रों की हमारी जाँच में, अनिवार्य अर्जन के तहत व्यर्थ व्यय, प्रतिकर का अधिक भुगतान, निजी उद्यमियों हेतु भूमि के अधिग्रहण से हानि, कोषों का अवरुद्ध होना तथा 'कन्वेयन्स डीड' का न होना जैसे प्रकरण उजागर हुये, जिनकी आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

अनिवार्य अर्जन के तहत भूमि अधिग्रहण करने पर व्यर्थ व्यय

2.2.10 एलएए की धारा 17 (1) के तहत अनिवार्य अर्जन की दशा में जब भी सरकार जिलाधिकारी को निर्देशित करेगी, यद्यपि कोई अवार्ड नहीं दिया गया हो, तो भी वह सार्वजनिक उपयोग हेतु जरूरी भूमि का कब्जा धारा 9 के नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर प्राप्त कर सकता है।

सरकार के आदेश संख्या 2623/10(एलए/93ए/04 दिनांक 7 दिसम्बर 2004 (भूमि अध्यापि निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी) के अनुसार, अनुमानित प्रतिकर, अर्जन व्यय, सोलेशियम** एवं अतिरिक्त प्रतिकर की गणना हेतु प्रपत्र 5 तथा 21 निर्धारित हैं। ये प्रपत्र इंगित करते हैं कि 10 प्रतिशत अर्जन व्यय केवल अनुमानित प्रतिकर पर देय है।

कम्पनी ने निम्नलिखित भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव एलएए की धारा 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये:

xtre dk uke	Hkje ¼ dM+ek	i Lrko] vf/kl ipukj vñfure volM , oadctk dh frfkk	ifrdj dk Hkcrku				clv ifrdj			
	vfl/xg,k grn i Lrko	Mjkl 4 ds vñrxr	Mjkl 6 ds vñrxr	vñfure volM	ifrdj	I kys'k; e	vfrfjDr ifrdj	C; kt		
आलियाबाद	240.331	अक्टूबर 2005	दिसम्बर 2008	दिसम्बर 2009	--	18.44	5.53	2.21	-	26.18
पावी सादिकपुर	122.516	अक्टूबर 2005	सितम्बर 2008	अगस्त 2009	--	17.24	5.17	2.06	-	24.47
चंदोली	65.90	फरवरी 2001	जुलाई 2005	अगस्त 2006	जुलाई 2010	3.18	0.95	1.19	0.68	6.00
;	428.747					38.86	11.65	5.46	0.68	56.65

उपरोक्त सारणी भूमि अधिग्रहण में असाधारण विलम्ब को दर्शाती है तथा कम्पनी अभी तक (दिसम्बर 2012) भूमि का कब्जा नहीं प्राप्त कर सकी थी जिससे भूमि के अनिवार्य अर्जन का उददेश्य विफल हो गया।

इस प्रकार, 428.747 एकड़ भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण हेतु अर्जन्सी उपवाक्य के अन्तर्गत भगतान किये गये ₹ 11.65 करोड़ का सोलेशियम व्यय व्यर्थ सिद्ध हआ क्योंकि

^{**} सोलेशियम अनिवार्य अर्जन के प्रत्येक दशा में 30 प्रतिशत दिया जाने वाला अवार्ड है।

भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के छः से 11 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी भूमि अधिग्रहीत नहीं की जा सकी।

vti h mi okD; ds
vUrxf fd; sX; s
₹11-65 djM+ds
I kys k; e dk Hkrku
0; Fk j gk D; kfd N% I s
11 o'k dkn HkH Hkje
vf/kxgfr ughdk tk
I dhA

प्रबन्धन ने बताया (4 दिसम्बर 2012) कि 30 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि ₹ 11.65 करोड़ का भुगतान धारा 23(2) के अन्तर्गत अनिवार्य अर्जन की दशा में किया गया तथा धारा 1 (1ए) के अन्तर्गत किया गया ₹ 5.46 करोड़ का अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार था। तथ्य अभी भी यही है कि ₹ 11.65 करोड़ का भुगतान व्यर्थ था क्योंकि भूमि का अधिग्रहण छः से 11 वर्ष की देरी के बावजूद नहीं पूरा हो सका, यद्यपि इसका भुगतान एलएए की धारा 17 के अर्जन्सी उपवाक्य के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिये किया गया था।

अर्जन व्यय का समायोजन न होना

2.2.11 कम्पनी ने, आगरा में 'लेदर पार्क' विकसित करने हेतु तीन ग्रामों की 274.43 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु कुल ₹ 55.43 करोड़ के अनुमानित प्रतिकर के सापेक्ष ₹ 5.54 करोड़ अर्जन व्यय का भुगतान जिला प्रशासन को किया (मई 2008)। अनुमानित प्रतिकर को पुनरीक्षित कर ₹ 49.52 करोड़ किया गया जिस पर अर्जन व्यय के रूप में ₹ 4.95 करोड़ देय थे। जिला प्रशासन ने ₹ 3.17 करोड़ की माँग की (20 अप्रैल 2010) क्योंकि कम्पनी ने पुनरीक्षित अनुमानित प्रतिकर ₹ 49.52 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 46.68 करोड़ का ही भुगतान किया था। कम्पनी ने ₹ 3.17 करोड़ की पूर्ण राशि का भुगतान, पहले से ही अधिक जमा अर्जन व्यय ₹ 59.10 लाख के समायोजन किये बिना कर दिया (10 मई 2010)। इसके फलस्वरूप ₹ 59.10 लाख का कोष अवरुद्ध हो गया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि जिला प्रशासन से वापसी हेतु प्रार्थना की गयी है परन्तु इस राशि को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है (दिसम्बर 2012)।

प्रतिकर का अधिक भुगतान

2.2.12 कम्पनी ने भू-स्वामियों से हुई बैठक (5 जून 2007) में निर्धारित किया कि यह ग्राम पचायरा एवं लुत्फुल्लापुर के भू-स्वामियों को 10 प्रतिशत अविकसित भूमि के बदले पाँच प्रतिशत विकसित भूमि देगी। तदनुसार, कम्पनी ने निर्णय लिया (14 जून 2007) कि उपरोक्त 10 प्रतिशत अविकसित भूमि हेतु भू-स्वामियों को 10 प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान नहीं करेगी। कम्पनी ने ग्राम पचायरा में 115.539 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम लुत्फुल्लापुर में 32.326 हेक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त किया (28 मार्च 2008)। हमने पाया कि ₹ 141.92 करोड़ के प्रतिकर का भुगतान जिला प्रशासन की माँग पर 10 प्रतिशत अविकसित भूमि के प्रतिकर को घटाये बिना किया गया। दस प्रतिशत अविकसित भूमि को घटाने के पश्चात प्रतिकर का निर्धारण ₹ 117.25 करोड़ संगणित होता है। इस प्रकार, कम्पनी ने जिला प्रशासन को ₹ 24.67 करोड़ का अधिक प्रतिकर भुगतान कर दिया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 24.67 करोड़ अधिक भुगतान की गयी राशि को जिले की अन्य योजनाओं में हस्तान्तरित कर दी जायगी। उत्तर में, जिला प्रशासन के माँग पत्र की अपने निर्णय के तहत उचित सत्यापन किये बिना भुगतान किये जाने के कारणों को नहीं बताया गया।

निजी उद्यमी के लिये भूमि अधिग्रहण के कारण हानि

2.2.13 कम्पनी को निजी उद्यमियों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु शीर्ष इकाई घोषित किया गया था (27 जनवरी 2005 और 31 जुलाई 2008)। हमने देखा कि निम्नवर्णित उद्यमी के लिए भूमि का अधिग्रहण एलएए के प्रावधान का अनुपालन किये बिना किया गया।

अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) ने कम्पनी तथा टाटा मोटर्स के साथ बैठक (जुलाई 2006) में टाटा मोटर्स के लिये उनके विस्तार परियोजना हेतु

dEi uh us
₹24-67 djM+
i frdj vf/kd
tek fd; kA

100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का निश्चय किया। तदनुसार, कम्पनी ने लखनऊ में 93.81 एकड़ भूमि अधिग्रहण का एक प्रस्ताव, टाटा मोटर्स से अर्जन लागत के भुगतान हेतु अनुबन्ध निष्पादित किये बिना, प्रस्तुत किया (नवम्बर 2006) जो एलएए के प्रावधान के विरुद्ध था। कम्पनी ने जिला प्रशासन को ₹ 3.31 करोड़ का भुगतान सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 के मध्य किया तथा सरकार ने एलएए की धारा 4 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रकाशित कर दी (23 जून 2009)। अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान टाटा मोटर्स के विक्रेताओं ने अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। कम्पनी ने, जिलाधिकारी की आख्या (16 सितम्बर 2010) के आधार पर कि भूमि अतिक्रमित थी तथा कब्जा हस्तान्तरण पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती थी, भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को समाप्त करने का निर्णय (6 अक्टूबर 2010) लिया। आयुक्त ने कम्पनी की प्रार्थना पर निर्णय दिया (15 दिसम्बर 2010) कि अर्जन व्यय की कटौती नहीं की जायगी। तथापि, केवल ₹ 1.65 करोड़ ही कम्पनी को वापस किया (31 जनवरी 2011) गया और ₹ 1.65 करोड़ जिला प्रशासन ने रोक लिया। इस प्रकार, टाटा मोटर्स के साथ अनुबन्ध के अभाव में जिला प्रशासन के पास ₹ 1.65 करोड़ की राशि अवरुद्ध होने के अतिरिक्त कम्पनी को जिला प्रशासन द्वारा रोकी गयी राशि पर ₹ 0.79 करोड़* के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि टाटा मोटर्स ने न तो 93.81 एकड़ भूमि हेतु आवेदन पत्र दिया न ही शर्तों पर अपनी सहमति प्रदान की। इस कारण, कम्पनी द्वारा चिनहट औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया तथा भुगतान जिला प्रशासन की माँग पर किया गया। जिलाधिकारी ने भूमि हस्तगत करने पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या बतायी थी इस कारण प्रस्ताव को समाप्त करने का निश्चय किया गया। ₹ 1.65 करोड़ की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह आईआईडीसी के उस निर्णय के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण टाटा मोटर्स के विस्तार परियोजना हेतु किया जायेगा। इस कारण टाटा मोटर्स से करार किया जाना चाहिये था तथा अर्जन लागत उनसे वसूल करना चाहिये था।

एलएएन के तहत अपर्याप्त कार्यवाही के कारण कोष का अवरुद्ध होना

2.2.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 31 मार्च 2005 के प्रस्तर 2.1.21 जो कि 'ग्रोथ सेन्टर' खुर्जा के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ लिया गया। हमने आगे पाया कि कम्पनी ने 1,200.483 एकड़ भूमि 1993 में खुर्जा में अनिवार्य अधिग्रहण प्रावधानों के अन्तर्गत 'ग्रोथ सेन्टर' स्थापित करने हेतु किया था। भू-स्वामियों को ₹ 10.29 करोड़ के प्रतिकर का भुगतान जनवरी 2011 तक किया गया। इसी प्रकार, बुलन्दशहर के 10 ग्रामों की 2,584.292 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अप्रैल 1999 से अप्रैल 2005 के मध्य अर्जेन्सी उपवाक्य के प्रावधान के तहत किया गया। सितम्बर 2012 तक ₹ 287 करोड़ के प्रतिकर का भुगतान किया गया। भू-स्वामियों से प्रतिकर पर विवाद के कारण कम्पनी भूमि पर भौतिक कब्जा नहीं प्राप्त कर सकी। कम्पनी ने भू-स्वामियों के साथ विवाद को एलएएन के तहत सुलझा न सकी जिसके कारण न सिर्फ 3,784.775 एकड़ भूमि पर अवसरंचना विकास में देरी हुई बल्कि ₹ 297.29 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि खुर्जा में भू-स्वामियों से करार करने के प्रयास किये जा रहे थे एवं बुलन्दशहर के छ: गाँवों के 1,855 में से 1,359 भू-स्वामियों से ₹ 650 प्रति एकड़ की दर पर प्रतिकर हेतु अनुबन्ध निष्पादित किये गये हैं। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अर्जेन्सी उपवाक्य के अन्तर्गत अर्जन के बावजूद कम्पनी ने प्रक्रिया में छ: से 15 वर्ष की देरी की।

कन्वेन्स डीड का निष्पादन न होना

2.2.15 कम्पनी ने 48,551.088 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (मार्च 2012) जिसमें से मात्र 27,745.588 एकड़ भूमि (57.15 प्रतिशत) का कन्वेन्स डीड निष्पादित (वर्ष

* सावधि जमा पर न्यूनतम सात प्रतिशत व्याज की दर पर आगणित।

2008–09 के लेखे के अनुसार मार्च 2009 तक) किया है। एक प्रकरण में डीएम, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर ने सूचित किया (जुलाई 2011) कि 123.15 एकड़ भूमि जो कि सप्ट्राट बाइसिकिल्स लिमिटेड को पूर्व में पट्टे पर आवंटित थी, का कन्वेयन्स डीड का निष्पादन आवंटी ने अपने पक्ष में करा लिया है तथा वह भूमि का विक्रय कर सकता है। हमारा मानना है कि कन्वेयन्स डीड के निष्पादन में देरी जोखिमपूर्ण है जिससे भूमि का आवंटी द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि शेष भूमि के कन्वेयन्स डीड के निष्पादन के प्रयास किये जा रहे हैं। सप्ट्राट बाइसिकिल्स की कन्वेयन्स डीड के निरस्तीकरण तथा उपरोक्त भूमि का कन्वेयन्स डीड कम्पनी के नाम अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–VI द्वारा किया जा रहा था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उत्तर में कन्वेयन्स डीड के निष्पादन में देरी के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है।

vf/kxgjlr Hfe ij vol jpkuk dk fodkl

2.2.16 औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवसरंचना न केवल औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बल्कि उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठता भी प्रदान करती है क्योंकि इससे उद्योग में विनिवेशित पूँजी की उत्पादकता बढ़ती है तथा उत्पादन लागत कम होती है। राज्य औद्योगिक नीति 1998 तथा 2004 उच्च कोटि की अवसरंचना सुविधा, जैसे 'सीवरेज', सड़क, नाला, सामान्य सुविधा केन्द्र तथा पानी-बिजली की व्यवस्था पर जोर देती है ताकि राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित किया जा सके।

लक्ष्य एवं प्राप्ति

2.2.17 नीचे दी गई तालिका वर्ष 2011–12 तक के पिछले पाँच वर्षों की अवधि में निर्धारित भूमि विकास का लक्ष्य एवं प्राप्ति को प्रदर्शित करती है:

वर्ष	Hfe dk fodkl ¼ dM+elk y{: iMr		vfkD; ¼ dM+elk U; urk ¼ dM+elk	fodkl r Hfe dk vfo/u ¼ dM+elk	fodkl r Hfe ds I ki f vko/u
	y{: iMr	vfkD; ¼ dM+elk U; urk ¼ dM+elk			
2007-08	1300.00	295.00	(-)1005.00	349.00	118.31
2008-09	1082.00	334.00	(-)748.00	362.99	108.68
2009-10	1202.00	327.20	(-)874.80	413.82	126.47
2010-11	200.00	160.00	(-)40.00	442.93	276.83
2011-12	519.00	391.00	(-)128.00	262.11	67.04

स्रोत: 2007-08 से 2011-12 तक की प्रगति आख्या।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि:

- उद्यमियों से विकसित भूमि की माँग सुनिश्चित किये बिना लक्ष्य का निर्धारण किया गया;
- कम्पनी भूमि विकास के लक्ष्यों को 2011–12 तक पिछले पाँच वर्षों की अवधि में नहीं प्राप्त कर सकी।

विकसित भूमि के सापेक्ष आवंटित भूमि की प्रतिशतता 67.04 एवं 276.83 के मध्य रही जो यह संकेत करता है कि उद्यमियों द्वारा भूखण्डों की अत्यधिक माँग थी।

विकास कार्य हेतु अनुबन्धों का निष्पादन

2.2.18 औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं अनुरक्षण हेतु वर्किंग मैनुअल (डब्ल्यूएमडीएमआईए) के प्रस्तर 20.7.6 में यह प्रावधान है कि निविदा सूचना का प्रकाशन निविदा प्राप्ति के न्यूनतम 21 दिन पहले किया जायेगा ताकि प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग हेतु पर्याप्त प्रचार किया जा सके। निविदा का विज्ञापन भी निविदा प्राप्ति के न्यूनतम 15 दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिये। यद्यपि, अनिवार्यता की दशा में, आठ दिन की अल्पकालीन निविदा सूचना, सीई के पूर्व अनुमोदन से निर्गत किया जा सकता है। जहाँ उसी कार्य हेतु पुनः निविदा आवश्यक हो अथवा जब कार्य के निष्पादन को टाली न जा सकने वाली अनिवार्यता हो, आठ दिन की अल्पकालीन निविदा पूर्ण औचित्य देते हुए निर्गत की जा सकती है।

डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 20.8.1 में प्रावधान है कि ₹ 75 लाख से ज्यादा तथा ₹ 150 लाख तक की निविदा के लिए एक समिति निविदा को स्वीकृत करेगी जिसमें सीई (चेयरमैन), सदस्य के रूप में डीजीएम (परियोजना), सीई द्वारा नामित ईई, तथा एमडी द्वारा नामित प्रबन्धक/उपप्रबन्धक (लेखा) शामिल होंगे। ₹ 150 लाख मूल्य से ज्यादा राशि वाली निविदा की स्वीकृति देने वाली समिति में एमडी (अध्यक्ष), सीई (सदस्य संयोजक), एफसी एक सदस्य के रूप में तथा पीएम/परियोजना अनुभाग द्वारा नामांकित अधिकारी शामिल होंगे।

कम्पनी ने मुख्यालय पर 2011–12 तक पिछले पाँच वर्षों में 248 अनुबन्ध निष्पादित किया जिनका विवरण निम्न है:

०१ । ५; १	०७ ।	०८ । फु'ि क्षिर् वुप्लक ॥ ५; १५	०९ । वुप्लक द्वै ए०; (८ द्वै नै०)	१० । हूर्कु फौ; १५ (८ द्वै नै०)
1.	2007-08		10	22.10
2.	2008-09		84	126.94
3.	2009-10		74	122.86
4.	2010-11		36	48.75
5.	2011-12		44	79.74
		248	400.39	301.20

248 अनुबन्धों में से चार अनुबन्ध पूर्णकालिक निविदा सूचना के तहत निष्पादित किये गये, 201 अनुबन्ध अल्पकालिक निविदा सूचना के तहत निष्पादित किये गये तथा 33 अनुबन्ध जिनका मूल्य ₹ 63.37 करोड़ था, अति अल्पकालीन निविदा सूचना* के तहत निष्पादित किये गये तथा 10 अनुबन्धों के मामले विशेष जाँच दल (एसआईटी) की अभिरक्षा में होने के कारण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। हमने 40 अनुबन्धों, जिनका मूल्य ₹ 61.67 है, का परीक्षण किया जिससे निम्नलिखित तथ्य उजागर हुये:

- उन्नीस निविदाओं जिनमें प्रत्येक का मूल्य ₹ 1.50 करोड़ से अधिक था तथा 21 निविदाओं जिनमें प्रत्येक का मूल्य ₹ 1.50 करोड़ तक था, की स्वीकृति क्रमशः एमडी की अध्यक्षता वाली समिति तथा सीई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाना था। तथापि, इन सभी निविदाओं को अवर अभियन्ता (जेई) अथवा सहायक अभियन्ता (एई) के द्वारा खोला तथा परीक्षण किया गया।
- तुलनात्मक विवरण एवं निविदा प्रपत्र सीई तथा एमडी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे तथा उनके द्वारा स्वीकृति पृथक से टिप्पणी शीट पर दी गई।
- पच्चीस अनुबन्ध अल्पकालिक निविदा सूचनाओं के तहत अन्तिमीकृत किये गये तथा अल्पकालीन निविदा हेतु सामान्य स्वीकृति मात्र पाँच अनुबन्धों के मामलों में ली गयी।
- तीन अनुबन्धों जिनका मूल्य ₹ 3.39 करोड़ था, को सीई की अध्यक्षता वाली समिति ने एमडी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना अन्तिमीकृत कर दिया गया।
- हमने इसके अतिरिक्त पाया कि डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 21.1 का उल्लंघन करते हुये चार अनुबन्धों[&] (प्रत्येक ₹ 1 एक करोड़ से अधिक) में कम्पनी ने ₹ 5.24 करोड़ का भुगतान एमडी की स्वीकृति के बिना ही कर दिया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि अति अल्पकालीन निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा जा रहा था। पुनः बताया गया (13 फरवरी 2013) कि सभी आठ अल्पकालीन निविदायें लोक सभा चुनावों के कारण वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एमडी के अनुसोदन से आमंत्रित की गई थी। इस प्रकार, प्रबन्धन के उत्तर आपस में विरोधाभासी हैं।

कार्य का समूहीकरण

2.2.19 डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 20.1 में प्रावधान है कि कार्यों को सीई की स्वीकृति के पश्चात एक या अधिक समूहों में कार्यस्थल की जरूरत/प्रगति को ध्यान में रखते हुये सुविधानुसार, बाँटा जा सकता है।

* अति अल्पकालीन निविदा सूचना जारी करने का कोई नियम नहीं है।

& सीई सं. 57/सीई/2008-09 दिनांक 31 मार्च 2009 के विरुद्ध ₹ 1.19 करोड़, सीई सं. 60/सीई/2008-09 दिनांक 21 मार्च 2009 के विरुद्ध ₹ 1.16 करोड़, सीई सं. 61/सीई/2008-09 दिनांक 21 मार्च 2009 के विरुद्ध ₹ 1.45 करोड़ एवं सीई सं. 62/सीई/2008-09 दिनांक 21 मार्च 2009 के विरुद्ध ₹ 1.44 करोड़।

हमने पाया कि निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, सीई ने विकास कार्य से सम्बन्धित ₹ 245.72 करोड़ के 55 स्वीकृत प्राककलनों के विरुद्ध इन प्राककलनों के कार्यों को समूह में बाँटकर, ₹ 197.73 करोड़ के 130 अनुबन्ध निष्पादित किया। यद्यपि, इन 55 प्राककलनों के कार्यों के समूहीकरण के लिए कार्यस्थल की जरूरत/प्रगति का औचित्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। इनमें से ₹ 104.60 करोड़ के 74 अनुबन्धों को पूर्ण कर लिया गया तथा ₹ 93.13 करोड़ के 56 अनुबन्ध अपूर्ण रहे जिस पर 31 मार्च 2012 तक ₹ 47.61 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 130 अनुबन्धों में से 44 प्राककलनों से सम्बन्धित 107 अनुबन्धों को एक ही ठेकेदार को दिये गये थे। 107 अनुबन्धों के सापेक्ष, 48 अनुबन्ध 31 मार्च 2012 तक अपूर्ण रहे जिससे समूहीकरण का उद्देश्य विफल रहा।

प्रबन्धन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

ठेकेदारों का अनुचित पक्षपात

2.2.20 डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 21.1 में प्रावधान है कि ₹ एक करोड़ से अधिक मूल्य के अनुबन्धों के विरुद्ध भुगतान सीई करेगा तथा अन्तिम बीजकों का भुगतान एमडी की स्वीकृति के पश्चात किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु संज्ञान में आये:

- सीई ने 19 ठेकेदारों को 39 अनुबन्धों के विरुद्ध ₹ 25.51 करोड़ का भुगतान (नवम्बर 2005 से जुलाई 2007) किया; यद्यपि, ये चालू बीजक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, ये भुगतान ठेकेदारों को अनुचित पक्षपात थे तथा कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को वित्त पोषण के समान है। किये गये कार्यों के बीजक सीई के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे जैसा कि ifjf k'V&12 में वर्णित है। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 25.51 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2013) कि भुगतान डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 21.2.3 के प्रावधानों के तहत किया गया था जिसके अनुसार ₹ 100 लाख से अधिक मूल्य के अनुबन्ध में, जहाँ कार्य का मापन न हुआ हो, ठेकेदार को सीई द्वारा कार्य के स्व-मूल्यांकन के आधार पर अग्रिम का भुगतान कर सकता है। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की सिफारिश व ठेकेदार की माँग पर भुगतान किया गया है तथा भुगतान की गई राशि का समायोजन कर लिया गया है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि ईई की सिफारिश, ठेकेदार की माँग और सीई का मूल्यांकन, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

- भुगतान किये गये ₹ 25.51 करोड़ के सापेक्ष, ठेकेदार को किये गये ₹ 19.87 करोड़ की धनराशि को अप्रैल 2006 से अगस्त 2009 के मध्य ठेकेदार के अग्रेतर बीजकों से समायोजित किया जा चुका है तथा ₹ 5.64 करोड़ की राशि 31 मार्च 2012 तक वसूल नहीं हो पायी थी। कम्पनी आवंटियों से दुतगामी औद्योगिक क्षेत्रों में 14 प्रतिशत तथा मन्दगामी औद्योगिक क्षेत्रों में 13 प्रतिशत ब्याज वसूल करती है। कम्पनी ने ठेकेदारों को अनियमित एवं अमान्य भुगतान के कारण ₹ 5.40 करोड़ के ब्याज की हानि वहन की जैसा कि ifjf k'V&12 में दर्शाया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2013) कि भुगतान निष्पादित कार्यों के विरुद्ध किया गया था और ब्याज हानि न्यायोचित नहीं थी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि भुगतान कार्य के निष्पादन के पूर्व किया गया।

- अनुबन्ध के सामान्य शर्तों के प्रस्तर 2 एवं 3 के अनुसार यदि ठेकेदार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में विफल रहता है तो अनुबन्ध के मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से लेकर उपलब्ध 'प्रतिभूति जमा' की राशि की सीमा तक, अर्थदण्ड लगाया जायेगा। यह पाया गया कि 21 अनुबन्धों में ₹ 2.65 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया जाना था क्योंकि समय विस्तार हेतु ठेकेदार ने

या तो आवेदन नहीं किया था या सीई ने स्वीकृति नहीं दी थी जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 1.07 लाख का ही अर्थदण्ड लगाया तथा वसूल किया गया। इस प्रकार, ₹ 2.64 करोड़ का अर्थदण्ड न लगाकर ठेकेदारों को अनुचित पक्षपात किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि समय विस्तार ईई की अनुशंसा पर स्वीकृत किया गया था। यद्यपि, हमने ऐसे प्रकरणों को छोड़ दिया है जिसमें समय विस्तार स्वीकृत किया गया था। अर्थदण्ड ₹ 2.64 करोड़ उन प्रकरणों में नहीं लगाया गया जिसमें कि ठेकेदारों ने या तो समय विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया या आवेदन किया परन्तु सीई ने स्वीकृत नहीं किया।

- कम्पनी के आदेश (14 अगस्त 2007) में व्यवस्था थी कि प्रत्येक कार्य की जाँच तीन स्तरों पर या क्रिटिकल स्तर पर, यदि कोई हो, की जानी चाहिए। प्रथम स्तर कार्य शुरू होने की तिमाही में 15 से 20 प्रतिशत पर, द्वितीय स्तर 50 से 70 प्रतिशत एवं अन्तिम स्तर 80 से 99 प्रतिशत कार्य प्रगति होने पर की जायेगी।

हमने पाया कि 39 अनुबन्धों में से, केवल पाँच अनुबन्धों में निर्धारित तीन जाँचें की गई; निर्धारित तीन गुणवत्ता जाँच के विरुद्ध, नौ अनुबन्धों में कोई जाँच नहीं की गई, 20 अनुबन्धों में एक जाँच की गयी तथा पाँच अनुबन्धों में दो गुणवत्ता जाँचें की गयी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि गुणवत्ता जाँच बाह्य संस्था के द्वारा किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि तृतीय पक्ष की जाँच आख्याएं उपलब्ध नहीं थीं।

- 39 अनुबन्धों के तहत दिये गये कार्य का मूल्य ₹ 88.06 करोड़ था, जिसमें से ₹ 34.17 करोड़ के कार्य 10 अनुबन्धों के विरुद्ध दिये गये थे। चार से छः वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, ये कार्य अपूर्ण थे जिन पर ₹ 21.17 करोड़ का भुगतान हो चुका था तथा ₹ 13.00 करोड़ का कार्य शेष था (मार्च 2012)। इससे न केवल ₹ 21.17 करोड़ $\frac{1}{4} \text{fjf } kV & 1\frac{1}{2}$ की राशि अवरुद्ध हुई बल्कि औद्योगिक विकास हेतु अवसंरचनात्मक सुविधा में भी देरी हुई। इन ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2013) कि कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही शुरू की गयी है। उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जो कार्य पूर्ण नहीं कर पायेंगे।

2.2.21 उपरोक्त 39 अनुबन्धों के अलावा, कम्पनी ने गुप्ता एसोसियेट्स को (अनुबन्ध संख्या 54/सीई/2009–10 दिनांक 30 अक्टूबर 2009) ₹ 1.11 करोड़ का भुगतान किया (19 नवंबर 2009)। हमने पाया कि निष्पादित कार्य के विरुद्ध बीजक सीई अनुभाग में उपलब्ध नहीं थे। कार्य जुलाई 2012 तक अपूर्ण था। ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2013) कि भुगतान मैनुअल के प्रस्तर 21.2.3 की शर्तों के अधीन अधिशासी अभियन्ता की अनुशंसा तथा ठेकेदार की माँग पर किया गया था। आगे बताया कि सम्बन्धित बीजक ईई द्वारा भेजे गये थे तथा कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे थे। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि भुगतान निष्पादित कार्य के मूल्यांकन के बिना किया गया। ईई की अनुशंसा तथा ठेकेदार की माँग अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

सामग्री का उपयोग न होना

2.2.22 प्रबन्ध निदेशक ने निर्देशित किया (जून 2007) कि भुगतान बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने पर किया जायेगा। हमने पाया कि 16 मीटर सड़क-पथ के छः मीटर विस्तार का, औद्योगिक क्षेत्र चक्रेरी-II में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) की पाइप लाइन पर, आरसीसी पुलिया के लिये ₹ 1.95 करोड़

के प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी (16 अक्टूबर 2008)। निर्माण खण्ड, कानपुर ने निर्माण कार्यों हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के तहत तीन अनुबन्ध निष्पादित (28 जनवरी 2009 तथा 26 फरवरी 2009) किया। हमने देखा कि ठेकेदार ने सामग्री की आपूर्ति की तथा ₹ 90.58 लाख का भुगतान सामग्री के विरुद्ध किया गया। अनुबन्धों को समाप्त कर दिया गया (3 नवम्बर 2010) क्योंकि आईओसी ने कार्य करने की अनुमति नहीं दी। यह निश्चय किया (3 नवम्बर 2010) गया कि सामग्री मंधना औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु प्रयोग की जायेगी।

dk; LFky ij
₹ 2.21 djM+dh
I kexh Hkfrd
: i I smi yC/k
ughaFlhA

इसके पश्चात, कम्पनी ने अल्पकालीन निविदा सूचना के तहत आठ अनुबन्धों को मंधना औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य निष्पादित किया। ठेकेदार को ₹ 2.83 करोड़ का भुगतान किया गया (जनवरी 2011 से जून 2011) जिसमें छ: अनुबन्धों के तहत सामग्री का मूल्य ₹ 2.12 करोड़ शामिल था। हमने पाया कि एमडी के निर्णय के बावजूद, पूर्व में आपूर्ति किये गये ₹ 90.58 लाख की सामग्री का उपयोग खण्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मंधना के विकास कार्य में नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र मंधना का भी कार्य भू-स्वामियों के विरोध के कारण अवरुद्ध हो गया (25 जून 2011)। खण्ड के अभियन्ता द्वारा कराये गये भौतिक सत्यापन (31 मार्च 2012) से उजागर हुआ कि ₹ 2.21 करोड़ की सामग्री, जो कि औद्योगिक क्षेत्र चक्रेरी एवं मंधना से सम्बन्धित थी, कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं थी। खण्ड ने न तो सामग्री में कमी के सम्बन्ध में पुलिस को एफआईआर लिखवाई न ही पुर्वोक्त त्रुटियों के लिए अभी तक (दिसम्बर 2012) उत्तरदायित्व का निर्धारण किया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक तथा अवर अभियन्ता निलम्बित कर दिये गये हैं।

Vlks kfxd {k= dk i clku

भूखण्डों का विषय

2.2.23 कम्पनी ने अपने आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2005 में निम्नलिखित आवंटन प्रक्रिया निर्धारित की:

- आरएम, विषय के लिये विस्तृत समयबद्ध कार्यक्रम एवं लागत प्राक्कलन मुख्यालय को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करेगा। आवेदन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, इन्टरनेट/वेबसाइट, पत्रिकाओं एवं जर्नल में व्यापक प्रचार करके माँगा जायेगा।
- आवंटी की प्रोजेक्ट लगाने में रुचि जानने के लिये, अनुभव का विवरण, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं वित्तीय सृदृढ़ता एवं तकनीकी विशेषज्ञता से सम्बन्धित प्रमाण, प्राप्त किया जायेगा।
- औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन, क्षेत्रीय कार्यालय पर, एक समिति जिसमें आरएम, सम्बन्धित ईई, मुख्यालय के प्रतिनिधि एवं एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे, के द्वारा आवेदक के साक्षात्कार के उपरान्त किया जायेगा।
- एक एकड़ के ऊपर के भूखण्ड के आवंटन का निर्णय मुख्यालय की समिति द्वारा लिया जायेगा।

आवासीय/वाणिज्यिक/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत भूखण्ड

- 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्ड क्षेत्रीय स्तर की समिति और 500 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखण्ड मुख्यालय स्तर की समिति द्वारा आवंटित किये जाने थे।
- वाणिज्यिक/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत भूखण्डों का आवंटन बिड व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा जिसके लिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, मुख्यालय को स्पष्ट विषय क्रमांक जैसे रिजर्व प्राइस, माँगी जाने वाली आवेदन धनराशि, उपयोग जो स्वीकृत किये जाने हैं, बिड प्रारम्भ एवं समाप्त करने की तिथि एवं लागत प्राक्कलन के अनुमोदन के लिये स्पष्ट प्रस्ताव भेजेगा।

एक एकड़ से बड़े भूखण्डों (आवासीय भूखण्डों को छोड़कर) के लिए मुख्यालय द्वारा निविदा माँगी जायेगी और निर्णय मुख्यालय स्तर की समिति द्वारा लिया जायेगा। क्षेत्रीय स्तर की समिति मुख्यालय अनुमोदन से एक एकड़ तक के भूखण्ड का आवंटन करेगी।

औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना के विकसित करने के उपरान्त, निर्माण खण्ड द्वारा विकसित भूखण्डों को आरएम को आवंटन के लिये हस्तान्तरित कर दिया जाता है। वर्ष 2011–12 तक के पाँच वर्षों के दौरान भूखण्डों का विकास, आवंटन एवं उपयोग नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

ठोड़ा	fooj.k	Hk.M ; k , 08{<Qy , dM+es	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	भूमि (अविकसित भूमि सहित) आवंटन के लिये उपलब्ध	भूखण्ड क्षेत्रफल	38838 28090.1	35258 29927.02	31343 31187	35553 33656.18	34715 32717.78
2	आवंटित भूमि	इकाई भूखण्ड क्षेत्रफल	27503 37100 25189	24288 30845 27523.05	21868 27998 26196.57	24673 31574 28343.72	24098 30663 27360.16
3	अनधिकृत कब्जा/विवाद के कारण आवंटन के लिये अनुपलब्ध भूमि	भूखण्ड क्षेत्रफल	1139 766.14	1154 570.44	1027 1028.95	1427 882.37	808 747.41
4	भूमि उपयोग विवरणों के अनुसार अवशेष भूमि	भूखण्ड क्षेत्रफल	2610 3286.48	1881 2867.46	2194 3406.12	2480 3846.94	3282 4129.94
5	वास्तविक अवशेष (1-(2+3))	भूखण्ड क्षेत्रफल	599 2134.96	3259 1833.53	2318 3961.48	2552 4430.09	3244 4610.21
6	अन्तर (5-4)	भूखण्ड क्षेत्रफल	-2011 -1151.52	1378 -1033.93	124 555.36	72 583.15	-38 480.27
7	उत्पादनरत भूमि	इकाई क्षेत्रफल	6375 12285.4	8412 13679.12	8157 13529.08	9095 14370.7	9841 14847
8	बीमार/बन्द इकाइयों के पास भूमि	इकाई क्षेत्रफल	2169 2940.79	1912 5312.55	1752 3380.97	1945 3751.45	2421 3951
9	आवंटियों द्वारा निर्माणाधीन भूमि	इकाई क्षेत्रफल	2557 3196.41	2489 3766.99	2583 3663.25	2807 4103.49	2722 3177.99
10	उपयोग की दुर्दृष्टि भूमि (7+8+9)	इकाई क्षेत्रफल	11101 18422.6	12813 22758.66	12492 20573.3	13847 22225.64	14984 21975.99
11	उपयोग न की गयी भूमि (2-10)	इकाई क्षेत्रफल	16402 6766.4	11475 4764.39	9376 5623.27	10826 6118.08	9114 5384.17
12	विकसित भूखण्ड के विरुद्ध आवंटन का प्रति ता	क्षेत्रफल	89.67	91.97	84.00	84.22	83.62
13	आवंटन के विरुद्ध उत्पादनरत भूमि का प्रति ता	क्षेत्रफल	48.77	49.70	51.64	50.70	54.27
14	आवंटित इकाइयों के विरुद्ध बीमार/बन्द इकाइयों का प्रति ता	क्षेत्रफल	11.67	19.30	12.91	13.24	14.44

ज्ञात: 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिये शूष्ठि उपयोग विवरणी।

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि:

- 2011–12 को समाप्त हुये पाँच वर्ष की अवधि में वर्ष के अन्त में भूमि का अवशेष एवं लेखापरीक्षा में निकाले गये अवशेष का अन्तर (—) 1151.52 एकड़ से 583.15 एकड़ के मध्य है जिसे प्रबन्धन द्वारा समाधानित नहीं किया गया है।
- आवंटित भूखण्डों का इकाइयों द्वारा उपयोग 2011–12 तक पिछले पाँच वर्षों में 48.77 प्रतिशत और 54.27 प्रतिशत के मध्य था। इससे यह इंगित होता है कि आवंटी उद्यमिता केन्द्रित नहीं थी, कदाचित, वह भूखण्डों के स्टेटे के व्यवसाय में रत थे जैसा कि प्रस्तर 2.2.24 में वर्णित है।
- भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 747.41 एकड़ एवं मूल्य ₹ 440.10 करोड़ था (मार्च 2012 के अन्त में), विवाद एवं अनधिकृत कब्जों के कारण आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं थे। भूखण्डवार कब्जे एवं विवाद के विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि वास्तव में भूमि विवादित नहीं थी बल्कि खण्डों द्वारा भूखण्ड की ट्रेसिंग उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके लिये कार्यवाही की जायेगी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा को जो सूचना उपलब्ध कराई गयी है उससे यह स्पष्ट है कि भूखण्ड ट्रेसिंग उपलब्ध न कराने एवं विकसित भूखण्डों पर मंदिर तथा कब्रिस्तान बने होने के भी कारण उपलब्ध नहीं थे।

औद्योगिक भूखण्ड

औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन में हमें विभिन्न अनियमितताएं मिलीं जिनकी चर्चा आगे प्रस्तरों में की गयी है:

2.2.24 भूखण्ड दो वर्षों के अन्दर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आवंटित किये जाते हैं जिसमें विफल होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाना था। आपरेटिंग मैनुअल के अध्याय-6 में उद्धृत नीतियों के अनुसार कोई भी पट्टाधारी बिना कम्पनी के अनुमोदन के भूखण्ड का हस्तान्तरण नहीं कर सकता। भूखण्ड का हस्तान्तरण, विरासत, आवंटी की मृत्यु की दशा में छोड़कर, हस्तान्तरण शुल्क जो कि पाँच से 15 प्रतिशत के मध्य होती है, वसूल करने के उपरान्त अनुमोदित किया जाता है। निदेशक मण्डल ने अपनी 258वीं बैठक (17 अक्टूबर 2007) में खाली पड़े भूखण्डों के हस्तान्तरण पर 1 अप्रैल 2008 से रोक इस आधार पर लगा दी थी कि खाली भूखण्डों का हस्तान्तरण सट्टा व्यापार को बढ़ावा देता है व औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रमाणित करता है। निदेशक मण्डल ने अपनी अगली बैठक (फरवरी 2010) में इस हस्तान्तरण पर लगी रोक को इस आधार पर समाप्त कर दिया कि कम्पनी को इससे हस्तान्तरण शुल्क प्राप्त होगा जिससे इसकी वित्तीय स्थिति सूदृढ़ होगी और उद्यमी आसानी से भूखण्ड प्राप्त करेंगे जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

हमने ट्रोनिका सिटी, सूरजपुर और लखनऊ क्षेत्रों के एक-एक औद्योगिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में पाया कि 131 खाली भूखण्डों का हस्तान्तरण किया गया जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्षेत्र	विकास क्षेत्र विभागीय क्षेत्र	31 दिसंबर 2012 तक विभागीय क्षेत्र	2007 & 08 तक 2011 & 12 तक विभागीय क्षेत्र	जिल्हा क्षेत्र	विकास क्षेत्र विभागीय क्षेत्र	विकास क्षेत्र विभागीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
ट्रोनिका सिटी	3	2412	455.71	1677	ट्रोनिका	2302	25
सूरजपुर	9	4466	2683.74	1940	साइट-4	339	31
लखनऊ	22	1880	2970.65	277	एग्रो पार्क	294	75
	34	8758	6110.10	2204		2933	131
							11.30

ज्ञात: भूखण्डबार रजिस्टर तथा भूखण्ड हस्तान्तरण रजिस्टर

- अगस्त 2008 से जनवरी 2010 के मध्य जबकि हस्तान्तरण पर रोक लगी थी, 21 भूखण्ड अनियमित रूप से हस्तान्तरित किये गये।
- पाँच वर्षों में 110 खाली भूखण्डों के निरस्तीकरण एवं उनके पुनः आवंटन के बजाय स्थानान्तरित कर दिये गये।

हमने अवलोकित किया कि इन भूखण्डों की स्पष्ट माँग थी और; इसीलिए, विवेकपूर्ण विकल्प यह होता कि हस्तान्तरण अनुमन्य करने के बजाय, उपयोग न करने के कारण उन्हें रद्द कर दिया जाता और पुनः आवंटन किया गया होता। ऐसा करने से ₹ 11.30 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता जिससे कम्पनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई होती। पुनर्श, इससे सट्टा व्यापार पर रोक लगती तथा उद्यमियों को आसानी से भूखण्ड भी प्राप्त हुए होते।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी भूखण्डों के सट्टा व्यापार को ध्यान में रखती है, परन्तु भूखण्डों के हस्तान्तरण को रोका नहीं जा सकता क्योंकि भूखण्डों का हस्तान्तरण उन आवंटियों के लिए एक सुविधा है जो आर्थिक समस्याओं के कारण या मृत्यु के कारण सरलता से बाहर निकलना चाहते हैं। हस्तान्तरण के माध्यम से, कम्पनी भूखण्डों के उपयोग और तीव्र औद्योगिकीकरण का बेहतर प्रबन्धन कर रही है। यदि कम्पनी हस्तान्तरण को रोकती है और आवंटित भूखण्डों को रद्द करती है तो इसके परिणाम में विवाद बढ़ेगा जिससे भूखण्ड पुनःआवंटन के लिये उपलब्ध नहीं होंगे। औद्योगिकीकरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः, बिना बाहर निकलने का अवसर प्रदान किये रद्द करने का तर्क सही नहीं है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह

* वर्तमान में प्रीमियम दर—₹ 29.49 करोड़ घटाया (आवंटन के समय प्राप्त प्रीमियम—₹ 14.64 करोड़ जोड़ा प्राप्त हस्तान्तरण शुल्क—₹ 3.55 करोड़)।

आवंटन पत्र की उन शर्तों के विरुद्ध है जिसके अनुसार यदि भूखण्ड दो वर्षों की अवधि में उपयोग नहीं होता है, आवंटन रद्द कर दिया जायेगा। पुनः समय वृद्धि की सुविधा आवंटी को उपलब्ध है जिसके माध्यम से वह दो वर्ष के बाद भी उसका उपयोग सुनिश्चित कर सकता है। अतः, अनुपयोग की स्थिति में, आवंटन रद्द कर दिया जाना चाहिये था जिससे कि उसका आवंटन समुचित उद्यमी को किया जा सके। पुनः भूखण्डों का हस्तान्तरण सट्टा (स्पेकुलेटिव) व्यापार को बढ़ावा देता है जिससे राज्य का औद्योगिकरण प्रभावित होता है।

दरों का पुनरीक्षण न करना

2.2.25 कम्पनी ने ट्रोनिका सिटी के नव विकसित सेक्टर ए-7 के पार्केट-1 में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिये ₹ 6,000 प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की (14 जनवरी 2010) जो 31 मार्च 2010 तक प्रभावी थी एवं इसके उपरान्त, वहीं यह भी तय था कि यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा जिसके अनुसार प्रीमियम की दर अति द्रुतगामी, द्रुतगामी तथा मन्दगामी क्षेत्रों में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत बढ़ा कर नवीनीकृत किया जाना था।

प्रीमियम की दर 31 मार्च 2010 के उपरान्त पुनरीक्षित नहीं की गयी। परियोजना कार्यालय को 166 भूखण्डों के विज्ञापन (16 जनवरी 2010) के विरुद्ध सेक्टर ए-7 में आवंटन हेतु 423 आवेदन प्राप्त हुये। आवेदकों का साक्षात्कार 5 मार्च 2010 से 18 मार्च 2010 के मध्य सम्पन्न किया गया। जून 2010 में, 164 भूखण्ड ₹ 6,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित किये गये। औद्योगिक क्षेत्र के आपरेटिंग मैनुअल के अध्याय-III के अनुसार, आवंटन के दिन प्रचलित प्रीमियम की दर मान्य थी। हमने पाया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 31 मार्च 2010 के बाद प्रीमियम की दर 10 प्रतिशत जोड़कर ₹ 6,600 प्रति वर्ग मीटर पर पुनरीक्षित नहीं की गयी थी। चूँकि आवंटियों से पुरानी प्रीमियम ₹ 6,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूली की गयी थी, इससे ₹ 3.29 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 6,000 प्रति वर्ग मीटर की दर 14 जनवरी 2010 को निर्धारित की गयी थी। कास्टिंग अनुभाग ने ₹ 6,000 की प्रीमियम को पुनः सुनिश्चित किया (15 सितम्बर 2010)। अतः कोई हानि नहीं हुई। उत्तर जनवरी 2010 के आदेश के अनुरूप नहीं था जिसमें यह सुविचारित था कि दर 31 मार्च 2010 के उपरान्त प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यालय/स्कूल के लिए बफर क्षेत्र का सृजन न करना

2.2.26 राज्य सरकार ने निर्देशित किया (अगस्त 2004) कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्कूल चलाने के लिये भूखण्ड आवंटित नहीं किया जायेगा और जहाँ पूर्व में ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है, स्कूल के चारों ओर बफर क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाये और वहाँ पर बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिये केवल गैर-प्रदूषणकारी इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने भी राज्य सरकार के आदेश का पालन करने हेतु निर्देशित किया (31 अगस्त 2005)।

हमने अवलोकित किया कि सरकार के निर्देश के बावजूद गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पहले से छ: स्कूल* चल रहे थे। कम्पनी ने बफर क्षेत्र सृजित करने की कोई कार्यवाही आठ साल से अधिक व्यतीत होने के बावजूद नहीं की।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि कार्यवाही करने के लिये बिन्दु नोट कर लिया गया है। स्कूलों को स्थानान्तरित करने के लिये या स्कूलों के बाहर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सृजित करने के लिये कठोर नोटिसें दी जायेंगी। पीसीबी से स्कूल के चारों ओर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिये नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना की जायेगी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कम्पनी स्कूल के चारों ओर बफर क्षेत्र बनाने के लिये जिम्मेदार थी जिसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

* सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद; दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद; अमुदया स्कूल, साहियाबाद; न्यू ऐरा स्कूल, शंकर स्कूल, बुलन्दशहर रोड-गाजियाबाद; रेयान इंटरनेशनल स्कूल, गाजियाबाद।

बिना पट्टा विलेख सम्पन्न किये भूखण्डों के हस्तान्तरण के कारण राजकोष की हानि

2.2.27 कम्पनी द्वारा जारी किये गये आवंटन पत्रों के प्रावधान के अनुसार, आवंटियों को आवंटन के 90 दिन के अन्दर स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग से पट्टा विलेख कराना था।

हमने अवलोकित किया कि आवंटियों ने समयानुसार पट्टा विलेख नहीं करवाया। कम्पनी ने आवंटियों द्वारा इस शर्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विकसित नहीं किया है। इस कारण राजकोष को, 3,490 में से जाँचे गये 515 मामलों में, ₹ 24.21 करोड़ की हानि हुई:

i Vlk foy[k djk; s
fcuk glRkUrj.k dh
vupfr nus ds
dkj.k] jkt dksk dks
₹ 5-40 djkm+dh
gkfu gkA vlxj
i Vlk foy[k u
djk; s tkus ds
dkj.k LVKEI M; wh
ds ₹ 18-81 djkm+
oi y ug[g A

- 212 भूखण्ड (6 प्रतिशत) मूल आवंटियों द्वारा अनियमित रूप से हस्तान्तरित किये गये जिन्होंने पट्टा विलेख नहीं कराया था। इस कारण एक्सचेकर को ₹ 5.40 करोड़ की हानि हुई।
- 303 मामलों में (जिन्हे जनवरी 1970 से फरवरी 2012 के मध्य भूखण्ड आवंटित किये गये थे) मूल आवंटियों ने 90 दिन के ब्यतीत हो जाने के बाद भी पट्टा विलेख नहीं किया था। इस कारण स्टाम्प ड्यूटी ₹ 18.81 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि टिप्पणी नोट कर ली गयी है एवं नये आवंटियों के लिये आवंटन के छः माह के अन्दर तथा नये हस्तान्तरी को भूखण्ड हस्तान्तरण के 90 दिन के अन्दर पट्टा विलेख कराने के लिये सख्त कार्यवाही करने की धारणा बना ली गयी है।

आवासीय भूखण्ड

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन

2.2.28 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) ने अपनी 16वीं निदेशक मण्डल की बैठक में निर्णय लिया (फरवरी 2009) कि ट्रेनिका सिटी और गाजियाबाद के लिये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के नियम, सूरजपुर क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रेटर नौयडा प्राधिकरण (जीएनए) के नियम एवं अन्य क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के नियम लागू होंगे।

औद्योगिक क्षेत्र के आपरेटिंग मैनुअल के पैरा 2.09 (VI) में प्रावधानित है कि अति द्रुतगामी और द्रुतगामी क्षेत्रों में स्थित आवासीय क्षेत्रों की भूमि के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु रिजर्व प्राइस का निर्धारण आवासीय दर में 2.5 से गुणा करके निर्धारित किया जायेगा।

कम्पनी ने सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र के साइट-सी विस्तार में तीन ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों (एचआरए 9,10,11) का आवंटन (जून 2011 से अगस्त 2011) रिजर्व प्राइस ₹ 7,850 प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध ₹ 7,950 से ₹ 7,965 प्रति वर्ग मीटर की दर से एवं दो ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (एचआरए 12,14) रिजर्व प्राइस ₹ 8,000 प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध नवम्बर 2011 में ₹ 8,090 और ₹ 8,080 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया। हमने अवलोकित किया कि कम्पनी ने मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के अतिरिक्त जीएनए के समस्त नियम अपनाये। जीएनए आवासीय भूखण्ड का दर का निर्धारण औद्योगिक भूमि[&] की दर पर 1.91 से 5.12 के फैक्टर का गुणा करके करता है।

कम्पनी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का मूल्य आवासीय मूल्य के फैक्टर 1 को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित करती है। कम्पनी ने लागत ₹ 7,827 के विरुद्ध रिजर्व प्राइस ₹ 7,850 निर्धारित किया एवं 8,000 का निर्धारण पिछले अधिकतम प्राप्त नीलामी दर ₹ 7,950 के विरुद्ध किया।

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड निजी बिल्डर्स को आवंटित किये गये जो फ्लैट निर्माण एवं उनके विक्रय के व्यवसाय में लगे थे जो कि वाणिज्यिक क्रिया थी। आवासीय क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक भूखण्ड का प्रीमियम, क्षेत्र के आवासीय भूखण्ड की लागत और अति द्रुतगामी / द्रुतगामी क्षेत्रों में 2.5 का फैक्टर लेते हुये निर्धारित किया जाना चाहिये था,

xij glmfl x Hufk.Mka
ds fjt ol i kbl dk
fuEu fuMj.k ds
dkj.k ₹ 110-10
djm+ds vfrfj Dr
jktLo l sofr
jguk i MKA

जैसा कि कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया था। चूँकि विकसित भूमि की लागत ₹ 7,827 प्रति वर्ग मीटर थी, रिजर्व प्राइस ₹ 19,567.50 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की जानी चाहिये थी। इस प्रकार, रिजर्व प्राइस के निम्न निर्धारण किये जाने के कारण बिल्डर्स ने निम्न दर दिये जिसके कारण कम्पनी को पाँच ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के आवंटन में ₹ 110.10 करोड़* की अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि जीएनए के सभी सेक्टर के लिये आवासीय दर और ग्रुप हाउसिंग दर ₹ 10,500 थी और जीएनए के एफएआर 2.50 से समता रखने के लिये एफएआर 2.75 प्रदान किया गया क्योंकि सूरजपुर आवासीय ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कम्पनी ने न तो जीएनए की व्यवस्था को पूर्णतः लागू किया न ही अपने स्वयं के वर्किंग मैनुअल के अनुरूप रिजर्व प्राइस निश्चित किया। भूखण्डों का आवंटन बिल्डर्स को फ्लैटों के निर्माण और बिक्री के लिये किया गया। चूँकि बिल्डर की क्रिया वाणिज्यिक प्रकृति की है, उसी अनुरूप रिजर्व प्राइस का निर्धारण किया जाना चाहिये था।

ट्रोनिका सिटी में वाणिज्यिक एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन

2.2.29 निदेशक मण्डल ने निर्धारित किया (26 जून 1992) कि औद्योगिक क्षेत्र के आसपास में मौजूदा बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये प्रीमियम की दर निर्धारित की जाय। आपरेटिंग मैनुअल के प्रस्तर 2.06 में भी प्रावधान है कि मौजूदा बाजार मूल्य पर भूखण्डों का विक्रय किया जाये।

कम्पनी ने 96,600 वर्ग मीटर के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड और 76,640 वर्ग मीटर के वाणिज्यिक भूखण्ड ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित (अगस्त 2006 और मार्च 2007) किये। प्रबन्ध निदेशक ने भूमि के आवंटन में निम्नलिखित अनियमिततायें उजागर की:

- प्राप्त हुई बिड़स की जाँच एक समिति द्वारा की गई और सीई को अनुमोदन के लिये भजी गयी। एमडी और जेएमडी के अनुमोदन प्राप्त नहीं किये गये क्योंकि तत्कालीन एमडी द्वारा 6 अगस्त के आदेश के तहत सीई को असीमित अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे। सीई को असीमित अधिकार के प्रत्यायोजन का आदेश अनियमित था।
- विज्ञापन सम्बन्धी मीडिया योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं कराई गई थी।
- भूखण्डों का आवंटन व्यापक स्तर पर विज्ञापित नहीं किया गया क्योंकि विज्ञापन केवल फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर, जिनका सीमित क्षेत्र था, में दिया गया।
- मुख्यालय द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के बाजार मूल्य ₹ 12,000 से ₹ 13,000 प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध ₹ 3,200 से ₹ 4,475 प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यिक भूखण्ड के बाजार मूल्य ₹ 15,000 प्रति वर्ग मीटर तक के विरुद्ध ₹ 5,500 से ₹ 11,500 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया।
- नीलामी दस्तावेजों में आवेदक की वाणिज्यिक और तकनीकी अनुभव से सम्बन्धित शर्त नहीं लगाई गयी थी।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये, एमडी ने सीबीआई द्वारा जाँच की सिफारिश की। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जाँच शाखा (एसआईटी) के माध्यम से जाँच शुरू की (22 जून 2007) जो अभी प्रगति में थी (दिसम्बर 2012)। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मुख्यालय समिति ने निविदा आमंत्रित की, आवंटियों का चयन किया आवंटियों का चयन पत्र परियोजना कार्यालय को भेज दिया। तदनुरूप, परियोजना कार्यालय ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 की

* भूखण्ड सं. एचआरए-9: ₹ 13.83 करोड़, एचआरए-10: ₹ 40.80 करोड़, एचआरए 11: ₹ 15.91 करोड़, एचआरए-12: ₹ 26.26 करोड़, एचआरए-14: ₹ 13.30 करोड़।

अवधि में आठ ग्रुप हाउसिंग और 34 वाणिज्यिक भूखण्ड आवंटित किये। अभिलेखों की परीक्षा के दौरान हमने पाया कि:

- आवंटियों द्वारा जमा की गयी मूल बिड़स, रिजर्व प्राइस निश्चित करने सम्बन्धी अभिलेख और भूखण्डों के विक्रय के लिये मीडिया योजना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।
- आपरेटिंग मैनुअल के प्रस्तर 2.06 और निदेशक मण्डल के अनुमोदन (26 जून 1992) के विरुद्ध प्रचलित बाजार दर और सर्किल दर से कम पर भूखण्डों का आवंटन किया गया।
- प्रकरण निदेशक मण्डल की बैठक (27 मई 2009) में प्रस्तुत किया गया। मण्डल को बताया गया कि भूखण्डों का आवंटन क्षेत्रीय समाचार पत्रों, जिनका विस्तार क्षेत्र सीमित था, में दिये गये विज्ञापन के आधार पर किया गया था और भूखण्डों का आवंटन ग्रुप हाउसिंग के सम्बन्ध में ₹ 12,000 से ₹ 13,000 प्रति वर्ग मीटर की प्रचलित बाजार दर के विरुद्ध ₹ 3,200 से ₹ 4,475 प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यिक के सम्बन्ध में ₹ 15,000 प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध ₹ 5,500 से ₹ 11,500 प्रति वर्ग मीटर की निम्न दर पर किया गया। भूखण्डों के निम्न दर पर आवंटन के कारण कम्पनी को बाजार दर पर ₹ 152.29 करोड़ और सर्किल दर पर ₹ 24.50 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई जैसा कि i fff k'V&14 में वर्णित है।
- वर्किंग मैनुअल के प्रस्तर 2.16 में प्रावधान है कि यदि भूखण्ड क्षेत्र 10 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, प्रकरण आरएम द्वारा निर्णीत किया जायगा, अन्यथा, अनुमोदन के लिये मुख्यालय को संदर्भित किया जायेगा। भूखण्डों की ट्रेसिंग अन्तिम किये बगैर आवंटन कर दिया गया जिसके कारण आवंटन के लिये मुख्यालय द्वारा अनुमोदित क्षेत्र से 41,134 वर्ग मीटर अधिक का आवंटन किया गया। 14 मामलों में, अधिक्य क्षेत्र 10 प्रतिशत से अधिक था जिसका अन्तिमीकरण मुख्यालय के अनुमोदन के बगैर परियोजना कार्यालय द्वारा स्वयं कर दिया गया।
- निर्माण योजना और मानचित्र केवल आठ मामलों में अनुमोदित किये गये थे और अन्य आवंटियों द्वारा इन दस्तावेजों को मई 2012 तक अनुमोदन के लिये जमा नहीं किया गया था।
- जनवरी 2012 के अन्त में, 34 आवंटियों के विरुद्ध ₹ 43.30 करोड़ प्रीमियम और ₹ 29.31 करोड़ ब्याज संचित था परन्तु आवंटन पत्र की शर्तों के अनुरूप भूखण्डों के निरस्तीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी की सम्बन्धित दर को दृष्टिगत रखते हुये रिजर्व प्राइस के विरुद्ध अधिकतम निविदादाता को भूखण्ड आवंटित किया गया था। ग्रुप हाउसिंग के बाजार मूल्य ₹ 10,000 एवं वाणिज्यिक के बाजार मूल्य ₹ 12,000 का कोई आधार फाइलों में उपलब्ध नहीं था। यह तथ्य है कि 44 आवंटनों में एसआईटी जाँच ने ट्रोनिका सिटी के विकास, संवर्धन, आवंटन और हैबिटेशन को प्रभावित किया है और ₹ 7,000 रिजर्व प्राइस निश्चित करने के बाद भी किसी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का 2007 से आवंटन नहीं हुआ है जो बाजार मूल्य की मान्यता पर हानि की संगणना पर बड़ा सवाल लगाता है। आगे बताया गया कि 6 अगस्त 2005 के आदेश द्वारा क्लास-I अधिकारियों को कार्य विभाजित किये गये थे। महाप्रबन्धक (वि.) के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण जीएम की शक्ति सीई को प्रदान कर दी गयी।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि रिजर्व प्राइस बाजार मूल्य से कम निर्धारित किया गया था जिसका ऑकलन कम्पनी द्वारा स्वयं किया गया था। आगे, शक्ति प्रत्यायोजन के आदेश (6 अगस्त 2005) में सभी अधिकारियों के रिपोर्टिंग अधिकारी का निर्धारण किया गया था। भूखण्डों का आवंटन जेरमडी/एमडी के अनुमोदन के बगैर किया गया था जो कि रिपोर्टिंग अधिकारी थे। जेरमडी द्वारा की गयी जाँच में सीई को शक्ति के

fuE u njk i j
vko/u ds dkj.k
dEi uh dks ₹ 152-29
djkM+dk vfrfjDr
jktLo dk gkf
gpa ; g gkf
I fdly njk i j
₹ 24-50 djkM+
vkxf.kr gpa

उल्लंघन, प्रक्रियात्मक अनियमितता और पर्यवेक्षणीय कमी के लिये उत्तरदायी ठहराया गया (6 अगस्त 2009) है और उनकी दो वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोक दी गयी थी तथा उसकी निन्दा की गयी थी। सीई के विरुद्ध जाँच पुनः शुरू की गई है (6 जनवरी 2012) और एएमडी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसके विरुद्ध सीई द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाद प्रस्तुत किया गया है।

विवरणों का विवरण

आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो संचालन की कुशलता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं नियमों तथा विधियों के पालन हेतु औचित्यपूर्ण सुनिश्चितता के लिए अपनायी जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं/प्रणाली की लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईः

अपर्याप्त श्रमशक्ति के कारण आंतरिक नियंत्रण का अभाव

2.2.30 कम्पनी ने प्रारम्भ से कार्य की मात्रा के सन्दर्भ में श्रमशक्ति की आश्यकता का विश्लेषण नहीं किया। राज्य सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 801 पद अनुमोदित (11 जनवरी 2002)* किये फिर आरक्षित श्रेणी के बैकलाग को भरने के लिये 514 पद अस्थायी रूप से अनुमोदित किये। श्रम शक्ति की वर्ष 2011–12 के अन्त में अनुमोदित क्षमता के विरुद्ध कार्यशील श्रमशक्ति का विवरण निम्न प्रकार था:

क्षेत्र	लोडिंग			द्वितीय कार्यवाही	कर्मचारी	कर्मचारी
	2002	2007 तक	2008 तक			
अ	79	5	-	84	53	31
ब	81	2	-	83	50	33
स	444	2	95	541	421	120
द	197	-	410	607	443	164
क्षेत्र	801	9	505	1315	967	348

हमने निम्न तथ्य अवलोकित किये:

- जैसा कि उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है, 348 कर्मचारियों की कमी थी। क्लास-ए के 31 एवं क्लास-बी के 33 अधिकारियों की कमी थी जो निर्देशन एवं नियंत्रण के लिये उत्तरदायी थे, परिणामस्वरूप नियंत्रण की कमी थी। आगे, 284 निम्न कर्मचारियों की कमी के कारण निष्पादन स्तर प्रभावित हुआ और कार्य देरी से पूरा हुआ जिसका परिणाम अपरिहार्य व्यय एवं हानि के रूप में हुआ।
- कम्पनी ने 35 कर्मचारियों की रिथर वेतन आधार पर नियुक्ति (1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012) की जिसके लिए निदेशक मण्डल/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
- बैकलाग को समाप्त करने के लिये अनुमोदित पदों के विरुद्ध नियुक्ति अपुष्ट दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के आधार पर की गई। हमने फरवरी 2010 से जनवरी 2011[&] की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में ऐसे आठ मामलों को प्रतिवेदित किया था और नियुक्ति प्रक्रिया की जाँच के लिये प्रबन्धन को सिफारिश की थी। प्रबन्धन ने, तथापि, लेखापरीक्षा की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की। राज्य सरकार ने सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया की जाँच करने के लिये कम्पनी को निर्देश (10 मई 2012) दिया और आयुक्त, कानपुर को मामले की जाँच करने के लिये नियुक्त किया। कम्पनी द्वारा की गई नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेख सील कर दिये गये हैं। मामले में भावी प्रगति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था (नवम्बर 2012)।

पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग नियंत्रण की कमी

2.2.31 वर्किंग मैनुअल के अध्याय-16 के अनुसार, सीई निर्माण खण्डों (सीडी)/विद्युत खण्डों (ईडी) का वार्षिक निरीक्षण करेगा। हमने पाया कि सीई द्वारा सीडी/ईडी का

* कम्पनी के निगमन के 40 वर्ष बाद पत्र संख्या 4477(1)/77-4-2001 दिनांक 11 जनवरी 2002, 3396/88-2007-312 एन/07 दिनांक 14 नवम्बर 2007, 4408 (i)/86-08 दिनांक 21 फरवरी 2008, 3576/86-11-338/2010 दिनांक 1 अप्रैल 2011।

& लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रबन्धन को पत्र संख्या सी.ए.डब्ल्यू./डीएमयू./लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/14 दिनांक 14 अप्रैल 2011 को निर्गत।

वार्षिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार, एमडी, एफसी एवं सीएमआईए द्वारा प्रबन्ध निदेशक के आदेश (25 जून 2010) के बावजूद अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि एमडी और एफसी द्वारा प्रति माह मॉनिटरिंग की जाती है और अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र कार्यालयों का दौरा करते हैं परन्तु निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि निरीक्षण की स्थापित प्रक्रिया को अभिलेखित नहीं किया गया है, इसीलिए, यह व्यवस्था के अनुपालन के सम्बन्ध में विश्वसनीयता प्रदान नहीं करती है।

वित्तीय नियंत्रण में कमियाँ

2.2.32 निम्नलिखित कमियाँ वित्तीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत देती हैं:

- कम्पनी ने केवल 2008–09 तक वार्षिक लेखे को अन्तिमीकृत किया था एवं वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लेखे बकाये में थे।
- आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 207 के अनुसार प्रत्येक करदाता को यदि उसकी आय ₹ 10,000 या अधिक है तो अधिनियम की धारा 208 से 219 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष की प्राक्कलित आय पर निर्धारित दर से चार किस्तों* में अग्रिम कर चुकता करना होता है। अग्रिम कर का न्यूनतम 90 प्रतिशत जमा न करने या कमी होने पर निर्धारित स्लैब के अनुसार धारा 234बी एवं 234सी के प्रावधानों के अनुसार एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अलग से ब्याज देय होगा। अतः ब्याज के प्रभाव से बचने के लिये कर योग्य आय का समुचित प्राक्कलन करना आवश्यक है।

हमने पाया कि चौंकि कम्पनी ने मासिक/त्रैमासिक लेखे बनाने की कोई व्यवस्था नहीं विकसित की थी, आयकर रिटर्न समय से जमा करने के लिये आय का प्राक्कलन करने में विफल रही। वर्ष 2007–08 से 2010–11 की अवधि के मध्य प्राक्कलित आय वास्तविक आय से कम थी; इसलिए, कम्पनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234(बी) एवं (सी) के अन्तर्गत ₹ 5.45 करोड़² का दण्ड ब्याज का भुगतान किया। वर्ष 2007–08 में दार्ढिक ब्याज लगाये जाने के बावजूद प्रबन्धन अगले वर्षों में सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रहा।

प्रबन्ध सूचना प्रणाली का अभाव

2.2.33 कम्पनी ने वर्ष 2000 में साप्टवेयर माड्यूल पैकेज विकसित करना प्रारम्भ किया। साप्टवेयर आपरेशन ₹ 2.15 करोड़ व्यय करने के बावजूद सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया जैसे आनलाइन भूखण्डों का आवंटन, निरस्तीकरण, हस्तान्तरण, रेस्टोरेशन, भूमि लेखांकन, आर्थिक चिठ्ठा, कार्मिक सूचना प्रणाली, औद्योगिक/आवासीय भूखण्ड आवंटन की लाटरी व्यवस्था, फाइल ट्रैकिंग प्रणाली, लोक परिवाद प्रणाली, विधिक सूचना प्रणाली, प्रबन्धन सूचना प्रणाली, भूमि अधिग्रहण व्यवस्था, भूमि कार्सिंग प्रणाली एवं नेट बैंकिंग, हिन्दी एवं अंग्रेजी में वेबसाइट का जारी करना, प्रयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं हार्डवेयर तथा श्रमशक्ति की आवश्यकता का निर्धारण।

नियंत्रण अभिलेख जैसे आवंटन रजिस्टर, पार्टी लेजर, पट्टा विलेख रजिस्टर, भूखण्डवार रजिस्टर, हस्तान्तरण रजिस्टर, विधिक नोटिस रजिस्टर आदि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से पूर्ण एवं अद्यतन नहीं कराये गये थे। इसी तरह, कार्य रजिस्टर, माप पुस्तिका, देय एवं प्राप्ति रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर आदि सीडी/ईडी में अद्यतन नहीं बनाये गये थे। इसने आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली को कमजोर बना दिया।

* 15 जून या पूर्व में (अग्रिम कर का 15 प्रतिशत से कम नहीं) 15 सितम्बर (पूर्व में किये भुगतान को घटाते हुये अग्रिम कर का 45 प्रतिशत), 15 दिसम्बर (पूर्व के भुगतान को घटाते हुये अग्रिम कर का 75 प्रतिशत), वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक (पूर्व के भुगतान को घटाते हुये अग्रिम कर का सम्पूर्ण धनराशि)।

* वर्ष 2007–08: ₹ 1.00 लाख, 2008–09: ₹ 71.47 लाख, 2009–10: ₹ 387.38 लाख एवं 2010–11: ₹ 76.15 लाख।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि साफ्टवेयर माड्यूल का प्रयोग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से किया जा रहा है और सीई/ई-मेल के माध्यम से डाटा हस्तान्तरित किया जा रहा था। विकास एवं विपणन नीतियों में परिवर्तन के कारण नया साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं। हम उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि इकाईवार जो विवरण प्रस्तुत किया गया उससे स्पष्ट है कि हार्डवेयर की अनुपलब्धता एवं ज्ञान की कमी के कारण साफ्टवेयर का उपयोग नहीं हो सका।

आंतरिक नियंत्रण के अभाव के कारण फ्राडुलेन्ट भुगतान किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

निर्माण खण्ड-X, कानपुर ने औद्योगिक क्षेत्र चक्रेरी-II में सड़क के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिये 12 फरवरी 2009 को अनुमोदित जाब संख्या 309 के विरुद्ध दो अनुबन्ध* सम्पादित (28 मार्च 2009) किये। हमें निम्नलिखित अनियमिततायें अवलोकित हुईः

- यद्यपि प्राक्कलन अनुमोदित नहीं था, अल्पकालीन निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित (10 फरवरी 2009) की गयीं।
- ठेकेदारों की निविदायें स्वीकार कर ली गई यद्यपि निविदायें ठेकेदारों द्वारा पूर्ण एवं हस्ताक्षरित नहीं थीं।
- कार्य प्रदान कर दिया गया एवं अनुबन्ध संख्या 81 के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ एवं अनुबन्ध संख्या 82 के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ का भुगतान किया गया। यह भुगतान जाली मापन के विरुद्ध किया गया क्योंकि सम्बन्धित कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में ही कराया जा चुका था। अतः ₹ 2.12 करोड़ का दुर्धिनियोजन किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विभागीय जाँच की गयी है तथा एफआईआर दर्ज करायी जा चुकी है। कम्पनी द्वारा उठायी गयी हानि ₹ 2.12 करोड़ एवं ₹ 45.76 लाख ब्याज की हानि को प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख उत्तर में नहीं है।

2.2.34 हमने अवलोकित किया कि किसी भी अनुबन्ध में अधिशासी अभियन्ता स्तर पर गुणवत्ता जाँच के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। यह डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 15.1.1 का उल्लंघन था जिसके अनुसार ₹ 50 लाख तक के कार्य की गुणवत्ता जाँच ईई और उसके स्तर द्वारा की जानी चाहिये थी।

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.2.35 कम्पनी की स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फर्म द्वारा सम्पन्न की जाती है। हमने 46 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच की जिसमें 713 लेखापरीक्षा बिन्दु थे। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा बिन्दु हैंः

- कम्पनी की लेखापरीक्षा बकाये में है क्योंकि यह सिर्फ वर्ष 2008–09 तक सम्पन्न हुई थी। आंतरिक लेखापरीक्षक अपना प्रतिवेदन कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी) के बजाय वित्त नियंत्रक को सौंपते हैं।
- लेखापरीक्षा बिन्दुओं पर कोई अनुश्रवण एवं सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।
- आंतरिक लेखापरीक्षा के बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की जाँच हेतु कम्पनी द्वारा कोई व्यवस्था विकसित नहीं की गयी है। कमियों पर बेहतर अनुश्रवण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निर्गत बिन्दु, निपटाये गये बिन्दु एवं बकाया बिन्दुओं का कोई नियंत्रण अभिलेख नहीं बनाया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जाती है जो वर्ष 2009–10 तक पूर्ण है। प्रतिवेदन एमडी को प्रस्तुत करने के लिये

* कार्तिक इण्टरप्रारेस से 81/सीई/2008–09 एवं 82/सीई/2008–09।

लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अभिलेखों के अद्यतन बनाने हेतु निर्देश जारी कर दिया गया है जिसे कम्प्यूटरीकरण के बाद आवश्यक नहीं समझा गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षकों द्वारा अनुपालनों का सत्यापन किया जाना चाहिये था।

fu'd'k

dEi uh dh fu'i knu y[ki j h{kk l s mt kxj gvk fd%

- foyEc ds dkj.k Hkfe vf/kxg.k ds y{; i kflr ea deh jghA Hkfe ds Rofjr vf/kxg.k grq l kyf k; e dk Hkkrku vI k/kj.k njh ds dkj.k fujFk fl) gvkA
- vf/kxg.k "kj d , oaykots dk vf/kd Hkkrku] /ku dk vo#) gkuk] vf/kxgkHkfe dk deh uh ds uke dluos UI MhM u djkus ftl l s Hkfe ds n#i ; kx gks l dus tS s ekeys Hkh FkA
- fodkl dk; kI ea uh ykeh i fO; k dk vuqkyu u djus BdskjkA dks vns /kujf k dk Hkkrku] foyEc l s dk; Z l Ei knu] vuqy/k i nku djus ea BdskjkA dks vuqpr ykth dks ekeyA
- vkoV; kA }jk k m|kx Lfkfir djus ds ctk; [kyh@mi ; kx u fd; s x; s Hk[k. Mka dks glRkkrk. k us jkT; ea vks kxd fodkl dks i Hkfor fd; kA
- fj toz i kbl ds de fu/kj.k vlg i kfe; e nj dk i qjhf{k.k u djus ds dkj.k vfrfjDr jktLo i klr djus l s ofpr jgukA
- mPp vf/kdkfj; kA }jk k i ; b{k.k , oaykots dk vHkko ds dkj.k vkrfjd fu; k i z kyh ea deh Fk , oay[ki j h{k.k vi ; klr FkA

I kfr; k

dEi uh dks pkfg; s fd%

- Hkfe vf/kxg.k ds y{; k dks i klr djus dk i z kI djs , oaykots dk vHkkrku l s cpus ds fy; s vfuok; Z vf/kxg.k ds fo#) Hkfe vf/kxg.k tc vko ; d gks rHkh dj{
- vf/kd Hkkrku l s cpus grq vf/kxg.k 0; , oaykots dk "kj vkgdu o Hkkrku djs , oaykots dk vHkkrk djs n#i ; kx gksus dh I Hkkrk djs ftl l s fd vf/kd Hkkrku ij jkd yxs rHkk vko ; d : i l s futh m|fe; kI l s vuqy/k dja bl s pkfg; s fd i VVk foyek l Ei l u djkus dh i fO; k rst djs ftl l s fd l jdkjh vK; ea of) gks , oaykots dk n#i ; kx u gks l d{
- i fr; kxh nj i klr djus grq i k jn kzo i frLi /kRed fufonk i z kyh cuk; {
- , d l p<+foi .ku uhfr cuk; s , oaykots dk vHkkrk djs ftl l s fd fodfl r Hk[k. M vkoVr gks l ds , oafu/kfj r l e; I hek ea mudk mi ; kx gks l d{
- nj fu/kj.k , oaykots dk vHkkrk djs ftl l s fd
- vkrfjd fu; k i z kyh dks l p<+dja

v/; k; -III

3. I ॥ ogkjka ds yekki jhikk i kk.k

इस अध्याय में राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

I jdkjh dei fu; k

; wi h- i kst DVi dkj i kjsku fyfeVM

3.1 okLrdkjka dks xj vftki r fgrykk

dei uh us okLrdkj ds 'kj d i j I ok dj ds : i e 61-57 yk[k dk Hkrku dj okLrdkjka dks xj vftki r /vubuVMVMMfgrykk i gpk; ka

यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) निक्षेप आधार अर्थात् वास्तविक लागत पर एक निर्धारित दर से सेन्टेज जोड़कर राज्य सरकार के कार्यों को निष्पादित करती है और इसके लिये यूपीपीसीएल द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) की प्रक्रिया को अपनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश (फरवरी 1997) के अनुसार सेन्टेज की दर 12.5 प्रतिशत निर्धारित की गई जिसमें 1.5 प्रतिशत वास्तुकार शुल्क सम्मिलित है। चूंकि यूपीपीसीएल के पास अलग वास्तुकार विभाग नहीं है, यह यूपीपीसीएल द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्य की ड्राइंग/डिजाइन और प्राक्कलन बनाने हेतु बाहरी वास्तुकारों को नियुक्त करती है। वित्त अधिनियम 1994 (अधिनियम) के अध्याय V की धारा 68 जो कि सेवाकर से सम्बन्धित है, के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने पर अधिनियम की धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करेगा। वास्तुकार सेवाएं 16 अक्टूबर 1998 से सेवा कर के अन्तर्गत कर योग्य हो गयी थीं।

फरवरी 1997 के शासनादेश के अनुसार, वास्तुकार शुल्क की स्वीकार्य सीमा, परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत तक ही सीमित रखी जानी थी। हमने पाया कि यूपीपीसीएल ने वास्तुकार शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत का भुगतान किया और सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान किया जबकि राज्य सरकार की दूसरी निर्माण इकाइयों^x ने परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत तक (सेवा कर को सम्मिलित करते हुए) ही वास्तुकार शुल्क का भुगतान किया। इस प्रकार, ऐसा करके, यूपीपीसीएल ने अपने द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य में ₹ 61.57 लाख^y का गैर अभिप्रेत हितलाभ पहुँचाया। चूंकि सेवा कर की राशि प्राक्कलन में सम्मिलित एवं स्वीकृत नहीं थी, यूपीपीसीएल राज्य सरकार के विभागों से इसे प्राप्त नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि फरवरी 1997 में वास्तुकार सेवाओं पर कोई सेवा कर नहीं था और बाद में 16 अक्टूबर 1998 से लगाया गया था; अतः वास्तुकार शुल्क पर सेवा कर का भुगतान किया गया। उत्तर में आगे बताया गया कि अब वास्तुकारों को भुगतान परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत (सेवा कर सहित) तक सीमित रखा जा रहा था।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यूपीपीसीएल को वास्तुकार सेवाओं के लिये भुगतान करने से पहले यूपीआरएनएन से पड़ताल कर लेनी चाहिए थी (जिसकी प्रक्रिया यूपीपीसीएल द्वारा अपनायी गयी थी) जो कि सेवा कर सहित वास्तुकार शुल्क 1.5

^x उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड तथा निर्माण एवं अभिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश जल निगम।^y अँकड़े उन 16 इकाइयों से सम्बन्धित हैं जिनकी लेखापरीक्षा की गई।

प्रतिशत तक ही सीमित करती है। ऐसा न करके यूपीपीसीएल ने वास्तुकारों को गैर अभिप्रेत हित लाभ पहुँचाया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.2 गोविन्द स्पोर्ट्स एवं विभिन्न विधि विभागों के लिए विवरण

; इन्हीं विभिन्न विधि विभागों के लिए विवरण निम्नांकित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज (जीजीएसएससी), लखनऊ, के हॉकी के मैदान के पुनः निर्माण का कार्य यूपीपीसीएल को प्रदान किया। यूपीपीसीएल ने कार्य को पाँच विभिन्न मदों^A में बाँटकर, ₹ 2.42 करोड़ का प्रावकलन तैयार किया, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। यूपीपीसीएल ने तीन फार्मों से कोटेशन एकत्र किये और कार्य की सभी पाँचों मदों को ₹ 2.18 करोड़ में करने के लिए स्नॉप स्पोर्ट्स इण्डिया (एसएसआई)^X को आदेशित किया। कार्य जो कि 25 दिसम्बर 2011 को पूर्ण होना था, अप्रैल 2012 में पूर्ण हुआ।

अपनी जाँच में हमने निम्न बिन्दु पाये:

- केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों (फरवरी 2011) में प्रावधान है कि जटिल प्रकृति के संयत्र/उपकरणों की खरीद के मामले में, जहाँ खरीद करने वाले संगठन को बाजार में उपलब्ध विभिन्न तकनीकी समाधानों का पूर्ण ज्ञान न हो, यह विवक्पूर्ण होगा कि हित की अभिव्यक्ति आंमत्रित की जाये और अनुभवी निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त तकनीकी विशिष्टियों/प्रस्तुतियों के आधार पर विनियोजन का अन्तिम रूप एक पारदर्शी तरीके से दिया जाये। यद्यपि यूपीपीसीएल को एस्ट्रोटर्फ के संस्थापन के विषय में कोई पूर्व अनुभव/डोमेन ज्ञान नहीं था, कम्पनी ने अच्छी तरह स्थापित प्रक्रिया[♦] और उच्च मूल्य ठेके के लिए खुली निविदा करने के लिए सीवीसी के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। यूपीपीसीएल ने क्रय समिति[♦] रिपोर्ट (पीसीआर) के आधार पर तीन फर्मों से कोटेशन प्राप्त करके कार्य की सभी पाँचों मदों को एक ही फर्म को प्रदान किया। खुली निविदा प्रक्रिया से सबसे उपयुक्त विशिष्ट और प्रतिस्पर्धी दरों को सुनिश्चित किया जा सकता था।
- कार्य की अनुमानित लागत को औचित्यपूर्ण बताने के लिए बाजार सर्वेक्षण एवं दर विश्लेषण का कोई अभिलेख नहीं था। मदवार लागत के ब्रेक-अप का लागत सार के साथ मेल नहीं था। परिणामतः, मदवार कार्य की लागत की प्रामाणिकता का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।
- 6,400 वर्ग मीटर आयातित एस्ट्रोटर्फ की आपूर्ति करने का कार्य (2 अप्रैल 2011) ₹ 1.70 करोड़ में ₹ 2,650 प्रति वर्ग मीटर की दर पर एसएसआई को प्रदान किया गया। हमने पाया कि वास्तव में एसएसआई द्वारा एस्ट्रोटर्फ ₹ 1,018 प्रति वर्ग मीटर पर क्रय किया गया था। रोचक रूप से, कम्पनी को 12 जून 2011 में ही वास्तविक क्रय मूल्य की जानकारी थी क्योंकि कम्पनी ने ही वास्तविक क्रय दर के लिए सीमा शुल्क विभाग से छूट प्राप्त करने के

^A विद्यमान एस्ट्रोटर्फ को अलग-अलग करना और कार्य-स्थल भण्डार में ढेर लगाना, (ब) कार्य-स्थल पर 20 मिमी मोटी बिट्यूमिनस परत की आपूर्ति, (स) उप आधार को 20 मिमी मोटी बिट्यूमिनस परत द्वारा बराबर करना सम्पूर्ण कार्य-स्थल पर 20 मिमी मोटी बिट्यूमिनस परत की आपूर्ति (इ) अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी संघ (एफआईए) द्वारा स्वीकृत एक्सट्रोटर्फ को विभाना, स्थानीय कार्य स्थल पर गड़िडियों को ले जाना, प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क इयाति और आवश्यक मजबूर और टी एण थी।

^X स्नॉप स्पोर्ट्स के नाम से भी जानी जाने वाली, तीन कार्यालयों से कार्य करने वाली दो लखनऊ में और एक दिल्ली में।

[♦] वित्तीय इस्तुतिका (एफएचबी) सरकारण VI के पैसा 360 के अनुसार

^{*} (1) परियोजना प्रबंधक (2) सहायक परियोजना प्रबंधक (3) कनिष्ठ अभियन्ता और (4) लेखाकार से बड़ी हुयी।

लिए पत्राचार किया था और 25 जून 2011 को समय विस्तार भी प्रदान किया था। चूंकि, फर्म ने आपूर्ति और संस्थापन नियत समय के अन्दर पूरा नहीं किया था, कम्पनी को फर्म से मोल-भाव करके या तो आपूर्ति का मूल्य घटाना चाहिए था या संविदा को ही रद्द कर देना चाहिए था। फिर भी, कम्पनी ने समय विस्तार की स्वीकृति, कीमत को वास्तविक स्तर तक घटाने का प्रयास किये बिना ही दे दी।

- विर्निमाता एसीटी ग्लोबल की वेबसाइट पर दर्शायी गयी विशिष्टि के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन (एफआईएच) द्वारा स्वीकृत टर्फ एनएफएच-12 का पाइल वेट 1,780 ग्राम प्रति वर्ग मीटर और सेकेण्डरी बैकिंग का भार 1,000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन, एसएसआई को उसी ब्रान्ड के टर्फ एनएफएच-12 के लिए निर्गत आपूर्ति आदेश में अव्याख्येय रूप से पाइल वेट कम करके 1,250 ग्राम प्रति वर्ग मीटर एवं सेकेन्डरी बैकिंग 1,080 ग्राम प्रति वर्ग मीटर दर्शाया गया था।
- टर्फ उचित प्रकार से संस्थापित किया गया अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए कोई परीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि एफआईएच के खेल प्रमुख ने हमें 30 जुलाई 2012 के पत्र द्वारा बताया कि ठेकेदार द्वारा कम्पनी को सौंपी गई, दिनांक 6 फरवरी 2012 की मैदान परीक्षण रिपोर्ट जो कि एफआईएच की रिपोर्ट बताई गई थी, असली नहीं थी।
- संस्थापन मानक स्तर के अनुसार नहीं था जो कि इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मैदान की जाँच के लिए गठित समिति* ने पाया (जनवरी 2012) कि एस्ट्रोटर्फ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जीजीएसएससी के प्रधानाचार्य ने भी (फरवरी 2012) एस्ट्रोटर्फ की निम्न कोटि की गुणवत्ता के सम्बन्ध में और एस्ट्रोटर्फ पर विर्निमाता के लोगों के अभाव की शिकायत की थी।
- सात साल की वारन्टी उपवाक्य का पालन करने के लिए एसएसआई द्वारा निष्पादन बैंक गारन्टी का कोई प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार, निविदाओं के बिना कार्य प्रदान करने के कारण, बाजार के रुझान का विश्लेषण किये बिना उच्च दरों पर, और कोई विश्वसनीय आउटपुट के बिना परीक्षण के लिए भुगतान करके कम्पनी ने फर्म का अनुचित पक्ष लिया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि कार्य के निष्पादन के लिए आदेश, क्रय समिति द्वारा बाजार सर्वेक्षण के बाद, प्रदान किया गया और सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म को कार्य प्रदान किया गया था। तथ्य यह कि कम्पनी ने खुली निविदा नहीं आमंत्रित की जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका (एफएचबी) और केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया था। प्रबन्धन ने इस कारण से अवगत नहीं कराया कि आपूर्तिकर्ता ने बहुत कम दर पर एस्ट्रोटर्फ खरीदा था, एस्ट्रोटर्फ की दर को कम करने के लिए मोल-भाव क्यों नहीं किया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

mRrj i ns k ty fuxe vIj ; wi h- i kstDVi dkj i kjsku fyfeVM

3.3 I helV ds Ø; ij i f j gk; Z0; ;

fuxe@; wi h l h, y us I helV ds Ø; ds fy, nj I fonk ds fu'i knu u dju s ds dkj . k ₹ nks dj KM+dk i f j gk; Z0; ; fd; k A

निर्माण और अभिकल्प सेवाएं, उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) और यूपी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), दूसरी संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) और उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड

* श्री साईद अली, ओलम्पिक हॉकी खिलाड़ी, श्री मुकुल शाह, अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, और श्री राशिद अजीज, प्रशिक्षक, भारतीय खेल प्राधिकरण, सम्मिलित हैं।

(यूपीएसबीसीएल) के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष निर्माण संस्थाएँ हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स जैसे सीमेन्ट का क्रय अति महत्वपूर्ण है। दोनों कम्पनियाँ जैसे यूपीआरएनएन और यूपीएसबीसीएल सीमेन्ट के क्रय हेतु विनिर्माताओं के साथ दर संविदा करती थीं। हमने पाया कि निगम और यूपीपीसीएल में दर संविदा के आधार पर सीमेन्ट क्रय की कोई प्रणाली नहीं थी। परिणामतः, विभिन्न इकाइयों में सीमेन्ट क्रय की दरों में भिन्नतायें थीं और उसी अवधि में यूपीआरएनएन एवं यूपीएसबीसीएल द्वारा सीमेन्ट खरीद दरों की तुलना में उच्च दरों पर थी।

हमने पाया कि निगम की दो युनिटों* ने, जून 2009 से फरवरी 2012 की अवधि के दौरान, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से क्रय समिति रिपोर्ट (पीसीआर) के आधार पर ₹ 244 प्रति बैग से ₹ 334 प्रति बैग के बीच 2,42,122 बैग सीमेन्ट (पीपीसी) की खरीद की थी, जबकि समान समयावधि में यूपीआरएनएन ने दर संविदा पर ₹ 167 प्रति बैग से ₹ 277 प्रति बैग के बीच सीमेन्ट क्रय किया था।

इसी प्रकार, यह पाया गया कि यूपीपीसीएल की तीन युनिटों[♦] ने जून 2010 से दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से पीसीआर के आधार पर ₹ 231 प्रति बैग से ₹ 295 प्रति बैग की दरों पर 2,52,322 बैग सीमेन्ट (पीपीसी) क्रय किया था; जबकि, उसी समयावधि के दौरान यूपीआरएनएन ने दर संविदा ₹ 171 प्रति बैग और ₹ 270 प्रति बैग की दर के बीच तथा यूपीएसबीसीएल ने ₹ 170 प्रति बैग और ₹ 240 प्रति बैग की दर के बीच सीमेन्ट क्रय किया था। समान दर संविदा न करके निगम और यूपीपीसीएल द्वारा सीमेन्ट के क्रय पर ₹ 2 दो करोड़[♥] का अतिरिक्त खर्च वहन किया गया जो टाला जा सकता था।

यूपीपीसीएल के प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2012) कि कम्पनी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित छोटी परियोजनाओं को संभालती है और सीमेन्ट की आपूर्ति के बाद भुगतान किया गया था, और वहाँ भण्डारण का कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही निर्माता, दरें भी हर सप्ताह निर्धारित करते हैं, इसलिए तीन महीनों के लिए एक ही दर पर क्रय अव्यवहारिक था क्योंकि आपूर्तिकर्ता आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता था और कम्पनी को उच्च दर पर भुगतान करना पड़ता। प्रबन्धन का उत्तर, उत्तरधारणा है और स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अपने द्वारा या यूपीएसबीसीएल द्वारा किये गये दर संविदा को अपनाकर सीमेन्ट क्रय का कोई प्रयास नहीं किया।

हम अनुशंसा करते हैं कि सिविल निर्माण में लगी हुई सभी कम्पनियों/निगमों में समन्वय होना चाहिए और निर्माताओं से एक दर संविदा/संयुक्त दर संविदा के माध्यम से सामग्री की खरीद की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे अधिकतम किफायती मूल्यों का लाभ प्राप्त किया जा सके।

प्रकरण निगम एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (फरवरी 2013)।

mRrj insk ikoj dkj i kjsku fyfeVM

3.4 ÅtklØ; ds fy, mPp nj dli fufonk dks vfurke : lk nus ds dkj .k vuoprhlz gkfU

प्रस्तावना

3.4.1 प्रयागराज पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (पीपीजीसीएल) का निगमन 12 फरवरी 2007 को स्पेशल परपज व्हैकिल (एसपीवी) के रूप में इलाहाबाद जिले के बारा (3x660 एमडब्ल्यू) में थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) की स्थापना हेतु हुआ। फीडबैक वेन्चर्स लिमिटेड को निविदा का मूल्यांकन और निविदा प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने से

* कानपुर युनिट और हरदोई युनिट।

♦ यूनिट-13 लखनऊ, यूनिट-14 लखनऊ, यूनिट-17 लखनऊ।

♥ उत्तर प्रदेश जल निगम (₹ 1.43 करोड़ यूपीआरएनएन के साथ तुलना की गयी), यूपीपीसीएल (₹ 0.57 करोड़ यूपीएसबीसीएल के साथ तुलना की गयी)। निष्पादित की गयी परियोजनाओं की विस्तारिता का ध्यान में रखते हुए तुलना की गयी थी।

सम्बन्धित कार्य निष्पादन हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। परामर्शदाता ने लेवेलाइज्ड आधार पर ₹ 2.60 से ₹ 2.70 प्रति केडब्ल्यूएच की अपेक्षित टैरिफ़ का आगणन किया था जिसे इनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) को उसकी 5 मई 2008 की बैठक में बताया गया था।

यूपी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अधिप्राप्तिकर्ताओं (डिस्काम्स*) की ओर से अपने अधिकृत प्रतिनिधि (पीपीजीसीएल) के माध्यम से बारा टीपीएस में 25 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा वित्तीय सहायता, विकास, निर्माण, कमीशन, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण तथा डिस्काम्स को ऊर्जा पूर्ति हेतु निविदायें (जून 2007) आमंत्रित की। निविदा प्रपत्रों में (i) रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन (आरएफक्यू) जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय कसौटी सम्मिलित था (ii) रिक्वेस्ट फार प्रपोजेल (आरएफपी), उन निविदादाताओं को निर्गत किया जाना था जो तकनीकी एवं वित्तीय कसौटी की अर्हता रखते थे।

टैरिफ़ को निर्धारित प्रारूप में उद्धृत किया जाना था जिसमें, एसकैलेबिल कैपिसिटी चार्ज, नॉन-एसकैलेबिल कैपिसिटी चार्ज** एवं हीट रेट (केकैल / केडब्ल्यूएच) सम्मिलित था; लेवेलाइज्ड टैरिफ़ इन्ही आधार पर आगणित किया जाना था। निविदादाताओं में सबसे कम लेवेलाइज्ड टैरिफ़ का प्रस्ताव देने वाले को सफल निविदादाता के रूप में चुना जाना था।

आरएफपी का खण्ड संख्या 2.7.1.3 प्रावधानित करता था कि यदि निविदादाता किसी भी रूप में गलत वक्तव्य, तथ्यों की गलत तरीके से प्रस्तुतीकरण या भ्रामक वक्तव्य देता है तो, उसकी निविदा क्रेता / अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरस्त करने योग्य थी।

निविदा का अन्तर्मीकरण

3.4.2 घटित घटनाओं का विवरण नीचे उल्लिखित है:

- यूपीपीसीएल द्वारा बारा पावर प्रोजेक्ट के लिए निविदायें (जून 2007) आमंत्रित की गयी। चार* निविदायें प्राप्त हुईं तथा सभी रिस्पान्सिव पायी गयीं; अतः, वित्तीय निविदायें खोली (11 अप्रैल 2008) गयीं। चूंकि वित्तीय निविदायें उच्च स्तर पर पायी गयी थीं, मई 2008 में बेस्ट रिड्यूस्ड मूल्य माँगा गया।
- चार निविदादाताओं ने परियोजना हेतु बेस्ट रिड्यूस्ड मूल्य प्रस्तुत किया। निम्नतम निविदादाता (एल-1) यथा रिलायन्स पावर लिमिटेड (आरपीएल) द्वारा उद्धृत दरों को उपयुक्त नहीं पाया गया, अतः निविदा मूल्यांकन समिति (बीईसी) और एनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) की संस्तुतियों पर, जीओयूपी ने निविदा प्रक्रिया रद्द करने (जुलाई 2008) तथा नई निविदा आमंत्रित करने (अगस्त 2008) का निर्णय किया।
- परियोजना हेतु द्वितीय नई निविदायें अगस्त 2008 में आमंत्रित की गयीं। तीन⁺ निविदायें प्राप्त हुयीं। प्राप्त दरें पुनः उच्च स्तर पर पायी गयीं। अतः, फरवरी 2009 में बेस्ट रिड्यूस्ड मूल्य माँगा गया।
- तीन निविदादाताओं ने बारा हेतु बेस्ट रिड्यूस्ड मूल्य दिया। जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड (जेएल) द्वारा उद्धृत न्यूनतम दर ₹ 3.020 प्रति युनिट को अन्तर्मीकृत किया गया तथा मार्च 2009 में कार्यादेश पत्र (एलओआई) निर्गत किया गया।

* दविविनिलि, मविविनिलि, पूविविनिलि, पविविनिलि एवं केस्को लिमिटेड

** कैपिसिटी चार्ज जो टैरिफ़ का भाग है एसकैलेबिल एवं नान-एसकैलेबिल (स्थिर) कैपिसिटी चार्ज से मिलकर बना है। एसकैलेबिल कैपिसिटी चार्जेज सीईआरसी द्वारा अधिसूचित वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर बढ़ने थे तथा नान एसकैलेबिल कैपिसिटी चार्ज संविदा की समयावधि के दौरान स्थिर रहने थे।

* लैन्को, आरपीएल, जेएसपीएल एवं एनटीपीसी।

+ लैन्को, आरपीएल एवं जेएएल।

पहली निविदा एवं दूसरी निविदा के विरुद्ध एल-1 एवं एल-2 की दरों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गयी है:

fufonk@frfik	fufonknkrkt dk uke	i fr ; fuV mnAr yoykbTM VfjQ	mnAr LVsku gIV jV ½ I , pvlj½ i kJfHkd@ cIV fJM; LM
		i kJfHkd	
प्रथम निविदा / जून 2007	लैन्को	2.888(एल ₁)	2.651(एल ₂)
	सिलायन्स पावर लिमिटेड (आरपीएल)	2.940(एल ₂)	2.640(एल ₁)
द्वितीय निविदा / अगस्त 2008	लैन्को	3.091(एल ₁)	3.091(एल ₂)
	जेरएल	3.366(एल ₂)	3.020(एल ₁)

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

3.4.3 हमने प्रपत्रों यथा रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन, रिक्वेस्ट फार प्रपोजल, तुलनात्मक दरों, निविदा मूल्यांकन प्रतिवेदन, निविदा मूल्यांकन समिति एवं एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा की गयी मूल्यांकन/संस्तुतियों सहित विद्युत क्रय अनुबन्ध का निरीक्षण किया और समितियों यथा बीईसी एवं ईटीएफ के गठन एवं विद्युत क्रय हेतु उच्च दरों की स्वीकृति पर कमियाँ पायी जिसकी चर्चा उत्तरवर्ती प्रस्तरों में की गयी है:

समितियों की भूमिका

3.4.4 सिद्धान्तः, यदि सरकार द्वारा निम्न स्तर पर दो स्तरीय जाँच के बाद कोई निर्णय लिया जाना है; तो सभी स्तरों पर स्वतन्त्र एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों स्तरों के गठन में, मूलभूत रूप से, अध्यक्ष भिन्न होना चाहिए।

शासन द्वारा निविदा का अन्तमीकरण निविदा मूल्यांकन समिति (बीईसी)^{*} द्वारा किये गये मूल्यांकन तथा इनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ)^{*} की संस्तुतियों के आधार पर किया जाना था। हमने पाया कि, बीईसी एवं ईटीएफ दोनों के अधिकांश सदस्य वही^{*} थे तथा राज्य का मुख्य सचिव एवं आईआईडीसी का कार्यभार सम्भालने वाला अधिकारी ही अध्यक्ष था। इन परिस्थितियों में, बीईसी द्वारा दी गयी संस्तुतियों का उचित एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन ईटीएफ द्वारा सम्भव नहीं था तथा ईटीएफ ने प्रथम निविदा के बाद आयी बेस्ट दरों के मूल्यांकन में क्रेता के पास उपलब्ध विकल्पों के परीक्षण के बिना बीईसी के साथ केवल अपनी सहमति व्यक्त किया।

ऊर्जा क्रय के लिए उच्च दरों का प्रदान किया जाना

3.4.5 हमने पाया कि जून 2007 में आमंत्रित प्रथम निविदा के विरुद्ध, लैन्को द्वारा उद्धृत दर (₹ 2.888 प्रति केडब्ल्यूएच) निम्नतम (एल-1) थी लेकिन परामर्शदाता ने इसे अपेक्षित टैरिफ (₹ 2.60 से ₹ 2.70 प्रति केडब्ल्यूएच) से 5 से 10 प्रतिशत अधिक मूल्यांकित किया था। बेस्ट रिड्यूस्ड दर इसीलिए मई 2008 में आमंत्रित किया गया। आरपीएल द्वारा उद्धृत बेस्ट रिड्यूस्ड दर (₹ 2.64 प्रति केडब्ल्यूएच) स्वीकार नहीं की गयी क्योंकि ईटीएफ ने इसे निम्नलिखित कारणों से सम्भव नहीं माना:

- पूर्व में उद्धृत 1805 केकैल / केडब्ल्यूएच एसएचआर के विरुद्ध बाद में उद्धृत 05 केकैल / केडब्ल्यूएच एसएचआर व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं था।
- आरपीएल द्वारा उद्धृत टैरिफ पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के मापदण्डों का प्रयोग करते हुए टैरिफ की विवेचना के आधार पर संविधि अवधि के प्रारम्भिक 15 वर्षों में निविदादाता अपनी समस्त स्थायी लागतें वसूल करता एवं 18/19 वर्षों के बाद, परिचालन नकद हानियाँ शुरू हो जायेंगी; इसीलिए, निविदादाता द्वारा प्लाण्ट को बन्द कर देने का खतरा था।

* बीईसी की संरचना: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) अध्यक्ष, अध्यक्ष यूपीपीसीएल, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) प्रमुख सचिव (वित्त), प्रबन्ध निदेशक यूपीपीसीएल, केन्द्रीय विद्युत आयोग का प्रतिनिधि, निदेशक (परेषण), निदेशक (वित्त) यूपीराजितनिलि का सलाहकार जुलाई 2008 से, प्रमुख सचिव (सीएस), जीआईपी सीएस एवं आईआईडीसी दोनों भूमिकाओं में था।

† ईटीएफ का संरचना: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (अध्यक्ष), प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (ऊर्जा), प्रमुख सचिव (सिंचाई), प्रमुख सचिव (नियोजन) प्रमुख सचिव (पर्यावरण), प्रमुख सचिव (याचार), अध्यक्ष यूपीपीसीएल, प्रबन्ध निदेशक यूपीपीसीएल, प्रबन्ध निदेशक यूपीपीसीएल।

‡ बीईसी के नौ सदस्यों (अध्यक्ष सहित) में से पाँच ईटीएफ के भी सदस्य थे।

आरएफपी के प्रावधानों के अनुसरण में परामर्शदाता ने बीईसी को इसीलिए तीन उपलब्ध विकल्प सुझाये:

- 'वेस्ट रिड्यूस्ड फाइनेंसियल बिड' का आमंत्रण;
- निविदा प्रक्रिया को रद्द करना; अथवा
- क्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि के स्वैच्छिक विचार पर लिया गया कोई भी निर्णय जो कि उपयुक्त हो।

चूंकि प्रथम विकल्प का पहले ही उपयोग किया जा चुका था, बीईसी द्वारा दूसरे विकल्प की संस्तुति के आधार पर, ईटीएफ ने निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय (जुलाई 2008) लिया। ईटीएफ ने, हाँलाकि, तीसरे उपलब्ध विकल्प के अनुपालन पर कोई विचार नहीं किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लैन्को द्वारा उद्धृत एल-2 दरें एल-1 की दरों से केवल 1.10 पैसे प्रति युनिट अधिक थी अन्यथा निविदा निम्नलिखित आधार पर सम्भव थी:

- लैन्को की निविदा रिस्पान्सिव थी, जो सभी योग्यता कसौटी को पूर्ण करती थी।
- निविदा शर्त रहित थी।
- लैन्को द्वारा उद्धृत टैरिफ स्ट्रीम ($\text{₹ } 2.651$ प्रति केडब्ल्यूएच) परामर्शदाता द्वारा ऑफलिट ($\text{₹ } 2.60$ से 2.70 प्रति केडब्ल्यूएच) के भीतर थी।
- देश के दूसरे राज्यों में राज्य जनउपयोगी सेवाओं द्वारा प्रदान किये गये कोयला लिंकेज के साथ कार्यान्वित हुयी परियोजनाओं की तुलना में लैन्को द्वारा उद्धृत टैरिफ स्ट्रीम अधिक उपयुक्त पायी गयी थी।
- एल-1 आरपीएल एवं एल-2 लैन्को की दरों में केवल 1.10 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच का अन्तर था।

इस प्रकार, सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में उपलब्ध लैन्को की रिस्पान्सिव एवं वित्तीय रूप से सम्भव निविदा के चुनाव में बीईसी एवं ईटीएफ ने क्रेता के स्वैच्छिक विचार पर लिया गया निर्णय के विकल्प की अनदेखी की। निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अगस्त 2008 में पुनः निविदा करने के परिणामतः एक माह पूर्व (जुलाई 2008) उपलब्ध सबसे उपयुक्त विकल्प की तुलना में प्रस्तुत लेवेलाइज्ड टैरिफ ($\text{₹ } 0.369$ प्रति केडब्ल्यूएच) में भारी वृद्धि हुयी। मार्च 2009 में जेएएल को परियोजना हस्तगत की जा चुकी है तथा संविदा के 25 वर्षों की समयावधि में $\text{₹ } 10,831.82$ करोड़* (ifjfk kV&15% की हानि होगी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2012) कि ऊर्जा मंत्रालय एसएचआर मूल्य के लिए कोई भी सीमा प्रावधानित नहीं करता है। तदनुसार, आरएफपी के किसी भी खण्ड में एसएचआर के किसी उद्धृत मूल्य के आधार पर निविदा को निरस्त करने का कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया। इसलिए, आरपीएल की निविदा को नान-रिस्पान्सिव नहीं माना जा सकता था।

हम प्रबन्धन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आरएफपी के प्रावधानों के अनुपालन में, निविदादाता (आरपीएल) ने आरएफपी के अनुलग्नक-6 में निर्धारित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया था कि उसने निविदा में न तो कोई ऐसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक वक्तव्य न ही कोई ऐसी सूचना प्रदान की थी जो कि उनकी श्रेण्टतम जानकारी में गलत या भ्रामक थे। ऐसी अण्डरटेकिंग तथ्यात्मक रूप से गलत थी क्योंकि निविदादाता द्वारा उद्धृत 05 एसएचआर ऊर्जा उद्योग में मौजूदा एसएचआर को देखते हुए भ्रामक एवं अकार्यशील था। इन परिस्थितियों में, आरपीएल की निविदा रद्द करने योग्य थी एवं लैन्को द्वारा प्रस्तुत निविदा जो कि अपेक्षित एवं कार्यशील टैरिफ के अन्दर थी को अन्तमीकृत किया जाना चाहिए था।

* हानि की गणना में प्रयोग की गयी कार्यप्रणाली।
(जेएएल से वर्षवार संविदावधि में क्रय की जाने वाली यूनिटें x जेएएल की प्रति यूनिट भुगतान हेतु दर) घटाया (लैन्को से वर्षवार संविदावधि में क्रय की जाने वाली यूनिटें x लैन्को को प्रति यूनिट भुगतान हेतु दर) क्रय की जाने वाली यूनिटें = संविदा की गयी क्षमता मेगावाट में (एलओआई के अनुसार) x केडब्ल्यू ए घटे x वर्ष में दिन।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.5 ^ or&i =* i lrdk ds i dk ku ij vfu; fer 0; ;

dEi uh }jk k chtdk dh i ekf.kdrk I fuf pr djus ds fy, tko&i Mfky fd; s
fcuk "or i = i lrdk ds 0; ; k dks ogu djrs gq;s 29 yk[k dk Hkrku fd; kA

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत है, राज्य में विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कार्य करने वाली अपनी सहायक कम्पनियों के समन्वय में संलग्न है।

राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में हुये विकास, भविष्य के लक्ष्य एवं परियोजनाओं के व्यापक प्रचार हेतु एक 'श्वेत पत्र' निर्गत (18 जुलाई 2009) किया। कम्पनी ने, निदेशक मण्डल से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, तीन आपूर्तिकर्ताओं को चार बीजकों के विरुद्ध ₹ 29 लाख का भुगतान (सितम्बर 2009) श्वेत पत्र पुस्तकों की छपाई दर्शित करते हुये किया जिसका विवरण नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

fooj.k	"or i = i lrdk dh Ni kbl dk dk; lfooj.k	ek=k एक वृक्ष	nj एन्जी	or एओ
उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीएसएसएल)	अन्दर के पृष्ठ 90 जीएसएम पर दो रंगों में तथा मुख पृष्ठ 250 जीएसएम आर्ट ऐपर पर चार रंगों में	1,50,500	4.32 (वैट अतिरिक्त)	679417
	अन्दर के पृष्ठ 190 जीएसएम पर दो रंगों में तथा मुख पृष्ठ 300 जीएसएम आर्ट ऐपर पर चार रंगों में	1,20,500	8.79 (वैट अतिरिक्त)	1106858
प्रकाश पैकेजर्स	श्वेत पत्र पुस्तकों की छपाई— आठ अन्दर के पृष्ठ तथा मुख पृष्ठ चार रंगों में	3,00,000	2.18 (वैट सहित)	654000
सोलर प्रिन्ट प्रोसेस (प्रा.) लिमिटेड (एसपीपीएल)	श्वेत पत्र की छपाई— अन्दर के पृष्ठ दो रंगों में तथा मुख पृष्ठ चार रंगों में	1,50,000	2.95 (वैट अतिरिक्त)	460200
		7,21,000		2900475

हमने आदेशों को निर्गत करने और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में विभिन्न अनिमितातायें पायी जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

- कार्यादेश विवरण में यूपीएसएसएल और एसपीपीएल द्वारा छापी गयी श्वेत पत्र पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं थी जिसके कारण लेखापरीक्षा में कार्यादेशित दरों के औचित्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- यूपीएसएसएल ने अपने आपूर्ति चालान संख्या 401 दिनांक 18 जुलाई 2009 के द्वारा 1,50,500 श्वेत पत्र पुस्तकों तथा चालान संख्या 404 दिनांक 22 जुलाई 2009 द्वारा 1,20,500 पुस्तकों भेजा था। ये आपूर्ति चालान ऊर्जा विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा सामानों की पावती हेतु हस्ताक्षरित नहीं थे।
- प्रकाश पैकेजर्स ने अपने बिलों के साथ कोई आपूर्ति चालान प्रस्तुत नहीं किया; जिससे, हम यह आश्वस्त नहीं हो सके कि श्वेत पत्र पुस्तकों वास्तव में आपूर्ति हुयीं। इसके अतिरिक्त, एसपीपीएल की आपूर्ति चालान एवं बिल हमें उपलब्ध नहीं कराये गये।
- ऊर्जा विभाग ने कोटेशन/निविदा आमंत्रित किये जाने, भाग लेने वाले पक्षकारों की दरों का तुलनात्मक विवरण एवं श्वेत पत्र पुस्तकों के नमूने का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया।
- यूपीएसएसएल द्वारा प्रस्तुत किये गये आपूर्ति चालानों में तथा सभी आपूर्तिकर्ताओं के बिलों में प्राधिकारी का नाम और उनकी कार्यादेश संख्या एवं तिथि, वास्तविक आपूर्ति एवं स्टोर लेजर में उनके लेखांकन को ऊर्जा विभाग के किसी भी स्तर पर आश्वस्त नहीं किया गया।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा भुगतानों के औचित्य सुनिश्चित करने हेतु बिना जाँच-पड़ताल किये ही आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 29 लाख का भुगतान किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2011) कि सम्पूर्ण प्रक्रिया ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्ण की गयी थी। चूंकि सचिव (ऊर्जा) ने सीएमडी का कार्यभार ग्रहण कर रखा था, सीएमडी कार्यालय से कोई भी प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए एवं भुगतान हेतु बिल सीएमडी कार्यालय से प्राप्त हुए थे।

हम निम्न कारणों से उत्तर से सहमत नहीं हैं:

- उपरोक्त कार्य हेतु आपूर्तिकर्ताओं से मंगाये गये कोटेशन और दिये गये आदेश लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों/चालानों में आपूर्ति आदेश संख्या/दिनांक एवं प्राधिकारी का कोई सन्दर्भ उल्लिखित नहीं था।
- सरकार की ओर से कम्पनी द्वारा भुगतान करने के लिये कोई आदेश नहीं दिये गये थे। उत्तर यह भी दर्शाता है कि प्रशासनिक विभाग का सचिव, एक ही साथ कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किये हुये थे, जिनके आदेश पर यह अनियमित भुगतान हुआ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

nf{k. kipy fo | r forj.k fuxe fyfeVM

3.6 forj.k Ytpkbthi vucUk ds vflurehdj.k e[gq h vfu; fefrnk, a

प्रस्तावना

3.6.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 का सातवाँ परन्तुक, वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु एक नया मार्ग खोलता है, इसके अनुसार यदि कोई विद्युत अनुज्ञापी अपने विद्युत वितरण क्षेत्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत आपूर्ति करवाना चाहता है, तो इस अन्य व्यक्ति को सम्बन्धित राज्य के कमीशन से अलग से अनुज्ञापन लेने की आवश्यकता नहीं है यह अनुज्ञापी ही उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु जिम्मेदार होगा।

यूपीपीसीएल ने वितरण तंत्र की कार्यात्मक और वाणिज्यिक दक्षता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को गुणात्मक सेवा प्रदान करने के प्रयास में, राज्य सरकार से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विद्युत वितरण में प्रबन्धन विशेषज्ञता लाने के लिये अनुमोदन माँगा (जुलाई 2008)। इस उद्देश्य हेतु सरकार ने यूपीपीसीएल को, प्रस्ताव के लिये आग्रह (आरएफपी) बनाने एवं वितरण फ्रेन्चाइजी (डीएफ) की नियुक्ति को अन्तिम रूप देने के लिये सलाहकार कार्य हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्देश (दिसम्बर 2008) दिया; और राज्य के नगरीय क्षेत्रों में इनपुट बेरुद डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी सिस्टम (आईबीडीएफएस) को लागू करने हेतु अपना निर्णय प्रेषित (जनवरी 2009) किया।

सरकार के निर्णय के अनुपालन में, यूपीपीसीएल ने फीडबैक वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड को परामर्शदाता नियुक्त (जनवरी 2009) किया। परामर्शदाता ने आरएफपी तैयार किया जिसे एनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ*) ने पूर्ण रूप से अनुमोदित किया। भावी बोली लगाने वालों हेतु आरएफपी निर्गत (31 जनवरी/1 फरवरी 2009) किया गया और 25 फरवरी 2009 को बिड खोला गया। तकनीकी रूप से तीन सक्षम बोली लगाने वालों में से, टारेन्ट पावर लिमिटेड (टीपीएल) ने सबसे ऊँची बोली लगायी और उसे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिलि) के आगरा शहर के लिए 20 वर्ष हेतु डीएफ नियुक्त किया गया। आशय पत्र 26 फरवरी 2009 को निर्गत किया गया जिसे डीएफ ने स्वीकार किया। डीएफ के साथ अनुबन्ध मई 2009 में किया गया।

डीएफ अनुबन्ध के पूर्व की शर्तों के अनुपालन में और अधिग्रहण के पूर्व की औपचारिकताओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के

* सचिव, ऊर्जा विभाग, अवरक्षणना एवं औद्योगिक विकास विभाग, वित्त विभाग, कानून, पर्यावरण, सिंचाई, योजना विभाग और अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल और यूपीआरबीयूएल समिलित हैं।

बाद, मार्च 2010 में डीएफ के साथ एक संशोधित/अनुपूरक अनुबन्ध किया गया और 1 अप्रैल 2010 को आगरा शहर का वितरण नेटवर्क उसे सौंप दिया गया।

आईबीडीएफएस का उद्देश्य

3.6.2 आरएफपी में यह व्यवस्था दी गयी थी कि डीएफ को विद्युत वितरण सम्बन्धित प्रत्येक कार्य, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत यूपीपीसीएल के दायित्व थे, का निर्वहन करना था और वितरण लाइसेंस में निहित सभी गतिविधियों जो कि समय-समय पर यूपीपीसीएल, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा जारी विभिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन थी, को पूरा करना था। कार्य निष्पादन सुधार संकेतक निम्न प्रकार थे:

- सकल वितरण और वाणिज्यिक हानियों को कम से कम करना;
- मीटिंग, बिलिंग और राजस्व संग्रह में सुधार लाना;
- बकाया से सम्बन्धित चालू परिसम्पत्ति को कम से कम करना; और
- सेवा की गुणवत्ता को सुधारकर, ग्राहक सन्तुष्टि स्तर को बढ़ाना।

प्रस्ताव के लिये आग्रह और निविदा विशिष्टियाँ

3.6.3 परामर्शदाता ने वर्ष 2008–09 (दिसम्बर 2008 तक) के वाणिज्यिक प्रपत्र (सीएस-3/4) के ऑकड़ों के आधार पर आधार वर्ष 2008–09 के लिए पारेषण एवं वितरण हानि 29.39 प्रतिशत और संग्रहण दक्षता 82.34 प्रतिशत लेते हुए निम्न मुख्य मापदण्ड निर्धारित किये:

- 20 वर्षों की समयावधि के लिए, शून्य बढ़ोत्तरी के साथ, 1902.38 मि.यू. इनपुट ऊर्जा की आपूर्ति करना।
- वर्तमान 29.39 प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियों को प्रथम पाँच वर्षों में 14 प्रतिशत के स्तर पर और 20 वर्ष के अन्त तक 11 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- वर्तमान 82.34 प्रतिशत की संग्रहण स्तर को पाँच वर्ष के भीतर 90 प्रतिशत के स्तर पर लाना और अगले 20 वर्ष तक बनाये रखना।
- डीएफ की परियोजना लागत^{*} का वित्त पोषण 70 प्रतिशत इक्विटी और 30 प्रतिशत ऋण के माध्यम से करने का विचार किया गया। तदनुसार, डीएफ द्वारा किये जाने वाले सम्भावित व्ययों में, कार्यशील पूँजी और पूँजी निवेश पर ब्याज, मूल्य ह्रास, अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान और इक्विटी पर रिटर्न इत्यादि को सम्मिलित किया गया।

उपरोक्त ऑकड़ों और मापदण्डों के आधार पर, परामर्शदाता ने सांकेतिक रिजर्व इनपुट रेट (बीएसटी) और प्रत्याशित इनपुट एनर्जी रेट (ईआईईआर) की गणना करते हुए, 20 वर्षों के लिए प्रोजेक्शन तैयार किया, जो कि निम्नवत् है:

fooj.k	i jke ktkrk }jkjk dth x; h x;kuk i fke o'k 20 th o'k
बिल किये गये राजस्व पर प्रति युनिट बिक्रीत ऊर्जा	2.82
बिल किये गये राजस्व पर प्रति युनिट इनपुट ऊर्जा	2.12
विद्युत वितरण हेतु डीएफ का व्यय	0.21
प्रथम वर्ष हेतु सांकेतिक रिजर्व इनपुट रेट (बीएसटी)	1.91
सांकेतिक बीएसटी का 20 वर्ष का लेवेलाइज्ड दर	2.12
20 वर्ष हेतु बिल किये गये राजस्व पर प्रति युनिट इनपुट एनर्जी का लेवेलाइज्ड दर	2.45
प्रत्याशित इनपुट एनर्जी दर (ईआईईआर)	2.10

आरएफपी, निविदा विशिष्टियों के साथ 31 जनवरी/1 फरवरी 2009 को बोली लगाने हेतु निर्गत की गयी, इसमें बताया गया था कि निम्नतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी), बोली के पूर्व की मीटिंग में सूचित किया जायेगा। बोली के पूर्व की मीटिंग का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। ईटीएफ ने उपरोक्त, सांकेतिक रिजर्व इनपुट रेट (बीएसटी) का अनुमोदन (6 फरवरी 2009) कर दिया। यूपीपीसीएल ने भी प्रथम वर्ष के लिए ईआईईआर ₹ 2.10 प्रति युनिट की दर से और बीसवें वर्ष के लिए

* कार्यशील पूँजी ₹ 39.94 करोड़ से ₹ 128.48 करोड़ तक और पूँजीगत निवेश ₹ 200 करोड़ 20 वर्ष के अनुबन्धित अवधि के लिए।

लेवेलाइज्ड दर ₹ 2.45 प्रति युनिट, बोलीदाताओं को सूचित (10 फरवरी 2009) किया। बोलीदाताओं को इस ईआईईआर के आधार पर अपनी दरें उद्धृत करनी थी।

बोली का मूल्यांकन

3.6.4 तकनीकी रूप से सक्षम तीन बोलीदाताओं में से, टीपीएल ने सबसे ऊँची दर ₹ 1.52 प्रति युनिट प्रथम वर्ष के लिए और ₹ 1.95 प्रति युनिट की लेवेलाइज्ड दर उद्धृत की। निगोशिएसन के बाद, प्रथम वर्ष के लिए दर बढ़ाकर ₹ 1.54 प्रति युनिट कर दी गयी, परिणामस्वरूप लेवेलाइज्ड दर ₹ 1.96 प्रति युनिट आगणित हुई। ईटीएफ को टीपीएल द्वारा संशोधित की गयी दरों पर आपत्ति थी क्योंकि यह अपेक्षित लेवेलाइज्ड दर ₹ 2.45 प्रति युनिट और बल्कि टैरिफ दर ₹ 2.69 से कम थी फलस्वरूप दविविनिलि को सदा आर्थिक हानि की स्थिति बनी रहेगी।

निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान (24 फरवरी 2009) परामर्शदाता ने अपनी रिपोर्ट में, 2008–09 (दिसम्बर 2008) के आँकड़ों के आधार पर ₹ 1.74 प्रति युनिट की दर से ईआईईआर पर विचार किया। उपरोक्त दर में से परामर्शदाता ने, दविविनिलि के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद, डीएफ द्वारा किये जाने वाले व्यय के रूप में ₹ 0.47^{*} प्रति युनिट घटा दिये एवं आगरा शहर के लिये शुद्ध राजस्व प्राप्ति दर ₹ 1.27 प्रति युनिट निर्धारित हुयी। उद्धृत की गयी ₹ 1.54 प्रति युनिट की दर की शुद्ध राजस्व प्राप्ति दर ₹ 1.27 प्रति युनिट की दर से तुलना की गयी और ₹ 1.54 प्रति युनिट की निगोशिएटेड दर पर टीपीएल को प्रदान करने को न्यायोचित ठहराया गया। ईटीएफ ने दिनांक 25 फरवरी 2009 की अपनी मीटिंग में इसे अनुमोदित कर दिया।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

3.6.5 हमने (अक्टूबर 2011 से मार्च 2012) के दौरान प्रस्ताव के लिए आग्रह (आरएफपी) और परामर्शदाता द्वारा तैयार किये गये सहयोगी आँकड़े, डीएफ अनुबन्ध और इसका अनुपूरक अनुबन्ध, 1 अप्रैल 2010 से फरवरी 2012 तक के बिलिंग अभिलेखों का परीक्षण किया। हमारे प्रेक्षणों की उत्तरवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

अवास्तविक आँकड़ों के आधार पर इनपुट एनर्जी स्ट को अन्तिम रूप देना

3.6.6 परामर्शदाता द्वारा बनाये गये आरएफपी प्रोजेक्शन में सम्मिलित डाटा समुच्चय, निविदा मूल्यांकन के दौरान विचार किये गये आँकड़े और बाद में दविविनिलि के मुख्य अभियन्ता द्वारा दिये गये आँकड़ों को नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है:

०१ १	००१ १	००१ १	००१ १	००१ १	००१ १	००१ १	००१ १
१	२	३	४	५	६	७	८
1.	इनपुट एनर्जी (एमय)	1270.02	1902.38	1409.160	1368.511	1829.648	1829.648
2.	विक्रीत एनर्जी (एमय)	911.1	1431.05	1009.418	968.769	1317.395	1009.000
3.	विक्रीत युनिट के लिए बिल किया गया राजस्व (₹ करोड़ में)	256.85	403.21		269.90	384.05	413.83
4.	विलिंग के विरुद्ध प्राप्त किया गया राजस्व (₹ करोड़ में)	211.49	345.67		238.24		331.66**
5.	परोषण एवं वितरण हानियाँ (प्रतिशत)	28.22	24.78	28.37	29.21	28.00	44.85
6.	संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	82.34	85.73		88.27		77.24
7.	विक्रय की गयी प्रत्येक युनिट पर बिल किया गया राजस्व	2.82	2.82		2.79		4.10
8.	इनपुट एनर्जी के प्रति युनिट पर बिल किया गया राजस्व	2.02	2.12		1.97		2.26
9.	विक्रय की गयी प्रति युनिट पर प्राप्त राजस्व	2.32	2.42		2.46		3.17
10.	प्रति युनिट इनपुट एनर्जी पर प्राप्त राजस्व	1.67	1.82		1.74		1.75

* विद्युत कर ₹ 0.09, कर्मचारी, प्रशासन और परियालन व्यय ₹ 0.21 और मीटर किराया और विलम्ब अधिभार भुगतान से सम्बन्धित बकाया और विविध शुल्क ₹ 0.17।

** वाणिज्यिक प्रपत्र।

** ₹ 12.00 करोड़ के विद्युत कर को सम्मिलित करते हुये।

जैसा कि उपरोक्त से विदित होता है कि कम्पनी का वर्तमान निष्पादन स्तर (टीएण्डडी हानियाँ: 28.22 प्रतिशत और संग्रहण दक्षता: 82.34 प्रतिशत) आरएफपी में सम्मिलित था जैसा कि कालम-3 में दर्शाया गया है। परामर्शदाता ने भी, 29.39 प्रतिशत टीएण्डडी हानि एवं 82.34 प्रतिशत संग्रहण दक्षता को लेते हुए 20 वर्ष के लिए संकेतात्मक बीएसटी को प्रोजेक्ट किया था जैसा कि कालम-4 में दर्शाया गया है। निविदा को अन्तिम रूप देते समय आँकड़ों के उपरोक्त समुच्चय पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया। आँकड़ों का एक अलग समुच्चय पुनर्निर्मित कर, टीपीएल द्वारा उद्धृत इनपुट एनर्जी रेट ₹ 1.54 प्रति युनिट को ₹ 1.74 प्रति युनिट से तुलना कर इसे न्यायोचित सिद्ध किया गया, जो कि निम्न कारणों से उचित नहीं था:

- इनपुट एनर्जी पर ₹ 1.74 प्रति युनिट राजस्व वसूली के आँकड़े केवल गैर-सरकारी उपभोक्ताओं से सम्बन्धित थे, जबकि शहर के सरकारी उपभोक्ताओं की बिलिंग की जा रही थी और इनकी राजस्व वसूली इनसे सीधे या सरकार के स्तर पर समायोजन के द्वारा की जा रही थी। अतः, उपभोक्ताओं के इस वर्ग को आँकलन से अलग रखना गैरतार्किक था, क्योंकि इनसे भी राजस्व प्राप्त हो रही थी।
- जैसा कि उपरोक्त सारणी को देखने से विदित होता है कि, दिविविनिलि के मुख्य अभियन्ता ने सूचित किया (नवम्बर 2009) कि कम्पनी के सीएस 3/4 के अभिलेख के अनुसार, विक्रय की गयी विद्युत ऊर्जा 1317.395 एमयू थी, जिसे सुधारकर 1009 एमयू किया गया। दिसम्बर 2008 तक विक्रय की गयी ऊर्जा 1009.418 एमयू थी जिसके आधार पर ₹ 1.54 प्रति युनिट की दर फरवरी 2009 में अन्तमीकृत की गयी थी। आँकड़ों में सुधार करने के पश्चात भी, पूरे वर्ष (2008–09) के लिए भी उसी आँकड़े को लेना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दिये गये दर को उचित दिखाने के लिए आँकड़ों का समायोजन किया गया है।
- परामर्शदाता द्वारा की गयी गणनाएँ इस मापदण्ड पर आधारित थीं कि प्रथम पाँच वर्षों में टीएण्डडी हानियाँ 14 प्रतिशत तक और संग्रहण दक्षता 90 प्रतिशत तक आ जाए। निविदाकर्ताओं को तदनुसार ही अपनी दर उद्धृत करनी थी और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहने की स्थिति में हानि स्वयं वहन करनी थी। सांकेतिक दर जिसे परामर्शदाता द्वारा की गयी गणनाओं से प्राप्त किया गया था, ईटीएफ द्वारा अनुमोदित की गयी थी। टीपीएल की दरों को अन्तमीकृत करते समय, एटीएण्डसी हानियों की धारणा को ले आना, जिसमें कि बिल किये गये अप्राप्त राजस्व की राशि भी समाहित है, ईटीएफ द्वारा अनुमोदित सांकेतिक दर के विरुद्ध था और इससे ईआईईआर भी प्रभावित हुआ और उनके द्वारा ही पुनर्निर्मित आँकड़ों पर ₹ 0.23* प्रति युनिट से कम हो गया।

इस प्रकार, परामर्शदाता और दिविविनिलि द्वारा केवल गैर सरकारी उपभोक्ताओं पर ही विचार करना और टीएण्डडी हानि के स्थान पर एटीएण्डसी के अवधारणा को लाने का कार्य वित्तीय बिड के खुलने के बाद किया गया। अतः, दर का अन्तमीकरण परिवर्तित आँकड़ों के आधार पर करना प्रारम्भिक तौर पर ही गलत था और टीपीएल का अनुचित पक्षपात करने जैसा है।

हमने पाया कि प्रथम वर्ष के संकेतात्मक रिजर्व इनपुट रेट (बीएसटी) ₹ 1.91** प्रति युनिट था जिसके विरुद्ध ईटीएफ द्वारा अनुमोदित वास्तविक लेवेलाइज्ड दर 20 वर्षों के लिए ₹ 2.12 प्रति युनिट थी। इस बीएसटी दर पर, दिविविनिलि उस राजस्व स्तर को बनाए रखता जबकि वह स्वयं उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा का विक्रय कर रहा था। बीएसटी दर से नीचे के दर पर बिड की स्वीकृति स्पष्ट रूप से दिविविनिलि के लिए अतिरिक्त हानि थी अतएव इस दर से नीचे की दर की स्वीकृति आर्थिक रूप से एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था। हमने 20 वर्ष के संविदा काल के लिए टीपीएल को अवार्ड

* (बिक्रीत युनिट के लिये बिल किया गया राजस्व/इनपुट इनर्जी घटायें बिल की गयी राशि के विरुद्ध प्राप्त राजस्व/इनपुट एनर्जी) ₹ 269.90 करोड़/1368.511 एमयू घटायें ₹ 238.24 करोड़/1368.511 एमयू = ₹ 0.23।

** (प्रति युनिट औसत इनपुट एनर्जी पर बिल किये गये राजस्व की राशि: ₹ 2.12 प्रति युनिट घटायें ईएफ द्वारा किये जाने वाले व्यय: ₹ 0.21 प्रति युनिट = ₹ 1.91 प्रति युनिट)।

की गयी दर ₹ 1.54 प्रति युनिट से ₹ 2.23 प्रति युनिट तक की तुलना परामर्शदाता द्वारा अभिकल्पित संकेतात्मक रिजर्व इनपुट की दरों (बीएसटी) ₹ 1.91 प्रति युनिट से ₹ 2.38 प्रति युनिट से की, और पाया कि दविविनिलि को मार्च 2012 तक ₹ 156.50 करोड़ की पहले ही अतिरिक्त हानि हो चुकी थी और यह हानि संविदा काल के समाप्त होने तक बढ़कर ₹ 636.39 करोड़ $\frac{1}{4}$ fjj kV&16½ हो जायेगी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि प्रथम वर्ष की आरक्षित कीमत ₹ 1.91 प्रति युनिट और 20वें वर्ष की ₹ 2.12 प्रति युनिट का मूल आधार ही गलत अवधारणा पर आधारित था। यह भी बताया गया कि कोई भी बोलीदाता अपना इनपुट रेट परामर्शदाता द्वारा आंकलित किये गये इनपुट रेट के स्तर तक ले जाने को तैयार नहीं था अतएव टीपीएल की निविदा स्वीकार की गयी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यदि आरएफपी में दर्शाये गये आँकड़े और परामर्शदाता द्वारा आँकलित आरक्षित दरें भ्रामक थीं और गलत अवधारणाओं पर आधारित थीं तो बिडिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ही निरस्त किया जाना चाहिये था और सही किये गये आँकड़ों के आधार पर एक नई निविदा को आमंत्रित करने की प्रक्रिया की शुरूआत करनी चाहिये थी। आगे, 23 अगस्त 2012 को प्रबन्धन ने 2008–09 के लेखाओं में स्वयं टीएण्डडी हानियों को 25.65 प्रतिशत बताया साथ ही इसे यूपीईआरसी को भी आने वाले वर्षों के टैरिफ निर्धारण हेतु सूचित किया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि परामर्शदाता द्वारा कम्पनी के सीएस 3/4 के आधार पर स्थापित किये गये मापदण्ड सत्यता के बहुत निकट थे।

कर्मचारी लागत का अनाव गोप्यण

3.6.7 आरएफपी का उपवाक्य संख्या 3.3.4 यह प्रावधानित करता है कि दविविनिलि अपने कर्मचारियों को डीएफ के यहाँ प्रतिनियुक्ति हेतु इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत स्वीकृति देगा कि डीएफ के रोजगार के वही नियम और शर्तें होंगी जैसा कि दविविनिलि/यूपीपीसीएल के प्रतिनियुक्ति की नियम और शर्तें डीएफ अनुबन्ध के परिशिष्ट–6 में वर्णित हैं। डीएफ अनुबन्ध की आर्टिकिल 12.1 प्रावधान करती है कि दविविनिलि ऐसे कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा जो कि प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक हैं। अतः, डीएफ को इच्छुक कर्मचारियों की सूची से कर्मचारी चुनने की स्वतंत्रता होगी। डीएफ को बिना कारण बताये किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर लेने या न लेने का अधिकार होगा। हमने अवलोकित किया कि परामर्शदाता द्वारा 20 वर्ष के ईआईईआर ₹ 1.91 से ₹ 2.38 प्रति युनिट की गणना, ₹ 0.21 से ₹ 0.32 प्रति युनिट के व्यय को घटाने के बाद, की गयी थी जिसमें 20 वर्षों के लिये कर्मचारियों की लागत (₹ 0.08 से ₹ 0.17 प्रति युनिट) भी सम्मिलित थी, जो कि ₹ 709.35 करोड़ बनती है। डीएफ दविविनिलि के कर्मचारियों को अवशोषित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, दविविनिलि को उनका भार अपने ही स्रोतों से वहन करना पड़ रहा है। दरों को अन्तिम रूप देते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया, परिणामस्वरूप, मार्च 2012 तक दविविनिलि को ₹ 31.99 करोड़ का वित्तीय भार वहन करना पड़ा था जो कि संविदा कालखण्ड के समाप्त होने तक बढ़कर ₹ 703.95 करोड़ हो जायेगा। अतः, व्यय के मद में डीएफ को मान्य किया गया ₹ 0.21 प्रति युनिट से ₹ 0.32 प्रति युनिट का व्यय बहुत अधिक था और कर्मचारियों का अवशोषण न किये जाने के कारण ₹ 0.08 प्रति युनिट से ₹ 0.17 प्रति युनिट की दर से घटाकर पुनरीक्षण करने की आवश्यकता थी। आवश्यक जानकारी के अभाव में हम डीएफ की वास्तविक कर्मचारी लागत की गणना करने में सक्षम नहीं हो सके। तथापि, यह स्पष्ट है कि अन्तिम दरों की गणना करते समय इस तथ्य की उपेक्षा की गयी थी जिसकी परिणिति डीएफ को अनुचित पक्षपात के रूप में हुयी और फलस्वरूप दविविनिलि को ₹ 703.95 करोड़ के भार वहन के अतिरिक्त आवर्ती हानि होती रहेगी जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि आगरा शहर में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र क्षेत्रीय इकाइयों में कर दिया गया है, जहाँ उनकी आवश्यकता थी। हम महसूस करते हैं कि प्रबन्धन को कोशिश करनी चाहिये थी कि कर्मचारियों का समायोजन टीपीएल के साथ हो सके जिससे कि कम्पनी की स्थापना भार को कम किया जा सके क्योंकि बीएसटी ₹ 1.91 प्रति युनिट से ₹ 2.38 प्रति युनिट की गणना, स्थापना लागत, जो कि 20 वर्षों के संविदा काल में ₹ 703.95 करोड़ है, को घटाने के

बाद की गयी थीं। यदि कर्मचारियों का समायोजन नहीं हो सकता था तो निगोशिएशन कर के ऊँची बीएसटी दर प्राप्त करनी चाहिये थी।

एटीआर में अनौचित्यपूर्ण परिवर्तन से हुई हानि

3.6.8 अनुबन्ध का आर्टिकल 2.1.3.4 आधार वर्ष 2008–09 के औसत टैरिफ रेट (एटीआर) के निर्धारण के लिए व्यवस्था देता है जिससे कि आर्टिकल 7 के अन्तर्गत बिलिंग किया जा सके। तदनुसार, दविविनिलि के अधिकारियों और डीएफ के एक संयुक्त टीम ने आधार वर्ष के लिए एटीआर का निर्धारण ₹ 4.10 प्रति युनिट किया (अक्टूबर 2009)।

टीपीएल और दविविनिलि के आपसी सहमति के आधार पर, दिसम्बर 2009 को आयोजित मीटिंग में ईटीएफ ने निम्न निर्णय लिया:

- ऊँकड़ों में त्रुटि के तत्व को ध्यान में रखते हुए, ₹ 3.98 प्रति युनिट एटीआर का निर्धारण आपसी सहमति से हुआ। इसी आधार पर विद्युत वितरण कार्य डीएफ को सौंपा जाना था।
- आगामी वर्षों में एटीआर में वृद्धि होने पर, एटीआर में वृद्धि का लाभ टैरिफ इन्डेक्स अनुपात (टीआईआर^{*}) के माध्यम से दविविनिलि को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।
- वर्ष 2008–09 के लिए एटीआर में वृद्धि की गणना संग्रहण दक्षता के सन्दर्भ में की जायेगी और 20 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के एनर्जी इनपुट में जोड़ दी जायेगी और दविविनिलि को हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

तदनुसार, दविविनिलि व डीएफ के मध्य हुये अनुपूरक समझौते में (मूल अनुबन्ध के उपवाक्यों में) उपरोक्त निर्णय को समाहित किया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- आर्टिकल-2.1.3.4 में प्रावधान था कि यदि आधार वर्ष का एटीआर, गणना करने पर ₹ 3.98 प्रति युनिट से ज्यादा आता है, तो ₹ 3.98 प्रति युनिट की राशि अपरिवर्तनीय रहेगी, परन्तु यदि आगणित आधार वर्ष का एटीआर ₹ 3.98 प्रति युनिट से कम है तो उसी राशि को ही आधार वर्ष का एटीआर माना जायेगा।
- आर्टिकल-7.1.1, जो कि मासिक बीजक (बिलिंग) से सम्बन्धित है, व्याख्या प्रदान करता है कि बिल किये गये महीने के एटीआर का टीआईआर से गुण करके, उस महीने विशेष के लिए प्रभावी इनपुट रेट निकाला जायेगा।
- आगे, ईटीएफ के निर्णय के सन्दर्भ में, यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर वर्ष 2010–11 के लिए एटीआर की गणना कर टैरिफ पुनरीक्षण के लाभ को हस्तान्तरित करना था क्योंकि 2009–10 में टैरिफ पुनरीक्षण नहीं हुआ था।

हमने पाया कि उपरोक्त निर्णय गलत रूप से बिलिंग करने हेतु लागू किया गया जो कि निम्नवत् है:

- वर्ष 2009–10 के लिए एटीआर ₹ 4.73 प्रति युनिट की गणना की गयी। इस एटीआर को आनुपातिक रूप से घटाकर ₹ 4.59^{*} प्रति युनिट किया गया। इस कम किये गये ₹ 4.59 प्रति युनिट एटीआर को, ₹ 3.98 प्रति युनिट के स्थान पर दिनांक 15 अप्रैल 2010 से गलत रूप से आधार वर्ष का एटीआर माना गया जो कि अनुपूरक अनुबन्ध के आर्टिकल 2.1.3.4 के विरुद्ध था।
- आधार वर्ष के एटीआर की अधिक राशि लेकर बिलिंग करने पर यह प्रभाव हुआ कि टीआईआर[∞] निरन्तर रूप से कम बना रहेगा, परिणामस्वरूप अनुबन्ध के सम्पूर्ण कालखण्ड के दौरान दविविनिलि को आवर्ती हानि होती रहेगी।
- वर्ष 2009–10 का टैरिफ पुनरीक्षण यूपीईआरसी में लम्बित था। यूपीईआरसी द्वारा नया टैरिफ दिनांक 15 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अतएव,

* टीआईआर= वर्तमान एटीआर/आधार वर्ष का एटीआर

^{*} $(4.73 \times 3.98)/4.10 = 4.59$

[∞] $(4.85/4.59 = 1.06)$ एवं $(4.85/3.98 = 1.22)$

2010–11 में एटीआर राशि ₹ 4.85 प्रति युनिट में हुयी वृद्धि को, इनपुट एनर्जी रेट में हुयी वृद्धि की गणना करने में विचार करना चाहिये था। हमने पाया कि दिविविनिलि ने अनुचित रूप से ₹ 0.51 के स्थान पर ₹ 0.26 की वृद्धि को स्वीकार कर लिया जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है:

foojk	vij,OihdmokD; dsvuflkj	₹ ॥	vuijdfvupflk ds vuflkj	₹ ॥
एटीआर में वृद्धि	4.85-3.98	0.87	4.73-4.10*	0.63
घटावें: टीएण्डडी हानि	28.22	0.25	44.85	0.28
टीएण्डडी हानि के बाद एटीआर में वृद्धि	--	0.62	--	0.35
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	82.34	--	74.77	--
दक्षता के बाद एटीआर में वृद्धि	--	0.51	--	0.26

हमने पाया कि:

- दिविविनिलि ने टीएण्डडी हानि 28.22 प्रतिशत और संग्रहण क्षमता 82.34 प्रतिशत के आरएफपी में दिये गये मूल आँकड़ों के स्थान पर टीएण्डडी हानि 44.85 प्रतिशत और संग्रहण क्षमता 74.77 परिवर्तित आँकड़ों* को अभिसूचित किया। हमने देखा कि 28.22 और 82.34 प्रतिशत के आँकड़े, यूपीईआरसी को प्रेषित टीएण्डडी के आँकड़ों से और यूपीपीसीएल एवं दिविविनिलि के लेखा प्रपत्र के आँकड़ों से एकरूपता रखते हैं।

ये आँकड़े लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रेषित किये गये आँकड़ों के समरूप हैं। अतएव टीएण्डडी हानि का 44.85 प्रतिशत और संग्रहण क्षमता का 74.77 प्रतिशत के आँकड़ों का न तो कोई आधार और न तो कोई तर्कसंगतता है।

अतार्किक और आधारविहीन आँकड़ों के अंगीकरण ने एटीआर में हुयी वृद्धि की गणना को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और जिसकी परिणिति कम्पनी को हानि के रूप में हुयी।

- अनुपुरक अनुबन्ध मार्च 2010 में हस्ताक्षरित हुए और कार्य का हस्तान्तरण 1 अप्रैल 2010 को हुआ। अतएव, ₹ 4.73 प्रति युनिट का अंगीकरण गलत था क्योंकि यह वर्ष 2009–10 से सम्बन्धित था जिस दौरान टैरिफ पुनरीक्षित नहीं हुआ था। यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित रिवाइज टैरिफ 15 अप्रैल 2010 से लागू हुआ अतः वर्ष 2010–11 के लिये ₹ 4.85 प्रति युनिट का एटीआर टैरिफ दर में हुयी वृद्धि को गणना के लिए उपयोग में लाना चाहिये था।

अतः, ₹ 3.98 प्रति युनिट के स्थान पर ₹ 4.59 प्रति युनिट को आधार वर्ष के एटीआर को गलत रूप से स्वीकार करके और ₹ 0.51 के स्थान पर ₹ 0.26 प्रति युनिट की एटीआर में वृद्धि प्रदान करके, दिविविनिलि ने मार्च 2012 तक ₹ 232.63 करोड़ की हानि वहन की और यह अगले 18 वर्षों में बढ़कर ₹ 3,681.90 करोड़ $\frac{1}{4} \text{ फ्लक्षन } 17\%$ हो जायेगी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि आधार वर्ष एटीआर में परिवर्तन, अनुपुरक अनुबन्ध के आर्टिकल 2.1.3.4 की आख्या के अनुरूप थी। आर्टिकल 2.1.3.4 में यह व्यवस्था दी गयी थी कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये टैरिफ पुनर्निर्धारण होना था और पुनर्निर्धारण के बाद, आधार वर्ष टैरिफ की गणना की जायेगी और नया आधार वर्ष टैरिफ ₹ 3.98 के अनुपात में समायोजन करने के बाद सम्पूर्ण संविदा काल के लिये निर्धारित कर दिया जायेगा। हम प्रबन्धन के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि अनुपुरक अनुबन्ध का आर्टिकल 2.1.3.4 स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है कि "यदि आधार वर्ष का एवरज टैरिफ लेखापरीक्षा के बाद ₹ 3.98 प्रति युनिट से अधिक आगणित होता है तो ₹ 3.98 प्रति युनिट की राशि यथावत रहेगी और यदि आगणित आधार वर्ष टैरिफ ₹ 3.98 प्रति युनिट से कम है तो उसे ही आधार वर्ष टैरिफ के रूप में लिया जायेगा"। पुनः, परामर्शदाता द्वारा बीएसटी की गणना और टीपीएल को प्रदत्त किये गये दरों की गणना मूल रूप से ₹ 3.98 प्रति युनिट के एटीआर दर पर आधारित थी। आधार वर्ष के एटीआर में किसी भी बढ़ोत्तरी का प्रभाव यह होगा कि सम्पूर्ण संविदा काल में, बिलिंग कम दर पर होगी जो कम्पनी के वित्तीय हित के लिये नुकसानदायक होगा।

* 2009–10 का एटीआर ₹ 4.73 प्रति युनिट है और आँकड़ों की त्रुटि के विचार करने के पहले 2008–09 का एटीआर ₹ 4.10 है। आँकड़ों की त्रुटि का विचार करने के बाद ये आँकड़े क्रमशः ₹ 4.59 प्रति युनिट और ₹ 3.98 प्रति युनिट लिये गये हैं।

† 4 नवम्बर 2009 को।

डीएफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

3.6.9 हमने डीएफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन आईबीडीएफएस में निर्दिष्ट उद्देश्यों के सन्दर्भ में किया और पाया कि उद्देश्य पूरे नहीं किये जा सके हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है:

एटीएण्डसी हानियों का अपेक्षानुरूप कम न होना

3.6.10 संविदा का आर्टिकल 5.8 यह आख्या देता है कि डीएफ प्रभावी तिथि से सात वर्ष के अन्दर ही 15 प्रतिशत एटीएण्डसी* हानियों (सुत्रानुसार[▼] आगणित) के स्तर को प्राप्त कर लेगा। यदि डीएफ सात वर्षों के भीतर एटीएण्डसी हानियों के इस स्तर को प्राप्त करने में असफल रहता है तो राजस्व हानि के 10 प्रतिशत के समतुल्य अर्थदण्ड की वसूली, लक्ष्य को न प्राप्त करने के कारण, डीएफ से की जायेगी।

हमने देखा कि उपरोक्त शर्त के कारण डीएफ इस स्थिति में होगा कि वह मात्र 10 प्रतिशत अर्थदण्ड देकर किसी भी स्तर तक एटीएण्डसी हानियों को कर सकेगा। यह शर्त दविविनिलि के हितों के विरुद्ध है और इस की पुष्टि इस बात से होती है कि 2010–11 में डीएफ ने एटीएण्डसी हानियों को 61.44 प्रतिशत तक किया जबकि डीएफ द्वारा कार्य शुरू करने के पूर्व यह 58.77 प्रतिशत के स्तर पर था।

हमने पुनः यह अवलोकित किया कि वितरण नेटवर्क को सौंपे जाने के पूर्व टीएण्डडी हानियों को 44.85 प्रतिशत के स्तर पर विचार किया गया जो कि अपने आप में ही आरएफपी में निर्दिष्ट 28.22 प्रतिशत से 58.93 प्रतिशत ज्यादा है। डीएफ द्वारा कार्य शुरू करने के बाद टीएण्डडी हानियाँ जैसा कि डीएफ द्वारा दर्शाया गया है बढ़कर 2010–11 में 53.87 प्रतिशत और 2011–12 में (अक्टूबर 2011 तक) 50.37 प्रतिशत हो गयी जो आरएफपी में निर्दिष्ट 28.22 प्रतिशत से 90.89 प्रतिशत और 78.49 प्रतिशत अधिक है। आरएफपी में निर्दिष्ट टीएण्डडी हानियों के ऑकड़े यूपीईआरसी और लेखापरीक्षा को दिये गये ऑकड़ों के समरूप थे। यह संकेत करता है कि डीएफ द्वारा टीएण्डडी हानियों को कम करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि सात वर्ष का समय अभी व्यतीत नहीं हुआ है अतः इस तथ्य को अभी नहीं उठाना चाहिये। हम इस उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि सातवें वर्ष के अन्त तक हानियों में हुयी कमी की उपलब्धि प्रत्येक वर्ष के हानियों के कमी के रूप में प्रदर्शित होनी चाहिये जो कि डीएफ को नियुक्त करने का मुख्य उद्देश्य था।

परामर्शदाता की भूमिका

3.6.11 व्यावसायिक नैतिकता के अनुसार परामर्शदाता को उचित दृष्टिकोण सामने लाना चाहिये जो कि उसके ग्राहक के अधिकतम हित में हो। उसकी प्रतिवेदन स्वतंत्र और ग्राहक द्वारा सत्यापित ऑकड़ों और जानकारी पर आधारित होना चाहिये। यह बात महत्वान्वयन है कि उसका ग्राहक अपना निर्णय इस प्रतिवेदन के आधार पर लेता है या किसी पक्ष की उपेक्षा कर देता है।

हमने विश्लेशणात्मक तरीके से प्रतिवेदन का परीक्षण किया और आईबीडीएफएस में सन्निहित उद्देश्यों से इसकी समरूपता को जाँचा, जिसमें निम्नलिखित कमियाँ दृष्टिगोचर हुयीं:

- परामर्शदाता द्वारा प्रथम वर्ष के लिए ₹ 1.91 प्रति युनिट सांकेतिक रिजर्व इनपुट एनर्जी रेट (बीएसटी) और 20वें वर्ष के लिये ₹ 2.38 प्रति युनिट की गणना की गयी थी। इन दरों की गणना वितरण व्ययों जिसमें कि कर्मचारी लागत भी सम्मिलित है, को घटाने के बाद की गयी थी। दविविनिलि के कर्मचारी लागत को लिया गया था। यदि दविविनिलि के कर्मचारी टीपीएल में प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाते हैं, उस स्थिति में, कर्मचारी लागत की गणना अलग से नहीं की गयी थी। चूंकि अन्ततः टीपीएल ने दविविनिलि के कर्मचारियों को

* तकनीकी हानि, वाणिज्यिक हानि और बिल की गयी राशि के प्राप्त न होने से हुयी कुल कमी।

▼ कुल एनर्जी इनपुट घटाये एनर्जी प्राप्त / कुल एनर्जी इनपुट X 100, जहाँ एनर्जी प्राप्त से तात्पर्य है एनर्जी का विक्रय X संग्रहण क्षमता।

प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया, टीपीएल के वास्तविक कर्मचारी लागत की गणना न करने से टीपीएल को अनुचित लाभ मिला जैसा कि प्रस्तर 3.6.7 में वर्णित है।

- बीएसटी की गणना इस अवधारणा पर आधारित थी कि 20वें साल के अन्त तक संग्रहण दक्षता में सुधार के साथ–साथ टीएण्डडी हानियाँ घटकर 11 प्रतिशत हो जायेंगी। 20वें साल के अन्त तक, जैसा कि परामर्शदाता द्वारा अभिप्रेषित प्रोजेक्शन में दर्शाया गया है, कार्य निष्पादन संकेतक प्राप्त कर लिये जायें, उस समय तक क्या दविविनिलि इस स्थिति में आ पायेगा कि वह ऊर्जा की क्रय लागत वसूल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसे प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं किया गया है।
- आरएफपी में दिये गये आँकड़ों और दरों के आधार पर निविदादाताओं ने अपनी दरें उद्धृत की थीं। बिड के अन्तमीकरण के दौरान, नये आँकड़े संरचित किये गये और टीपीएल द्वारा उद्धृत किये गये दरों को न्यायसंगत ठहराने के लिए उपयोग में लाये गये। परामर्शदाता ने नये संरचित आँकड़ों के आधार पर किये गये मूल्यांकन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर विचार नहीं किया और न ही यह सलाह दी कि बिड को निरस्त किया जाय और नये आँकड़ों के आधार पर नई बिड प्रक्रिया शुरू की जाये।
- तकनीकी बिड को 24 फरवरी 2009 को और वित्तीय बिड को 25 फरवरी 2009 को खोला गया और ईटीएफ द्वारा अनुमोदन 25 फरवरी 2009 को किया गया। तीन निविदादाता सम्मिलित हुये। हमारे विचार से इतने गहराइपूर्ण और जटिल विश्लेषण के लिए एक दिन अपर्याप्त था। अतः, लगाया गया संक्षिप्त समय मूल्यांकन की गुणवत्ता और परामर्शदाता द्वारा बरती गयी सावधानी पर प्रश्न उठाता है। परामर्शदाता के प्रतिवेदन के कमियों की वजह से हानियाँ हुयीं जैसा कि पूर्व वर्णित प्रस्तर संख्या 3.6.5 से 3.6.8 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बिड मूल्यांकन प्रक्रिया और अनुपूरक अनुबन्ध में अनियमितिता होने के कारण साथ ही साथ ईटीएफ की अनुशंसाओं से विचलन करने के कारण मार्च 2012 तक ₹ 421.12 करोड़ की हानि हो चुकी है जो कि अनुबन्ध के शेष 18 वर्षों* में बढ़कर ₹ 4,601.12 करोड़ हो जायेगी, इसके अतिरिक्त, जबकि एटीएण्डसी हानियों को कम करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

mRrj ins k jkT; fo | r mRi knu fuxe fyfeVM

3.7 I kefxz k ds Ø; ij i fjgk; z0; ;

vkcjk EkeLy i koj lyk. V dh ; fuV&8 ds i puuh; u , o a vklfudhdj .k ds vuifpr fu; ktu ds i fj .kkoLo: i I kefxz k dh [kjhn ij ₹ 31-88 djkM+ dk i fjgk; z0; ; gvkA

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के अन्तर्गत, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीय मिशन की पहल की तथा विद्यमान थर्मल पावर संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जाँच का कार्य एक कार्यदल को सौंपा। कार्यदल की सिफारिशों में एक सिफारिश XI योजना (2007–12) में, उन सभी पुराने छोटे आकार के संयंत्रों जिनकी परिचालन दक्षता काफी निम्न स्तर पर थी, की सेवानिवृत्ति विचारणीय थी।

तदनुसार, केन्द्रीय विद्युत आयोग (सीईए) ने XI योजना के दौरान सेवानिवृत्ति योग्य युनिटों का पता लगाने की पहल शुरू की तथा; कार्यदल की सिफारिशों के अनुरूप अगले 10 वर्षों की समयावधि में सभी नान–रीहीट 100 एमडब्ल्यू या उससे कम रैटिंग की युनिटों को चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्ति किए जाने की कसोटी तय की। एक

* जो ₹ 0.72 करोड़ प्रतिदिन की हानि से अगले 18 वर्षों के लिये है।

शर्त के अनुसार उन युनिटों को जो पुनर्नवीन्यन एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) की क्रियाओं के पश्चात् अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं, आरएण्डएम की तिथि से 10 वर्षों तक प्रचालित रखी जा सकती थीं।

उपर्युक्त कसौटियों की पुष्टि करते हुये, सीईए ने (अगस्त 2009) राज्य सरकार यूपी, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) को ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की युनिट-7 एवं 8 (प्रत्येक 100 एमडब्ल्यू की) को वर्ष 2011-12 में बन्द करने का निर्देश निर्गत किया और 7 सितम्बर 2009 तक इस प्रकरण पर टिप्पणियाँ/दृष्टिकोण प्रस्तुत करने को कहा। इसके उत्तर में, कम्पनी ने (22 सितम्बर 2009) सीईए को सूचित किया कि युनिट-7 और 8 क्रमशः वर्ष 1973 एवं 1975 में स्थापित हुयी थीं। यद्यपि की यह युनिटें नान-रीहीट प्रकार की थीं और अपना उपयोगी जीवन जी चुकी थीं; लेकिन राज्य में ऊर्जा संकट को देखते हुये इन युनिटों का आवश्यकता आधारित आरएण्डएम करना जरूरी था जिससे कि ये अगले पाँच वर्षों या अधिक के लिये 60 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर पर विद्युत उत्पादित करने में समर्थ हो सकें।

चूंकि इन युनिटों का आवश्यकता पर आधारित आरएण्डएम शुरू किया जा चुका था और इसके लिये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) को कार्यादेश (एलओआई) दिया जा चुका था, XI योजना में इन युनिटों की सेवानिवृत्ति पर विचार इस समय सम्भव नहीं था।

कम्पनी, हालाँकि, दोनों युनिटों (युनिट 7 एवं 8) के आरएण्डएम का कार्य ₹ 130 करोड़ की अनुमानित लागत पर 4 दिसम्बर 2009 की प्रभावी तिथि से क्रमशः 23 माह एवं 31 माह में कार्य समाप्ति की प्रत्याशा से बीएचईएल को (मई 2009) प्रदान कर चुकी थी। बीएचईएल ने अक्टूबर 2009 से सामग्रियों की आपूर्ति प्रारम्भ की तथा नवम्बर 2012 तक युनिट 8 हेतु ₹ 32.54 करोड़ की सामग्री आपूर्ति की जा चुकी थी।

हमने पाया कि:

- कम्पनी ने मई 2009 में आरएण्डएम कार्य कराने हेतु आदेश निर्गत किये;
- उसने जुलाई 2010 में युनिट-7 के आरएण्डएम कार्य हेतु संयंत्र बन्द किया किन्तु युनिट-8 के आरएण्डएम के लिये संयंत्र को बन्द करने के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में असफल रही।
- कम्पनी सीईए और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को युनिट-8 के आरएण्डएम कार्य कराने की आवश्यकता पर सन्तुष्ट नहीं कर सकी।
- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये परामर्शदाता द्वारा युनिट-8 का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन मई 2010 तक देरी के साथ प्रक्रिया में था जो यह दर्शाता है कि मई 2009 में आरएण्डएम कार्य करने हेतु दिये गये आदेशों का निर्णय किसी तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पर आधारित नहीं था।
- सीपीसीबी ने निर्देशित* किया (24 फरवरी 2011) कि चूंकि युनिट-7 से सम्बन्धित कार्य शुरू किया जा चुका था, युनिट-7 के आरएण्डएम कार्य ईएसपी के साथ पूर्ण किया जाये, लेकिन युनिट-8 तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाये, कम्पनी ने जून-2011 में युनिट-8 को बन्द किया।

इस प्रकार, बिना किसी तकनीकी-आर्थिक अध्ययन एवं नियोजन के युनिट-8 के आरएण्डएम का कार्य कराने के परिणामस्वरूप सामग्रियों के क्रय पर ₹ 31.88 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। बीएचईएल को दिये आदेश को अगस्त/सितम्बर 2009 में रद्द कर इसको बचाया जा सकता था, जब सीईए ने युनिट को बन्द करने हेतु सूचित किया था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि युनिट-7 एवं 8 की आवश्यकता आधारित आरएण्डएम करवाने की आवश्यकता को सीईए को बताया गया था। सीईए ने इस सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी नहीं दिया। इसी प्रकार, सीपीसीबी ने भी युनिट-7 एवं 8 का आरएण्डएम करवाने की आवश्यकता पर बल दिया था। हालाँकि, सीपीसीबी के निर्देशों पर, जून 2011 में युनिट-8 बन्द कर दी गयी। तथापि, क्रय की गयी सामग्री

* पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अनुपालन में।

के उपयोग के सम्बन्ध में, विभिन्न टीपीएस के साथ पत्राचार किया जा रहा था। पुनः आगे बताया गया (सितम्बर 2012) कि इन सामग्रियों को पारीक्षा एवं पनकी टीपीएस की 110 एमडब्ल्यू की दो युनिटों में उपयोग किया जायेगा।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि जब सीईए ने युनिट को बन्द करने के लिये सूचित (अगस्त 2009) किया था, प्रबन्धन द्वारा युनिट-8 के आरएण्डएम की तकनीकी व्यवहार्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिये था। इसने, फिर भी, फरवरी 2010 में देरी से बीएचईएल के साथ आदेशों को निरस्त करने हेतु कहा जब तक बीएचईएल सामग्री की आपूर्ति शुरू कर चुकी थी। तथापि, नवम्बर 2012 तक ₹ 32.54 करोड़ मूल्य की क्रय की गयी सामग्रियों में से, अन्य संयंत्रों में केवल ₹ 66.35 लाख की सामग्री ही प्रयोग में लायी जा सकी। इस प्रकार, बिना उपयुक्त तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के आरएण्डएम का नियोजन और इसके अतिरिक्त युनिट-8 के सम्बन्ध में बीएचईएल के एलओआई को निरस्त करने में प्रबन्धन के निरुत्साही दृष्टिकोण के कारण, ₹ 31.88 करोड़ की सामग्रियों का अनावश्यक क्रय हुआ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.8 ॥१॥ ykbZ , sk dh fcØh dk foyEc | s vuçl/k fu'i knu

॥१॥ j dkj dh | kks/kr ekxhf' kdk ds vuq kyu e॥१॥ ykbZ , sk ds foØ; e॥१॥
dks fu; r djus ds fy; s vuçl/k dh 'krk dks ylxw djkus e॥१॥ foyEc ds i fj .kler%
dEi uh dks ₹ 204 djM+ dh gkfUA

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार (जीओआई) की दिनांक 14 सितम्बर 1999 की अधिसूचना के अनुसार, पावर स्टेशनों द्वारा उत्पादित शुष्क फ्लाई ऐश को अन्तिम उपभोक्ता द्वारा राख आधारित उत्पादों यथा सीमेण्ट, ईट, पैनल इत्यादि में उपयोग के उद्देश्य से निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अधिसूचना का उक्त खण्ड 10 वर्षों की अवधि 13 सितम्बर 2009 तक मान्य/प्रयोज्य था और उसके पश्चात् पावर स्टेशन वाणिज्यिक आधार पर शुष्क फ्लाई ऐश को बेचने के लिये स्वतन्त्र थे।

इन निर्देशों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने सितम्बर 2006 से अगस्त 2008 के मध्य सभी पांचों थर्मल पावर स्टेशनों (टीपीएस) द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश की उठान हेतु 10 अनुबन्ध निष्पादित किया। अनुबन्ध में प्रावधान था कि फ्लाई ऐश की लागत के सम्बन्ध में जीओआई की मार्ग दर्शिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन दोनों पक्षकारों पर बाध्य होगा।

वर्ष 1999 की अधिसूचना में संशोधन हेतु एमओईएफ ने 3 अप्रैल 2007 एवं 6 नवम्बर 2008 को ड्राफ्ट अधिसूचना संचारित किया और सुझावों/आपत्तियों को आमंत्रित किया। ये ड्राफ्ट अधिसूचनायें, स्वामियों यथा थर्मल पावर कम्पनियों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों द्वारा ऐश के निस्तारण की सम्भावना पर विचार हेतु थी। नवम्बर 2009 में, एमओईएफ ने फ्लाई ऐश के निःशुल्क उपलब्ध कराने के अपने पहले की मार्गदर्शिका में संशोधन किया। संशोधित मार्गदर्शिका का प्रस्तर 2(1) अन्य बातों के साथ—साथ थर्मल पावर स्टेशनों को फ्लाई ऐश बेचने की स्वतन्त्रता प्रदान करता था।

हमने पाया कि:

- पनकी टीपीएस^{*} एवं पारीछा टीपीएस[∞] के मामले में, कम्पनी ने पूर्व संविदाओं को क्रमशः 11 एवं 12 महीने की देरी के बाद संशोधित (क्रमशः अक्टूबर 2010 एवं नवम्बर 2010) किया। अनुबन्धों को संशोधित करने में इस विलम्ब के कारण कम्पनी

* एसीसी लिमिटेड के पक्ष में ₹ 28 प्रति एमटी की दर पर।

[∞] युनिट 1 एवं 2 के लिये सीमेण्ट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 51 प्रति एमटी की दर पर तथा युनिट 3 एवं 4 के लिये लायमण्ड सीमेण्ट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 75 प्रति एमटी की दर पर।

अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2010 की समयावधि में ₹ 0.74 करोड़^④ का राजस्व अर्जित करने से बंचित रही।

- ओबरा 'बी' एवं अनपरा टीपीएस की दशा में, कम्पनी ने संविदा की शर्त के प्रावधानों, यथा जीओआई मार्गदर्शिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाध्यकारी होगा, को लागू कराने में असफल रही और फ्लाई ऐश का निस्तारण निःशुल्क करती रही। उपरोक्त के अतिरिक्त, नवम्बर 2009 की एमओईएफ की मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए, कम्पनी ने ओबरा 'ए' टीपीएस से उत्पादित फ्लाई ऐश को, जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को, निःशुल्क उठाने हेतु, पुनः अनुमोदन (मार्च 2010) प्रदान किया जबकि अन्य टीपीएस में कम्पनी फ्लाई ऐश के विक्रय द्वारा राजस्व अर्जित कर रही है। ऐसा करके कम्पनी अप्रैल 2010 से सितम्बर 2012 की समयावधि के दौरान ₹ 1.30 करोड़^⑤ का राजस्व अर्जित करने के अवसर से बंचित रही।

प्रबन्धन की समय से संविदाओं में संशोधन करने और ओबरा एवं अनपरा टीपीएस के सम्बन्ध में फ्लाई ऐश का विक्रय मूल्य निर्धारित करने में अक्रियाशीलता के कारण, कम्पनी ₹ 2.04 करोड़^⑥ के राजस्व उपार्जन के अवसर से बंचित रही। ओबरा एवं अनपरा के सम्बन्ध में हानि संविदा की शर्तों में संशोधन होने की अवधि तक जारी रहेगी।

प्रकरण कम्पनी/शासन को प्रतिवेदित किया गया (8 फरवरी 2013); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (फरवरी 2013)।

infty fo | r forj .k fuxe fyfeVM

3.9 fu/kfj r dVfhi dk; Øe dks i Hkkoh djus e fufØ; rk ds dkj .k jktLo dh ol yh u gks i uk

I j {KKRed Hkkj ds fy; s mi HkkDrk ds fyf[kr fodYi ds vHkkko e [k.M us vi uh fo | r vki frz i j fu/kfj r dVfhi dk; Øe i Hkkoh ugha fd; kA i fj .k kLo: lk] mi HkkDrk us fu/kfj r dVfhi dk; Øe dh vof/k ds nkku Åtkl dk vkgj .k tkjh j [k vlg I j {KKRed Hkkj 'k/d ₹ 1-13 dj kM+dh ol yh ugha gks I dhA

दर अनुसूची के पैरा 12 के अनुसार (27 अप्रैल 2008 से प्रभावी), उपभोक्ता जो उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 केवी या अधिक वोल्टेज के स्वतन्त्र पोषकों से आपूर्ति पा रहे हैं, संरक्षात्मक भार की सुविधा को चुन सकते हैं और आपातिक कटौती^{*} को छोड़कर अनुज्ञापिधारी द्वारा लागू निर्धारित कटौती^{*} कार्यक्रम की अवधि के दौरान आपूर्ति पा सकते हैं। प्रतिमाह निर्धारित आधार माँग शुल्क[†] का 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क, प्रत्येक माह के अनुबन्धित संरक्षात्मक भार पर उद्गृहीत होगा।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-IV (खण्ड) का उपभोक्ता बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी (बीएचयू), का अनुबन्धित भारत 10 एमवीए तथा 11 केवी पर कटौती मुक्त आपूर्ति थी। अप्रैल 2008 में संरक्षात्मक भार का प्रावधान लागू हो जाने के बाद, खण्ड ने संरक्षात्मक भार का अनुबन्ध करने हेतु उपभोक्ता से निवेदन (मई 2008) किया। उपभोक्ता ने अप्रैल 2008 से 23 मार्च 2009 की समयावधि के लिये संरक्षात्मक भार हेतु अनुबन्ध नहीं किया। उसने हालाँकि 33/11 केवी से स्थित करके 132 केवी उपकेन्द्र से आपूर्ति करने हेतु निवेदन किया और 24 मार्च 2009 को अनुबन्ध किया। 27 मई 2009 की उपभोक्ता की आपूर्ति 132

^④ ₹ 28 प्रति एमटी की दर पर गणना (जुलाई 2011 में सभी टीपीएस में रही निम्नतम विक्रय दर पर) पनकी टीपीएस से 52,794 एमटी एवं पारीछा टीपीएस से 2,11,430 एमटी की निःशुल्क उठान पर जोकि क्रमशः 6 और 7 माह विलम्ब के कारण रही।

^⑤ ₹ 28 प्रति एमटी की दर पर गणना (जुलाई 2011 में सभी टीपीएस में रही निम्नतम विक्रय दर पर) ओबरा टीपीएस से 4,01,379 एमटी एवं अनपरा टीपीएस से 61,174 एमटी फ्लाई ऐश की निःशुल्क उठान पर।

^⑥ ₹ 0.74 करोड़ जोड़ ₹ 1.30 करोड़ संशोधित मार्गदर्शिका के निर्गमन के बाद संविदाओं में संशोधन हेतु 5 माह की अवधि की अनुमति देने के पश्चात।

* अनुज्ञापिधारी या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निर्धारित विद्युत आपूर्ति के घण्टों के कार्यक्रम में किया गया भार अवरोध।

† कर्मचारी और उपकरण की सुरक्षा के लिये संकेत नोटेस पर असंयोजन करके किया गया भार अवरोध।

• विलिंग अवधि के लिये माँग प्रभार से आशय अधिकतम माँग या संविदात्मक भार का 75 प्रतिशत, दोनों में जो भी अधिक दरें पर आधारित उपभोक्ता पर उद्गृहीत प्रभार से है। आधार दर (एचवी-2 टैरिफ के सन्दर्भ में पढ़ने पर) से आशय मूल माँग एवं ऊर्जा प्रभार से है जिन पर टाइम आफ डे (टीओडी) दरें प्रभावी होती है।

केवी उपकेन्द्र से संयुक्त की गयी। खण्ड ने संरक्षात्मक शुल्क के विरुद्ध मई 2008 से जनवरी 2010 की समयावधि के लिये ₹ 1.83 करोड़ का प्रथम बिल जारी (जनवरी 2010) किया। उपभोक्ता ने संरक्षात्मक भार शुल्क का भूगतान 27 मई 2009 (132 केवी उपकेन्द्र से संयोजन की तिथि) से किया तथा खण्ड से उक्त तिथि के पूर्व की अवधि का संरक्षात्मक भार शुल्क न उदाहृत करने का इस बहाने पर अनुरोध किया कि अधिभारिता के कारण वह निर्बाध आपूर्ति का उपयोग नहीं कर सका।

हमने पाया (मार्च 2011) कि संरक्षात्मक भार के लिये उपभोक्ता के लिखित विकल्प के अभाव में, उपभोक्ता पर निर्धारित कटौती^{८०} कार्यक्रम को प्रभावी नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता द्वारा निर्धारित कटौती कार्यक्रम अवधि के दौरान 24 घण्टे ऊर्जा का आहरण जारी रखा गया और 27 अप्रैल 2008 से 26 मई 2009 की समयावधि का संरक्षात्मक भार शुल्क ₹ 1.13 करोड़ उपभोक्ता से वसूला नहीं जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि अप्रैल 2008 से मई 2009 की समयावधि का संरक्षात्मक भार अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु उपभोक्ता से कठिनतम प्रयास किया गया लेकिन उपभोक्ता ने अभी तक अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया है।

हम सहमत नहीं हैं क्योंकि संरक्षात्मक भार अनुबन्ध निष्पादित करने की प्रतीक्षा करने के स्थान पर उपभोक्ता को निर्बाध आपूर्ति नहीं दी जानी चाहिए थी और अन्य उपभोक्ताओं के समान सामान्य कटौती पर रखा जाना चाहिये था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.10 ਏਵੀਫਿੱਕ ਫਿਲੋਵਰ ਦਿਲ ਓਲ ਵਿਹੁ ਗਲੂਕ

ਮਿਲਕੁਲਕਾ ਦਿਲ , ਯਵਹੀ ਏਵੀਫਿੱਕ ਦਿਲ , ਪਵਹੀ ਏਵੀਫਿੱਕ ਏਲ ਐਫਿੱਲੂਵਰ ਦਿਲ ਯਕਾਰ
ਮਿਲਕੁਲਕਾ ਲਸ ਓਲ ਵਿਹੁ ਦਿਲ ਵਿਹੁ ਲਕਾ ਲਸ ਦਜੁਸ ਦਸ ਡਿਕ੍ਝ. ਕਾਡੀ ਉਲ ਦਿਲ ₹ 1.02
ਡਿਕ੍ਝ. ਦਿਲ ਗਲੂਕ ਗੁਹਾ

उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (संहिता) के खण्ड 5.3 (सी) प्रावधानित करता है कि निम्न दाब (एलटी) भार के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) और उच्च दाब (एचटी) / अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) भार के लिए सर्किट ब्रेकर (सीबी), अनुज्ञापिताधारी द्वारा अनुमोदित समुचित रेटिंग और विशिष्ट के मीटर के साथ उपभोक्ता के व्यय पर संरक्षित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने स्पष्ट किया (जुलाई 2010) था कि उपभोक्ताओं के परिसर में संरक्षित मीटर की लागत उपभोक्ताओं से वसूल की जानी थी।

हमने पाया (फरवरी 2011) कि कम्पनी के मिर्जापुर मण्डल ने व्यवसाय योजना वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत सोनभद्र जिले में स्टोन क्रशर उपभोक्ताओं के एलटी मीटरिंग सिस्टम को एचटी मीटरिंग में बदलने हेतु चार पैकेज स्वीकृत किये। विद्युत परीक्षण खण्ड, मिर्जापुर द्वारा जुलाई से दिसम्बर 2010 तक व्यवसाय योजना के अन्तर्गत कम्पनी के स्वयं के कोष द्वारा कार्य का निष्पादन कराया गया जबकि संहिता के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं के मीटरिंग सिस्टम एलटी से एचटी पक्ष में बदलने की लागत सम्बन्धित उपभोक्ताओं से वसूल की जानी थी।

प्रबन्धन ने (दिसम्बर 2012) बताया कि विद्युत चोरी को रोकने के लिए और सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों को कम करने के लिए व्यवसाय योजना के अन्तर्गत कार्य निष्पादित किया गया था। निम्न तथ्यों को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- आपूर्ति संहिता का पैरा 3.3. (ब) बताता है कि अनुज्ञापिताधारी चाहे तो उपभोक्ता को उच्च वोल्टेज टैरिफ का लाभ दिये बिना, अपनी लागत पर मौजूदा सेवाओं को परिवर्तित कर सकता है। उच्च वोल्टेज टैरिफ लाभ प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ता मौजूदा सेवाओं के परिवर्तन की लागत स्वयं वहन करेगा। इस

^{८०} शहर के लिये प्रतिदिन 17 घण्टों की आपूर्ति।

प्रकार, मीटरिंग प्रणाली के संपरिवर्तन का काम, सम्बन्धित उपभोक्ताओं के द्वारा कम्पनी के पास लागत जमा करने के बाद ही निष्पादित किया जाना चाहिए था।

- खण्ड की लाइन हानि की स्थिति जो संपरिवर्तन से पहले 18 प्रतिशत से 32 प्रतिशत के मध्य थी, संपरिवर्तन के बाद 14 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के मध्य हुयी। इस प्रकार, इस सम्बन्ध में भी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ।
- संहिता एवं यूपीपीसीएल के स्पष्टीकरण के अनुसार, ये उपभोक्ता इस प्रकार से भी लाभान्वित हुये कि उन्हें, एलटी मीटरिंग से एचटी मीटरिंग में संपरिवर्तन के बाद एलटी मीटरिंग के लिए बिल की राशि का 15 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं रही।

इस प्रकार, सम्बन्धित उपभोक्ताओं से मीटरिंग सिस्टम के संपरिवर्तन की लागत वसूलने के बजाय स्वयं के स्रोतों से कार्य का निष्पादन करने के कारण, कम्पनी को ₹ 1.02^{*} करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

if peky fo|r forj.k fuxe fyfeVM ,oi nf{k.kpy fo|r forj.k fuxe fyfeVM

3.11 | lexh i cku

प्रस्तावना

3.11.1 उत्तर प्रदेश के 35^{*} जनपदों में विद्युत वितरण के उद्देश्य से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (पविविनिलि) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (दविविनिलि) का गठन मई 2003 में हुआ था। ये कम्पनियाँ[†] उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कार्य नियंत्रण तथा ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही हैं। प्रबन्धन अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त दो निदेशकों के निदेशक मण्डल में निहित है। दिन-प्रतिदिन के कार्य एमडी द्वारा मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं और अधिशाषी अभियन्ताओं की सहायता से किया जाता है।

कम्पनियाँ अपनी सामग्री-क्रय का विभाजन केन्द्रित एवं विकेंद्रित क्रय में करती हैं। केन्द्रित सामग्री का क्रय अधीक्षण अभियन्ता, सामग्री प्रबन्धन (एसई, एमएम) एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल (एसई, ईएससी) द्वारा मुख्य अभिन्यता, सामग्री प्रबंधन (सीई, एमएम) के पर्यवेक्षण में होता है। सामग्री प्रबन्धन (एमएम) द्वारा पूर्व खपत और कार्य के लक्ष्यों के आधार पर आवश्यकता का ऑकलन कर क्रय किया आरम्भ की जाती है। ईएससी और विद्युत कार्य मण्डल द्वारा कार्य-सम्पादन हेतु आवश्यकता का ऑकलन किया जाता है। निदेशक मण्डल[‡] द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् एसई (एमएम) द्वारा आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। क्रय मूल्यों के अनुसार, चिंहित निविदाओं का यूपीपीसीएल की निगम भंडार क्रय समिति (सीएसपीसी) अथवा कम्पनी की सीएसपीसी अथवा कम्पनी की प्रबंध निदेशक क्रय समिति (एमडीपीसी) अथवा मुख्य अभियन्ता (एमएम) की संस्तुति पर निदेशक (तकनीकी) की समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, ₹ 10 करोड़ और उसके ऊपर के क्रय यूपीपीसीएल की सीएसपीसी द्वारा, ₹ 1 एक करोड़ से ₹ 10 करोड़ तक का क्रय कम्पनियों की सीएसपीसी/एमडीपीसी द्वारा तथा ₹ 10 लाख से ₹ 1 एक करोड़ तक की प्रत्येक खरीद निदेशक (तकनीकी) की समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है। योग्य फर्मों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त क्रय आदेश जारी किये जाते हैं। प्रेषण निर्देश

* सामग्रियों की लागत: ₹ 79.06 लाख और संस्थापन की लागत: ₹ 23.27 लाख।

† पविविनिलि-14 जनपद, दविविनिलि-21 जनपद

‡ पविविनिलि और दविविनिलि

^ जनवरी 2008 से पूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा

(डीआई), कम्पनियों के नामित अधिकारियों द्वारा सामग्री के निरीक्षण के पश्चात् जारी किये जाते हैं। कम्पनियों के विद्युत भण्डार खण्ड (ईएसडी) सामग्री प्राप्त करते हैं और वे सामग्री क्रय के भुगतान, देरी से की गई आपूर्तियों के दण्ड शुल्क, यदि हों तो, की कटौती के बाद करते हैं। ईएसडी सामग्री के भण्डारण और रख-रखाव हेतु उत्तरदायी हैं।

इन कम्पनियों ने 2007–08 से 2011–12 तक की समयावधि में ट्रान्सफार्मरों, मीटरों, केबिलों तथा तारों, खम्भों और वैक्यूम सर्किट ब्रेकरों की खरीद हेतु ₹ 1,638.83 करोड़ की 200 निविदाओं को अन्तर्मीकृत किया। हमने पविविनिलि[♦] मेरठ एवं दविविनिलि[♦] आगरा के सीई (एमएम), ईएसडी एवं विद्युत कार्यशाला खण्ड में 2007–08 से 2011–12 तक की समयावधि में केन्द्रीय सामग्रियों के क्रय के ₹ 893.12 करोड़ की 107 निविदाओं का परीक्षण किया तथा हमारे लेखापरीक्षा प्रेक्षण आगामी प्रस्तरों में दिये गये हैं:

; l*st uk*

आव यकता का ऑकलन

3.11.2 कम्पनियों ने सामग्री प्रबन्धन हेतु न तो कोई मैनुअल तैयार किया है और न ही क्रय की जाने वाली सामग्री की युक्तिसंगत आवश्यकता के ऑकलन हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित की है। सामग्री की आवश्यकता का ऑकलन उपलब्ध भण्डार तथा उपयोग की मात्रा को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था। ऑकलन टुकड़ों में किया गया था जिसके कारण बारम्बार निविदा प्रक्रिया हुई। परिणामतः, सामग्री उच्च दरों पर क्रय की गई तथा अतिरिक्त व्यय हुआ।

दविविनिलि में, उसी सामग्री के क्रय के लिए दो से पाँच माह की अल्प-अवधि में निविदाएँ अन्तर्मीकृत की गईं। हमने पाया कि पूर्व की निविदा की तुलना में अगली निविदाओं में उसी सामग्री की दरें 3.36 से 9.99 प्रतिशत अधिक थीं। परिणामस्वरूप, सामग्री क्रय में ₹ 2.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय $\frac{1}{4} \text{ f} \text{f } k'V&18\frac{1}{2}$ उच्च दरों के कारण हुआ, जैसा नीचे वर्णित है:

- चार विभिन्न सामग्रियों^{*} के क्रय हेतु कम्पनी ने पिछली निविदा से चार माह के भीतर नयी निविदायें आमंत्रित की और आपूर्तिकर्ताओं से नई आपूर्तियों हेतु 3.36 से 4.81 प्रतिशत अधिक दरों पर अनुबंध किये। परिणामस्वरूप, ₹ 44.27 लाख का अधिक व्यय हुआ।

दविविनिलि के प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2012) कि अनुगामी निविदायें व्यवसाय योजना तथा वीआईपी कार्यों हेतु आमंत्रित की गई थीं।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उक्त क्रय किसी निर्धारित योजना के लिए न होकर रोजमरा कार्य जैसे प्रणाली सुधार हेतु थे। व्यवसाय योजना में सम्पादित होने वाले कार्यों तथा उनके लिए सामग्री आवश्यकता की प्रबन्धन को पहले से ही जानकारी थी। इस प्रकार, एक ही सामग्री की दो निविदाएँ कम समय-अवधि में जारी करना इस तथ्य को बल देता है कि प्रबंधन वास्तविक आवश्यकताओं का ऑकलन करने में असफल रहा।

- मूल्य परिवर्ती खण्ड के साथ मूल्य परिवर्ती दर पर ट्रान्सफार्मरों के क्रय (63 केवीए तथा 10 एमवीए क्षमता) में जहाँ समय व्यतीत होने पर आपूर्तिकर्ताओं को दिया जाने वाला मूल्य निविदा अभिलेखों में दर्शाये गये मूल्य परिवर्ती नियम तथा आईईईएमए[♦] द्वारा प्रत्येक माह प्रकाशित दरों के आधार पर होता है, कम्पनी ने दो माह के भीतर नई निविदा जारी कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ नये अनुबन्ध कर लिए। हमने पाया कि नई दरें पिछली दरों के नई निविदा की आधार तिथि पर वर्तमान मूल्य से 3.43 से 9.99 प्रतिशत अधिक थी, परिणामस्वरूप इससे ₹ 1.71 करोड़[♦] का अधिक व्यय हुआ।

* ईएसडी, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, और सहारनपुर तथा एक विद्युत कार्यशाला खण्ड, मेरठ

[♦] एसई, भंडार मंडल, भंडार खण्ड आगरा, अलीगढ़, झांसी और कानपुर, कार्यशाला खण्ड आगरा तथा आगरा के दो निर्माण खण्ड।

[♦] 3.15 मिमी/10 एसडब्ल्यूजी जी.आई.तार, 4 मिमी/8 एसडब्ल्यूजी जी.आई.तार, 5 मिमी/6 एसडब्ल्यूजी जी.आई.तार, 11 केवी V टाइप स्टील क्रास आमेस।

[♦] इण्डिन इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स मैच्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन

[♦] 63 केवीए के 1,200 ट्रान्सफार्मर और 10 एमवीए के 50 ट्रान्सफार्मर अनुगामी निविदा में क्रमशः ₹ 7,500 तथा ₹ 1,62,249 प्रति ट्रान्सफार्मर की अधिक दर से क्रय किये गये।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि क्रय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर किये गये थे। उत्तर, हालांकि, अधिक व्यय को उचित नहीं ठहरा पाता है।

Ø;

सामग्री की दरों की तुलना सम्बन्धी व्यवस्था का अभाव

3.11.3 निविदादाताओं द्वारा उद्धृत मूल्यों की युक्तियुक्तता सुनिश्चित करने हेतु दरों की समान सामग्री की तुलना सीएसपीसी द्वारा अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में अन्तिमीकृत किये गये दरों और अपने क्रियावित आदेशों तथा प्रचलित बाजार दरों के साथ किया जाना चाहिए। इसके लिए, निविदा के अन्तिमीकरण के समय सन्दर्भ हेतु प्रत्येक मद से सम्बन्धित अन्तिमीकृत दरों का एक डाटा-बैंक तैयार किया जाना चाहिए। हमने पाया कि कम्पनियों ने अन्य डिस्कॉर्मों में सामग्री क्रय हेतु दरों को प्राप्त करने और पूर्व में क्रियावित अपने ही आदेशों से सम्बन्धित डाटा-बैंक तैयार करने हेतु किसी व्यवस्था का सूत्रपात नहीं किया है। ऐसी व्यवस्था के न रहने के परिणामस्वरूप सामग्री की दरों का अन्तिमीकरण उच्चतर पक्ष में हुआ और ₹ 2.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ $\frac{1}{4} f\int f k' V & 19\%$

वैक्यूम सर्किट ब्रेकरों (वीसीबी) के क्रय में परिवार्य व्यय

3.11.4 दविविनिलि ने आगच्छ (इनकमिंग) वीसीबी, परागच्छ (आउटगोइंग) वीसीबी एवं बस कपलरों के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित की (नवम्बर 2010)। मूल्य भाग 17 जनवरी 2011 को खोला गया। फर्मों द्वारा उद्धृत न्यूनतम एफओआर (डी) निम्नवत् था:

Qclm ds uke	vlxPN otl hct 1/100 u0% 1/1%	ijlxPN otl hct 1/350 u0% 1/1%	cl di yj 1/10 u0% 1/1%
अरेवा टी एण्ड डी इण्डिया लिमिटेड (एटीडीआईएल)	(एल-1) 250113.15	230312.10	209948.51
इलेक्ट्रोटेक्निका	270014.40	(एल-1) 182259.72	156383.34
भारत हींगी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)	301440.66	196260.20	(एल-1) 1555095.56

सारे दरोंमेंनिले की निविदा पत्रवालिये

यह देखा जा सकता है कि एटीडीआईएल आगच्छ वीसीबी, इलेक्ट्रोटेक्निका परागच्छ वीसीबी तथा बीएचईएल बस कपलर के लिए न्यूनतम थे। दविविनिलि ने इलेक्ट्रोटेक्निका से आगच्छ वीसीबी और परागच्छ वीसीबी के लिए उन्हीं की दर पर तथा बस कपलर के लिए ₹ 1.55 लाख प्रति कपलर की दर पर बीएचईएल की दरों पर मोलभाव कर अनुबन्ध किया। हमने पाया कि दविविनिलि ने आगच्छ वीसीबी के मूल्य पर इलेक्ट्रोटेक्निका, जो कि द्वितीय न्यूनतम था, से मोल-भाव एटीडीआईएल के स्तर पर, जो कि ₹ 2.50 लाख प्रति वीसीबी था, नहीं किया। फलतः आगच्छ वीसीबी की खरीद पर (100 नग) ₹ 19,901 प्रति वीसीबी की अधिकता रही परिणामस्वरूप वीसीबी के क्रय में ₹ 19.90 लाख* का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि तकनीकी आधार से एक ही प्रकार की आगच्छ और परागच्छ वीसीबी का 1:3 के अनुपात में प्रयोग किया जा सकता था। मूल्यों की तुलना उसी आधार पर की गई थी तथा इलेक्ट्रोटेक्निका की दर न्यूनतम थी।

हम इस बात से असहमत हैं क्योंकि निविदा में व्यक्तिगत इकाई की दरें माँगी गई थीं। इसके अतिरिक्त, मोल-भाव का कोई प्रयास नहीं किया गया ताकि दरें एल-1 (एटीडीआईएल) के स्तर पर लायी जा सकें जैसा कि बस कपलर के सम्बन्ध में किया गया था। यहाँ यह भी कहना समाचीन होगा कि एक अन्य प्रकरण^o में, इलेक्ट्रोटेक्निका एल-2 था और उसने एल-1 निविदादाता (ईआसन, चेन्नई) की दर पर आगच्छ वीसीबी आपूर्ति करना स्वीकार किया था, परन्तु इस प्रकरण में, मूल्य घटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

भेदभावपूर्ण क्रय नीति के कारण अतिरिक्त व्यय

3.11.5 जून 2009 से पूर्व, दविविनिलि सामग्री के क्रय हेतु आमंत्रित निविदाओं का मूल्यांकन एफओआर मूल्य जिसमें पैकिंग, अग्रेषण और सभी कर एवं शुल्क सम्मिलित थे, के आधार पर किया करता था। तथापि, इस नीति को, जून 2009 से ट्रान्सफार्मर के क्रय हेतु नहीं अपनाया गया। इनका मूल्यांकन एक्स-वर्क्स मूल्यों तथा पैकिंग व

* ₹ 2,70,014.40 घटाया ₹ 2,50,113.15 X 100 = ₹ 19,90,125

^o कोटेश्वर संख्या 682/2011 के द्वारा

अप्रेषण प्रभार के आधार पर किया गया परन्तु कर व शुल्क को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, दविविनिलि द्वारा ऐसे क्रय किये गये ट्रान्सफार्मर की लैण्डेड कार्स्ट, 2009–10 में उसी निविदा के विरुद्ध निविदादाताओं द्वारा उदधृत न्यूनतम् एफओआर मूल्य से अधिक थी। इसके कारण, कम्पनी को 11 प्रकरणों में विभिन्न क्षमता के 9,368[⊕] ट्रान्सफार्मरों पर ₹ 6.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदाओं का मूल्यांकन यूपीपीसीएल के आदेश (20 जून 2009) के अनुसार किया गया।

प्रबन्धन, तथापि, अन्य मदों के क्रय हेतु एफओआर के आधार पर तथा ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु एकस वर्क्स मूल्य के आधार पर निविदाओं का मूल्यांकन का औचित्य देने में विफल रहा।

अनुचित मूल्य परिवर्ती खण्ड के कारण हानि

3.11.6 ‘निविदादाताओं को अनुदेश’ की धारा 1.5.3.1 के साथ ‘विशिष्टि’ की सामान्य शर्तों की धारा 2.18 यह कहती है कि ट्रान्सफार्मरों, तारों एवं केबिलों के क्रय में, जहाँ एकस-वर्क्स मूल्य परिवर्तनीय हो, आपूर्तिकर्ताओं को प्राप्त होने वाला परिवर्ती मूल्य आपूर्ति आदेशों में उल्लिखित आधार तिथि के सन्दर्भ में आईईईएमए[⇒] या सीएसीएमएआई[♦] द्वारा जारी मूल्य परिवर्ती (पीवी) सूत्र एवं परिपत्रों पर होगा। व्यवहारिक रूप से, आईईईएमए/सीएसीएमएआई द्वारा प्रकाशित मूल्य एवं गणक, ट्रान्सफार्मरों के सम्बन्ध में आपूर्ति की तिथि से एक माह पूर्व तथा केबिल एवं तारों के संबंध में 15 दिवस पूर्व लिए जाते हैं। आपूर्ति की तिथि वह तिथि है जब सामग्री अधिसूचित हो जाये कि वह जाँच/प्रेषण के लिए तैयार है या तय आपूर्ति तिथि (कोई सहमत एक्सटेंशन समय सम्मिलित करते हुये), दोनों में से जो पहले हो।

दविविनिलि ने केबिल और तारों के क्रय हेतु पाँच निविदाएँ आमंत्रित (2007–08) की। अनुबन्ध में यह प्रदत्त था कि मूल्य परिवर्ती की गणना के उददेश्य हेतु ईसी-ग्रेड के एल्यूमीनियम वायर रॉड की लागत, अनुबन्धीय अवधि के अन्दर निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि की मानी जायेगी। तदनुसार, केबिलों एवं एसीएसआर तारों के मूल्य निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि पर प्रभावी मूल्यों पर अपडेट किये गये तथा भुगतान किया गया।

हमने पाया कि इन केबिल एवं तारों की आपूर्ति हेतु हुये अनुबन्धों में प्रचलित संव्यवहार के अनुरूप आईईईएमए/सीएसीएमएआई के प्रकाशित मूल्यों व गणकों का निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि से 15 दिन पूर्व की दरों की अनदेखी की गयी। अतः, कम्पनी ने ₹ 1.57 करोड़[♥] का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि कम्पनी में दोनों विधियाँ विद्यमान हैं, मूल्य परिवर्ती की गणना निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि एवं सामग्री के निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि से 15 दिन पूर्व से की जाती रही है। अब एक ही संव्यवहार यानि सामग्री के निरीक्षण के प्रस्ताव की तिथि से 15 दिन पूर्व का मूल्य परिवर्ती ही मान्य है।

तथापि, सत्यता यही बरकरार है कि प्रचलित संव्यवहारों से भिन्न प्रक्रिया के प्रयोग से कम्पनी को परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है।

मरम्मत की उच्चतर पैकेज दरों की अनुमति के कारण हानि

3.11.7 ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत की परिवर्तित प्रक्रिया (मार्च 2002) के अनुसार, अलग-अलग करके एचबी व एलवी क्वायल्स (इंस्युलेटेड एल्यूमिनियम तथा कापैर क्वायल) निकालने के पश्चात् क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों के केवल कोर और टैंक मरम्मतकर्ताओं को दे दिये जाते हैं। मरम्मतकर्ताओं से अपेक्षित था कि अलग-अलग

[⊕] 25 नग 10 एमवीए (₹ 0.89 करोड़), 58 नग 5 एमवीए (₹ 1.30 करोड़), 835 नग 250 केवीए (₹ 1.71 करोड़), 450 नग 100 केवीए (₹ 0.47 करोड़), 1200 नग 63 केवीए (₹ 0.95 करोड़) तथा 6800 नग 10 केवीए (₹ 1.12 करोड़) ट्रान्सफार्मर्स।

⇒ इण्डिन इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन

♦ केबिल एण्ड कंडक्टर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया

♥ एरियल बच्च कन्डक्टर में ₹ 54.34 लाख, एसीएसआर डाग कन्डक्टर में ₹ 11.26 लाख, एसीएसआर बीजल कन्डक्टर में ₹ 70 लाख तथा एसीएसआर रैक्टन कन्डक्टर में ₹ 21.08 लाख।

किये गये क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों से प्राप्त उसी भार व गुणवत्ता के नये एचवी/एलवी लेग क्वायल लगायेंगे।

यूपीपीसीएल की सीएसपीसी ने निविदा विशिष्टि सं 05/2003 तथा 06/2003 के तहत नवम्बर 2003 की दर को आधार दर मानते हुए विभिन्न क्षमता के एल्यूमीनियम तथा तांबा आबद्ध ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत पैकेज दरों की संस्तुति की (दिसम्बर 2005)। इन्स्यूलेटेड एल्यूमिनियम क्वायल की पैकेज दरें^④ ₹ 229.33 प्रति किंवद्धा तथा इन्स्यूलेटेड तांबा क्वालय की ₹ 321.88 प्रति किंवद्धा थी। वितरण कम्पनियाँ घोषित सूत्र के अनुसार मूल्य विचलन के साथ मरम्मत की पैकेज दरें 2010–11 तक के वर्षों में लागू कर रही थीं।

2010–11 तक विगत पांच वर्षों के दौरान, बाहरी मरम्मतकर्ताओं से 25 केवीए से 1000 केवीए के 1,43,836 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों (पविविनिलि^५ 78,618 तथा दविविनिलि^६ 65,218) की मरम्मत कराई गई। कम्पनियों ने एचवी/एलवी लेग क्वायल के लिए कोई लागत विश्लेषण तैयार नहीं किया तथा एचवी/एलवी लेग क्वायल की आधार तिथि (नवम्बर 2003) पर प्रचलित बाजार दरों का सन्दर्भ लिए बिना दरों को स्वीकृत किया। आधार तिथि पर बाजार मूल्य ₹ 111.20 प्रति किंवद्धा^७ तथा ₹ 154.69 प्रति किंवद्धा^८ क्रमशः एल्यूमिनियम तथा तांबा क्वालयों के लिए आगणित किया गया था। कम्पनियों के पास प्रचलित दरों के सत्यापन के लिए बीजकों की उपलब्धता थी जो कि हमारे द्वारा बाजार दरों की गणना का आधार थे। इस प्रकार, कम्पनियों ने एल्यूमिनियम तथा तांबा क्वालयों के लिए क्रमशः ₹ 118.13 प्रति किंवद्धा तथा ₹ 167.19 प्रति किंवद्धा की अधिक दरें अनुमन्य की, जिससे i fijf k'V&20 में की गई गणना के अनुसार 1,43,836 ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत में ₹ 91.75 करोड़ (पविविनिलि: ₹ 48.40 करोड़** एवं दविविनिलि: ₹ 43.35 करोड़) का अधिक व्यय हुआ।

दविविनिलि के प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत में एल्यूमिनियम तथा तांबा क्वालयों की लागत को एल्यूमिनियम तथा तांबा रॉडों के बाजार दरों से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये क्वालयें ट्रान्सफार्मरों के कोर लेग के आकार व प्रकार के आधार पर इन्स्यूलेशन लपेट कर तैयार की जाती हैं।

हम इस तथ्य के आधार पर सहमत नहीं हैं कि बाजार दर की गणना आधार तिथि पर एल्यूमिनियम तथा तांबा कॉपर राडों की उद्धृत दरों में इन्स्यूलेटेड एल्यूमिनियम तथा तांबा तारों को बनाने की परिवर्तन लागत को मूल लागत में जोड़कर निकाली गई हैं।

LdU/k i dU/ku

स्कन्ध समारक्षण

3.11.8 स्कन्ध का समारक्षण प्रबन्धन का एक अहं कार्य है। हमने स्कन्ध समारक्षण में कमियाँ पायीं जिससे होने वाली वित्तीय हानियों की चर्चा नीचे की गयी है:

गारण्टी अवधि के दौरान ट्रान्सफार्मरों में खराबी

3.11.9 संविदा के सामान्य नियमों के फार्म-बी की खण्ड-30 के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं को वितरण ट्रान्सफार्मरों के कार्य-निष्पादन के लिए आपूर्ति/संस्थापना की तिथि से 18/12 माह की गारण्टी देना था (तीन-सितारा रेटिंग वाले ट्रान्सफार्मरों के संदर्भ में कम्पनियों द्वारा क्रमशः 42/36 माह, बाद में परिवर्तित किया गया)। गारण्टी अवधि के दौरान खराब हो जाने पर, आपूर्तिकर्ता को निशुल्क मरम्मत या क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को प्रतिस्थापित करना था। सूचना की तिथि के तीन माह के भीतर मरम्मत/प्रतिस्थापन नहीं होने पर, प्राप्तकर्ता को यह तय करना था कि

^④ इसकी गणना 25 केवीए (₹ 5355/23.35 किंवद्धा) एवं 400 केवीए (₹ 71,017/220.63 किंवद्धा) के ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत के वास्तव में उपयोग किये गये एचवी/एलवी लेग क्वायल के औपूर्त भार जो सबसे कम थी से एवं/एलवी लेग क्वालय के पैकेज रेट को विभाजित करके की गयी है।

^५ (गोप्तियावाद, सहारनपुर तथा मुरादाबाद के बाजार खण्ड)।

^६ (आगरा, अलीगढ़, कानपुर तथा जांशी के बण्डक खण्ड)।

^७ एचवी/एलवी लेग क्वालय के बाजार दरों की गणना नवम्बर 2003 को अन्य आपूर्तिकर्ता/मरम्मतकर्ता द्वारा एल्यूमिनियम रॉड (₹ 92.50 प्रति किंवद्धा) की उद्धृत दरें, प्रसंस्करण लागत ₹ 8.70 प्रति किंवद्धा एवं परिवर्तन व्यय ₹ 10 प्रति किंवद्धा को जोड़कर की गई हैं। ऐसी बाजार दरों की गणना करने में उत्पाद शुल्क तथा विक्रय कर की राशि को नहीं लिया गया है क्योंकि कम्पनी ने उपरोक्त करों को छोड़कर कोरेंट को अनुमन्य किया था।

^८ एचवी/एलवी लेग क्वालय के बाजार दरों की गणना नवम्बर 2003 को अन्य आपूर्तिकर्ता/मरम्मतकर्ता द्वारा तांबा रॉड (₹ 118.50 प्रति किंवद्धा) की उद्धृत दरें, प्रसंस्करण लागत ₹ 26.19 प्रति किंवद्धा एवं परिवर्तन व्यय ₹ 10 प्रति किंवद्धा को जोड़कर की गई है। ऐसी बाजार दरों की गणना करने में उत्पाद शुल्क तथा विक्रय कर की राशि को नहीं लिया गया है क्योंकि कम्पनी ने उपरोक्त करों को छोड़कर ही पैकेज दरों को अनुमन्य किया था।

^{**} दविविनिलि की पैकेज दर पविविनिलि के द्विमी ध्यान में रखी गयी हैं क्योंकि पविविनिलि ने लेखापरीक्षा को सुधाराएं प्रदान नहीं किया था।

आपूर्तिकर्ता के बकाया बिल/धरोहर धनराशि में से नये ट्रान्सफार्मर के मूल्य के बराबर की राशि काट ली जाये। असफलता की दशा में, समुचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसमें फर्म को एक निश्चित समयावधि के लिए काली सूची में डालना भी हो सकता था।

हमने पाया कि विभिन्न क्षमता के 133 ट्रान्सफार्मर गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त होकर, पविविनिलि के भण्डार में या फर्मों के पास पड़े थे। हमने यह भी देखा कि 133 में से ₹ 41.37 लाख के 74 ट्रान्सफार्मर फर्मों द्वारा तीन महीने बीत जाने के बाद भी नहीं उठाये गये थे और भण्डार पर पड़े थे तथा ₹ 46.23 लाख के 42 ट्रान्सफार्मर उचित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी वापस नहीं हुए थे एवं 17 ट्रान्सफार्मर, कम्पनी द्वारा 41 से 246 दिनों की देरी से दी गई सूचना के बाद उठाये गये। अतः, इस विषय में प्रबंधन के निरुत्साही दृष्टिकोण के कारण 133 नग ट्रान्सफार्मर खराब स्थिति में कम्पनी और/या आपूर्तिकर्ता के पास बिना मरम्मत हुये पड़े थे। साथ ही साथ, कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता की देरी से सूचना देने के कारण गारण्टी अवधि पर भी असर पड़ा।

सामग्री का बारम्बार हस्तांतरण

3.11.10 आपूर्तिकर्ताओं के अधिष्ठान पर सामग्री तैयार हो जाने के उपरान्त, कम्पनी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विद्युत भण्डार केन्द्र पर सामग्री आपूर्ति हेतु प्रेषण निर्देश जारी किया जाता है। हमने देखा कि भारी मात्रा में सामग्री बारम्बार एक भण्डार केन्द्र से दूसरे भण्डार केन्द्र तथा एक भण्डार खण्ड से दूसरे भण्डार खण्ड को स्थानान्तरित की गयी। इतनी भारी मात्रा में सामग्री का स्थानान्तरण इस बात का संकेतक था कि या तो वास्तविक आवश्यकता के अनुसार प्रेषण निर्देश जारी नहीं किये गये थे अथवा भण्डार केन्द्रों द्वारा आवश्यकता का आँकलन त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया था। परिणास्वरूप, एक भण्डार-केन्द्र में प्राप्त की गयी सामग्री का दूसरे भण्डार-केन्द्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस केन्द्र तक पुनर्परिवहन किया गया। इसके परिणमस्वरूप 2007–08 से 2011–12 तक ₹ 5.05 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (पविविनिलि^{*}: ₹ 0.95 करोड़ एवं दविविनिलि: ₹ 4.10 करोड़)।

कम्पनियों के प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि भण्डार सामग्रियों की आकस्मिक आवश्यकता के कारण उक्त कार्य निष्पादित किया गया। उत्तर सामान्य प्रकृति का है तथा यह भण्डार केन्द्रों की बिना वास्तविक आवश्यकता पर आधारित त्रुटिपूर्ण प्रेषण निर्देशों को निर्गत किये जाने को युक्ति संगत नहीं सिद्ध करता है। हम महसूस करते हैं कि परिहार्य परिवहन के खर्चों को घटाने हेतु ऐसा व्यवहार समाप्त होना चाहिए।

इलेक्ट्रानिक मीटरों का विलम्बित निर्गमन

3.11.11 विद्युत भण्डार केन्द्र (ईएससी), फर्लखाबाद ने मार्च 2005 में प्राप्त सेक्योर-संरचना के 500 इलेक्ट्रानिक मीटरों को छ: वर्ष बाद अक्टूबर 2011 में परीक्षण खण्ड को जारी किया। परीक्षण खण्ड द्वारा जाँच करने पर, 25 प्रतिशत मीटर नो डिस्प्ले प्रदर्शित कर रहे थे एवं शेष को उपभोक्ताओं के परिसर पर लगाने के पश्चात् खराब सॉफ्टवेयर के कारण दिन-तारीख के प्रदर्शन पर 'एर' दर्शा रहे थे। ईएसडी, कानपुर द्वारा मार्च 2012 यानि कि, छ: वर्ष बीत जाने के उपरान्त सेक्योर मीटर्स लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) से समस्त 500 इलेक्ट्रानिक मीटरों को बदलने का निवेदन किया गया। हमने पाया कि इन मीटरों का परीक्षण एवं निर्गमन आपूर्ति आदेशों की गारण्टी समयावधि में नहीं किया गया; और खराबी का पता छ: वर्ष बीत जाने बाद लगा, जब गारण्टी अवधि बीत चुकी थी।

अतः, प्रबन्धन के स्तर पर इन मीटरों के विलम्बित परीक्षण एवं निर्गमन से खराबी का पता न चल सका तथा इससे सम्पूर्ण ₹ 31.87^{**} लाख का खर्च व्यर्थ हुआ।

आन्तरिक नियंत्रण

3.11.12 पविविनिलि में हमने पाया कि भण्डारों में कोई उचित आन्तरिक नियंत्रण नहीं था जिसके कारण भण्डारों की गलत लेखांकन एवं दुर्विनियोजन हुआ।

* भण्डार खण्ड गाजियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं मेरठ।

** ₹ 6,375 x500

- **Hkfrd | R; ki u%** भौतिक सत्यापन में भण्डार में आधिक्य/कमी पाये जाने के उपरान्त भी कोई कदम नहीं उठाये गये जिससे भौतिक सत्यापन एक कागजी कार्यवाही मात्र रह गया।
- **I jikk mi k;** भण्डारों में न तो उचित अग्निशमक प्रणाली थी और न ही माल का बीमा कराया गया था। इस कारण से भण्डारों में आग की घटनाओं से सामग्री की हानि हुई।
- **vUrj Hk.Mkj | ek/kku%** एडवाइज ट्रान्सफर डेबिट (एटीडी) असमायोजित रहे, आकस्मिकता में 08वीं^{*} में निर्गमित सामग्री लम्बे समय तक नियमित नहीं हुई।
- **pljh@ nifofu; kst u%** भण्डारों पर माल की सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी जिससे चोरी और दुर्विनियोजन के मामले हुए।

सामग्री का लेखांकन

3.11.13 सामग्री प्राप्ति एवं निर्गमन के लेखांकन की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, अवर-अभियन्ता स्तर पर मासिक, उप-खण्ड स्तर पर छमाही तथा खण्ड स्तर पर वार्षिक रूप से भण्डार अभिलेखों[♦] का रखरखाव एवं संकलन किया जाना अपेक्षित है।

हमने पाया कि उप-खण्ड एवं खण्ड स्तर पर लम्बे समय से भण्डार अभिलेख न तो बनाये जा रहे थे और न ही समाधानित किये जा रहे थे। भण्डार अभिलेखों के विभिन्न माहों में दर्शाये गये आँकड़े एमआईएस के भण्डार के आँकड़ों से मेल नहीं खाते थे जिससे यह परिलक्षित होता है कि भण्डार अभिलेखों एवं एमआईएस के आँकड़ों की जाँच की कोई व्यवस्था नहीं थी।

दविविनिलि के प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2012) कि कर्मचारियों की कमी के कारण, भण्डार अभिलेख अपूर्ण थे तथा भण्डार अभिलेखों को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे थे।

कर्मचारियों की कमी के बहाने पर भण्डार लेखों का उचित रखरखाव न हो पाना न्योयोचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह व्यवस्था में दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं को खुला रखता है।

स्कन्ध स्तर

3.11.14 कम्पनियों ने यहाँ तक कि प्रमुख सामग्रियों जैसे ट्रान्सफार्मर, तारों, केबिलों, मीटरों, वीसीबी, तथा खम्मों के लिए भी न्यूनतम, अधिकतम, आदेशित/पुनरादेश स्तर का निर्धारण नहीं किया है जिससे कि आवश्यकता अनुसार उचित समय पर वांछित सामग्री का प्रवाह न्यूनतम भण्डारण लागत पर सुनिश्चित किया जा सके।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

mRrj insk ty fuxe

3.12 **vf/k' lsk feVWh dh i p% i kflr vkj fuLrkj.k e i zkyhx dfe; k ds dkj.k gkf u; k**

i zkyhx dfe; k ds dkj.k fuxe }jk ₹ 7-84 djkm+dk i fj gk; 70; ; fd; k x; k vkj ₹ 3-22 djkm+ds jktklo vftk dju s vol j [kks fn; A

उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), गंगा एक्षन प्लान फेज-II (जीएपी-II), नेशनल गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

* एक प्रारूप जिसके माध्यम से आकस्मिक आवश्यकता में बिना प्राकलन के सामग्री निर्गमन किया जाता है तथा आवश्यक औपचारिकताएं कुछ समय पश्चात् पूर्ण कर ली जाती है।

♦ 1एस एवं 2एस अभियन्ता स्तर पर, 3एस एवं 4एस उपखण्ड स्तर पर, 5एस एवं 6एस खण्ड स्तर पर। अमुख प्रपत्र सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गमन से सम्बन्धित है।

(एनजीआरबीए) के अन्तर्गत सीवरेज प्रणाली के कार्य के निष्पादन के लिए नामित किया गया।

सीवरेज प्रणाली के निष्पादन में विभिन्न गहराइयों में भिन्न व बड़े व्यास वाले सीवेज पाइप को भूमिगत डालने के लिए खाइयाँ बनाने के लिए भूमि का उत्थनन किया जाता है। सीवरेज पाइप डालने और भराव पूरा होने की प्रक्रिया के बाद बड़ी मात्रा में अधिशेष मिट्टी का निस्तारण करना शेष रह जाता है।

भराव करने के बाद बची, अधिशेष मिट्टी को विक्रय योग्य उत्पाद होने के कारण, मौके पर ही, रॉयल्टी जमा करने के पश्चात् बेचा जा सकता है। इस अधिशेष मिट्टी का मौके पर विक्रय दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह निस्तारण लागत वहन करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है और राजस्व भी अर्जित कर सकता है। यहाँ तक कि यदि रॉयल्टी जमा करने के बाद मिट्टी मुफ्त में भी प्रदान की जाये, तो यह कार्य की कुल लागत में निस्तारण लागत को समाप्त कर देगा।

हमने निगम के चार प्रभागों* द्वारा जेएनयूआरएम, जीएपी-II, एनजीआरबीए के अन्तर्गत, जुलाई 2008 से मार्च 2012 के दौरान निष्पादित किये गये आठ सीवरेज कार्यों की नमूना जाँच की और अधिशेष मिट्टी की गणना और निस्तारण में प्रणालीगत कमियाँ पायीं जिनसे हानि हुई, जैसा नीचे परिचर्चा की गयी है:

अधि॑शेष मिट्टी की गणना में प्रणालीगत कमियाँ

3.12.1 प्रबन्धन के पास भूमिगत आदानों (इनपुट्स) अर्थात्, सीवर पाइपों, स्पेशियल्स, बेडिंग और मैनहोलों के वाल्यूम के आधार पर, अधिशेष मिट्टी की गणना करने की वैज्ञानिक/गणितीय प्रणाली नहीं थी। इसके बजाय, निगम अधिशेष मिट्टी की गणना बिना किसी सूत्र/आधार या विस्तृत माप की गणना के आधार पर करता था और सम्बन्धित सीवरेज कार्यों के डीपीआर में भी सम्मिलित किया था। हमने वैज्ञानिक/गणितीय सही आधार पर** अधिशेष मिट्टी की गणना की और संविदा में प्रावधानित अधिशेष मिट्टी की मात्रा के साथ तुलना की और बड़ी भिन्नता पायी।

तीन कार्यों के मामले में, संविदाओं में मिट्टी के निस्तारण के लिए पृथक प्रावधान किए गये थे, जबकि पाँच कार्यों के मामले में ऐसे कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किये गये थे। अधिशेष मिट्टी की गणना जैसा संविदा में इसके निस्तारण के लिए प्रावधानित किया गया था और हमारे द्वारा वैज्ञानिक गणना के आधार पर इनपुट्स जैसे—पाइपों, स्पेशियल्स, बेडिंग और मैनहोलों के वाल्यूम के आधार पर की गई गणना, $i f f' k^v & 21$ में वर्णित, का संक्षिप्त विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है।

१ १ ^१ ; k	२ १ ^१ ; k	३ ५५०८६	४ २३४८००	५ (१७९७१४)	६ ११०१३५०५	७ --	८ ११०१३५०५	९ १५१४४६००
२ १ [*]	२ [*]	२८७५९८	१८८५६६	९९०३२	५३१०८०१९	--	५३१०८०१९	१२१६२५०७
३ ५ ^०	५ ^०	उपलब्ध नहीं	७६२६९	(७६२६९)	उपलब्ध नहीं	१४२७१४५५	१४२७१४५५	४९१९३५१
४ ८	४ ८	३४२६८४	४९९६३५	(२५५९८३) ९९०३२	६४१२१५२४	१४२७१४५५	७८३९२९७९	३२२२६४५८

* परियोजना प्रबन्धक-IV, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, लखनऊ, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, इलाहाबाद, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, वाराणसी, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कानपुर।

** सूत्र: बेलानगर पाइप के लिए मिट्टी की मात्रा: पा२ जहाँ $\pi=22/7$, 'आर' पाइप की वाहरी ऊंचाई, 'एल' पाइप की लम्बाई है वृत्तीय मैनहोलों में बेडिंग की मात्रा, संविदाओं में वाराणसी के उत्थनन के लिये प्रावधानित न्यूनतम दर $\text{₹ } 64.50$ प्रति घन मीटर दर।

• तीन संविदाओं में जहाँ अधिशेष मिट्टी का निस्तारण अलग से उपलब्ध कराया गया था $\text{₹ } 6.41$ करोड़ के लिए ३,४२,६८४ घनमीटर अधिशेष भूमि के निस्तारण के औसत दर $\text{₹ } 187.12$ प्रति घनमीटर थी।

• जिला-III भाग-II लखनऊ, एवं अन्तुलगी पुराना शेत्र भाग-I कानपुर के सीवरेज कार्य

• द्रास वर्ला सीवरेज, वाराणसी

• रिलोविंग टंक सीवर वाराणसी, सीवरेज कार्य जिला एई, बी एवं ई तथा झी इलाहाबाद में।

हमने पाया कि संविदाओं में अधिशेष मिट्टी के त्रुटिपूर्ण आगणन एवं प्रावधान के कारण आर्थिक हानियाँ हुईं जिनकी परिचर्चा नीचे की गई है:

- वैज्ञानिक सूत्र के आधार पर, दो कार्यों के मामले में हमारे द्वारा की गई गणना के आधार पर अधिशेष मिट्टी की मात्रा 2,34,800 घनमीटर होती है, जबकि प्रबन्धन ने संविदाओं में केवल 55,086 घनमीटर अधिशेष मिट्टी का प्रावधान किया था। इस प्रकार, संविदाओं में 1,79,714 घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण के लिए कम प्रावधान थे, क्योंकि अधिशेष मिट्टी की मात्रा वैज्ञानिक रूप से 2,34,800 घनमीटर से कम नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि संविदाओं में प्रावधानित 55,086 घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण की मात्रा को सही मान लिया जाये तो, डीपीआर/संविदाओं की बीओक्यू में प्रावधानित बिछाये जाने वाले पाइपों की मात्रा गलत हो जायेगी, क्योंकि वास्तव में प्रयुक्त पाइपों की लम्बाई/साइज, डीपीआर/संविदाओं में प्रावधानित मात्रा से कम होगी और परियोजना को विपरीत रूप से प्रभावित करेगी। अतः अधिशेष मिट्टी का ही प्रावधान गलत था।
- एक कार्य* की संविदा में, 2,87,598 घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण के लिए प्रावधान किया गया था, जबकि हमारे द्वारा की गई वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर अधिशेष मिट्टी की मात्रा 1,88,566 घनमीटर से अधिक नहीं हो सकती थी। इस प्रकार, 99,032 घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण के लिए किये गये अधिक प्रावधान से ₹ 1.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसकी गणना ₹ 184.66 प्रति घनमीटर की दर से की गई है जो कि मिट्टी के निस्तारण लागत के रूप में सीवर पाइपों को बिछाने के लिए प्रदान किये गये संविदा के समग्र दर में सम्मिलित है।
- पाँच कार्यों के लिए संविदाओं में, अधिशेष मिट्टी के निस्तारण की मात्रा अलग से नहीं दर्शाई गई थी, इसके बजाय यह, अधिशेष मिट्टी के उत्खनन और निस्तारण के बिल ऑफ क्वांटिटी में सम्मिलित कर दी गई थी। जबकि हमने 76,269 घनमीटर अधिशेष मिट्टी की गणना की, उत्खनित और निस्तारित अधिशेष मिट्टी की मात्रा की शुद्धता को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था।

अधिशेष मिट्टी के निस्तारण में प्रणालीगत कमियाँ

3.12.2 कार्यों के लिए संविदाओं में प्रावधान किया गया था कि प्रभारी अभियन्ता के निर्देश पर 8 किलोमीटर की दूरी के अन्दर अधिशेष मिट्टी का निस्तारण किया जाये। हमने पाया कि सभी चारों प्रभागों ने, प्रभारी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को निर्गत निर्देशों का, यदि कोई थे, अभिलेख नहीं रखा था। माप पुस्तिकाँ⁺ भी दूरी एवं उन स्थानों का संकेत नहीं देती थीं जहाँ ठेकेदार द्वारा अधिशेष मिट्टी वास्तव में निस्तारित/फेंकी गई। यह सिद्ध करता है कि प्रबन्धन को अधिशेष मिट्टी के निस्तारण के स्थान और मात्रा के विषय में पता नहीं था जो कि सरकार को रॉयल्टी के भुगतान करने के बाद एक बिकाऊ उत्पाद है।

प्रबन्धन मौके पर अधिशेष मिट्टी के विक्रय की बात सोचने एवं मूल्य अर्जित करने के प्रयास करने में विफल रहा। प्रबन्धन की इस प्रणालीगत विफलता के कारण, निगम को 4,18,953^{*} घनमीटर अधिशेष मिट्टी के निस्तारण पर ₹ 7.84 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा और उसी समय पर, 4,99,635^{*} घनमीटर मिट्टी निस्तारण में लगभग ₹ 3.22 करोड़ की आय अर्जित करने के अवसर से वंचित रहना पड़ा।

हम संस्तुति करते हैं कि प्रबन्धन, इनपुट्स की मात्रा को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक पद्धति से अधिशेष मिट्टी की मात्रा को आगणित करे और अधिशेष मिट्टी को मौके पर ही विक्रय करके, मिट्टी के निस्तारण में होने वाले व्यय को कम करके, परियोजना की लागत को कम करने के लिए आदेश निर्गत करे। प्रबन्धन को ये सुधारात्मक कार्य परियोजना परिपालन इकाई, गाजियाबाद द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीवरेज कार्यों में सम्मिलित किये जाने चाहिए।

* द्रान्स वर्णन सीवेज कार्य, वाराणसी

* तीन कार्यों के लिए संविदा में 3,42,684 घनमीटर प्रावधानित और पाँच कार्यों के लिए 76,269 घनमीटर लेखापरीक्षा के द्वारा अभिकलित सभी आठ कार्यों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा अभिकलित।

प्रकरण निगम एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जून 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (फरवरी 2013)।

3.13 | hoj ykbu dls fuclk ij i fjk; Z0; ;

i ; klr jkdfkke fu; f. k fd, fcuk] unl dls fduljs tks ck<+ v/ked[k Fkk] | hoj ykbu dk fuelk fd; k x; k ftl l s | hoj ykbu dk ,d fgL k ck<+ l s {kfrxLr gks x; k} v{kfrxLr | hoj ykbu dls i ulFkk u i j ₹ 2-36 djkm+dk i fjk; Z0; ; djuk i Mka

गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, इलाहाबाद (प्रभाग) ने जून 2007 से मार्च 2009 के दौरान ₹ 3.91 करोड़ की लागत पर सीवेज को अमिताभ बच्चन कलवर्ट से सलोरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक ले जाने के लिए गंगा नदी के किनारे सीवेज सिस्टम की तीन परियोजनाओं^Φ का निर्माण कराया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

						₹ djM+e;
0e { ; k	ijf; ktkukvdkl uke	Hkj r jdkj@mRkj insk l jdkj }kjk Lokdr	oklfo d 0; ;	Dk; Z i wZ gkus dli frffk	Hkrd i kfr dli i fr krk v{kpl 2011½	
		fnukd	jfk k			
1.	अमिताभ बच्चन पुलिया से सलोरी नाला तक जीएपी-II के अन्तर्गत गन्दा पानी ले जाना	जून 2007	1.11	1.16	मार्च 2008	100
2.	अमिताभ बच्चन पुलिया से राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत बने 29 एमएलडी के एसटीपी तक सीवर को ले जाने हेतु गायत्री नगर से सादियाबाद गाँव तक सीवर लाइन का बिछाना	जनवरी 2009	1.45	1.61	मार्च 2009	100 (सितम्बर 2009 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त)
3.	अमिताभ बच्चन पुलिया से राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत बने 29 एमएलडी के एसटीपी तक सीवर को ले जाने हेतु रिंग बन्ध के कैच पिट तक सीवर लाइन का बिछाना	जून 2009	1.25	1.14	जनवरी 2010	100 (सितम्बर 2009 में कार्य प्रारम्भ)
	; lk		3.81	3.91		

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अपर सचिव ने सलोरी क्षेत्र का निरीक्षण (दिसम्बर 2008) किया और इलाहाबाद के आयुक्त को, एसटीपी सलोरी सहित सीवरेज प्रणाली को बचाने हेतु, गंगा नदी के किनारे के कटाव को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के तत्काल निर्देश दिए। इसके अनुपालन में, आयुक्त ने इस सम्बन्ध में पहल करने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए (दिसम्बर 2008)। गंगा नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए ₹ 36.62 करोड़ का प्राककलन सितम्बर 2009 में प्रस्तुत किया गया।

हमने निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किया:

- निगम के प्रबन्धन को यह अच्छी तरह ज्ञात था कि नदी के किनारे का यह क्षेत्र, जहाँ उपयुक्त तीनों सीवर लाइनें प्रस्तावित थीं, बाढ़ अधोमुख था और परियोजनाओं के डीपीआर में भी इस समस्या की परिचर्चा की गई थी। केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक प्राधिकारियों के निर्देशों में बताये गये बाढ़ नियंत्रण उपायों के सृजन की प्रतीक्षा किए बिना क्षेत्र में कार्य का निष्पादन जल्दबाजी में किया गया।
- दूसरी सीवर परियोजना जनवरी 2009 में ₹ 1.45 करोड़ की लागत पर स्वीकृत की गयी जबकि सीवर प्रणाली की प्रतिरक्षा हेतु नदी के किनारे* के कटाव को नियंत्रित करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपायों की आवश्यकता अच्छी तरह से ज्ञात थी। यह कार्य मार्च 2009 में ₹ 1.61 करोड़ की वास्तविक लागत पर सम्पन्न हुआ। गायत्री नगर से सादियाबाद गाँव तक की यह सीवर लाइन तत्पश्चात् सितम्बर 2009 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई।

* पहली सीवर लाइन अमिताभ बच्चन कलवर्ट से गोमती नगर 100 मीटर सलोरी नाला में। दूसरी सीवर लाइन गोमती नगर से सादियाबाद गाँव तक – 1100 मीटर सलोरी नाला में। तीसरी सीवर लाइन सादियाबाद गाँव से एसटीपी से के कैच पिट तक – 1100 मीटर सलोरी नाले में।

^Φ गंगा

- बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई दूसरी सीवर लाइन के पुनर्स्थापन किए बिना, प्रभाग ने बरसात के मौसम^{**} के बाद सलोरी नाला से बन्धा के रिंग के कैच पिट तक के लिए तीसरी सीवर लाइन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया था जिसकी ₹ 1.14 करोड़ की लागत पर पूर्ण होने (जनवरी 2010 तक) की सूचना दी गई। जबकि प्रवालन के लिए यह आवश्यक था कि पहले दो हिस्से क्रम में इसके साथ जुड़े होने चाहिए थे और दूसरा भाग क्षतिग्रस्त हो गया था अतः सम्पूर्ण व्यय निरर्थक हो गया था।

तत्पश्चात्, यह पाया गया कि निगम ने इन सीवर लाइनों की मरम्मत के लिए ₹ 2.36 करोड़ व्यय किया था जो परिहार्य हो सकता था यदि निगम ने सीवेज प्रणाली की सुरक्षा के लिए गंगा नदी के किनारे के कटाव को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम लिए होते।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2012) कि गंगा नदी के बाढ़ के दौरान, नदी के बहाव में अचानक परिवर्तन के कारण सितम्बर 2010 में 800 मीटर सीवर लाइन बह गई थी। जमीन की अपर्याप्तता के कारण गंगा नदी के बाढ़ के मैदान पर एसटीपी का निर्माण किया था, अतः एसटीपी से सलोरी नाला को जोड़ने वाली सीवर लाइन गंगा नदी के कटान क्षेत्र में ही बनाया जाना सम्भव था।

जबकि वास्तव में तथ्य यह है कि यह ज्ञात होने के बाद भी कि यह क्षेत्र बाढ़ अधोमुक्त था और वहाँ पर बाढ़ नियंत्रण के कोई उपाय नहीं किये गये थे। प्रबन्धन द्वारा स्थल की स्थिति को ध्यान में रखे बिना, बिना किसी बचाव कार्य किये कार्य को जल्दबाजी में सामान्य रूप से करा दिया गया। इसके अतिरिक्त, निगम के अभिलेखों के अनुसार सीवर लाइन सितम्बर 2009 में क्षतिग्रस्त हो गयी थी न कि सितम्बर 2010 में जैसा कि उत्तर में बताया गया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

mRrj insk jkT; Hk.Mkj.k fuxe

3.14 vfxe dj ds l gh vkydu e foQyrk ds i fj. kkeLo: i gkf u

fuge vfxe dj dh jk'k dk l gh vkydu dj us e foQy j gk] l kf gh fu/kfj r
frffk ds ckn vk; dk fj Vuj tek dj us ds dkj.k ₹ 3-01 dj kM+dh gkf u gba

आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 139 (1) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक कर निर्धारिती जिनके खाते की किसी भी कानून के अन्तर्गत लेखापरीक्षा होना आवश्यक है, उन्हें 30 सितम्बर से पहले आय का रिटर्न जमा करना होता है। अधिनियम की धारा 208 के अनुसार यदि देय कर राशि ₹ 5,000 से अधिक हो (1 अप्रैल 2009 से सीमा बढ़ाकर ₹ 10,000 कर दी गयी है) तो प्रत्येक कर निर्धारिती को अग्रिम कर देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 210 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसके ऊपर धारा 208 के अनुसार अग्रिम कर के भुगतान की देयता होती है, अधिनियम की धारा 211 में निर्धारित तिथि[‡] तक या तिथि से पहले अपनी इच्छा से भुगतान करना चाहिए।

यदि कर निर्धारिती उक्त प्रावधानों को पूरा करने में विफल रहता है तो अधिनियम की धारा 234 के अन्तर्गत एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर साधारण ब्याज देय होगा:

- 1 अक्टूबर से रिटर्न दाखिल करने की तिथि तक, कुल आय पर कर की उस राशि पर जो अग्रिम कर और स्रोतों पर कर कटौती/संग्रहण को घटाने पर आती है (धारा 234ब)।

^{**} सितम्बर 2009 के बाद

[‡] नियत तिथियाँ

पूर्व वर्षों के 15 जून तक या पहले
पूर्व वर्षों के 15 सितम्बर तक या पहले
पूर्व वर्षों के 15 दिसम्बर तक या पहले
पूर्व वर्षों के 15 मार्च तक या पहले

देय अग्रिम कर

देय अग्रिम कर की राशि के 15 प्रतिशत से कम नहीं
देय अग्रिम कर की राशि के 45 प्रतिशत से कम नहीं
देय अग्रिम कर की राशि के 75 प्रतिशत से कम नहीं
देय अग्रिम कर की राशि के 100 प्रतिशत से कम नहीं

- 1 अप्रैल से कुल आय के निर्धारण की तिथि तक, उस राशि पर जिसके द्वारा निर्धारित कर से भुगतान किया गया अग्रिम कर कम होता है (धारा 234ब)।
- यदि कर निर्धारिती, अधिनियम की धारा 211 के अनुसार देय अग्रिम कर की किश्तों का भुगतान करने में विफल रहता है तो कम भुगतान की गयी राशि पर (धारा 234स)।

हमने पाया (फरवरी 2012) कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (निगम) ने, अग्रिम कर की देयता के आँकलन के लिए अपनी सही आय के आगणन हेतु कोई प्रणाली नहीं बनायी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 17.26 करोड़ का अग्रिम कर कम निर्धारित एवं कम जमा किया गया। निगम ने वित्तीय वर्ष 2006–07, 2008–09 और 2009–10 के आय कर रिटर्न भी देर से जमा किये। परिणामस्वरूप, निगम ने ₹ 3.83 करोड़ (धारा 234अः ₹ 1.29 करोड़; धारा 234ब : ₹ 1.66 करोड़ और धारा 234स : ₹ 0.88 करोड़) का ब्याज का भुगतान किया। परिणामतः, निगम ने ₹ 3.83 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया और ₹ 3.01 करोड़ (₹ 3.83 करोड़ घटाया ₹ 0.82 करोड़^Δ) की परिणामी हानि वहन की।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2012) कि व्यवसाय में वृद्धि, टीडीएस प्रमाण पत्र देर से प्राप्त होने और कर्मचारियों की कमी के कारण, आय का आँकलन नहीं हो पाया और खातों के अन्तिम रूप देने में देरी होने के कारण, आयकर रिटर्न देरी से जमा किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2009–10 के सम्बन्ध में, प्रबन्धन ने बताया कि मार्च 2010 के बाद राजस्व वसूली के कारण, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण दरों में संशोधन और पिछले वर्षों के बकाया राजस्व की वसूली इत्यादि के कारण, आय में असामान्य वृद्धि हुई थी। वर्ष के लिए खातों को अन्तिम रूप देने के बाद ही कुल आय का पता लगाया जा सका।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा उदधृत बाधायें नियमित और पूर्व दर्शित प्रकृति की हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए भी उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयकर रिटर्न खातों के विवरण के साथ भी समय पर जमा किया जा सकता था और बकाया आय की वसूली होने पर धारा–139 (5) के अन्तर्गत संशोधित रिटर्न जमा करने का विकल्प निगम के पास था। क्षेत्रीय कार्यालयों से बिक्री की राशि पता लगाकर मासिक/त्रैमासिक आधार पर धारा– 234 (ब) के अन्तर्गत आय का अनुमान तर्कसंगत रूप से लगाया जा सकता था और धारा 234 (अ) एवं 234 (स) के अन्तर्गत भुगतान योग्य ब्याज स्वतः ही परिहार्य हो जाता।

हम संस्तुति करते हैं कि निगम को मासिक/त्रैमासिक आधार पर अपनी आय एवं व्ययों का उचित आँकलन करने के लिए अंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनानी चाहिए जिससे भुगतान योग्य अग्रिम कर का सही आँकलन करके ब्याज के भुगतान से बचा जा सके।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

I kekU;

3.15 y[ekki jh[kk i fronuks i j vu[keh dk; bkgh

3.15.1 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गये खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गयी संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उपयुक्त समय से उत्तर प्राप्त करें।

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः फरवरी 2008, फरवरी 2009, फरवरी 2010, अगस्त 2011 एवं मई 2012 में रखे गये थे। वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में

^Δ अग्रिम कर के गैर भुगतान राशि पर अर्जित ब्याज, 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर अभिकलित, 2006–07 (6.69 लाख), 2008–09 (12.95 लाख), 2009–10 (62.23 लाख)= 81.87 लाख अर्थात् 0.82 करोड़

सम्मिलित 22 विभागों के अन्तर्गत पीएसयू से सम्बन्धित 129 प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 91 प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तर शासन से 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

y[ki jh[kk ifronu dk o%]	y[ki jh[kk i fronu eddy iLrj@i eh[k;]	I Ecfl/kr foHxkxclh I [; k	iLrj@fu'iknu y[ki jh[kkvadhi I [; k ftuds mRj iLrj ugtagq;s
2006-07	37	13	26
2007-08	33	9	16
2008-09	27	22	22
2009-10	16	7	12
2010-11	16*	7	15
;	129		91

विभागवार विश्लेषण *ifjf k'V&22* में दिया गया है। ऊर्जा विभाग उत्तर न भेजने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी था।

सार्वजनिक उपकरण एवं निगम संयुक्त समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.15.2 वर्ष 1999–2000 से 2010–11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में, 346 प्रस्तर तथा 49 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ सम्मिलित की गयी थीं। इनमें से 30 सितम्बर 2012 तक 122 प्रस्तरों एवं 21 निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की गयी थी। वर्ष 1978–79 से 2006–07 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 113 प्रस्तरों एवं 20 निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में कोपू ने संस्तुतियाँ की थीं।

कोपू की कार्य-प्रणाली नियमावली के अनुसार, सम्बन्धित विभागों को कोपू की संस्तुतियों पर कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) तीन माह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, विभागों द्वारा एटीएन हमें कोपू द्वारा एटीएन की चर्चा के समय ही उपलब्ध कराये जाते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिबिञ्चित सतत अनियमितताओं के प्रकरणों पर की गयी कार्यवाही

3.15.3 कोपू द्वारा सतत प्रकृति की अनियमितताओं की चर्चा में सुविधा एवं सहायता के दृष्टिकोण से, सम्बन्धित लेखापरीक्षित निकाय द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही को सत्यापित करने का प्रयास किया गया है। सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित परिणाम *ifjf k'V&23* और सांविधिक निगमों से सम्बन्धित परिणाम *ifjf k'V&24* में दिये गए हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों ड्राफ्ट प्रस्तरों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.15.4 लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा तत्काल निस्तारित न हुए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को राज्य सरकार के सार्वजनिक उपकरणों तथा सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संसूचित किया जाता है। सार्वजनिक उपकरणों के प्रमुखों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों के माध्यम से, छ: सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। 54 सार्वजनिक उपकरणों से सम्बन्धित मार्च 2012 तक निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि 3,091 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 11,842 प्रस्तर सितम्बर 2012 के अंत तक अनिस्तारित रहे। 30 सितम्बर 2012 के अंत तक विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विश्लेषण *ifjf k'V&25* में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक उपकरणों की कार्यप्रणाली पर ड्राफ्ट प्रस्तर एवं निष्पादन लेखापरीक्षाएँ प्रमुख सचिव, वित्त और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छ: सप्ताह के अंदर तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियों की अपेक्षा सहित प्रेषित की जाती हैं। अप्रैल एवं सितम्बर 2012 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित 14 ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से किसी भी ड्राफ्ट प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा

* उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए।

प्रतिवेदन के उत्तर शासन से अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2013), जिसका विवरण [\[fjf k'V&26\]](#) में दिया गया है।

हम संस्तुत करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में रहे, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/झापट प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कोपू की संस्तुति पर कार्यान्वयन आख्या निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे हैं, (ब) समयबद्ध कार्य योजना के अन्तर्गत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान को वसूल करने की कार्यवाही और (स) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर देने की प्रक्रिया को सुदृढ़ कर दिया गया है।

y [kuk]
fnuked
egky [kkalkj 1/1kFFkld , oajktLo {ks= y[lli jh{kky]
mRrj i ns k

i frgLrk{kfjr

ubl fnYyh
fnuked
Hkkj r ds fu; &d&egkys[kki j h{kld

परिशिष्ट

I jdkjh dEif; k vñg I kof/kd fuxek ds | Edlk e 31 ekpl/2012 dks v ru ikrk iwtij cdk;k __.k, oJe 'kfDr dks'n'kkh fooj .kh
%C,rj 1-7 ea | uNifk-k

Oe dk;kZ	{=}, oadEif; dk;ule	folks dk;ule	Ldkki uk dk;owz , oeguk	inrj 1wz				jkt; ijckj	2011&12 dk;lefr ij cdk;k __.k*	jkt; ijckj	2011&12 dk;lefr ij cdk;k __.k*	jkt; ijckj	2011&12 dk;lefr ij cdk;k __.k*	
				(1)	(2)	(3)	(4)							
v- dk;lr ijdkjh dEif; k														
1	उत्तर प्रदेश (भज्य) गन्ना बीज एवं विकास चौमी उदयग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	0.15	-	0.10	0.25	-	-	-	-	-	-	-	17
2	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड चौमी उदयग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	0.51	-	0.14	0.65	-	-	-	-	-	-	-	08
3	उत्तर प्रदेश रोजन विकास निगम लिमिटेड कृषि उत्तर प्रदेश रोजन विकास निगम	15.02.2002	1.25	-	0.67	1.92	-	-	-	-	-	-	-	370
4	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम कृषि	30.03.1978	1.50	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	853
5	उत्तर प्रदेश मस्तक विकास निगम लिमिटेड मस्तक एवं पशुधन कृषि	27.10.1979	1.07	-	-	1.07	-	-	-	-	-	-	-	216
6	झूर्णा फैसलदार कारपोरेशन लिमिटेड कृषि	26.05.1976	5.40	1.00	-	6.40	-	-	-	-	-	-	-	618
7	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रीड्यूल कृषि कारपोरेशन लिमिटेड कृषि	29.03.1967	46.78	-	-	46.78	5.00	-	-	-	-	-	-	829
				56.66	1.00	0.91	58.57	5.00	-	-	-	-	5.00	0.09:1
													0.09:1	2911
dk;r ijk														
8	दि प्रशील्य इण्डियल एण्ड इचेस्टमट कारपोरेशन आफ ३००० लिमिटेड	29.03.1972	110.58	-	25.00	135.58	155.11	-	-	-	155.11	1.14:1	(1.09:1)	240
9	उत्तर प्रदेश अलपस्त्रक वित्त एवं विकास अलपस्त्रक कल्याण एवं वक्फ निगम लिमिटेड	17.11.1984	30.00	-	-	30.00	7.52	-	82.68	90.20	90.20	3.01:1	(3.01:1)	--
10	उत्तर प्रदेश पिलड़ा चर्ग वित्त एवं विकास मिलड़ा चर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	26.04.1991	12.23	-	-	12.23	-	-	36.72	36.72	36.72	3.1	2.12:1	17
11	उत्तर प्रदेश शेहूलुल कारं फाइनेंस एण्ड समाज कल्याण डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड कृषि	25.03.1975	122.00	-	107.18	229.18	-	-	69.60	69.60	69.60	0.30:1	(0.33:1)	420
12	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डिस्प्रेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड कृषि	29.03.1961	24.08	-	-	24.08	1.98	-	-	-	-	1.98	0.08:1	967
				298.89	-	132.18	431.07	164.61	-	189.00	353.61	0.82:1	(0.82:1)	1644
VdkjHk ijk														
13	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड गृह	27.03.1987	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	154
14	उत्तर प्रदेश राजकीय निगम निगम लिमिटेड	01.05.1975	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	3545
15	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम समाज कल्याण लिमिटेड	25.06.1976	0.15	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	581
16	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लोक निगम लिमिटेड कृषि	09.01.1973	15.00	-	-	15.00	1.25	-	-	-	-	1.25	0.08:1	5858
				19.15	-	19.15	1.25	1.25	-	-	-	1.25	0.07:1	10138
fotu;k														
17	अल्पांड्रा ऐन्साइट लिमिटेड (619-वी कम्पनी)	27.08.1971	-	-	2.00	2.00	-	-	0.26	0.26	0.13:1	(0.16:1)		415

(1)	(2)	(3)	(4)	5(V)	5(C)	5(I)	5(η)	6(V)	6(C)	6(I)	6(η)	(7)	(8)
18	श्रीदान इपिडया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश सहायक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सूचना प्रैद्युगिकी	इलेक्ट्रॉनिक्स स्थानीय एवं लघु उद्योग	10.02.1979	-	-	7.22	7.22	-	-	2.63	2.63	0.36:1 (0.36:1)	10
19	यूपीएसआईसी पौट्रिन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश की सहायक) लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सूचना प्रैद्युगिकी	27.04.1976	-	-	0.76	0.76	0.86	-	1.93	2.79	3.67:1 (3.55:1)	07
20	अपट्रान इपिडया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश सहायक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रैद्युगिकी	18.10.1974	-	-	57.93	57.93	-	-	9.70	9.70	0.17:1 (0.17:1)	-
21	अपट्रान पारदूर्विक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रैद्युगिकी	10.04.1977	-	-	4.07	4.07	-	-	5.67	5.67	1.39:1 (1.39:1)	28
22	उत्तर प्रदेश इन्स एंड फारमास्युटिकल्स स्वास्थ्य लिमिटेड	स्वास्थ्य	-	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	-	290
23	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रैद्युगिकी	20.03.1974	91.54	-	-	91.54	113.16	-	-	113.16	1.24:1 (1.24:1)	35
24	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास लिमिटेड	चीनी उद्योग	16.05.2002	553.03	-	327.00	880.03	-	-	-	-	-	20
25	उत्तर प्रदेश स्थाल इण्डिस्ट्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	गन्ना विकास लघु उद्योग	01.06.1958	5.96	-	-	5.96	6.32	-	3.92	10.24	1.72:1 (1.72:1)	-
26	उत्तर प्रदेश रेट हैडलूम कारपोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	09.01.1973	36.44	10.63	-	47.07	106.05	-	5.00	111.05	2.36:1 (2.36:1)	308
27	उत्तर प्रदेश रेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्किंग कारपोरेशन लिमिटेड	नियात प्रोत्ताहन उद्योग	12.02.1974	5.74	-	-	5.74	1.91	-	-	1.91	0.33:1 (0.33:1)	2
28	उत्तर प्रदेश रेट चिपिना कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	20.08.1976	93.24	-	-	93.24	65.31	-	-	65.31	0.70:1 (0.49:1)	2479
29	उत्तर प्रदेश रेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग	26.03.1971	1103.72	-	-	1103.72	-	-	-	-	-	218
30	उत्तर प्रदेश रेट यान कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश रेट टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	20.08.1974	53.67	-	-	53.67	49.14	-	-	49.14	0.92:1 (0.78:1)	587
(31) ;&				1944.44	10.63	398.98	2354.05	342.75	-	29.11	371.86	0.16:1 (0.15:1)	4399
Alt													
31	दक्षिणांचल विद्युत किंतरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक) की सहायक)	कर्जा	1.05.2003	-	-	3264.14	3264.14	77.98	-	1056.35	1134.33	0.35:1 (0.24:1)	5243
32	मध्यांचल इलेक्ट्रिसिटी सलाहाई कम्पनी लिमिटेड	कर्जा	21.07.1999	-	-	163.15	163.15	4.04	-	273.75	277.79	1.70:1 (1.62:1)	1881
33	मध्यांचल विद्युत विताण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	कर्जा	01.05.2003	-	-	2984.61	2984.61	-	-	663.27	663.27	0.22:1 (0.29:1)	8366
34	पूर्वांचल विद्युत विताण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	कर्जा	01.05.2003	-	-	2095.18	2095.18	-	-	802.19	802.19	0.38:1 (0.25:1)	7861
35	पूर्वांचल विद्युत विताण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	कर्जा	01.05.2003	-	-	3953.59	3953.59	-	-	109.93	109.93	0.03:1 (0.05:1)	9507
36	सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	कर्जा	14.02.2007	-	-	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-
37	दुस्तीर कोल कम्पनी लिमिटेड	कर्जा	16.02.2008	-	-	0.16	0.16	0.25	-	0.25	0.50	3.13:1 (3.13:1)	-

(1)	(2)	(3)	(4)	5(v)	5(c)	5(l)	5(n)	5(v)	6(c)	6(l)	6(n)	(7)	(8)
38	यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	कर्जा	11.04.2000	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-
39	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	कर्जा	15.04.1985	431.74	-	431.74	64.65	-	85.21	149.86	0.35:1 (0.35:1)	638	-
40	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	कर्जा	30.11.1999	33514.44	-	33514.44	-	-	17056.49	17056.49	0.51:1 (0.53:1)	-	-
41	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (जल्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की सहायक)	कर्जा	13.07.2006	4437.51	-	5.00	4442.51	-	4791.70	4791.70	1.08:1 (0.58:1)	5852	-
42	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	कर्जा	22.08.1980	6857.76	-	-	6857.76	219.09	-	8473.81	8692.90	1.27:1 (1.19:1)	8650
43.	रेस्टेन्यूपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	कर्जा	11.09.2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	सारथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	कर्जा	11.09.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
45.	जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड [सैटीज़ ; क्स]	कर्जा	04.09.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	1
46	अम्बाचारण परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
47	अम्बाचारण परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
48	अख्य फर्मटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
49	बीशपुर परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
50	ब्रज दर्शन परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
51	ब्रज परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
52	बुद्धलाल्याङ्क परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
53	गणा सरयू परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
54	गढ़बुद्ध दर्शन पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
55	ज्ञानवत परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
56	हरिसिंहाङ्क परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
57	हिंदुन फर्मटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
58	कार्यालय परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
59	पाचाल परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
60	परिषेधमाल परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
61	संगम परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
62	सच्चादशन परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
63	शाहजहांपुर परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
64	सिर्क्युरिटी परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
65	ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
66	ताज विरासत परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
67	त्रिवेणी परिषेध पर्यटन लिमिटेड	पर्यटन	20.02.2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
68	उत्तर प्रदेश छेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	सूचना ग्रोवार्पीकी	15.03.1977	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	90
69	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	नियात प्रस्तावन	20.01.1996	6.34	0.90	-	7.24	7.44	-	7.44	1.03:1 (1.03:1)	142	-
70	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं नागरिक अपूर्ति	22.10.1974	5.50	-	-	5.50	13.47	-	-	13.47	2.45:1 (2.45:1)	770

(1)	(2)	(3)	(4)	5(V)	5(C)	5(I)	5(n)	6(V)	6(C)	6(I)	6(n)	(7)	(8)		
71	उत्तर प्रदेश सेट दूरिज डेवलपमेंट पर्यटन कारपारेशन लिमिटेड {=0 j ; k	05.08.1974	18.75	-	18.75	2.37	-	-	2.37	0.13:1 (0.13:1)	569				
	fofolk			31.59	0.90	1.10	33.59	23.28	-	23.28	0.69:1 (0.69:1)	1571			
72	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	महिला कल्याण	17.03.1988	4.71	0.48	-	5.19	-	-	-	22				
73	उत्तर प्रदेश पूर्व सेनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	23.05.1989	0.43	-	0.43	-	-	-	-	130				
74	उत्तर प्रदेश वरक विकास निगम लिमिटेड	वरक	एवं अल्पसंख्यक	27.04.1987	7.50	-	7.50	--	-	-	24				
75	उत्तराखण्ड सिटी ट्रास्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	01.02.2010	-	-	-	-	-	-	-	-				
76	मेरठ सिटी ट्रास्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	23.06.2010	-	-	-	-	-	-	-	-				
77	इलाहाबाद सिटी ट्रास्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	27.04.2010	-	-	-	-	-	-	-	-				
78	आगरा-मथुरा सिटी ट्रास्पोर्ट सर्विसेज	परिवहन	08.07.2010	-	-	-	-	-	-	-	-				
	{=0 j ; k			12.64	0.48	-	13.12	-	-	-	176				
	{=0 j ; k			47604.82	13.01	12999.22	60617.05	902.90	-	33531.06	34433.96	0.57:1 (0.42:1)	68838		
C+	C:k j:r t:ʃn/kd f:xe C:f:u: k:														
1	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहायिता	19.03.1958	7.79	5.58	-	13.37	-	-	-	1205				
	{=0 j ; k			7.79	5.58	-	13.37	-	-	-	1205				
	foRi:t k:k														
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	114.51	-	64.78	179.29	271.43	-	376.59	648.02	3.61:1 (3.39:1)	697		
	{=0 j ; k			114.51	-	64.78	179.29	271.43	-	376.59	648.02	3.61:1 (3.39:1)	697		
	V:k k H r j:p:k														
3	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवास एवं शहरी नियोजन	03.04.1966	-	-	-	-	-	-	-	3700				
4	उत्तर प्रदेश जल निगम	शहरी विकास	06.06.1975	-	-	-	98.68	-	-	98.68	-	-			
	1 k						98.68	-	-	98.68	-	3700			
5	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	348.63	60.01	-	408.64	-	-	270.31	270.31	0.66:1 (0.24:1)	-		
6	उत्तर प्रदेश राज्य कम्युनिटी कल्याण निगम	चार्या एवं नागरिक अपूर्ति	05.05.1965	-	-	-	9.51	-	-	9.51	-	889			
	{=0 j ; k			348.63	60.01	-	408.64	9.51	-	270.31	279.82	0.68:1 (0.27:1)	889		
	fofolk														
7	उत्तर प्रदेश वन निगम**	वन	25.11.1974	-	-	-	-	-	13.50	13.50	-	2531			
	{=0 j ; k						-	-	13.50	13.50	-	2531			
	{=0 j ; k			470.93	65.59	64.78	601.30	379.62	-	660.40	1040.02	1.73:1 (1.51:1)	9022		
	{=0 j ; k			48075.75	78.60	13064.00	61218.35	1282.52	-	34191.46	35473.98	0.58:1 (0.43:1)	77860		

(1)	(2)	(3)	(4)	5(V)	5(C)	5(η)	5(I)	5(V)	6(C)	6(I)	6(η)	(7)	(8)
1 +	vdk j̄r d̄f̄ fu: k̄												
	d̄f̄k̄, ōi eōx̄												
1	कमाण्ड परिया पौल्टी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (619-की कम्पनी)	मर्त्य एवं पशुधन		-	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-	-
2	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चौथी उद्योग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	0.23	-	0.08	0.31	1.69	1.69	5.45:1 (5.45:1)	19		
3	उत्तर प्रदेश (झोलखण्ड तराइ) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चौथी उद्योग एवं गन्ना विकास	27.08.1975	0.38	-	0.33	0.71	6.55	6.55	9.23:1 (9.23:1)	-		
4	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	मर्त्य एवं पशुधन	05.03.1975	2.10	0.63	-	2.73	0.71	0.71	0.26:1 (0.26:1)	-		
5	उत्तर प्रदेश पौल्टी एड लाइव स्टर्ट स्पैशनलिटी लिमिटेड	मर्त्य एवं पशुधन	07.12.1974	1.66	1.28	-	2.94	1.10	1.10	0.37:1 (0.37:1)	-		
6	उत्तर प्रदेश स्टर्ट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एवं ग्रानरीसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (619-की कम्पनी) ; &	चाद्य प्रसंस्करण	06.04.1977	6.41	-	0.64	7.05	1.22	1.22	0.17:1 (0.17:1)	330		
	foriāt̄l̄.k			10.78	1.91	1.29	13.98	11.27	-	11.27	0.81:1 (0.81:1)	349	
7	आयोगीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	05.01.1988	-	-	1.06	1.06	-	4.15	4.15	3.92:1 (3.92:1)	-	
8	उत्तर प्रदेश पचायारी राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (619-की कम्पनी) ; &	पचायारी राज	24.04.1973	0.78	-	0.66	1.44	-	-	-	52		
	VMKJH̄ l̄jpk			0.78	-	1.72	2.50	-	-	4.15	4.15	1.66:1 (1.66:1)	52
9	उत्तर प्रदेश सीमन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	ओयोगीक विकास	19.03.1972	66.28	-	66.28	124.77	-	-	124.77	1.88:1 (1.88:1)		
10	उत्तर प्रदेश स्टर्ट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	ओयोगीक विकास	23.03.1974	59.43	-	59.43	18.24	-	1.50	19.74	0.33:1 (0.33:1)		
11	विष्ण्याचल अबीसिस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टर्ट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ओयोगीक विकास	05.12.1985	-	-	0.08	0.08	-	0.84	0.84	10.50:1 (10.50:1)	-	
	(619-की कम्पनी) ; &			125.71	-	0.08	125.79	143.01	-	2.34	145.35	1.16:1 (1.16:1)	-
12	आटो ट्रैकर्स लिमिटेड	ओयोगीक विकास	28.12.1972	5.63	-	1.87	7.50	0.38	-	0.38	0.05:1 (0.05:1)	-	
13	भटोही वूलन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टर्ट टेस्टस्टर्ट इल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरचा एवं वन्न उद्योग	14.06.1976	-	-	3.76	3.76	-	-	-	-	-	
14	छाता झूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टर्ट झूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चौथी उद्योग एवं गन्ना विकास	18.04.1975	-	-	81.38	81.38	-	4.00	15.65	19.65	0.24:1 (0.05:1)	07
15	कान्तीसेटर फलोट ग्लास लिमिटेड	ओयोगीक विकास	12.04.1985	-	-	46.24	46.24	-	-	138.85	138.85	3.00:1 (3.00:1)	-
16	इलेक्ट्रोनिक्स एड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (619-की कम्पनी)	-											
17	धाटमाट झूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टर्ट झूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चौथी उद्योग एवं गन्ना विकास	30.05.1986	-	-	147.72	147.72	-	-	10.92	10.92	0.07:1 (0.12:1)	18
18	इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक	इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	31.03.1978	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	5(v)	5(c)	5(l)	5(n)	5(v)	6(c)	6(l)	6(n)	(7)	(8)
19	नद्यांज-सिहोरी शार कपमी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूर कारपरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	18.04.1975	-	34.04	34.04	-	-	7.69	7.69	0.23:1 (0.11:1)	80	
20	स्टील एवं फार्स्टनर्स लिमिटेड (619-बी कम्पनी)	-	-	-	1.90	1.90	-	-	-	-	-	-	
21	विभिन्न टरेपेन्ट्स इण्ड रोजिन कम्पनी कम्पनी लिमिटेड	औद्योगिक विकास	22.02.1974	0.19	-	0.03	0.22	5.33	-	1.88	7.21	32.77:1 (32.77:1)	-
22	अप्रान्त सेप्टेक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक्स कारपरेशन एवं सहायक)	इलेक्ट्रिनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	23.05.1977	-	-	0.03	0.03	-	-	0.03	0.03	1:1 (1:1)	-
23	उत्तर प्रदेश एक्स्प्रेस ट्रायल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्थाल इण्डस्ट्रीज कारपरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	18.6.1972	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
24	उत्तर प्रदेश कारबिंड एण्ट कैमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी सहायक)	ओद्योगिक विकास	23.04.1979	-	-	6.59	6.59	11.02	-	-	11.02	1.67:1 (1.67:1)	-
25	उत्तर प्रदेश इन्डमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिल कैमिटेड की सहायक)	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिल कैमिटेड की सहायक)	01.01.1975	0.09	-	1.93	2.02	5.55	-	1.49	17.04	8.44:1 (8.44:1)	259
26	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटोक्सन एलाइएन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिल कैमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	28.6.1972	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
27	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेर कारपरेशन नियाच प्रोत्ताहन	प्रोत्ताहन एवं वर्तन उद्योग	12.02.1974	5.28	0.10	-	5.38	1.94	-	-	1.94	0.36:1 (0.36:1)	-
28	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपरेशन लिमिटेड	हाफक्सा एवं वर्तन उद्योग	02.12.1969	197.10	-	-	197.10	95.78	-	-	95.78	0.49:1 (0.47:1)	-
29	उत्तर प्रदेश एवं द्यूल इलेक्ट्रिल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिल कैमिटेड की सहायक) (ई-00) ; &	ओद्योगिक विकास	14.01.1976	-	-	1.83	1.83	-	-	-	-	-	-
			208.29	0.10	327.44	535.83	120.00	4.00	186.51	310.51	0.58:1 (1:1)	364	
30	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	शूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1.00	-	-	1.00	0.05	-	-	0.05	0.05:1 (0.05:1)	-
31	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	शूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	0.67	-	-	0.67	0.66	-	-	0.66	0.99:1 (0.99:1)	-
32	बोरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	शूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1.25	-	-	1.25	-	-	-	-	-	-
33	बुद्धलाल-कंफिट एक्स्प्रेस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुद्धलाल-कंफिट विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	शूमि विकास एवं जल संसाधन	1986-87	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
34	गंडक समावेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	शूमि विकास एवं जल संसाधन	1976-77	0.46	-	-	0.46	-	-	-	-	-	-
35	गारखात्र मण्डल विकास निगम लिमिटेड	शूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	0.94	-	0.32	1.26	0.88	-	-	0.88	0.70:1 (0.70:1)	-
36	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	शूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	0.70	-	-	0.70	0.86	-	-	0.86	1.23:1 (1.23:1)	-
37	मैसूर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	शूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
38	मुरदाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	शूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1978	0.25	-	-	0.25	0.65	-	-	0.65	2.60:1 (2.60:1)	-

उम्म 1: उड़ायुपा न फ्रैंक संख्या ३१-।, सं-१, १०१५ २० पर अकात वारा ६०५-४ औ फ्रैंक-६।
उम्म 2: क्रम संख्या ३-४६ से ३१-६७ पर अकित क्रमणियों तक प्रदेश स्टेट दिविजन लिमिटेड की सहायक क्रमणियों हैं।

प्रदत्त अंश पैर्जी में अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित है।

2011-12 के अन्त में बकाया ऋण के पल दीर्घविधि ऋण को दर्शता है।

1999-2000 से 2007-08 की अवधि के दौरान यह संस्कारण लोकप्रिय हो गया। 2011-2012 के दौरान यह संस्कारण लोकप्रिय हो गया।

i f' k"v&2

I jdkjh dEi fu; k vkg I kfofkd fuxel@ds v| ru o"mftuds y[tkv@cls vfile : i nsfn,k x; k Fkk ds I f@r forrh; i f' kkeksdks'kkr fooj.kh

oe 1	{e , or dEi uh dk ule (2)	yf@dk vdk	0"ff@ yf@dk vdk	0"ff@ yf@dk vdk	5(V)	5(C)	5(I)	5(G)	Vuk@j	yf@dk Mif,k@ lHk#	1pr yf@dk@ gfu@k	1pr yf@dk@ gfu@k	fu; f@r i@h @	fu; f@r i@h	fu; f@r i@h	fu; f@r i@h
v	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
1	dkj@dkf@u;k d@y , o@ eodk	उत्तर प्रदेश सम्बन्धी नियम लिमिटेड	गांव गैज एवं विकास नियम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(-) 0.07	-	-	(-) 0.07	0.20	(आईएल) 0.10	0.25	(-) 0.71	2.29	(-) 0.07	-
2	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गांव गैज एवं विकास नियम लिमिटेड	2011-12	2012-13	0.38	-	-	0.38	0.71	-	0.65	0.83	1.52	0.38	25.00		
3	उत्तर प्रदेश गैज विकास नियम लिमिटेड	2008-09	2011-12	28.91	5.47	0.71	22.73	269.19	-	1.92	53.36	88.37	28.20	31.91		
4	उत्तर प्रदेश कृषि कौल नियम लिमिटेड	2008-09	2012-13	(-) 0.03	-	0.10	(-) 0.13	1.86	-	1.50	0.23	23.59	(-) 0.13	-		
5	उत्तर प्रदेश गत्य विकास नियम लिमिटेड	2009-07	2011-12	0.37	-	0.11	0.26	3.54	(को) 0.78	1.07	-	4.90	0.26	5.31		
6	यूपी प्रदेश कारणप्रसान लिमिटेड	2009-10	2011-12	18.98	-	0.39	18.59	733.98	(अस्थि) 29.31	6.40	68.02	74.49	18.59	24.96		
7	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इण्डिस्ट्रियल कारणप्रसान लिमिटेड (को) ।।।।।	2007-08	2010-11	14.13	8.79	0.10	5.24	383.90	-	40.00	(-) 51.68	73.68	14.03	19.04		
				62.67	14.26	1.41	47.00	1393.38	-	51.79	70.05	268.84	61.26	22.79		
8	डिप्रेशन इण्डिस्ट्रियल एण्ड इन्डेस्ट्रियल एण्ड इन्डिस्ट्रियल	2010-11	2011-12	11.10	6.94	0.46	3.70	37.27	(को) 0.56	135.58	(को) 363.94	315.83	10.64	3.37		
9	उत्तर प्रदेश अस्त्रसंचक लिमिटेड	1995-96	2010-11	0.70	0.45	0.01	0.24	1.14	(को) 5.29	14.23	0.12	20.94	0.69	3.30		
10	उत्तर प्रदेश पिछा वर्ग लिमिटेड विकास नियम लिमिटेड	2009-10	2012-13	2.07	1.67	0.01	0.39	2.43	-	12.23	7.17	66.10	2.06	3.12		
11	उत्तर प्रदेश शैक्षणिक कार्ट फाइनेंस एन्ड डेवलपमेंट कारणप्रसान लिमिटेड	2008-09	2011-12	15.77	2.14	0.05	13.58	23.53	(को) 0.13	102.83	56.97	313.85	15.72	5.01		
12	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डिस्ट्रियल कारणप्रसान लिमिटेड (को) ।।।।।	2008-09	2011-12	73.92	-	5.58	68.34	113.34	(को) 3.40	24.08	-	218.25	68.34	31.31		
				103.56	11.20	6.11	86.25	177.71	-	288.95	(-) 299.68	934.97	97.45	10.42		
13	उत्तर प्रदेश आवास नियम लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.56	-	0.14	0.42	77.54	(को) 2.65	3.00	13.26	16.16	0.42	2.60		
14	उत्तर प्रदेश राजकीय नियम लिमिटेड	2009-10	2012-13	231.75	0.60	5.69	225.46	3670.58	(को) 8.68	1.00	412.35	431.88	226.06	52.34		
15	उत्तर प्रदेश समाज काल्याण नियम लिमिटेड	2010-11	2011-12	24.59	-	0.76	23.83	578.25	-	0.15	49.65	49.69	23.83	47.96		
16	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारणप्रसान लिमिटेड (को) ।।।।।	2009-10	2011-12	44.30	1.56	3.80	38.94	800.04	(को) 13.14	15.00	68.37	95.03	40.50	42.62		
				301.20	2.16	10.39	288.65	5126.41	-	19.15	543.63	592.76	290.81	49.06		
17	अल्मोड़ा मैनसाइट लिमिटेड (बी-वी कम्पनी)	2011-12	2012-13	1.33	0.09	0.29	0.95	31.93	-	2.00	1.75	6.15	1.04	16.91		
18	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इत्यनियम कारणप्रसान लिमिटेड की सहायक)	2011-12	2012-13	2.11	0.15	0.52	1.44	30.57	(को) 2.44	7.22	1.57	12.28	1.59	12.95		
19	युपीसार्वाई स्प्रेट्रिज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डिस्ट्रीज कारणप्रसान लिमिटेड की सहायक)	1996-97	2011-12	(-) 0.14	0.59	0.02	(-) 0.75	-	-	0.76	(-) 6.59	(-) 0.23	(-) 0.16	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	5(V)	5(C)	5(I)	5(II)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	अपटान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1995-96	1997-98	(-)1.99	28,06	2.07	(-32.12	97.15	-	53.16	(-)196.73	52.06	(-)4.06	-
21	अपटान पावरस्टार्टेक्स इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2011-12	2012-13	1.50	-	0.65	0.85	25.25	(जीपी) 0.56	4.07	(-3).32	8.42	0.85	10.10
22	उत्तर प्रदेश ड्रॉस फारमस्ट्रीटिक्स लिमिटेड	2008-09	2010-11	(-2).18	0.21	0.25	(-2).64	21.40	-	1.10	(-18.06	(-5.49	(-2.43	-
23	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.88	-	0.10	0.78	36.30	-	87.66	1.14	124.19	0.78	0.63
24	उत्तर प्रदेश राज्य चीमी एं गना विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	(-13.55	0.01	0.25	(-13.81	5.72	(आईएल) 16.89	8.44	(-) 862.84	65.78	(-)13.80	-
25	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	2003-04	2011-12	1.02	0.54	0.84	(-0.36	15.75	(झीरण) 6.67	5.96	(-17.06	8.96	0.18	2.01
26	उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूस कारपोरेशन लिमिटेड	1996-97	2010-11	(-7).88	1.38	0.42	(-9.68	29.18	(जीपी) 0.01	24.38	(-47.83	31.59	(-8.30	-
27	उत्तर प्रदेश स्टेट लेवर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2000-01	2002-03	0.42	0.05	0.11	0.26	3.60	-	573.94	(-6.85	4.81	0.31	6.44
28	उत्तर प्रदेश स्टेट स्प्रिंग्स कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.60	1.50	1.25	(-2).15	102.33	-	93.24	(-168.50	51.50	(-0.65	-
29	उत्तर प्रदेश स्टेट थूर कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10	2011-12	23.41	18.77	3.68	0.96	488.64	(जीपी) 59.85	1103.71	(-) 248.08	401.73	19.73	4.91
30	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2010-11	2011-12	(-0.25	3.01	0.27	(-3).53	34.09	(आईएल) 2.59	31.91	(-154.52	(-)33.89	(-0.52	-
	[(-0)] ; ₹			5.28	54.36	10.72	(-59.80	921.91	-	1997.55	(-) 1725.92	727.86	(-5.44	-
	A_{tk}													
31	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (भुवनेश्वर पावर स्टेट लिमिटेड की सहायक)	2008-09	2012-13	(-862.29	61.51	137.58	(-1061.38	2537.35	-	370.07	(- 4814.40	(-1623.50	(- 999.87	-
32	काम्पनी लिमिटेड कम्पनी लिमिटेड स्लाइ	2008-09	2011-12	(-25.00	41.59	14.11	(- 80.70	845.86	(आईएल) 0.47	60.00	(- 1381.30	(-)709.84	(-39.11	-
33	मध्येश्वर विद्युत वितरण निगम (मुनरेक्षा पावर स्टेट लिमिटेड की सहायक)	2008-09	2012-13	(-469.95	140.14	95.90	(- 705.99	2206.77	-	190.85	(- 3197.30	328.76	(-565.85	-
34	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (मुनरेक्षा पावर स्टेट लिमिटेड की सहायक)	2008-09	2012-13	(-345.77	137.38	153.06	(-636.21	4507.62	-	559.95	(- 3206.74	(- 177.59	(-498.83	-
35	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (मुनरेक्षा पावर स्टेट लिमिटेड की सहायक)	2008-09	2012-13	(-971.60	123.24	94.20	(- 1189.04	2626.81	-	460.75	(- 4479.59	(- 865.12	(- 1065.80	-
36	सोमाई पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2008-09	2011-12	-	-	-	-	-	-	0.16	(-0.07	0.35	-	-
37	यूरोपियन कोल कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	-	0.16	-	1.11	-	-
38	यूरोपियनइंडिया पावर कम्पनी (उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2010-11	2011-12	(-0.02	-	(-0.02	0.02	-	0.05	(-0.20	(-0.07	(-0.02	-	-
39	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (भुवनेश्वर)	2009-10	2011-12	24.72	22.52	10.76	(-8.56	97.44	(झील) 8.08	427.25	(-) 273.96	320.69	13.96	4.35

(1)	(2)	(3)	(4)	5(V)	5(C)	5(I)	5(II)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08	2011-12	(-) 3465.08	427.31	1.16	(-) 3893.55	12203.90 (आइएल)	2179.49	470.74	(-) 10087.27	9374.12	(-) 3466.24	-
41	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जलांहार प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2008-09	2012-13	474.82	206.69	278.26	(-) 10.13	780.95	-	5.00	(-) 1001.21	3495.36	196.56	5.62
42	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	576.42	283.81	166.23	126.38	4752.30	-	6302.01	(-) 451.95	1494.67	410.19	27.44
43	वैस्टर्न यूपी पावर दांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2010-11	2012-13	(-) 0.60	-	(-) 0.60	-	-	0.05	(-) 4.24	(-) 4.19	(-) 0.60	-	-
44	साथ इंस्ट्रॉयूट यूपी पावर लेखे अन्तर्निकृत नहीं किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	(-) 1.23	-	(-) 1.23	-	-	0.05	(-) 1.23	(-) 1.18	(-) 1.23	-	-
₹/-0/- ;&		(₹)5065.58		1444.19	951.26	(-) 7461.03	30559.02	-	8847.09	(-) 28899.46	11633.57	(-) 6016.84	-	-
। इक्स														
46	अमरावती परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-
47	अमरावती परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
48	अकश पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
49	बीचपुर परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
50	बीज दरवाजा परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
51	बुज परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
52	बुदेलखण्ड परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
53	गणा सर्व परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
54	गढ़मुकेश्वर पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
55	ज्ञानदाय परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
56	हरितमाल परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
57	हिंडन पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
58	मध्याचाल परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
59	पांचाल परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
60	पैथमन्धाल परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
61	समाप्ति परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
62	सत्याचाल परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
63	शाहजहांगर परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
64	सिद्धार्थ परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
65	ताज शिव पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
66	ताज विरासत परिषद पर्यटन	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-
67	त्रिकांग परिषद पर्यटन लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	(डोर्प) 2.44	1.00	0.54	3.69	0.89	24.12	-
68	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10	2011-12	0.94	-	0.05	0.89	4.29	(डोर्प) 2.44	-	0.05	-	-	-
69	उत्तर प्रदेश एसपीट कारपोरेशन लिमिटेड	2005-06	2011-12	0.08	0.02	0.07	(-) 0.01	6.47	-	7.24	21.92	0.61	0.01	1.64
70	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2003-04	2011-12	10.38	1.99	0.19	8.20	528.90 (डोर्प) 4.46	5.00	11.37	73.44	10.19	13.88	-
71	उत्तर प्रदेश रेट्रो ट्रॉफीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2010-11	2011-12	2.76	0.01	1.58	1.17	24.03	-	18.75	(-) 13.31	13.24	1.18	8.91
₹/-0/- ;&		(₹)14.16		2.02	1.89	10.25	563.69	-	33.09	20.52	92.08	12.27	13.33	-
fotok														
72	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.97	-	0.06	0.91	2.11 (डोर्प) 0.63	5.19	(डोर्प) 0.52	8.45	0.91	10.77	-

(1)	(2)	(3)	(4)	5(V)	5(C)	5(I)	5(II)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
73	उत्तर प्रदेश फूँ सेनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2008-09	2011-12	8.45	-	0.18	8.27	86.75	(जीपी) 1.43	0.43	46.36	63.64	8.27	13.00
74	उत्तर प्रदेश चक्र विकास निगम	1998-99	2007-08	0.01	-	0.01	-	0.28	(आईएल) 0.002	3.50	0.02	2.11	-	-
75	तथारुं सिटी ट्रास्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2008-09	2011-12	नेहें अनिमिकृत नहीं किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	मेरठ सिटी ट्रास्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2008-09	2011-12	नेहें अनिमिकृत नहीं किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	इलाहाबाद सिटी ट्रास्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2008-09	2011-12	नेहें अनिमिकृत नहीं किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	आगरा सिटी ट्रास्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2008-09	2011-12	नेहें अनिमिकृत नहीं किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	dk;jr \$o\$cd fux€	9.43	-	0.25	9.18	89.14	-	9.12	45.86	74.20	9.18	12.37	-	-
1	उत्तर प्रदेश राज्य मार्गारण निगम {<0 } ;&	2009-10	2011-12	72.63	0.49	7.72	64.42	218.45	(आईएल) 7.35	11.17	-	312.80	64.91	20.75
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम {<0 } ;&	2010-11	2011-12	18.40	0.05	-	18.35	20.93	(जीपी) 9.49	179.28	(-932.99	995.65	18.40	1.85
3	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद {<0 } ;&	2010-11	2011-12	362.72	-	3.92	358.80	666.92	-	-	3275.04	1261.13	358.80	28.45
4	उत्तर प्रदेश जल निगम {<0 } ;&	2009-10	2012-13	91.02	40.16	0.35	50.51	536.33	-	-	(-85.39	7913.99	90.67	1.15
5	उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम {<0 } ;&	2010-11	2011-12	106.93	20.44	124.98	(-38.49	2038.56	(आईएल) 87.84	369.13	(-934.83	(-287.51	(-18.05	-
6	उत्तर प्रदेश राज्य कम्पनी कल्याण निगम {<0 } ;&	2010-11	2012-13	12.08	0.86	0.06	11.16	274.70	-	-	7.10	38.85	12.02	30.94
7	उत्तर प्रदेश कन निगम {<0 } ;&	2010-11*	2012-13	126.10	-	0.93	125.17	400.31	(जीपी) 4.49	-	1173.95	1135.72	125.17	11.02
8	उत्तर प्रदेश {<0 } ;& dk;jr \$o\$cd fux€ {<0 } ;&	2002-03	2004-05	789.88	62.00	137.96	589.92	4156.20	-	559.58	2502.88	11370.63	651.92	5.73
1	कमांड एस्या पोल्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (619-शी कंपनी)	1994-95	-	0.02	-	0.01	0.01	0.96	-	0.24	-	-	0.01	-
2	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गाना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड (01-07-03 से परिसमाप्त के अन्तर्गत)	2002-03	2004-05	(-0).14	0.04	(-0).18	0.04	-	0.31	(-0).55	1.53	(-0).14	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	5(V)	5(C)	5(I)	5(G)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07(01)-07-03 से परिसमाप्त कार्यालयों	2008-09	0.06	1.10	0.01	(-1.05	0.11	-	0.71	(-8.01	3.31	0.05	1.51
4	उत्तर प्रदेश पश्चिमन उदयग निगम लिमिटेड	2007-08	2011-12	0.08	0.11	-	(-0.03	0.19	-	2.79	(-8.37	1.33	0.08	6.02
5	उत्तर प्रदेश पोली एंड लाइव स्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड	2007-08	2011-12	(-0.04	0.16	-	(-0.20	0.01	(आईएल) 0.31	0.50	(-3.65	(-1.42	(-0.04	-
6	उत्तर प्रदेश स्टेट हाईकॉल्टरल ग्राहप्रस मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1984-85	1994-95	(-0.51	0.15	0.01	(-0.67	0.27	-	1.90	(-2.55	80.72	(-0.52	-
7	अपर्नीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1993-94	1997-98	0.37	0.54	0.23	(-0.40	1.29	-	1.05	(-0.40	5.34	0.14	2.62
8	उत्तर प्रदेश पायायो राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1993-94	2011-12	(-0.10	-	(-0.10	0.36	-	1.39	(-0.24	1.10	(-0.10	-	
	70000/-			0.27	0.54	0.23	(-0.50	1.65		2.44	(-0.64	6.44	0.04	0.62
9	उत्तर प्रदेश सोमट कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96	1996-97	(-20.07	24.84	2.84	(-47.75	113.01	-	68.28	(-425.99	(-239.80	(-22.91	-
10	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10	2011-12	4.84	1.54	0.06	3.24	5.18	(डीपी) 3.19	59.43	(-76.44	1.11	4.78	430.63
11	विद्युत औंसेट कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1987-88	1995-96	(-0.11	0.01	(-0.12	-	-	-	(-0.11	0.01	(-0.11	-	
	0/-			(-15.34	26.39	2.90	(-44.63	118.19		127.71	(-502.54	(-238.68	(-18.24	-
12	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1991-92	1995-96	0.37	0.26	-	0.11	6.31	-	7.50	-	11.14	0.37	3.32
13	भद्राही यूलस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95	(20.02.96 से परिसमाप्त कार्यालयों	0.85	2.51	-	(-1.66	0.27	-	3.76	(-11.95	(-0.49	0.85	-
14	छाता श्वार कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट श्वार कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2010-11	2011-12	(-0.41	0.70	0.16	(-1.27	0.53	-	81.38	(-95.26	4.18	(-0.57	-
15	कार्टनेटल फ्लोट लास लिमिटेड	1997-98(01-04-02 से परिसमाप्त कार्यालयों	2002-03	-	-	-	-	-	-	46.24	-	83.87	कम्पनी अरम्भ से परिसमाप्त में गई।	-
16	इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्प्यूटर्स (इण्डो-जी) लिमिटेड कंपनी	619-सी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	धारमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2010-11	2012-13	(-1.98	-	(-1.98	0.11	-	8.95	(-149.33	5.34	(-1.98	-	
18	कानपुर कम्पनेट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनेक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	10-06-96 से परिसमाप्त कार्यालयों	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	5(V)	5(C)	5(I)	5(II)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	नाराज़-सिहंसी शार प्रदेश कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट सहायक) करपारसेन लिमिटेड	2010-11	2012-13	(-5.81)	-	0.09	(-5.90)	0.05	-	239.38	(-245.18)	12.82	(-5.90)	-
20	स्टील एड फास्टनर्स लिमिटेड (619-की कम्पनी)	1978-79	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-
21	दि इण्डियन ट्रायोन्टाइन एड रोज़िन लिमिटेड	2009-10	2011-12	(-0.37)	0.10	0.01	(-0.48)	0.03	-	0.22	(-32.33)	(-26.64)	(-0.38)	-
22	अपटन समेक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश कारपारेशन लिमिटेड की सहायक)	1979-80	1983-84	(-0.01)	-	(-0.01)	-	-	0.03	(-0.03)	0.02	(-0.01)	-	-
23	उत्तर प्रदेश एब्काट प्राइवेट इण्डस्ट्रीज़ कारपारेशन लिमिटेड की सहायक)	1975-76 (19-04-96 से परिसमान के अन्तर्गत)	(-0.01)	0.01	-	(-0.02)	-	-	0.05	-	0.12	(-0.01)	-	-
24	उत्तर प्रदेश कार्बाइड स्टेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कारपारेशन लिमिटेड की सहायक)	1992-93 (19-02-94 से परिसमान के अन्तर्गत)	(-0.15)	5.67	0.36	(-6.18)	2.26	-	6.58	(-35.32)	(-18.45)	(-0.51)	-	-
25	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इण्डिस्ट्रीज़ कारपारेशन लिमिटेड की सहायक)	2001-02	2005-06	(-0.26)	0.02	0.01	(-0.29)	0.16	-	1.93	(-38.75)	0.35	(-0.27)	-
26	उत्तर प्रदेश लगाट मोटरसायकल इण्डिस्ट्रीज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट कारपारेशन लिमिटेड की सहायक)	1974-75 (11/2003 से परिसमान के अन्तर्गत)	1984-85	(-0.01)	-	(-0.01)	0.04	-	0.01	0.01	(-0.34)	(-0.01)	-	-
27	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेस कारपारेशन लिमिटेड	1997-98	2007-08	2.52	0.12	0.01	2.39	0.53	-	5.38	(-6.04)	3.59	2.51	69.92
28	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटील कारपारेशन लिमिटेड	2010-11	2011-12	(-0.27)	6.71	0.40	(-7.38)	-	-	160.79	(-465.52)	(-139.98)	(-0.67)	-
29	उत्तर प्रदेश टायर एड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट कारपारेशन लिमिटेड की सहायक) (भैंड़ : ४५)	1992-93 (09-04-96 से परिसमान के अन्तर्गत)	-	2.10	4.27	-	(-2.17)	1.38	-	1.83	(-9.96)	(-4.06)	2.10	-
30	आगरा माडल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2007-08	(-0.08)	-	0.01	(-0.09)	3.91	-	1.00	(-0.35)	0.92	(-0.09)	-
31	इलाहाबाद माडल विकास निगम	1983-84	1992-93	(-0.03)	0.01	0.07	(-0.11)	2.74	-	0.55	(-0.11)	0.99	(-0.10)	-
32	बरेमी माडल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2011-12	(-0.22)	0.12	0.05	(-0.39)	3.33	-	1.00	(-1.52)	4.63	(-0.27)	-
33	बुन्देलखण्ड कंफ्रीट स्ट्रक्चरल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश कंदोलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1986-87	1993-94	-	-	-	-	-	0.02	(-0.01)	0.04	-	-	-
34	गाड़क समारोह क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	1976-77 (1976-77 से परिसमान के अन्तर्गत)	-	-	-	-	-	-	0.46	-	0.46	-	-	-
35	गारखापुर माडल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	2011-12	(-0.15)	0.01	0.03	(-0.19)	1.30	-	1.26	(-1.52)	1.32	(-0.18)	-
36	लखनऊ माडलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	1992-93	0.54	-	0.53	0.01	1.70	-	0.50	1.49	0.61	0.01	1.64
37	मरठ माडल विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2010-11	(-0.03)	-	(-0.03)	-	-	1.00	(-1.50)	(-0.01)	(-0.03)	-	-
38	मुरादाबाद माडल विकास निगम	1991-92	2011-12	(-0.08)	0.11	-	(-0.19)	0.85	-	0.25	(-0.78)	0.12	(-0.08)	-
39	ताराई अनुशूषित जननाति विकास निगम लिमिटेड	1982-83	1990-91	(-0.04)	-	(-0.04)	0.01	-	0.25	-	0.70	(-0.04)	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(V)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	उत्तर प्रदेश बुद्धलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2010-11	0.25	-	0.25	0.20	-	1.23	(-1.57	0.25
41	उत्तर प्रदेश चलवित्र निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	0.03	0.40	0.01	(-0.38	0.12	8.18	(-14.80	(-4.14
42	उत्तर प्रदेश पूर्वीचल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1994-95	(-0.11	-	0.03	(-0.14	1.30	0.14	(आईएल	0.02
43	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1993-94	(-0.02	-	0.01	(-0.03	1.47	-	1.15	(-1.08
44	{-0.01} ;@ ;@&1 ;@# v@k Jr ch@ fu; @ eg@ & \$CS1 #	0.06	0.65	0.74	(-1.33	16.93	-	0.70	(-0.26	0.19	(-0.14
45	{-18.98	49.51	4.94	(-73.43	150.97	-	718.18	(-1637.98	0.88	(-22.01	(-0.03
46	1639.70	1124.93	(-6563.01	43138.43	-	12524.50	(-29380.10	25486.03	(-4923.31	6.42	(-0.68
47	उत्तर प्रदेश को दृष्टि को इनियत करता है, जो एक हानि में कमी को इनियत करता है, और एक हानि में कमी को दृष्टि को इनियत करता है।	# लेखापरीक्षा विषयियों के प्रभाव में नाविकिक लेखापरीक्षक एवं सीएजी के लेखापरीक्षा विषयियों का शुद्ध प्रभाव सम्बलित है।	@ वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित दृृढ़ी की गणना प्रदत्त दृृढ़ी की गणना प्रगतिगत कार्य सहित एवं कार्यक्रम दृृढ़ी के योग का प्रतिनिधित्व करती है।	\$ नियोजित दृृढ़ी पर प्रतिलाम का आगामन लाभ हानि खाते हैं दशर्थों का लेखापरीक्षण खानीय लेखापरीक्षण को जोड़कर किया जाता है।	* 1999-2000 से 2007-08 की अवधि के लेखों का लेखापरीक्षण खानीय लेखापरीक्षण व्यानीय लेखापरीक्षण एवं निगम के पत्रांक 31 जुलाई 2010 के आदेशानुसार यू.पी. फारेस्ट कारपोरेशन एवं, 1974 में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त वर्ष 2008-09 के लेखे इस कार्यालय में लेखापरीक्षण हेतु भेजे गए।						

o"ñ dññflu iñr@iñ; vñpñu ,a | fñ Mñ iñr ir, kññfr; kñ ns kaññ eñQñ viyf[kñ
ifrc) iñR, kññfr; kñ dññ n'kñ
kñrj 1-10 ea | Unññ

11) KV&3
ns kdh ekOij vityf[kr _k v/g —.k dkl vdkirñ eñ iforl , aelq 2012 dh l ekfir ij
iR. kñfr; als n kñrh foj. kh
ifrc)

1	2	(3V)	(3C)	4(V)	4(C)	4(I)	4(II)	5(V)	5(C)	6(V)	6(C)	6(I)	6(II)
1.	f0f0/k												
12.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	{f=0j} ; kx		-	-	16.84	-	16.84	-	-	-	-	-
	{k&v} / kx	i kx&v / kx {f=0j} ck; j r	4285.50	11.85	-	1975.51	-	1975.51	1175.00	9558.84	-	-	-
C	ck; j r fo/kd fuxe	Vk/Njikxr i j puk											
1.	उत्तर प्रदेश जल निगम	{f=0j} ; kx		-	-	1132.83*	-	1132.83*	-	-	-	-	-
	{k=0j} ; kx	i kx				1132.83*		1132.83*					
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम	{f=0j} ; kx	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	{k=0j} ; kx	i kx c / kx {f=0j} ck; j r	40.00	-	-	1132.83	-	1132.83	-	-	-	-	-
	{k k \$ch}	4325.50	11.85	-	3108.34	-	3108.34	1175.00	9558.84	-	-	-	-
	vdk; j r ckfu; k												
	fofuekk												
1	छाता शूर कम्पनी लिमिटेड	{f=0j} ; kx		-	-	-	-	19.65	19.65	-	-	-	-
	i dk {f=							19.65	19.65	-	-	-	-
2.	गोरखपुर माझल विकास निगम लिमिटेड				0.01	0.01							
3.	उत्तर प्रदेश बुद्धलखण्ड विकास निगम लिमिटेड				0.20	0.20							
4.	वाराणसी माझल विकास निगम लिमिटेड	{f=0j} ; kx			0.26	0.26							
	{k&l} / kx {f=0j} vck; j r	ckfu; k		-	0.47	0.47							
	eg; kx / \$c\$1 h	4325.50	11.85	-	3108.81	-	3108.81	1194.65	9578.49	-	-	-	-

(@ आँकड़े वर्ष के अन्त में कुल बकाया प्रत्याखृति को इंगित करते हैं।
* इसमें सब्सिडी सम्मिलित है।

i f'f' k'V&4
dk; Jr | jdkjh dEi fu; k@l kof/kd fuxel e mu o"kl eftuds y[ks vflrehd'r ugha fd; s x; s g] l jdkj
}kj k vaki pth] __.k vuipku@l fcl Mh ds : i es fd; s x, fuos k dks n'kjh fooj .k
%Lrj 1-22 e@l Unflkh

k djM+e

Øe @	dEi uh@fuxe d's uke	o"kl tgk rd ds y[ks vflre dks vflre : i fn; k x; k	v ru vflrehd'r y[ks vflre dks vflre i pth	jkt; l jdkj }kj k mu o"kl ds n'kjh fd; k x; k fuos k ftu o"kl ds y[ks vflrehd'r ugha fd; s x; A			
v- dk; Jr jdkjh dEi fu; k							
1	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2008-09	1.50	-	-	125.03	-
2	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2008-09	102.83	5.00	-	141.85	-
3	उत्तर प्रदेश रस्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2010-11	31.91	-	11.85	-	-
4	मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2008-09 (पुनरीक्षित)	190.85	-	-	-	657.98
5	पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2008-09 (पुनरीक्षित)	559.95	-	-	-	1031.21
6	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08	470.74	3315.70	-	-	-
7	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिसन कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2008-09	5.00	409.05	-	-	-
8	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2010-11	6302.01	555.75	-	-	-
9	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10	1.00	-	-	2.60	-
10	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2010-11	5.19	-	-	16.84	-
c- dk; Jr kof/kd fuxe							
1	उत्तर प्रदेश जल निगम	2009-10	-	-	-	272.18	860.65
2	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2009-10	-	40.00	-	-	-
;	lx c			40.00		272.18	860.65
;	dy ; lx %\$ch		7670.98	4325.50	11.85	558.50	2549.84

i f f' k' V&5
 I k'of/kd fuxel dh foRrh; fLFkfr dks n' k'kh fooj .kh
 1/2Lrj 1-13 ea | UnfHk'kh

dk; j r I k'of/kd fuxe

1- mRrj çn'k jkT; I M d i f j ogu fuxe

₹ djM+ek

fooj .k	2008-09	2009-10	2010-11
v- n' rk, i पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंशपूँजी सहित)	369.13	369.13	369.13
ऋण:			
सरकार:			
केन्द्र	-	-	-
राज्य	-	-	-
अन्य	239.17	258.13	243.09
निधियाँ	23.19	8.35	8.69
व्यापारिक देयता एवं अन्य चालू देयताएँ (प्रावधानों सहित)	808.81	906.34	1012.24
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम पुर्णगठन समायोजन लेखा	26.41	26.41	26.41
; lk v	1466.71	1568.36	1659.56
c- i f j Ei fRr; k सकल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	1096.27	1162.46	1189.61
घटाया: हास	649.49	711.67	730.85
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	446.78	450.79	458.76
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	11.56	46.41	13.13
विनियोग	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	204.08	203.60	252.84
संचित हानियाँ	804.29	867.56	934.83
; lk c	1466.71	1568.36	1659.83
I - fu; kftr i jh	(-)146.39	(-)205.54	(-)287.51

2. mRrj çn'k foRrh; fuxe

₹ djM+ek

fooj .k	2008-09	2009-10	2010-11
v- n' rk, i प्रदत्त पूँजी	179.28	179.28	179.28
अंश आवेदन राशि	-	-	-
संचित निधि एवं अन्य संचय व आधिक्य	19.50	19.36	19.25
उधारियाँ:			
(i) बाण्डस एवं ऋण पत्र	309.75	217.32	167.16
(ii) सावधि जमा	0.10	0.03	0.009
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	382.28	374.94	374.84
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक			
(v) अंशपूँजी के बदले ऋण:			
(vi) राज्य सरकार	139.69	228.25	269.27
(vii) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	0.57	0.53	0.43
(viii) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	5.56		
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	411.40	407.38	390.67
; lk v	1448.13	1427.09	1400.91
c- i f j Ei fRr; k नकद एवं बैंक शेष	8.06	9.49	26.41
विनियोग	15.10	15.10	15.10
ऋण एवं अग्रिम	438.02	414.88	387.76
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	10.77	10.42	10.08
अन्य परिसम्पत्तियाँ	24.48	25.85	28.57

¹ नियोजित पूँजी, निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को इंगित करती है।

fooj.k	2008-09	2009-10	2010-11
विविध व्यय	-	-	-
लाभ एवं हानि खाता	951.70	951.35	932.99
; lk c	1448.13	1427.09	1400.91
I - fu; kstr i th ²	1046.00	1008.23	995.65

3. mRrj çnšk jkT; lk.Mkj.k fuxe

₹ djM+ek

fooj.k	2007-08	2008-09	2009-10
v- nš rk,j			
प्रदत्त पूँजी ³	13.37	13.37	13.37
संचय एवं आधिक्य	217.24	252.31	299.43
सभिडी	-	-	-
उधारियाँ:			
सरकारी	-	-	-
अन्य	30.03	21.05	-
व्यापारिक देयता एवं चालू देयताएँ (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	56.54	56.72	74.59
; lk v	317.18	343.45	387.39
c- i fj l Ei flr; k			
सकल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	289.23	295.37	274.34
घटाया: ह्यस	72.54	77.81	52.80
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	216.69	217.56	221.54
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	(-)2.02	(-)2.02	(-)0.82
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	102.51	127.91	166.67
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
; lk c	317.18	343.45	387.39
fu; kstr i th ⁴	260.64	286.73	312.80

4. mRrj çnšk ou fuxe

₹ djM+ek

fooj.k	2008-09	2009-10	2010-11
v- nš rk,j			
संचय एवं आधिक्य	936.56	1052.23	1173.95
उधारियाँ	10.71	14.87	15.75
चालू देयताएँ (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	129.76	141.74	189.00
अन्य देयताएँ	-	-	-
; lk v	1077.03	1208.84	1378.70
c- i fj l Ei flr; k			
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	11.24	16.44	17.59
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1011.77	1138.38	1307.13
संचित हानि	-	-	-
उत्तरांचल फारेस्ट डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, देहरादून (कब्जे में शुद्ध परिसम्पत्तियाँ)	53.77	53.77	53.77
विविध व्यय	0.25	0.25	0.21
; lk c	1077.03	1208.84	1378.70
I - fu; kstr i th ⁴	893.25	1013.08	1135.72

5. mRrj çnšk vkokl , ofodkl i fj"kn

₹ djM+ek

fooj.k	2008-09	2009-10	2010-11
v- nš rk,j			
परिषद कोष	2577.66	2916.12	3275.04
आधिक्य	-	-	-
उधारियाँ	-	-	-
जमाएँ	215.83	121.13	137.64

² नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (उसे छोड़कर जो विशेष रूप से पोषित तथा बाह्य निवेशों से समर्थित हो), बाण्ड्स, जमा एवं ऋण (पुनः वित्त—पोषण सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

³ ₹ 2.20 करोड़ की आवंटनाधीन अंश पूँजी सहित।

⁴ नियोजित पूँजी, निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को इंगित करती है।

fooj . k	2008-09	2009-10	2010-11
अविक्रीत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु संचय	-	-	-
चालू देयताएँ (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	2719.92	3242.65	3379.60
देयताओं पर परिसम्पत्तियों का आधिकार्य	-	-	-
; lk v	5513.41	6279.90	6792.28
c- i f j Ei ffr; k			
(i) निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	33.50	31.96	30.31
(ii) विनियोग	1835.39	1753.91	2151.55
(iii) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	3644.52	4494.03	4610.42
; lk c	5513.41	6279.90	6792.28
I - fu; fstr i th ⁵	958.10	1283.34	1261.13

6. mRrj cnsk ty fuxe

₹ Cr. M²

fooj . k	2007-08	2008-09	2009-10
v& n̄ rk, j			
उधारियाँ			
ऋण कोष:			
(i) एलआईसी से	-		
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार से	393.14	393.14	509.54
(iii) बैंकों से	-	-	-
सरकार से अनुदान	5416.22	6150.13	7626.65
जमाएँ			
चालू देयताएँ			
अप्रयुक्त सामग्री पर सेन्टेज	57.86	73.67	109.96
अन्य देयताएँ	3724.37	4952.03	4541.27
(i) जमाएँ (परियोजना हेतु प्राप्त जमाएँ)	2403.86	3088.47	4132.16
(ii) ग्रेचुटी हेतु प्राविधान	6.50	6.50	6.50
एलएसजीईडी से जल निगम को हस्तान्तरित परियोजना	9.50	9.47	9.49
; lk & v	12011.45	14673.41	16935.57
c& i f j Ei ffr; k			
सकल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	25.65	23.49	23.51
घटाया – हास	9.77	9.20	9.53
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	15.88	14.29	13.98
विनियोग	--	-	-
पीएफ में निवेश	144.48	144.19	143.31
परियोजनाः			
(i) सामग्री	469.92	725.74	862.56
(ii) कार्य प्रगति पर	5098.39	6329.45	7851.64
(iii) यूपी जल निगम द्वारा अनुरक्षित-पूरी की गई ग्रामीण जल परियोजना	774.46	735.04	823.17
(iv) यू० पी० जल निगम को हस्तान्तरित एलएसजीईडी की ग्रामीण जल कार्य परियोजना की लागत	9.08	9.08	9.08
चालू परिसम्पत्तियाँ	4613.00	5824.90	6131.37
ऋण एवं अग्रिम	750.67	806.28	1015.07
घटा	135.57	84.44	85.39
; lk & c	12011.45	14673.41	1693.57
I & fu; fstr i th ⁵	5536.22	6321.53	7913.99

⁵ नियोजित पूँजी, निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को इंगित करती हैं।

i f' k' V&6
I kfof/kd fuxekl dsk; blyu i fj .kkel dks n' k'kh fooj .kh
1/2Lrj 1-13 eal UnfHk 1/2

v- dk; J r I kfof/kd fuxe
1-mRrj cnsk jkT; I Mcl i fJogu fuxe

₹ djM+e

	2008-09	2009-10	2010-11
i fJokyuxr			
(अ) राजस्व	1260.56	1602.22	2038.56
(ब) व्यय	1381.02	1684.71	2092.45
(स) आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-)120.46	(-)82.49	(-)53.89
vi fJokyuxr			
(अ) राजस्व	153.30	54.79	35.84
(ब) व्यय	22.17	24.27	20.44
(स) आधिक्य (+)/घाटा (-)	131.13	30.52	15.40
; lk			
(अ) राजस्व	1413.86	1657.01	2074.40
(ब) व्यय	1403.19	1708.98	2112.89
(स) शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	10.67	(-)51.97	(-)38.49
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	22.17	24.27	20.44
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	32.84	(-)27.70	(-)18.05

2. mRrj insk foRt; fuxe

₹ djM+e

	2008-09	2009-10	2010-11
1- vkl;			
(अ) ऋणों पर ब्याज	25.91	14.61	20.93
(ब) अन्य आय	2.65	1.68	7.36
(स) ब्याज प्रावधान वापस लिए गए	-	-	-
(द) एनपीए प्रावधान वापस लिए गए	13.09	6.51	18.58
(य) ह्यास विनियोग वापस लिए गए	-	-	-
; lk 1	41.65	22.80	46.87
2- 0; ;			
(अ) दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	1.39	0.48	0.05
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	5.00	1.44	0.003
(स) अन्य व्यय	23.08	20.52	28.47
(द) स्थायी परिसम्पत्तियों के विक्रय पर हानि	1.19	-	0
; lk 2	30.66	22.44	28.52
3- dj l s i oL yHk 1\$%@gkf 1&1/2 (1-2)	10.99	0.36	18.35
4- vlu; fofo; lstu	-	-	-
5- yHkk dk fy, mi yC/k jkf' k*	-	-	-
6- Hqkrku fd; k x; k@Hqkrku ; lk; yHkk	-	-	-
7- fu; kfr i th ij dly cfryHk	12.38	0.84	18.40
8- fu; kfr i th ij cfryHk dk cf'r kr	1.18	0.08	1.85

3. mRrj insk jkT; Hk. Mkj.k fuxe

₹ djM+e

	2007-08	2008-09	2009-10
1- vkl;			
(अ) भण्डारण प्रभार	125.91	177.50	214.37
(ब) अन्य आय	3.45	4.16	4.35
; lk 1	129.36	181.66	218.72

* यह, विशिष्ट आरक्षित निधि एवं कर निर्धारण के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, लाभांश के लिए उपलब्ध चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

	2007-08	2008-09	2009-10
2- ०; ;			
(अ) स्थापना प्रभार	37.79	44.14	46.86
(ब) ब्याज	2.61	1.90	0.49
(स) अन्य व्यय	48.81	95.80	106.95
; क्ष 2	89.21	141.84	154.30
3. कर से पूर्व लाभ (+) / हानि (-)(1-2)	40.15	39.82	64.42
4. विनियोजन:			
(i) आयकर का भुगतान	12.42	10.12	28.41
(ii) कर हेतु प्रावधान:			
(अ) आयकर			
(ब) लाभांश कर	0.28	0.28	0.28
(iii) कर के बाद लाभ (लाभांश के लिए उपलब्ध	27.45	29.42	35.73
(iv) वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश	1.67	1.67	1.67
(v) अन्य विनियोजन	25.78	27.75	34.06
5. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	42.76	41.72	64.91
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	16.41	14.55	20.75

4. मरक्के इनके और फुरे

	2008-09	2009-10	2010-11
1- क्ष;	215.80	283.16	329.90
विक्रय	55.22	57.06	69.62
अन्य आय	105.55	123.36	136.62
अन्तिम स्टॉक	376.57	463.58	536.14
; क्ष 1			
2- ०; ;			
क्रय	95.16	120.14	119.01
अन्य व्यय	94.99	122.22	168.60
प्रारम्भिक स्टॉक	84.83	105.55	123.36
; क्ष 2	274.98	347.91	410.97
शुद्ध लाभ (1-2)	101.59	115.67	125.17
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	101.59	115.67	125.17
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	11.37	11.42	11.02

5. मरक्के इनके व्यापक विवरण

	2008-09	2009-10	2010-11
1- क्ष;			
(अ) सम्पत्ति से आय	426.06	508.44	397.40
(ब) अन्य आय	379.34	326.33	395.12
; क्ष 1	805.40	834.77	792.52
2- ०; ;			
(अ) विक्रीत सम्पत्ति की लागत	260.08	332.62	211.37
(ब) स्थापना	75.09	119.95	180.44
(स) ब्याज	-	-	-
(द) अन्य व्यय	46.10	43.74	41.91
; क्ष 2	381.27	496.31	433.72
3. आय का व्यय पर आधिक्य (1-2)	424.13	338.46	358.80
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	424.13	338.46	358.80
5. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	44.27	26.37	28.45

6. mRrj iñk ty fuxe

₹ Cr. Me.

	2007-08	2008-09	2009-10
1- vñ;			
सेन्ट्रेज	97.97	164.34	229.10
सर्वे एवं परियोजना शुल्क	0.28	4.20	-
जल निगम द्वारा अनुरक्षित परियोजना पर ग्राहकों से	23.09	23.60	25.28
अन्य आय	6.41	19.18	22.16
वित्तीय क्रियाकलापों से आय	34.42	43.64	30.17
राजस्व अनुदान:			
(i) अनुरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से	102.27	153.28	134.91
(ii) एचआरडी हेतु सरकार से			
सी एण्ड डी ईस की आय	41.49	69.90	92.35
नलकूप विंग की आय	1.47	2.91	2.36
ब्याज	-	-	-
अनुदान	-	-	-
अन्य	-	-	-
; lñ & 1	307.41	481.05	536.33
2- 0; ;			
स्थापना प्रभार / परिचालन व्यय	187.50	237.59	235.37
अनुरक्षण पर व्यय	78.82	122.34	169.31
ब्याज	16.32	21.29	40.16
अन्य व्यय	-	-	-
ह्वास	0.30	0.31	0.35
सी एण्ड डीएस का व्यय	22.72	31.38	39.28
नलकूप विंग का व्यय	1.14	1.60	1.35
जल संस्थान को अनुदान	-	-	-
सिचांई विभाग को अनुदान	-	-	-
; lñ & 2	306.80	414.51	485.82
घाटा(-) / आधिक्य(+) (1-2)	0.61	66.54	50.51
नियोजित दृँगी पर कुल प्रतिलाभ	16.92	87.83	90.67

स्रोत: सार्वजनिक उपकरणों के अधितन अन्तिमीकृत वार्षिक लेखे।

ikp o'kk ds nkku 2011&12 rd okVst&vk/kfj r fu; kftr of] okLrfod of) , oradeh dks n kkr gpb
fooj.kh
(iLrj 21-9 e | UnfHkr)

dkl 0	fooj.k	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	;
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
765 dkli mi clkn (I : k)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	01	01	02
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	01
4	वर्ष की समाप्ति पर (1+3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	
5	वृद्धि के सापेक्ष गिरावट (2-3)	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	01
765 dkli i fjordi dh (kerk, eoh,)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि / विस्तार	शून्य	शून्य	शून्य	2000	2000	4000
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1000	1000
4	वर्ष की समाप्ति पर क्षमता (1+3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1000	
5	वृद्धि / विस्तार के सापेक्ष गिरावट (2-3)	शून्य	शून्य	शून्य	2000	1000	3000
765 dkli ylbu (I hds e)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	409	409	409	409	409	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	423	428	851
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.9	1.9
4	वर्ष की समाप्ति पर (1+3)	409	409	409	409	410.9	
5	वृद्धि के सापेक्ष गिरावट (2-3)	शून्य	शून्य	शून्य	423	426.1	849.1
400 dkli mi clkn (I : k)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	14	14	14	14	14	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि	शून्य	शून्य	02	06	04	12
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	वर्ष की समाप्ति पर (1+3)	14	14	14	14	14	
5	वृद्धि के सापेक्ष गिरावट (2-3)	0	0	02	06	04	12
400 dkli i fjordi dh (kerk, eoh,)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	7930	7930	7930	8785	8785	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि / विस्तार	शून्य	390	2000	5370	2890	10650
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	शून्य	शून्य	855	शून्य	75	930
4	वर्ष की समाप्ति पर क्षमता (1+3)	7930	7930	8785	8785	8860	
5	वृद्धि / विस्तार के सापेक्ष गिरावट (2-3)	0	390	1145	5370	2815	9720
400 dkli ylbu (I hds e)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	4259	4259	4259	4259	4259	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि	शून्य	225	192	769	725	1911
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	वर्ष की समाप्ति पर (1+3)	4259	4259	4259	4259	4259	
5	वृद्धि के सापेक्ष गिरावट (2-3)	शून्य	225	192	769	725	1911
220 dkli mi clkn(I : k)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	48	49	54	57	63	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि	08	08	05	27	19	67
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	01	05	03	06	04	19
4	वर्ष की समाप्ति पर (1+3)	49	54	57	63	67	
5	वृद्धि के सापेक्ष गिरावट (2-3)	07	03	02	21	15	48
220 dkli i fjordi dh (kerk, eoh,)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	12570	13230	14730	15850	18120	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि / विस्तार	2480	2810	1780	7560	5920	20550
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	660	1500	1120	2270	1520	7070
4	वर्ष की समाप्ति पर क्षमता (1+3)	13230	14730	15850	18120	19640	
5	वृद्धि / विस्तार के सापेक्ष गिरावट (2-3)	1820	1310	660	5290	4400	13480
220 dkli ylbu (I hds e)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	6669	6809	6904	6996	7387	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि	125	868	853	1348	1697	4891
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	140	95	92	391	258	976
4	वर्ष की समाप्ति पर (1+3)	6809	6904	6996	7387	7645	
5	वृद्धि के सापेक्ष गिरावट (2-3)	(-15)	773	761	957	1439	3915
132 dkli mi clkn(I : k)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	214	222	242	260	269	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि	25	17	17	45	37	141
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	08	20	18	09	06	61
4	वर्ष की समाप्ति पर (1+3)	222	242	260	269	275	
5	वृद्धि के सापेक्ष गिरावट (2-3)	17	(-03)	(-01)	36	31	80
132 dkli i fjordi dh (kerk, eoh,)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	15755	17094	19057	20260	22079	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि / विस्तार	1500	1910	1503	3720	2720	11353
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	1339	1963	1203	1819	1759	8083
4	वर्ष की समाप्ति पर क्षमता (1+3)	17094	19057	20260	22079	23838	
5	वृद्धि के सापेक्ष गिरावट (2-3)	161	(-53)	300	1901	961	3270
132 dkli ylbu (I hds e)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	10282	10862	11384	11973	12419	
2	वर्ष के लिये नियोजित वृद्धि	1275	503	540	1550	1356	5224
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	580	522	589	446	331	2468
4	वर्ष की समाप्ति पर (1+3)	10862	11384	11973	12419	12750	
5	वृद्धि के सापेक्ष गिरावट (2-3)	695	(-19)	(-49)	1104	1025	2756

क्रमांक ८
मिल्किंस डी फ्युल कॉर्पोरेशन का ग्राहक संग्रह
(प्रति वर्षीय रूपरेखा)

क्रमांक	ग्राहक नं.	क्रमांक	फ्युल	विद्युति	विद्युति का विवरण								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	टीडल्कू मेरठ	ईटीजी सेरठ	132/33 केंद्रीय रोड उपक्रम	15.09.06	2x20	962.01	09/06	09/06	09/07	01/09	2x20	819.34	16
2	टीडल्कू मेरठ	ईटीजी मुजफ्फरनगर	132/33 केंद्रीय रोड (वाई पास रोड)	15.09.06	2x20	590.00	09/06	09/09	06/07	01/11	2x20	547.08	43
3	टीडल्कू मेरठ	तदैव	132/33 केंद्रीय रोड थाना उपक्रम	06.11.04	2x20	570.90	11/04	11/04	12/05	06/09	2x20	261.41	42
4	टीडल्कू मेरठ	ईटीजी-1 गाजियाबाद	220/132 केंद्रीय उपक्रम	25.07.06	2x100+1x40	1989.90	07/06	07/06	01/08	09/08	2x100+1x40	2260.27	08
5	टीडल्कू मेरठ	ईटीजी-1 नांडा	220 केंद्रीय उपक्रम सेवन - 129 तोराजा	30.08.07	2x160+2x40	5986.94	08/07	08/07	12/08	06/11	2x160+2x40	3824.75	30
6	टीडल्कू मेरठ	तदैव	220 केंद्रीय उपक्रम सेवन - 62 तोराजा	30.08.07	1x100+2x60	5723.00	08/07	08/07	12/08	03/09	1x100+2x60	2039.18	3
7	टीडल्कू मेरठ	तदैव	132/33 केंद्रीय उपक्रम सेवन - 66	25.07.06	2x40	857.74	07/06	07/06	12/06	05/07	2x40	1117.02	5
8	टीडल्कू मेरठ	ईटीजी-1 मुरादाबाद	18.05.05	2x100	2134.06	05/05	05/05	11/06	05/10	2x100	2396.78	42	259.28
9	टीडल्कू मेरठ	ईटीजी विजयनगर	132 केंद्रीय उपक्रम कीरतारु	2x40	1369	09/91	09/91	03/94	03/09	2x40	966.61	181	---
10	टीडल्कू मेरठ	ईटीजी-II गाजियाबाद	132 केंद्रीय उपक्रम हापुड - II	04/2002	2x20	1009.57	04/2002	03/04	03/04	07/09	1x40	623.47	64
11	टीसी लखनऊ	ईटीजी-II लखनऊ	220/33 केंद्रीय गामती उपक्रम नगर	15.09.06	3x60	4008.35	09/06	09/06	10/07	12/08	3x60	3147.86	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	टीसी लखनऊ	तरैव	132/33 केंद्री उपलब्ध नहीं	1x20	404.31	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	12/08	1x20	533.96	उपलब्ध नहीं	129.65	अमिलयों में कोई कारण नहीं था।	
13	टीसी लखनऊ	ईटीडी फ़िलावाद	उपकेन्द्र रामसाहेब धांड वाराणसी 220/132केंद्री 132/33 केंद्री	11.12.01	2x100+2x40	2425.47	12/01	12/06	06/03	12/09	2x100+2x40	1691.72	78	---	
14	टीसी लखनऊ	ईटीडी हरदोई	चकलवाली उपकेन्द्र उन्नाव 132 केंद्री 17.01.08	2x20	923.29	01/08	03/08	01/09	02/12	1x20	696.61	37	---	तरैव	
15	टीसी लखनऊ	ईटीडी-I वरसी	132 केंद्री उपकेन्द्र रिचा सीई 1990 स्थीरकृत में	296	11/90	11/90	1991	10/09	1x20	374.18	216	78.18	पूर्ण के अधिग्रहण में दरी के कारण समय अधिक लगा।		
16	टीसी लखनऊ	ईटीडी-II वरसी	220 केंद्री उपकेन्द्र दाहना	07/06	2X100 + 2X40	2860	07/06	12/06	12/07	10/08	2X100 + 2X40	3503	10	643.00 प्रश्नकलन में निवासी कलेनी के तोड़ों का कार्य से सम्बन्धित लगात को न शामिल होने के कारण लगात में दृढ़ि थी।	
17	टीसी लखनऊ	ईटीडी-II वरसी	132 केंद्री उपकेन्द्र सीई 1990 पूर्णपूर्ण स्थीरकृत में	270	11/90	11/90	11/91	01/08	1x20	205.90	193	---	पूर्ण के अधिग्रहण में तिलाव के कारण, जो के जुलाई 2004 में हुई दरी हुई।		
18	टीसी लखनऊ	ईटीडी-I वरसी	132 केंद्री उपकेन्द्र फरेडपूर उन्नाव 05.04.06	1x20	585	04/06	04/06	09/07	06/08	1x20	544.21	9	---		
19	टीसी लखनऊ	765 केंद्री	परेश खण्ड, उन्नाव 05/09	2x1000	55000	05/09	03/10	01/12	1x1000	17000	10	---	अमिलयों में कोई कारण उलझ नहीं था।		
20	टीई वाराणसी	ईटीडी वरसी	132 केंद्री उपकेन्द्र मेहदावल 01/07	2x20	640.04	01/07	02/07	12/07	08/11	2x20	455.93	44	---		
21	टीई वाराणसी	तरैव	132 केंद्री उपकेन्द्र नगद	01/07	2x20	640.04	01/07	02/07	12/07	11/09	2x20	628.04	23	---	
22	टीई वाराणसी	ईटीडी-I वराणसी	132 केंद्री उपकेन्द्र चौरी (एस आर नगर, वरदाही)	2x20	351.60	04/98	04/98	09/08	2x20	235.95	113	---	उक्तक्रम एवं लाइन के निर्माण के लिए शासन द्वारा निषि 2001 से प्रदान किया गया था लोकेन उलझन समय से न बनाये जाने के कारण 2002 में शासन कर दिया।		
23	टीई वाराणसी	ईटीडी जौनपुर	132 केंद्री मजियाव उपकेन्द्र 05.04.06	1x20	511.39	04/06	05/07	04/07	01/09	1x20	342.40	21	---		
24	टीई वाराणसी	तरैव	बदलाव 132 केंद्री उपकेन्द्र 19.09.05	1x20	343.17	09/05	10/07	09/06	01/09	1x20	184.16	28	---		
25	टीई वाराणसी	ईटीडी आजमगढ़	दिव्य वरिया 120 केंद्री उपकेन्द्र 25.07.06	1x20	604.00	07/06	07/07	08/09	1x20	667.30	25	63.30	अमिलयों में कोई कारण उलझ नहीं था।		
26	टीई वाराणसी	ईटीडी-II इलाहाबाद	करछाना 132 केंद्री उपकेन्द्र इलाहाबाद	2x20	679.64	04/06	04/06	11/08	2x20	1085.89	19	406.25	स्त्रीवाड़ लिस तरफ जलन या उसी ओर से 11 घंटे वाली हालात जुलाई से 11 घंटे लिसके कारण दरी हुई।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
27	टैइं वारणसी	तदैव	132 केंद्री उपक्रमद मञ्चनामंत्र केशवादी	05.04.06	1x20	401.13	04/06	04/06	04/07	09/08	1x20	669.20	17	268.07	तदैव	
28	टैइं वारणसी	तदैव	132 केंद्री उपक्रमद तेलियर इलाहाबाद	25.07.06	2x40	923.36	07/06	07/06	07/07	09/10	2x40	1069.00	38	145.64	मुमि के अधिकारावां में दर्शि हुआ क्योंकि यह सेता की मुमि थी तथा उपक्रमद फीज लाइन न निलगी के कारण 10 महीने वर्ष पहा उए।	
29	टैइं वारणसी	ईटीजी-1 इलाहाबाद	132 केंद्री उपक्रमद पट्टी प्रतापगढ़	1999-2000	1x20	361.51	12/2000	12/2000	12/01	03/07	1x20	310.96	63	---	मुख्यलय हस्ता अधिकार ममता का आवेदन दरों से होने के कारण देर हुआ।	
30	टैइं वारणसी	ईटीजी-1I वाराणसी	132 केंद्री उपक्रमद कासिमबाद	04/2006	2x20	685.00	04/06	04/06	04/07	10/10	2x20	778.80	42	93.80	टेलियर दारा काम को दरों से घुरुक करने के कारण अधिक देर हुआ	
31	टैरेस आगरा	ईटीजी-1 कानपुर	220 केंद्री उपक्रमद निरु	07/2008	2x160+	5113.00	07/08	07/08	01/10	07/11	2x160+	5175.00	18	62.00	अग्रिमेजों में कोई कारण उपलब्ध नहीं है।	
32	टैरेस आगरा	ईटीजी-1I कानपुर	220 केंद्री उपक्रमद कानपुर दक्षिण	10/2009	3x60	3692.00	10/09	10/09	04/11	04/11	3x60	4665.00	---	973.00	अग्रिमेजों में कोई कारण उपलब्ध नहीं है।	
33	टैरेस आगरा	तदैव	132 केंद्री उपक्रमद एम एस केन्द्री	08/08	2x40	1560.66	08/08	08/08	08/09	12/10	2x40	1943.66	16	383.00	अग्रिमेजों में कोई कारण उपलब्ध नहीं है।	
34	टैरेस आगरा	ईटीजी-1 आगरा	132 केंद्री उपक्रमद फतेहाबाद	01/07	2x40	917.00	01/07	01/07	01/08	10/08	2x40	1061.25	09	144.25	अग्रिमेजों में कोई कारण उपलब्ध नहीं है।	
35	टैरेस आगरा	तदैव	132 केंद्री उपक्रमद भीमनारायी	04/08	2x20	906.95	04/08	04/08	04/09	05/09	2x20	532.48	01	---	अग्रिमेजों में कोई कारण उपलब्ध नहीं है।	
36	टैरेस आगरा	तदैव	220 केंद्री उपक्रमद शमसाबाद	01/08	2x160	3567.13	01/08	01/08	01/08	07/09	06/10	2x160	1658.73	11	---	अग्रिमेजों में कोई कारण उपलब्ध नहीं है।
37	टैरेस आगरा	ईटीजी-मुर्या	132 केंद्री उपक्रमद मथुरा-II	08/08	2x40	1126.80	08/08	08/08	09/09	01/10	2x40	687.61	04	---	अग्रिमेजों में कोई कारण उपलब्ध नहीं है।	
38	टैरेस आगरा	तदैव	132 केंद्री उपक्रमद माठ	07/08	2x20	1008.07	07/08	07/08	07/09	05/10	2x20	236.40	10	---	अग्रिमेजों में कोई कारण उपलब्ध नहीं है।	
39	टैरेस आगरा	तदैव	132 केंद्री उपक्रमद सासनी	07/07	2x20	866.88	07/07	07/07	07/08	08/09	2x20	303.74	13	---	विवाह- में कोई कारण उपलब्ध नहीं है।	
			YOR- cl. %/egm i.e., MUD- ch Micaread; ure											1 (0e 1035 ij)-216 (0e 1 @ 15 i))	4182.51	

i fijf k'v&9
ykbu ds fuelk eal e; kf[KD; ,oi ykxr[D; dksn k'kth gpl fooj . kth
(itr] 2-11 eal (b[th])

३८ दीड़ल्लायी से आइय दान्तमिशन बर्क्स कमेटी।


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	टीरब्लू मेरठ	ईंटर्हें-II	गाजियाबाद	132 केंद्री एसपी सिम्पोली – हुम्जु II लाइन	04/2002	20	433.62	04/2002	03/04	03/04	07/09	20	350.05	64	---	
12	टीरब्लू मेरठ	ईंटर्हें-I	गाजियाबाद	हापुड - I, II लाइन	132 केंद्री एसपी 04/2002	14	उपर्युक्त शास्ति में	04/2002	03/04	03/04	07/09	उपर्युक्त में शास्ति	64	---	मुख्यालय द्वारा देशी से आवश्यक समाप्ति की अपाहृति में हुई देशी के कारण समय अधिक लगा। तरीव	
13	टीसी लखनऊ	ईंटर्हें-II	गामती नार	सेव स्टेशन गोमतीनार पर 220 केंद्री चिनहट सरोजरी नार का 220 केंद्री हीलो	15.09.06	15	271.00	09/06	09/06	06/07	11.08	उपर्युक्त में शास्ति	15	432.43	17	161.43 उपर्युक्त के लिये स्थान के निशान में हुई देशी
14	टीसी लखनऊ	ईंटर्हें-II	गामती नार	सामनेही घाट पर वाराणसी गाव चौनी निवासी का 132 केंद्री हीलो	27.08.08	1.25	79.17	08/08	08/08	05/09	01/09	1.25	89.80	----	10.63 अभिलेखों में कोई कारण उपर्युक्त के लिये स्थान के निशान में हुई देशी।	
15	टीसी लखनऊ	ईंटर्हें	फेंगवाद	सुलानपुर से गांडा लाइन पर 220 केंद्री लीलो	11.12.01	30	860.40 (753.71)	1.20/1	05/07	12.02	1.20/9	26.28	1237.13	78	533.42 उन विभाग की अमंति के लियाच कारण।	
16	टीसी लखनऊ	ईंटर्हें हरदाह	रिया	132 केंद्री एसपी वाराणसी-चकलवर्णी लाइन के 132 केंद्री लीलो	17.01.08	35	656.60 (722.26)	01/08	09/08	01/09	10/11	38.50	778.96	32	56.70 अभिलेखों में कोई कारण उपर्युक्त के लिये स्थान के निशान में हुई देशी।	
17	टीसी लखनऊ	ईंटर्हें-I	बरेली	लाइन (दोहना से रिया) 132 केंद्री लीलो सीडिंग द्वारा में स्थिरकृति	07/06	5	245	07/06	12/06	03/07	10/08	6	201.83	216	99.83 लाइन की लम्बाई में परिवर्तन के कारण लगात में हुई देशी।	
18	टीसी लखनऊ	ईंटर्हें-II	बरेली	लाइन 220 केंद्री होलो गज-बरेली सेवी गज-बरेली	07/06	07/06	34 (102)	11/90	11/90	1991	10/09	6	268.25	19	23.25 अभिलेखों में कोई कारण उपर्युक्त के लिये स्थान के निशान में हुई देशी।	
19	टीसी लखनऊ	ईंटर्हें-II	बरेली	लाइन 132 केंद्री एसपी पीलीभीत-पूर्णपुर लाइन 01/07	30	612.93 (361.73)	सीआईए द्वारा में स्थिरकृति	40	371	11/90	11/91	01/08	39	694.48	193	332.75 अभिलेखों में हुई देशी के कारण जो कि जुलाई 2004 में प्रवास द्वारा हुई के कारण समय अधिक लगा जिससे लगात बढ़। अर्थात् कल्पना समस्या तथा नदी क्षासा वर्षा के बढ़ने के कारण फालाडेशन के बढ़ने एवं समय बढ़ गया।
20	टीई वाराणसी	ईंटर्हें बरती	वरती-नारगढ़ लाइन	बरती- एसपी 01/07	30	भद्रही से अराई तक 132 केंद्री एसपी वरती-नारगढ़ लाइन	अप्रैल 1998	7.87	120.80 (115.12)	04/98	06/98	01/99	08/08	7.5	123.66 11.5 8.54 तरीव	
21	टीई वाराणसी	ईंटर्हें-I	वाराणसी	द्वारी- लाइन 05.04.06	10	माझियाव उपर्युक्त पर 132 केंद्री एसपी लीलो	05.04.06	10	268.80	04/06	04/06	04/07	05/08	0.2	उपर्युक्त नहीं 13 --- अभिलेखों में कोई कारण उपर्युक्त के लिये स्थान के निशान में हुई देशी।	
22	टीई वाराणसी	ईंटर्हें जौनपुर	जौनपुर	पर 132 केंद्री एसपी लीलो	19.04.06	30	384.60	04/06	10/07	04/07	03/09	24.77	26.28	23	--- अभिलेखों में कोई कारण उपर्युक्त के लिये स्थान के निशान में हुई देशी।	
23	टीई वाराणसी	ईंटर्हें जौनपुर	जौनपुर	लाइन-132 केंद्री एसपी वरतीपुर लाइन 25.07.06	40	743.00	07/06	07/06	07/07	08/09	40	775.44	25	32.44 अभिलेखों में कोई कारण उपर्युक्त के लिये स्थान के निशान में हुई देशी।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
25	टैई वाराणसी	ईंटर्नी-II	132 केंद्री एससी	05.04.06	15	201.74 (321.04)	04.06	04/06	04/07	11/08	23.87	1096.09	19	775.05	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।		
26	टैई वाराणसी	ईंटर्नी-II	रिया रोड करचता	05.04.06	15	201.74 (231.60)	04/06	04/06	04/07	09/08	17.22	551.75	17	320.15	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।		
27	टैई वाराणसी	ईंटर्नी-II	इताहाबाद	132 केंद्री श्रीसी	25.07.06	35	1494.26 (1402.04)	07/06	07/06	07/07	09/10	32.84	2841.18	38	1439.14	नदी काशिंग के निम्नांग में विलम्ब के कारण सामग्र एवं समय में वृद्धि हुआ।	
28	टैई वाराणसी	ईंटर्नी-I	इताहाबाद	132 केंद्री पट्टी-प्रातापांडु	1999-2000	30	284.70	12/2000	12/2000	12/01	11/07	30	556.13	71	271.43	टैकेंद्रार के विलों का भुजान करने से देरी क कारण उसके द्वारा दो साल से अधिक काम को बन्द करने के कारण लगत एवं समय में वृद्धि हुई।	
29	टीएस आगरा	ईंटर्नी-I	कानपुर	प्राची-उन्नाव	220 केंद्री श्रीसी	07/2008	10	500.00 (250.00)	07/08	07/08	07/09	06/11	5	302.69	24	52.69	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।
30	टीएस आगरा	ईंटर्नी-II	कानपुर	प्राची-उन्नाव	220 केंद्री श्रीसी	10/2009	3.5	166.14	10/09	10/09	07/10	04/11	3.5	211.00	09	44.86	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।
31	टीएस आगरा	ईंटर्नी-I	कानपुर	प्राची-नीवरता	08/2008	10	323.50 (10.45)	08/08	08/08	08/09	09/10	0.323	21.00	13	10.55	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।	
32	टीएस आगरा	ईंटर्नी-I	आगरा	आगरा-प्रतेहाबाद	132 केंद्री श्रीसी	01/2007	23	441.00	01/07	01/07	01/08	12/08	23	741.63	11	300.63	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।
33	टीएस आगरा	ईंटर्नी-I	आगरा	आगरा-चमसाबाद	132 केंद्री श्रीसी	04/2008	08	264.56	04/08	04/08	01/09	08/09	08	167.83	07	----	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।
34	टीएस आगरा	ईंटर्नी-I	आगरा	आगरा-किरोजाबाद	220 केंद्री श्रीसी	01/2008	18	1201.45	01/08	01/08	01/09	11/10	25	440.48	22	----	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।
35	टी एस आगरा	ईंटर्नी-I	मुराशा	मुराशा	08/2008	8	255.40	08/08	08/08	09/09	07/10	8.10	142.81	10	----	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।	
36	टीएस आगरा	ईंटर्नी-II	मुरुरा	श्रीसी	132 केंद्री मुरुरा	08/2008	8	258.80	08/08	08/08	09/09	01/10	8.90	130.38	04	----	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।
37	टीएस आगरा	ईंटर्नी-II	लाइन	मुरुरा	132 केंद्री श्रीसी	07/2008	25	808.75	07/08	07/08	03/09	05/10	16.80	420.25	14	----	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।
38	टीएस आगरा	ईंटर्नी-II	मुरुरा	मीताई-सासनी	132 केंद्री श्रीसी	07/2007	25	469.00	07/07	07/07	07/08	08/09	6.1	70.52	13	----	अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।
															4 (0e 10 36ij)- 216 (0e 10 17ij)	6318.77	

dkm.Vj vQj dfy; sbbDwM itbl ds xyr x.kuk dks n kkh gpb fooj. M
Wlrrj 2-119 ea lUnflR)

Row ID	Category	Sub-Category	Item Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Notes
1	40 संवीकार द्राव्यमानस	1	इंसुली 285	67	₹ 13,071.00	₹ 821,32	लाख (वेट 13.5 प्रति लिंग)
2	एसीएसआर वर्षीय कार्बनिटर	5200	ईंसुली/08-09/10	26,11.10	₹ 2,73	₹ 71,307.70	लिंगटेक्स लिंगटेक्स लिंगटेक्स
3	63 संवीकार द्राव्यमानस	21	इंसुली 303	08,11.11	₹ 411.71	₹ 4,013.81	लिंगटेक्स लिंगटेक्स लिंगटेक्स
4	63 संवीकार द्राव्यमानस	17	इंसुली -297	23,12.10	₹ 414.50	₹ 9,509.50	लिंगटेक्स लिंगटेक्स लिंगटेक्स
5	40 संवीकार द्राव्यमानस	55	ईंसुली -241	04,10.07	₹ 400.42	₹ 1,431.42	लिंगटेक्स लिंगटेक्स लिंगटेक्स
6	अधीकार वापर	3011	ईंसुली-359	18,11.11	₹ 0.39550	₹ 1,431.42	लिंगटेक्स लिंगटेक्स लिंगटेक्स

i f j f' k"V-11
 mRrj i nsk jkT; vks| kxcl fodkl fuxe fyfeVM ds I kBulRed <ks dks n kkrh
 fooj.kh
 (i Lrj 2-2-2 eal Unfilled)



i jf kV-12
Bolnij ka dls Hkxrku dh x;h jf k i j ;kt dh gfu dlsn kkh fooj .k
(itRj 22-20 eI Unflm)

oe id:	hch-14;k	fruad	Bolnij dle ulie	pd 14;k	fruad	Hgrku hujif k	ek;fftr hujif k	ek;fftr hujif k	vi ek;fftr hujif k	10 fir kr dle nj-1 eI 2012 rd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22/2004-05	24 जनवरी 2005	गुलशन रात जेन-II	472589	03 मई 2006	5.45	0	-	5.45	3.40
2	12/2005-06	28 सितम्बर 2005	ए-जेड टेक्नोलॉजिस	472581	21 अप्रैल 2006	56.70	27 नवम्बर 2007	0	9.10	
3	17/2005-06	22 अक्टूबर 2005	आर जी विल्डरेल (पी.) लिमिटेड	472599	15 मई 2006	47.53	12 जनवरी 2009	0	12.67	
4	18/2005-06	22 अक्टूबर 2005	राज शामा कान्द्रूक्षन (पी.) लिमिटेड	472553	24 मार्च 2006	78.50	28 जनवरी 2009	0	22.39	
5	21/2005-06	27 अक्टूबर 2005	ज्योति विल्डरेक (पी.) लिमिटेड	472600	17 मई 2006	200.15	0	-	200.15	117.63
6	21/2005-06	27 अक्टूबर 2005	ज्योति विल्डरेक (पी.) लिमिटेड	472602	26 मई 2006	55.07	0	-	55.07	32.29
7	23/2005-06	18 नवम्बर 2005	गुला एसोसियेट्स	472608	31 मई 2006	65.09	0	-	65.09	38.00
8	33/2005-06	09 जनवरी 2006	गुला एसोसियेट्स	482154	24 नवम्बर 2006	16.53	11 दिसम्बर 2007	0		1.73
9	01/2006-07	12 अप्रैल 2006	गुला एसोसियेट्स	482153	24 नवम्बर 2006	83.53	4.70	18 जनवरी 2008	78.83	42.74
10	04/2007-08	05 अप्रैल 2007	गुला एसोसियेट्स	832556	17 अप्रैल 2007	21.40	21.40	20 दिसम्बर 2007	0	0.92
11	08/2007-08	12 अप्रैल 2007	गुला एसोसियेट्स	832564	26 अप्रैल 2007	95.11	95.11	30 नवम्बर 2007	0	5.71
12	24/2005-06	23 नवम्बर 2005	कान्ती प्रसाद मित्तल	472610	31 मई 2006	63.45	85.46	20 दिसम्बर 2007	0	3.68
13	21/2006-07	15 नवम्बर 2006	कान्ती प्रसाद मित्तल	832539	23 मार्च 2007	78.32	18 जनवरी 2008	61.98		36.43
14	25/2006-07	27 नवम्बर 2006	कान्ती प्रसाद मित्तल	482165	13 दिसम्बर 2006	62.71	62.71	25 अक्टूबर 2007	0	5.45
15	33/2006-07	20 दिसम्बर 2006	कान्ती प्रसाद मित्तल	832531	14 मार्च 2007	26.61	16 मार्च 2009	0		5.34
16	42/2006-07	28 मार्च 2007	कान्ती प्रसाद मित्तल	832565	26 अप्रैल 2007	26.92	26 दिसम्बर 2007	0		1.14
17	32/2005-06	16 दिसम्बर 2005	रायेल कान्द्रूक्षन कम्पनी	832522	01 मार्च 2007	36.80	14 जनवरी 2008	0		3.23
18	04/2006-07	14 जून 2006	रायेल कान्द्रूक्षन कम्पनी	482152	24 नवम्बर 2006	20.44	20.44	24 जुलाई 2008	0	3.40
19	04/2006-07	14 जून 2006	रायेल कान्द्रूक्षन कम्पनी	832521	01 मार्च 2007	21.45	21.46	24 जुलाई 2008	0	3.00
20	26/2006-07	27 नवम्बर 2006	रायेल कान्द्रूक्षन कम्पनी	482199	24 जनवरी 2007	61.58	61.58	07 मार्च 2008	0	6.88
21	05/2006-07	14 जून 2006	डी. बी. गार्ड ट्रेडर्स	832501	01 फरवरी 2007	35.97	35.97	17 दिसम्बर 2007	0	3.15
22	06/2006-07	10 जुलाई 2006	चेतन एसोसियेट्स	482156	24 नवम्बर 2006	26.10	43.00	04 अगस्त 2009	0	7.04
	15/2006-07	06 अक्टूबर 2006	चेतन एसोसियेट्स	482146	09 नवम्बर 2006	0	27.76	10 अक्टूबर 2007 तथा 02 नवम्बर 2007	0	6.77
	15/2006-07	06 अक्टूबर 2006	चेतन एसोसियेट्स	482155	24 नवम्बर 2006	22.45	22.45	02 नवम्बर 2007 तथा 02 जनवरी 2008	0	2.17
23	27/2006-07	27 नवम्बर 2006	चेतन एसोसियेट्स	482187	18 जनवरी 2007	35.40	35.40	21 अप्रैल 2009	0	7.95
24	05/2007-08	12 अप्रैल 2007	चेतन एसोसियेट्स	832558	23 अप्रैल 2007	122.93	31 मई 2008	0		13.61
25	07/2007-08	12 अप्रैल 2007	चेतन एसोसियेट्स	832560	23 अप्रैल 2007	50.61	50.61	18 अक्टूबर 2007	0	2.48
26	16/2006-07	10 अक्टूबर 2006	सिराज कान्द्रूक्षन कम्पनी	832504	14 फरवरी 2007	21.02	21.02	28 जनवरी 2009	0	4.12
27	17/2006-07	30 अक्टूबर 2006	इण्डियन ट्रेडिंग कम्पनी	832523	01 मार्च 2007	35.89	35.89	10 दिसम्बर 2008	0	6.39
28	19/2006-07	03 नवम्बर 2006	मनोहर लाल एंड कम्पनी	832520	01 मार्च 2007	27.41	27.41	10 दिसम्बर 2008	0	4.72
29	23/2006-07	27 नवम्बर 2006	एस. के. विल्डर्स	482190	23 जनवरी 2007	52.32	52.32	30 दिसम्बर 2008	0	5.15
30	24/2006-07	27 नवम्बर 2006	एस. के. विल्डर्स	482191	23 जनवरी 2007	62.99	62.99	30 दिसम्बर 2008	0	4.99
										12.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	37/2006-07	02 जनवरी 2007	एस. के. विलडर्स	832514	15 फरवरी 2007	52.30	52.30	23 अक्टूबर 2007	0	3.60
32	28/2006-07	27 नवम्बर 2006	मेससं पारस कन्ट्रक्शन	482186	18 जनवरी 2007	40.50	40.50	21 अप्रैल 2009	0	9.14
33	06/2007-08	12 अप्रैल 2007	पारस कन्ट्रक्शन	832559	23 अप्रैल 2007	51.40	51.40	20 जुलाई 2007	0	1.25
34	09/2007-08	12 अप्रैल 2007	पारस कन्ट्रक्शन	832561	23 अप्रैल 2007	98.40	98.40	04 अक्टूबर 2007	0	4.45
35	34/2006-07	02 जनवरी 2007	ओ.पी. युज्ता कन्ट्रक्शन (पी.) लिमिटेड	832532	14 मार्च 2007	26.41	26.41	16 मार्च 2009	0	5.30
36	35/2006-07	02 जनवरी 2007	ओ.पी. युज्ता कन्ट्रक्शन (पी.) लिमिटेड	832513	15 फरवरी 2007	62.60	62.60	21 जनवरी 2009	0	12.11
37	39/2006-07	15 फरवरी 2007	किंशार इंटरप्राइसेज	832537	23 मार्च 2007	60.97	60.97	-	60.97	30.67
38	40/2006-07	23 फरवरी 2007	मी. केला इंटरप्राइसेज	832527	12 मार्च 2007	57.61	57.61	13 जुलाई 2007	0	1.96
39	43/2006-07	29 मार्च 2007	सन गो. नरसी	832566	01 मई 2007	52.99	52.99	19 जुलाई 2007	0	1.16
40	21/2005-06	27 अक्टूबर 2005	ज्योति विल्डर्टेक (पी) लिमिटेड (आ.एचवास)		25 नवम्बर 2005	188.56	152.28	13 अप्रैल 2006	36.28	23.93
41	42/2006-07	28 मार्च 2007	कान्ती प्रसाद निताल (सिवाई एडवान्स)	832578	13 जुलाई 2007	65.18	65.18	26 सितम्बर 2007 तथा 27 नवम्बर 2007	0	1.95
			eg: ४४		2551.07	1987.27		563.82		540.22

i fñ k'V -13
 31 ekp 2012 rd vñf i kñr dk; k dñs n'ñññ fooj . h
 (iLrj 2-20 ea l ññññ)

oe dk;k	lñch d;:k	frñd	dk;7dk ulc	l fonk dk ev; ñ yk; dk	dk;7dk ev; fuñññr frñk foñrj dk;1ñññ	l e; kñd; Mñññ ev; ñ yk; dk	fuñññr dk;7dk ev; ñ yk; dk	vñññr dk;7dk ev; ñ yk; dk
1	22/2004-05	24 जनवरी 2005	एनवीडीयूसी, बागपत में प्रशासनिक ब्लॉक, अंतिथि गृह, नियोक्त अधास का निर्माण	112.26	23 जनवरी 2006	2259	108.88	03.38
2	12/2005-06	28 जितम्बर 2005	एनवीडीयूसी, बागपत में इनफ्रास्ट्रक्चर लिविंग बेस्ट वाटर ट्रांस्फर लाइट का निर्माण	83.00	27 जून 2005	2469	70.55	12.45
3	18/2005-06	22 अक्टूबर 2005	आवासीय सेवकर सी-10, दोनिका सिटी में युप ए के लिये सड़क, नाली एवं पुलिया का निर्माण	347.01	21 अप्रैल 2005	2536	277.64	69.37
4	21/2005-06	27 अक्टूबर 2005	आईए दोनिका निर्माण, परिवालन व 24 महीनों तक आण्डाप्पम कार्य	1257.09	26 अक्टूबर 2006	1983	826.84	430.25
5	23/2005-06	18 नवम्बर 2005	दोनिका सिटी, गालियाबाद के आवासीय सेवकर सी-10 में सीवर लाइन को बढ़ाना एवं जोड़ना एवं अन्य सम्बन्धित कार्य	432.14	17 मई 2006	2145	187.45	244.69
6	01/2006-07	12 अप्रैल 2006	दोनिका सिटी, गालियाबाद में स्टिलिंग बैसिन से यमुना नदी तक टेल रेस बैनल का निर्माण	134.12	11 अक्टूबर 2006	1998	21.00	113.12
7	01/2007-08	05 अप्रैल 2007 (युप-II)	सीडीएफ काम्पलेक्स आईए अलीगढ़ में सड़क, नाली एवं पुलिया का निर्माण	252.51	04 जनवरी 2008	1548	242.78	9.73
8	08/2007-08	12 अप्रैल 2007 (युप-I)	सीडीएफ काम्पलेक्स आईए अलीगढ़ में सड़क, नाली एवं पुलिया का निर्माण	296.89	11 जनवरी 2008	1541	247.19	49.70
9	24/2005-06	23 नवम्बर 2005	दोनिका सिटी, गालियाबाद के आवासीय सेवकर सी-10 (घुप-सी) में सीवर लाइन को बिछाना एवं जोड़ने से सम्बन्धित कार्य का निर्माण	348.89	22 मई 2006	2140	135.02	213.87
10	39/2006-07	15 फरवरी 2007	गोथ सेन्टर सिविलयार के ओचासिक सेवकर में सड़क, नाली एवं पुलिया का विकास घुप-ए	153.61	14 अगस्त 2007	1691	0	153.61
				3417.52			2117.35	1300.17

Vifudk fi Vh ea l eŋ vkokh h̄ , oMf.MT; d Mf.Ms ds vkoVU eŋ gfu dñ n kñh fooj . kñ
 iLrj 2-29 ए। श्री

i f i f i k'V-14
 मेसर्स इम एक्स एस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट
 लिमिटेड

oe i t: k	VkoVU vkoVU dñ dñ	Mf.M m i = c s	VkoVU vkoVU ox/ox ox/ox	VkoVU vkoVU ox/ox															
1	मेसर्स इम एक्स एस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	जीएच/सी-1	10000	12835.00	27 अगस्त 2006	3200	12000	11.29	5000	2.31									
2	मेसर्स इयाम इन्फ्रास्ट्रक्चर (आचालिका सिल इस्टेट की इकाई)	जीएच-1/सी-2	5600	6655.00	14 दिसंबर 2006	3300	12000	5.80	5000	1.13									
3	मेसर्स जनतसी एयो एण्ड पोल्ट्री प्रोडक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	जीएच/सी-5	7000	12020.90	27 सितम्बर 2006	4210	12000	9.36	5000	0.95									
4	मेसर्स सिटी हार्ट डेवलपमेंट	जीएच/सी-6	8000	6404.20	27 सितम्बर 2006	4475	12000	4.82	5000	0.34									
5	मेसर्स एम्परी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	जीएच-2/सी-3	14000	13998.00	20 दिसंबर 2006	3300	12000	12.18	5000	2.38									
6	मेसर्स प्रथम बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	जीएच-3/सी-3	17000	17000.00	10 नवम्बर 2006	3200	12000	14.96	5000	3.06									
7	मेसर्स स्वर्णि रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	जीएच/सी-5	27000	24663.00	13 अक्टूबर 2006	4251	12000	19.11	5000	1.85									
8	मेसर्स शारदा बिल्डर्स एण्ड डेवलपमेंट	जीएच/सी-6	17000	15356.00	27 सितम्बर 2006	4225	12000	11.94	5000	1.19									
9	श्री अनित कौर	वाणिज्यिक सी-1/ए-1	800	763.00	15 दिसंबर 2006	6050	15000	0.68	8000	0.15									
10	मेसर्स आदित्य इण्टरनेशनल	वाणिज्यिक सी-2/ए-1	600	660.00	14 दिसंबर 2006	6100	15000	0.59	8000	0.13									
11	मेसर्स मुकुट डेवलपमेंट	वाणिज्यिक सी-ए-1	1000	1222.00	14 दिसंबर 2006	6050	15000	1.09	8000	0.24									
12	मेसर्स वीटी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	वीएससी/सी-1	2300	2820.00	01 दिसंबर 2006	6043	15000	2.53	8000	0.55									
13	मेसर्स श्री गम बिल्ड टैक (I)	वाणिज्यिक 2/की-1	680	665.00	08 जनवरी 2007	6870	15000	0.54	8000	0.08									
14	मेसर्स रामेश्वर दास इन्फ्रास्ट्रेट प्राइवेट लिमिटेड	वाणिज्यिक 2/की-2/की- 2	4300	4290.00	11 दिसंबर 2006	6150	15000	3.80	8000	0.79									
15	श्री चतुरेश कुमार चेन	वाणिज्यिक 2/ की -2	800	1047.00	08 दिसंबर 2006	5800	15000	0.96	8000	0.23									
16	मेसर्स गायत्री कन्स्ट्रक्शन	वीएससीई / की-2	1500	1669.00	01 दिसंबर 2006	6050	15000	1.49	8000	0.33									
17	मेसर्स दुर्गा इन्फ्रास्ट्रेट प्राइवेट लिमिटेड	मट्टीलेलेस / की -3	7000	9658.00	14 दिसंबर 2006	6020	15000	8.67	8000	1.91									
18	मेसर्स स्वर्णि रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	वाणिज्यिक सी -1/ए- 5 एवं 6	5000	6647.00	10 नवम्बर 2006	5900	15000	6.05	8000	1.40									
19	मेसर्स शारदा बिल्डर्स एण्ड डेवलपमेंट	वाणिज्यिक सी-2/ए- 5 एवं 6	2500	2806.00	10 नवम्बर 2006	5950	15000	2.54	8000	0.58									
20	मेसर्स सुष्टि बिल्डर्स एण्ड डेवलपमेंट	वाणिज्यिक सी-3/ए- 5 एवं 6	6000	5495.00	17 नवम्बर 2006	5800	15000	5.06	8000	1.21									
21	श्री हरीश कुमार	वाणिज्यिक 1/ की -2 (के.ई.)	800	921.00	01 अगस्त 2007	6700	15000	0.76	8000	0.12									
22	मेसर्स आकाश बिल्डर्स	वाणिज्यिक 2/ की -2 (के.ई.)	600	643.00	01 अगस्त 2007	6725	15000	0.53	8000	0.08									
23	श्री भीष्म तारी	वाणिज्यिक 3/ की -2 (के.ई.)	600	800.00	01 अगस्त 2007	6810	15000	0.66	8000	0.10									

Qe f. k	Vkdflj cik Ule	H[k.M i d. k	Vkdflj i = d vudj k oxenj ea	Wl k d's vudj oklrfod {f= ox elvj ea	Vkdflj dli frffk	Vkdflj ej dsvkky ij gftu	cktij ej, dsvkky ij gftu	cktij ej, dsvkky ij gftu	cktij ej, dsvkky ij gftu	cktij ej, dsvkky ij gftu
24	श्री देवन्द्र कुमार त्यागी	वाणिज्यिक 4/ सी -2 (के. ई.)	1000	1227.00	01 अगस्त 2007	6815	15000	1.00	8000	0.15
25	मेसर्स यार्क इटरेशनल	वाणिज्यिक. सी -5/सी -2	450	441.00	02 दिसंबर 2007	6500	15000	0.37	8000	0.06
26	श्री के अहुजा	वाणिज्यिक 2/ सी -7	2000	2009.00	01 अप्रैल 2007	7001	15000	1.61	8000	0.20
27	मेसर्स गायर्स बिल्डर्स	वाणिज्यिक 3/ सी -7	2000	2117.00	01 अगस्त 2007	6760	15000	1.74	8000	0.26
28	श्री राजेश कुमार खना	वाणिज्यिक 4/ सी -7	900	673.00	01 अगस्त 2007	6350	15000	0.58	8000	0.11
29	मेसर्स वीटी कन्स्ट्रक्शन	वाणिज्यिक 5/ सी -7	2000	1805.00	01 अगस्त 2007	6900	15000	1.46	8000	0.20
30	श्रीमती श्वेता वत्स	एनएच-2/ सी -1 (आवासीय)	500	500	23 मार्च 2007	7220	15000	0.39	8000	0.04
31	मेसर्स स्टार्टिं रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	वाणिज्यिक "एफ" बी -1(आवासीय)	5550	5548.00	02 दिसंबर 2007	7000	15000	4.44	8000	0.55
32	श्री सदीप विज	वाणिज्यिक 3/ सी -1 (आवासीय)	1200	1209.00	01 अगस्त 2007	6700	15000	1.00	8000	0.16
33	मेसर्स मेट्रो इन्फ्राट्रायरेट लिमिटेड	वाणिज्यिक 4/ सी -1 (आवासीय)	1800	4328.00	01 अगस्त 2007	7555	15000	3.22	8000	0.19
34	मेसर्स इक्सप्रोलर बिल्डरेल प्राइवेट लिमिटेड	सीएफ-2/सेक्टर-11	1000	1000.00	13 मार्च 2007	11500	15000	0.35	8000	0
35	मेसर्स मंयक इचेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	वाणिज्यिक 2/सी -4 (आवासीय)	1500	1500.00	01 नवंबर 2007	6600	15000	1.26	8000	0.21
36	मेसर्स आशादीप इफार्ट्स्कर (पी) लिमिटेड	वाणिज्यिक 3/सी -4	1500	1500.00	02 दिसंबर 2007	6610	15000	1.26	8000	0.21
37	मेसर्स आर एन पी एम डेवलपर्स	वाणिज्यिक 4/सी -4	1500	1500.00	02 सितंबर 2007	7300	15000	1.16	8000	0.11
38	मेसर्स एम एस एक्स इन्होकॉम (पी) लिमिटेड	वाणिज्यिक 5/सी -4	1500	1500.00	02 दिसंबर 2007	7200	15000	1.17	8000	0.12
39	मेसर्स एम एस एक्स इन्होकॉम (पी) लिमिटेड	वाणिज्यिक 6/सी -4	1500	1500.00	02 दिसंबर 2007	7100	15000	1.19	8000	0.14
40	मेसर्स ओम इचेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	वाणिज्यिक 7/सी -4	1500	1500.00	03 अगस्त 2007	7400	15000	1.14	8000	0.09
41	मेसर्स पी के जी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	वाणिज्यिक 12/सी -4	1500	4200.00	02 दिसंबर 2007	6600	15000	3.54	8000	0.59
42	मेसर्स पी के जी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	वाणिज्यिक 14/सी -4	1500		02 दिसंबर 2007	6550		0	8000	0
									152.29	24.50

Åtm Ø; dsfy; si nu dh x; h m^pp njødk vlrj
(iLrj 3-45 eI UnH^{HC})

13. *Medea* is the title of a play by Euripides.

i fjjf' k'V-16

I dñkRed fj toz bui V nj Vch, I Vh½ I s ulips dñ nja Lohdkj djus I s gþgkfu dñs n kñh gq h
fooj .kh
(iLrj 3-6-6 eI UnfHñ)

oñ	I dñkRed dñ, I Vñ (₹ ifr ; fuV)	Vñt, y jñk mnkr fuxñ k, VM nj (₹ ifr ; fuV)	nj dñ vñrj (₹ ifr ; fuV)	Ø; dñ x;ñ Atiñ (, e:)	JktLo dñ gkfú (jñf k: ₹ e)
2010-11	1.91	1.54	0.37	2034.68	752831600
2011-12	1.96	1.55	0.41	1980.54	812021400
mi ; lx					1564853000
2012-13	2.00	1.71	0.29	1893	548970000
2013-14	2.06	1.89	0.17	1948	331160000
2014-15	2.1	2.00	0.1	2005	200500000
2015-16	2.13	2.1	0.03	2094	62820000
2016-17	2.15	2.11	0.04	2188	87520000
2017-18	2.17	2.14	0.03	2287	68610000
2018-19	2.19	2.16	0.03	2390	71700000
2019-20	2.21	2.17	0.04	2499	99960000
2020-21	2.23	2.2	0.03	2616	78480000
2021-22	2.25	2.2	0.05	2740	137000000
2022-23	2.27	2.2	0.07	2870	200900000
2023-24	2.28	2.2	0.08	3006	240480000
2024-25	2.3	2.2	0.1	3150	315000000
2025-26	2.32	2.21	0.11	3305	363550000
2026-27	2.33	2.22	0.11	3469	381590000
2027-28	2.35	2.22	0.13	3641	473330000
2028-29	2.36	2.22	0.14	3823	535220000
2029-30	2.38	2.23	0.15	4015	602250000
egk; lx					6363893000

i f f k v - 1 7
v h v k j e a x j r d l x r i f o r l v g w f j Q e a c < r j h i j d e y t k k n u s
(i1rj 3-6-8 e l Unflkr)

, Vñkj eñj rdll & rñjorl vñ VñjQ eñcñrñj ij de yñk nusdsckj. k gñ h jktLo gñfñ dñsñ kñh fooj. kñ

[fjfk'V-18
**nfofofufy ea | kexxt k ds Ø; grqckjEckj fufonk djs | dkk fooj .k
 (itrj 3-11-2 ea | ॥१॥५॥)**

०े ।।५.।।	en	iFfe fufonk dkk fooj .k			chn chh fufonk dkk fooj .k			o) न् ज (₹)			vifcd ॥ : (₹)	
		fufonk फुक्क , ओफुन्क	Bk=*	रुज (₹)	fufonk फुक्क , ओफुन्क	ek=*	रुज (₹)	o) न् ज (₹)	ifr न् ज का	9	10=8.5	11=10x7
1	2	जीं आई, वयर	3	4	5	6	7	8	9	10=8.5	11=10x7	
1	3.15एम/10सप्तकम्बूजी	दविविनिलि-एमम/647- 2011, 09.3.11	125 एमटी	50770	दविविनिलि-एमम/711-2011, 02.7.11	270 एमटी	52627.70	3.66	1857.70	501579.00		
2	4.00एमम/8एकडब्बूजी एमम/6एकडब्बूजी	दविविनिलि-एमम/652- 2011, 08.3.11	150 एमटी	50260	दविविनिलि-एमम/710-2011, 01.7.11	430 एमटी	52627.70	4.71	2367.70	101811.00		
3	जीं आई, वयर 5	दविविनिलि-एमम/651- 2011, 09.3.11	150 एमटी	50211	दविविनिलि-एमम/709-2011, 01.7.11	675 एमटी	52627.70	4.81	2416.70	1631272.50		
4	11केवी टायप स्ट्रील क्रास आस	दविविनिलि-एमम/643- 2011, 08.3.11	100000 रु०	408.19	दविविनिलि-एमम/712-2011, 01.7.11	93000 रु०	421.91	3.36	13.72	127960.00		
			mi ; lk									
5	63 केवी ट्रान्सफर्मर	दविविनिलि-एमम/333- 2008, 16.8.08	700 रु०	75110.00	दविविनिलि-एमम/403-2008, 30.9.08	1200 रु०	82610.00	9.99	7500.00	9000000.00		
6	10 एकवी ट्रान्सफर्मर	दविविनिलि-एमम/319- 2008, 08.7.08	10 रु०	4735751	दविविनिलि-एमम/397-2008, 09.9.08	50 रु०	4898000	3.43	162249.00	8112450.00		
			mi ; lk									
			egk lk									

ज्ञानः दविविनिलि की निकिता पत्रवलिया

i fjj' k'V-19
mPprj njk ij Ø; ls vf/kd 0; ; dks n kkh gq h fooj .kh
(iTrj 3-11-3 eal UnfHk)

De lક	fufonk I એક , afnukd	I kext	, y-1 nj (₹)	ek=k	vlf; fMldkE@iLy fuelk bdkb; kh nj (₹)	de nj dskjk	vlfnj (₹)	vfkd 0; (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8=(4-6)	9=(5x8)
1	પવિવિનિલિ- એમटી/685(બીએસ)/11-12 દિનાંક 02.7.2011	8.5 મી. પીરીસી પોલ	1702.50 (અગસ્ત 2011)	200000	1634.40 (અગસ્ત 2011)	અપની ઇકાઈ મેં નિર્મિત પોલ કી દર	68.10	13620000
2	પવિવિનિલિ- એમટી/261(એસ)/08-09 દિનાંક 02.02.2009	મૌટર	1089.26 (અગસ્ત 2008)	50000	997.28 (અગસ્ત 2008)	મવિવિનિલિ દ્વારા પ્રાપ્ત દર	91.98	4599000
3	દવિવિનિલિ/એમએ/479- 2009 દિનાંક 23.5.2009	8.5 મી. પીરીસી પોલ	1656.40 (જૂન 2009)	74800	1554.95 (અગસ્ત 2010)	મવિવિનિલિ દ્વારા પ્રાપ્ત દર	101.45	7588460
	; lk							25807460

લ એવં પવિવિનિલિ કી નિવિદા પત્રાવલિયાઁ

i fff' k'V-20

o'v 2006&07 | s 2010&11 ds nkku i fofufufy] ejB , oanfofufufy] vlxjk eampprj i bdt njk ij VIII Okej dh ejEer ds dkj .k gkf u dks n kkh fooj .kh
(i Lrj 3-11-7 ea l Unfkh)

	VIII Okej dh {kerk Vdhi, ek}								
i fofufufy	25	63	100	160	250	400	630	1000	: lk (1:1)
गजियाबाद	9062	6230	3795	269	522	643	135	17	20673
मुरादाबाद	9287	5103	3040	303	994	966	249	11	19953
सहारनपुर	11289	6871	4393	121	285	449	112	21	23541
मेरठ	5850	4295	3155	128	411	515	83	14	14451
									78618
nfofufufy									
आगरा	12976	8449	4772	490	1469	1693	180	30	30059
अलीगढ़	1959	975	510	60	148	187	25	5	3869
कानपुर	6941	4312	1754	103	538	575	39	0	14262
झाँसी	6798	6145	2254	292	664	776	90	9	17028
									65218
dy ejEer qj VIII Okej	64162	42380	23673	1766	5031	5804	913	107	143836
द्रान्सफार्मर मरमत में प्रयुक्त क्षमतावार एचवी/एलवी क्वायल (किग्रा में) (औसत)	23.35	43.8	60.89	79.8	105.65	220.63	322.55	456.7	
द्रान्सफार्मर मरमत कुल एचवी/एलवी क्वायल (किग्रा में)	1498182.7	1856244	1441449	140926.8	531525.15	1280536.52	294488.15	48866.9	
एल्यूमिनियम एचवी/एलवी लेग क्वायल का कुल भार	5468327.62	(25 केवीए से 250 केवीए)							
ताँबा एचवी/एलवी लेग क्वायल का कुल भार	1623891.57	(400 केवीए से 1000 केवीए)							
एल्यूमिनियम की पैकेज दर/बाजार मूल्य (₹ प्रति किग्रा में)	229.33/ 111.20								
ताँबा की पैकेज दर/बाजार मूल्य (₹ प्रति किग्रा में)	321.88/ 154.69								
एल्यूमिनियम एचवी/एलवी लेग क्वायल से द्रान्सफार्मर मरमत में हानि	645973541.80	(229.33-111.2 X 5468327.62)							
ताँबा एचवी/एलवी लेग क्वायल से द्रान्सफार्मर मरमत में हानि	271498431.60	(321.88-154.69 X 1623891.57)							
dy gkf ₹	917471973.40								

जोत: दर्विनिलि द्वारा प्रदत्त सार निरीक्षण प्रतिवेदन

okLrfod : i l sfcNk; s x; s i kbi k cMax vlf cuks s x; s eugksy@ dh ek=k ds l ki{k fucklyh xbz vfk lkf fevVh dh ek=k ij ns j wVYh dks n lkf fooj. lk
i fij kV-21
B1 ekp/2012 dkk
(itr| 3-12-1 ea | Unfiled)

i f j f' k"V&22
 iLrjk@fu'i knu y[ki jh{k i ftuds mRrj i klr ugha gq Fk dks n' kkh fooj .kh
 ॥ Lrj 3-15-1 ea I UnfHk ॥

Q- I a	folkkx dk uke	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		y[ki jh{k i fronu ea iLrj dhi l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq	iLrj dh l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq	y[ki jh{k i fronu ea iLrj dhi l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq	iLrj dh l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq	y[ki jh{k i fronu ea iLrj dhi l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq	iLrj dh l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq	y[ki jh{k i fronu ea iLrj dhi l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq	iLrj dh l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq	y[ki jh{k i fronu ea iLrj dhi l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq	iLrj dh l[;k ftl ds mRrj ikl ugha gq
1.	ऊर्जा (पावर)	14	12	17	10	13	12	7	5	4	4
2.	परिवहन	5	4	2	--	1	1	--	--	2	2
3.	सहकारिता	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
4.	समाज कल्याण	--		--	--	2	1	--	--	--	--
5.	कृषि	3	1	1	1	--	--	1	1	--	--
6.	वस्त्र उद्योग	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--
7.	औद्योगिक विकास	2	2	1	--	3	3	--	--	2	2
8.	लोक निर्माण	2	2	3	3	1	1	2	2	--	--
9.	लघु उद्योग	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--
11.	नगरीय विकास	1	--	--	--	1	1	2	1	--	--
12.	आवास एवं शहरी नियोजन	3	3	2	2	1	--	--	--	2	2 ^o
13.	सिंचाई	--	--	--	--	--	--	1	-	2	2
14.	मत्स्य एवं पशुधन	--		--	--	1	1	--	--	--	--
15.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई टी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16.	लोक उद्यम*	1	--	--	--	2*	--	--	--	--	--
17.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18.	भूतत्व एवं खनिकर्म	3	--	5	--	2	2	2*	2	3	3
19.	वन	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
	; lk	37	26	33	16	27	22	16	12	16	15

* इसमें एक प्रस्तर 'व्यापार कर/बैट की वसूली न होना' दो विभिन्न विभागों के अन्तर्गत दो संस्थाओं (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदः आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेडः भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग) के सम्बन्ध में सम्भिति है। अतः इसकी गणना एक प्रस्तर के रूप में की गई है।

* लोक उद्यम वर्ग में तीन, पाँच, तीन और तेरह विभाग थे जिनसे सम्बन्धित सामान्य प्रस्तर क्रमांक: 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2008-09 में निर्गत किये गये थे।

* यह 13 विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है जिसमें निर्यात प्रोत्साहन, कर एवं संस्थागत वित्त, वन, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग कल्याण और पर्यटन हैं जो विभाग के नाम से कालम नें नहीं दर्शाये गये हैं।

i f' k"V&23
 Hkj r ds fu; fd&egkys[kki jh{kld ds ifronu %kf.kf; dM mRrj insk l jdkj es | fefyr l jdkj h
 dEi fu; koi s | Ecfl/kr l rr~vfu; ferrkvldks n'kkh fooj .kh
 (i Lrj 3.15.3 es | Unflkh)

yrk ijk ifronu dk o'k	iLrj l f;k	ek; R djMek	l rr~vfu; ferrkvldk l kjlk	dk; blgh fd; stkus ; lk; fdln@dk tkus okyt dk; blgh	dr dk; blgh dk fooj .k
1. Ätk {e- dh dEi fu; lk					
1997-98	3स.10.2 (अ)	2.37	चेकों के अनादरण के बाद भी चेक द्वारा भुगतान की सुविधा समाप्त नहीं करने एवं विद्युत आपूर्ति विसंयोजित न करने से बकायों में वृद्धि हुई।	सम्मुचित कार्यवाही न किये जाने हेतु कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी थी।	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किये जाने के कारण उपभोक्ता के विरुद्ध बकाये की कुल राशि वसूल नहीं की जा सकी। यूपीएसईबी/कम्पनी ने बकायों की वृद्धि हेतु किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया।
1998-99	3अ.6.2.3	8.99	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.6.2.6	16.66	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
1999-2000	4अ.14	11.45	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
	4अ.17	0.99	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने बकाया वसूली हेतु कृत कार्यवाही की सूचना दी। शेष 0.99 करोड़ रुपये की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। यूपीएसईबी ने किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की।
2001-02	3अ.10	0.55	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.12	0.18	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
2002-03	2.2.25	0.79	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
2003-04	2.3.16	16.10	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने बताया कि कार्यवाही की जायेगी।
	3.11	0.51	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने बताया कि वसूली प्रमाण पत्र न्यायालय में लम्बित है।
2005-06	4.17	0.46	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1997-98	3स.12.1	61.39	परिवर्तकों की अतिशय क्षति (2 प्रतिशत के मानक से अधिक परिवर्तकों की क्षति) के कारण मरम्मत पर अतिरिक्त वित्तीय भार।	अतिशय क्षति के कारणों की जाँच एवं निरोधात्मक रखरखाव हेतु समयबद्धता की आवश्यकता थी।	उपचारात्मक उपायों के तौर पर, प्रबन्धन ने समय-समय पर आंचलिक कार्यालयों को परिवर्तकों की अतिशय क्षति में कमी लाने हेतु निर्देश निर्गत किये तथा सूचित किया कि यूपीएसईबी विद्यमान परिवर्तकों की क्षमता में वृद्धि तथा नये उपकरण की स्थापना कर रहा था। उपचारात्मक उपायों के प्रभाव का विवरण जिनसे परिवर्तकों की क्षति में कमी हुई, प्रतीक्षित था।
1999-2000	3ब.6.2	325.28	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
2002-03	2.2.21	0.43	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1998-99	3अ.5.17	3.17	अल्पनिर्धारण एवं न्यूनतम उपभोग प्रतिमूलि/विलम्ब अधिभार की अनियमित माफी।	उन मामलों में जहाँ पर कर्मचारियों की घोर लापरवाही तथा कम्पनी को हानि हुई, जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना आवश्यक था।	-तदैव-
1999-2000	4अ.13 (अ)	0.23	-तदैव-	-तदैव-	राज्य सरकार द्वारा यूपीपीसीएल को दिये गये ऋण से अदत्त देयों का समायोजन करने हेतु शासन ने निर्वेश दिया था। यूपीपीसीएल के देयों का सरकारी ऋण से समायोजन किये जाने की सूचना प्रतीक्षित थी।
	4अ.26	0.10	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2001-02	3अ.19	0.49	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2002-03	2.2.21	0.52	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

yrk ijk ifrou dk o'k	iLrj l C;k	eY; k djMek	l rr-vfu; ferrkvdk l kjdk	dk; bkgf fd; stkus ; k; fcun@dk; tkus oky/k dk; bkgf	dr dk; bkgf dk fooj.k
2004-05	3.3	171.15	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2005-06	2.2.15	1.32	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने बताया कि उपभोक्ताओं की अधिक संख्या होने के कारण निर्धारित समय में बिलिंग सम्भव नहीं है।
2003-04	3.9	8.22	व्यस्तम समय उल्लंघन हेतु दण्ड की अनियमित माफी	कर्मचारियों द्वारा किये गये घोर लापरवाही के मामलों में तथा जहाँ कम्पनी का हानि परिलक्षित हुई, उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3.13	0.44	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
	3.18	0.18	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2003-04	3.14	0.79	व्यस्तम समय उल्लंघन के दण्ड को भारित न करना/अप्रतिबन्धित आपूर्ति हेतु दर को न लगाना।	समुचित कार्यवाही न करने हेतु कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	-तदैव-
	3.15	0.49	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
	3.16	1.24	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
	3.13	0.19	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
2004-05	3.13	0.19	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
1998-99	3अ.6.2.1	68.95	मासिक देयकों का किश्तों में भुगतान एवं विलम्ब भुगतान अधिभार की माफी।	राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया का उल्लंघन करने हेतु कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि सक्षम अधिकारी/समिति से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, उद्योग में व्याप्त मंदी एवं उपभोक्ता की खराब वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता को किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी थी। यूपीपीसीएल द्वारा उपभोक्ता से बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही के परिणाम प्रतीक्षित थे।
2000-01	4अ.22	2.80	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि उपभोक्ता पूर्ववर्ती केसा से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण कम्पनी थी, केसा द्वारा किये गये निर्णय को निर्गम द्वारा अंगीकृत किया गया था और केसा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वसूली की गयी थी।
2003-04	3.12	0.27	दर अनुसूची की गलत प्रयोग करने के कारण अल्प निर्धारण	लागू दर पर निर्धारण सुनिश्चित न करने वाले कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.7	1.12	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2005-06	4.25	0.10	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने कहा कि अन्तर की धनराशि ₹ 1.12 करोड़ के देयक उपभोक्ता को निर्गत किये जा चुके हैं। हालांकि, वसूली प्रतीक्षित थी।
2006-07	4.15	1.53	-तदैव-	-तदैव-	खण्ड द्वारा बीजक निर्गत किये गये थे किन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।
2007-08	3.12	0.11	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने कहा कि अन्तर की धनराशि का देयक निर्गत किया जा चुका है। हालांकि वसूली प्रतीक्षित थी।
	3.17	0.81	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
	3.18	0.25	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
2008-09	4.17	0.12	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धक का उत्तर प्रतीक्षित था।
	4.9	7.43	-तदैव-	भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने हेतु प्रबन्धन द्वारा आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करनी की आवश्यकता थी।	प्रबन्धक का उत्तर प्रतीक्षित था।

yrki jikk i fronu dk o'k	iTrj f;k	eY; k djM+ek	I rr-vfu; ferrkvdk kjk	dk; blgh fd; s tkus ; k; fdln@dk tkus okyh dk; blgh	dr dk; blgh dk fojo.k
2008-09	2.1.21	134.39	कोयले का अधिक उपयोग	प्रबन्धन से अपेक्षित था कि वह मार्ग में कोयले की हानि को रोकने के रैकों को खाली करने में विलम्ब को रोकने, कोयले के उपयोग को कम करने तथा आर एण्ड एम कार्यकलापों को समय से पूरा करने के लिए उपाय करे।	प्रबन्धन ने कहा कि इकाईयाँ बहुत पुरानी थीं तथा कोयले की गुणवत्ता खराब थी जिसके कारण कोयले का अधिक उपयोग हुआ तथा उपभोग को कम करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं
2009-10	2.2.34	1082.51	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने कहा कि कोयले को अधिक उपभोग कोयले की खराब गुणवत्ता एवं आर एण्ड एम कार्यकलापों के पूरा न होने के कारण था।
	; kx	1935.41			
2. mRj i ns k jkt; phu h fufeVM					
1999-2000	4अ.8	0.51	अनुचित भण्डारण के कारण चीनी की क्षति एवं परिणामी हानि।	अनुचित भण्डारण के कारण हुई हानि की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चीनी गीली हो गयी थी जिसके लिए कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं था।
2000-01	4अ.5	0.83	-तदैव-	-तदैव-	सरकार/प्रबन्धन ने बताया कि चीनी निदेशालय ने रहतिये के अनुसार निर्गमन आदेश जारी नहीं किया एवं लम्बे समय तक अत्यधिक रहतिये को रखने के कारण चीनी गीली हो गयी।
2002-03	3.1.6	1.19	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
	; kx	2.53			
3. mRj i ns k LVV , xbf.MfLV; y dkj i ljsku fufeVM					
2001-02	2अ.3.2.1	2.06	हैण्डपम्पों के लिये जीआई पाइपों की अधोमानक अधिप्राप्ति	प्रबन्धन से अपेक्षित था कि वह सामग्री की अधिप्राप्ति में विहित प्रक्रिया एवं गुणवत्ता के मानकों का अनुसरण करें।	प्रबन्धन ने बताया कि आपूर्तिकर्ताओं एवं भारतीय मानक बूरो से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं जिसके प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
2009-10	2.1.10	3.26	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने बताया कि अधोमानक आपूर्तियों को स्वीकार न करने के संबंध में क्षेत्रीय इकाईयों को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं तथा वर्ष 2007-08 से, 10 एमटी से अधिक के आपूर्ति आदेश निर्गत किये जा रहे थे।
2001-02	2 अ.3.3.1	0.69	केसिंग पाइपों के उपभोग में अधिक लागत	प्रबन्धन से अपेक्षित था कि वह हैण्डपम्प लगाने के प्राककलन मानक के अनुसार तैयार करें।	प्रबन्धन ने बताया कि प्रकरण की जाँच की जा रही थी।
2009-10	2.1.12	0.40	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने बताया कि भविष्य में खण्डीय अभियंताओं की लिखित सूचना पर हैण्डपम्पों के लगाने का प्राककलन संशोधित किया जायेगा।
2001-02	2 अ.3.3.2	3.93	हैण्डपम्पों को लगाने में अत्यधिक मार्जिन को प्रभारित करना।	प्रबन्धन से अपेक्षित था कि भविष्य में इन कमियों से बचने के लिए वह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाये।	प्रबन्धन ने बताया कि लगात प्राककलनों को शासन द्वारा अनुमोदित किया गया था।
2009-10	2.1.13	5.73	-तदैव-	प्रबन्धन से अपेक्षित था कि वह भविष्य में इस प्रकार की घूंकों से बचने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को व्यवस्थित करे।	प्रबन्धन ने बताया कि कम्पनी प्राककलन उसी प्रकार तैयार कर रही है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है।
	; kx	16.07			

hkkj r ds fu; fd&eglyk[kj jk[kd ds i fronu 1olk.kT; d[k mRrj i ns[k l jdkj es l feefyr l kof/kd fuxek l s
l Ecflkr l rr~vfu; ferrkvldk n'kkh fooj .kh
(i Lrj 3.15.3 es l UnfHkr)

y[kj jk[k i fronu dk o'k	i Lrj l E;k	eY; VdjkM: i ; set	I rr~vfu; ferrkvldk l jk[k	dk; blgh fd; s tkus ; kk; fdln@dk tkus okyh dk; blgh	dr dk; blgh dk fooj .k
1. mRrj i ns[k foRrh; fuxe					
1997-98	33.7.2.1	2.39	वह ईकाइयों जो प्रारम्भ से ही साध्य नहीं थी के ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव के त्रूटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण हानि अथवा ऋण की राशि की वसूली नहीं किया जाना।	मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली को सशक्त बनाये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जिन्होंने ऋण स्वीकृति हेतु परियोजना का मूल्यांकन किया था, की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	निगम सहायित इकाई के निवेशकों से मात्र ₹ 36.32 लाख की वसूली कर सका तथा शेष राशि के लिये व्यक्तिगत प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई।
	33.7.2.3	1.66	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रवर्तकों से मात्र ₹ 28.53 लाख ही वसूल कर सका। शेष धनराशि की वसूली हेतु व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई थी।
1999-2000	4ब.2	1.30	-तदैव-	-तदैव-	सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा निगम ₹ 11.54 लाख वसूल कर सका। देयों की वसूली के लिए निगम ने निवेशकों तथा प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र (आरसी)/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र (पीआरसी) निर्धारित किये। किसी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।
	4ब.7	1.39	-तदैव-	-तदैव-	सहायित इकाई की सम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से निगम मात्र ₹ 25.15 लाख ही वसूल कर सका। पीआरसी निर्धारित की गयी है। किसी भी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।
2002-03	3.2.2	11.68	-तदैव-	-तदैव-	कोई वसूली नहीं की जा सकी। आरसी निर्धारित की गई है।
	3.2.3	7.09	-तदैव-	-तदैव-	निगम ₹ 44.13 लाख वसूल कर सका। पीआरसी निर्धारित की गई है।
	3.2.4	4.85	-तदैव-	-तदैव-	निगम ने ₹ 1.95 करोड़ का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध ₹ 1.45 करोड़ अभी तक जमा हुये थे।
2004-05	3.16	5.65	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेटर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1997-98	33.8.2.1	2.82	वितरण पूर्व शर्तों का पालन न किये जाने के कारण ऋणों की वसूली के असंभव होने से हानि हुई।	ऋण वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जो वितरण पूर्व की शर्तों का पालन करवाने में विफल रहे, की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए थी।	निगम एकमुश्त समाधान (ओटीएस) निर्णय के अन्तर्गत मात्र ₹ 75 लाख ही वसूल कर सका।
	33.8.2.2	1.75	-तदैव-	-तदैव-	निगम ₹ 74.60 लाख (₹ 51.10 लाख के ओटीएस के विरुद्ध, ₹ 32.75 लाख सहित) वसूल कर सका। किसी भी कर्मचारी पर अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं की गई थी।

y ^g k ^h j ^h k ^k i ^h r ^u n ^u d ^l o ^h k ^h	iLrj i ^h f ^h k ^h	eY; k ^h j ^h M ^h : i ; s ^h k ^h	I rr~vfu; ferrkv ^h dk i ^h j ^h k ^h	dk; blgh ^h fd ^h ; s ^h tkus ; lk ^h ; fc ^h ng@dh ^h tkus okyh ^h dk; blgh ^h	dr dk; blgh ^h dk fooj.k
	33.8.2.3	1.36	—तदैव—	—तदैव—	निगम ने सम्पत्तियों की विक्री से ₹ 12 लाख वसूले। निगम ने पीआरसी निर्गत की तथा पीआरसी के विरुद्ध एक प्रवर्तक से ₹ 70.50 लाख वसूले। किसी भी कर्मचारी की उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था।
	33.8.2.4	2.14	—तदैव—	—तदैव—	निगम बकायों को नहीं वसूल सका। किसी कर्मचारी का जिम्मेदारी अभी तक निर्धारित नहीं की गई।
2003-04	3.21	2.21	—तदैव—	—तदैव—	निगम देयों की वसूली नहीं कर सका एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.15	13.59	—तदैव—	—तदैव—	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1999-2000	4ब.6	0.56	अनियमित विधिक दस्तावेजों/जाली दस्तावेजों पर ऋण वितरण किये जाने से हानि।	दस्तावेजों की त्रुटिविहीन सत्यापन/स्वतंत्र जाँच की प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता थी।	निगम ने ₹ 62.74 लाख का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध ऋणी ने अभी तक ₹ 31.30 लाख जमा किया।
2000-01	4ब.3	4.44	—तदैव—	—तदैव—	निगम प्रवर्तकों से नाम मात्र की धनराशि ही वसूल कर सका। पीआरसी निर्गत की गई है।
	4ब.5	0.97	—तदैव—	—तदैव—	निगम मात्र ₹ 28.80 लाख ही वसूल कर सका। प्रवर्तकों एवं प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध पीआरसी निर्गत की गई।
	4ब.6	0.62	—तदैव—	—तदैव—	निगम प्रवर्तकों से कोई धनराशि वसूल नहीं कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2002-03	3.2.6	4.50	—तदैव—	—तदैव—	निगम ₹ 1.46 करोड़ वसूल कर सका। आरसी निर्गत की गई है। प्रबन्धन ने इन प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों को नहीं दर्शाया।
2003-04	3.22	2.06	इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब से हानि।	इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब के लिए कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.18	10.79	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
2005-06	4.30	11.64	—तदैव—	—तदैव—	सुरक्षा पर अधिक व्यय के कारण कब्जा नहीं लिया गया था।
	: lk ^h	95.46			
2. mRrj i ^h sk jkt; l M ^h d i ^h fjogu fuxe					
1997-98	4ब.2	0.32	विलम्ब से जमा किये गये ईपीएफ पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान।	विलम्बित जमा पर क्षतिपूर्ति के आरोपण को बचाने के लिए समयानुसार ईपीएफ का भुगतान आवश्यक था।	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
1998-99	4ब.1	0.19	—तदैव—	—तदैव—	प्रबन्धन ने सूचित किया कि न्यायालय के स्थगन आदेश के क्रम में क्षतिपूर्ति की धनराशि को समायोजित कर दिया गया था।
2000-01	4ब.2	0.27	—तदैव—	—तदैव—	प्रबन्धन ने सूचित किया कि कर की राशि को जमा करने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गयी थी। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	: lk ^h	0.78			

i f j f' k" V&25
 foHkkxokj vfufkjr fuj{k.k ifronuks dks infkr djrh gpo fooj .kh
 (iLrj 3.15.4 eal UnfHk)

O- I a	foHkkx dk uke	I koifud mi Øekd dh I;k	vfufkjr fuj{k.k ifronuks dh I;k	vfufkjr iLrjk dh I;k	o"V tcl s iLrj vfufkjr g
1.	कृषि	3	13	56	2005-06
2.	मत्स्य एवं पशुधन	1	6	29	2004-05
3.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	5	34	95	-तदैव-
4.	सिंचार्इ	1	7	42	-तदैव-
5.	लद्ध उद्योग	1	7	53	-तदैव-
6.	औद्योगिक विकास	3	56	351	-तदैव-
7.	निर्यात प्रोत्साहन	2	12	75	-तदैव-
8.	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	3	13	35	-तदैव-
9.	इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी	4	17	45	-तदैव-
10.	लोक निर्माण	2	324	1102	-तदैव-
11.	समाज कल्याण	3	11	37	2006-07
12.	महिला कल्याण	1	1	5	2011-12
13.	गृह	1	4	7	2004-05
14.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	12	54	2005-06
15.	पर्यटन	1	5	9	2007-08
16.	वकफ एवं अल्पसंख्यक	2	8	30	2004-05
17.	परिवहन	1	81	461	-तदैव-
18.	सहकारिता	1	7	45	-तदैव-
19.	वन	1	21	73	-तदैव-
20.	ऊर्जा	13	1599	6347	-तदैव-
21.	स्वास्थ्य	1	2	4	2005-06
22.	आवास एवं शहरी नियोजन	2	851	2887	2004-05
	; kx	54	3091	11842	

ज्ञोत : निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रगति पंजिका

i f j f' k"V&26
 foHkkxokj i Lrjk@fu'i knu y{kkijh{kk, ftuds mRrj i rhf{kr Fk dks n'kkh fooj .kh
 (i Lrj 3.15.4 ea I UnfHk)

Ø- I a	foHkk dk uke	i Lrjk adh I q; k	I eh{kvvk adh I q; k	tkjh djus dh vof/k
1.	ऊर्जा	8	1	अप्रैल 2012 से अगस्त 2012
2.	सहकारिता	1	--	जून 2012
3.	शहरी विकास	3	--	जून 2012 एवं जुलाई 2012
4.	सिंचाई	3*	--	—तदैव—
5.	औद्योगिक विकास	--	1	सितम्बर 2012
	; kx	14	2	

* इसमें दो विभागों (यूपी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड: सिंचाई विभाग और उत्तर प्रदेश जल निगम: शहरी विकास विभाग) का एक प्रस्तर सीमेन्ट के क्रय पर परिहार्य व्यय सम्मिलित हैं क्योंकि यह प्रस्तर क्रम संख्या ३ में सम्मिलित है अतः इसकी गणना दो प्रस्तर के रूप में की गई है।